लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 7 मई, 1997/17 वैशाख, 1919 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
147	नीचे से 6	(को और (ग	(को से (ग
285 286 287	नीचे से 10 1 12	नीतिश कुमार	नीतीश कुमार
287	नीचे से 17	क्षेत्रीय	क्षेत्रीय
317	3	श्री समीक लहरी	श्री समीक लाहिड़ी
325 332	नीचे से 9 नीचे से 10	श्री किन्जारप्पू येरानायडू	श्री किन्जारप्पू येरननायडू
330	नीचे से 11	लडूर	अडूर

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र, (भाग-चार) 1997/1919 (शक)]
अंक 5, बुधवार, 7 मई, 1997/17 वैशाख, 1919 (शक)

विषय		कालम
मंत्री का परिचय	.....	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	441, 442, 451, 443 और 444	1-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	445 से 450 और 452 से 460	29-50
अतारांकित प्रश्न संख्या	4928 से 5157	50-285
सभा पटल पर रखे गए पत्र	.....	287-293
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	.....	293
आठवां प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*		
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	.....	293
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*		
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में प्रस्ताव	.....	293-308
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
15 अप्रैल, 1997 को हज के दौरान मीना में आग की दुर्घटना में भारतीय हाजियों की हुई मृत्यु और घायल हुए व्यक्ति	.....	336-340
श्री रमाकांत डी. खलप		
नियम 377 के अधीन मामले :		
(एक) मध्य प्रदेश की सागर झील से गाद निकालने संबंधी केन्द्रीय योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	.....	341
श्री वीरेन्द्र कुमार		
(दो) बिहार के कोडरमा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	.....	341
श्री आर.एल.पी. वर्मा		
(तीन) उड़ीसा के ढेंकानाल में ब्राह्मणी नदी के ऊपर बाजी राउत सेतु का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	.....	342
श्री के.पी. सिंह देव		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

(चार) तमिलनाडु, विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले के हथकरघा बुनकरों की शिकायतों पर विचार किए जाने की आवश्यकता 342-343
श्री एन. डेनिस

(पांच) देश के रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किए जाने की आवश्यकता 343
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण

(छः) पश्चिम उड़ीसा के सूखा प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता 343-344
श्री भक्त चरण दास

(सात) सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की नवीनतम गणना करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक सहायता दिए जाने की आवश्यकता 344
श्री सनत कुमार मंडल

वित्त विधेयक, 1997 344-416

विचार करने के लिए प्रस्ताव 344

श्री पी. चिदम्बरम 344-357

डॉ० मुरली मनोहर जोशी 360-382

डॉ० देवी प्रसाद पाल 383-393

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 394-413

श्री सी. नारायण स्वामी 413-415

लोक सभा

बुधवार, 7 मई, 1997 / 17 वैशाख, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[श्री पी. एम. सईद *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

मंत्री का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा से अपने सहयोगी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन का परिचय करा दूँ।

पूर्वाह्न 11.00 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की वार्ता

+

***441. कुमारी उमा भारती :**
श्री कुंवर सर्वराज सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव-स्तर की वार्ता फिर से शुरू हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई है;

(ग) क्या उपर्युक्त वार्ता के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा आतंकवाद भड़काने के मामले पर भी चर्चा हुई; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत नई दिल्ली में 28 से 31 मार्च, 1997 तक हुई थी। बातचीत के दौरान भारत ने दोनों देशों के बीच सभी बकाया पड़े मुद्दों पर बातचीत करने की अपनी उत्सुकता और आर्थिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सहयोग विकसित करने तथा लोगों से लोगों के बची सम्पर्कों को प्रोत्साहन देने और विशिष्ट विश्वासोत्पादक उपायों पर विचार करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी।

(ग) और (घ) बातचीत के दौरान हमने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के बारे में तथा पाकिस्तान द्वारा उकसाये गए परोक्ष युद्ध के प्रति अपनी कड़ी चिंता व्यक्त की थी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय सभापति जी, पाकिस्तान की जनता और भारत की जनता एक-दूसरे देश के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के सद्भावनापूर्ण संबंध बनें, इसके लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक तीनों स्तरों पर आपसी संबंध सुधारने के प्रयास होंगे। जिस समय देवेगौड़ा जी की सरकार के समय सचिवों की यहां पर आपस में बातचीत हो रही थी उस समय धमाके भी हो रहे थे और सुलह भी हो रही थी। एक तरफ जिन दिनों बातचीत हो रही थी उन्हीं दिनों जम्मू में विस्फोट हुए यानि गले में हाथ भी डाले जा रहे थे और पीठ में छुरा घोंपने की कार्यवाही भी हो रही थी। पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरूआत हुई है, यह बहुत अच्छी बात है। मुझे पाकिस्तान के साथ बातचीत के बारे में एक शेर याद आ रहा है।

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिए, शेर मत कहिए।

कुमारी उमा भारती : माननीय सभापति जी, शेर में ही मेरा सवाल है।

इधर चिलमन से हम झाकें उधर चिलमन से तुम झांको।
आओ लगा दें आग चिलमन को, न हम झांकें न तुम झांको।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह सवाल है कि जब पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू हुई तो उस समय नियंत्रण रेखा के भविष्य के बारे में जम्मू-कश्मीर के बारे में और सियाचिन के बारे में बातचीत हुई या नहीं?

दूसरा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान के कब्जें में जो कश्मीर है, वह पाकिस्तान को दे देना चाहिए, उसके बारे में प्रधान मंत्री जी का और केन्द्र की सरकार का क्या मत है?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जहां तक कश्मीर की स्थिति के बारे

में जो कोई भी वक्तव्य किसी ने दिया है, यदि यह सरकारी तौर पर भारत की स्थिति से भिन्न है, तो वह हमें स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में हमारी स्थिति स्पष्ट है। जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। अतः इस संबंध में किसी के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य स्थिति स्पष्ट नहीं करेगा।

जहां तक चर्चा का प्रश्न है, जैसा कि मेरे साथी ने कहा है, दो विदेश सचिवों ने विभिन्न मुद्दों पर प्रारम्भिक चर्चा की है। चूंकि बातचीत प्रगति पर है, हम देखेंगे कि स्थिति क्या रूप लेती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 'माले' में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिल रहा हूँ। अतः महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि आप अनुमति दें और मेरे माननीय मित्र सहमत हों, तो मैं स्थिति में इस मामले में और आगे नहीं जाना चाहता।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : प्रधान मंत्री जी बहुत जज्बाती इंसान हैं। पाकिस्तान की जेलों में रहने वाले भारतीय सेना के अधिकारी अभी भी कुछ शेष रहा गए हैं, इस प्रकार की चर्चा लगातार अखबारों में आती है। उनकी पीड़ा से भी प्रधान मंत्री जी वाकिफ होंगे। जब पाकिस्तान के साथ हमारी पहले भी बातचीत हुई और आगे जब होगी, जैसे मछुआरों के बारे में बातचीत हुई, तो क्या पाकिस्तान की जेलों में रहने वाले भारतीय सैनिकों के बारे में बातचीत होगी ?

और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वीजा की जो सहूलियतें भारत की सरकार ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के नागरिकों को भारत की ओर आने की ऑफर की है, इस प्रकार की सहूलियतें क्या पाकिस्तान भी ऑफर कर रहा है, जो भारतीय तीर्थयात्री ननकाना साहिब, कटासराज और प्रह्लादपुरी की तरफ जाते हैं ?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक पाकिस्तानी जेलों में कैदियों के बारे में पहले प्रश्न का संबंध है, जब मैं विदेश मंत्री के रूप में मिला, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी और मुझे उत्तर दिया गया था कि इस वक्त उनकी जेलों में कोई भारतीय नहीं है। किंतु पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मुझे उन्हें सूची भेजने के लिए कहा था और वह उसी समय आगे जांच करने के इच्छुक थे। उन्होंने कहा था कि वे इस श्रेणी में जेल में किसी को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

मछुआरों के बारे में एक वक्तव्य पहले ही दिया गया है। हम दोनों सहमत .....*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : कटासराज, ननकाना साहिब और प्रह्लादपुरी जाने वाले तीर्थयात्रियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे ?

सभापति महोदय : उन्हें उत्तर देने हैं। उन्हें परेशान न करें।

कुमारी उमा भारती : जहाँ तक बीसा देने की बात है तीर्थ यात्रियों के लिए पाकिस्तान ने क्या प्रस्ताव किया है। यह इसलिए कि भारत से कटासराज और प्रह्लादपुरी जाने वाले तीर्थयात्रियों को अभी कुछ कठिनाईयां हैं। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं अभी उस पर पहुंचा नहीं था, मैं प्रिजन पर पहुंचा था।

सभापति महोदय : इसलिए मैंने कहा कि पूरा जवाब सुनने के बाद आप सवाल पूछिये।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जो दूसरा सवाल आपने वहां जाने के लिए किया है, कुछ लोग पंजा साहिब जाते हैं, कुछ लोग कई जगह यात्रा के लिए जाते हैं। सुविधाओं में भी तंगी है, जो कुछ हैं, जितनी हैं, आप कई दफा बात करते रहते हैं, अब आगे भी करते रहेंगे। उनकी तरफ से कहना यह है कि वे सुविधाएं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, जब से नवाज शरीफ सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान में काफी परिवर्तन हुए हैं। वे रूढ़िवादी ताकतों से निपटने में अच्छी तरह सक्षम हैं। वह राष्ट्रपति की शक्तियों को भी नियंत्रित रखने में समर्थ हैं। अतः उस स्थिति में हमारी सरकार द्वारा पाकिस्तान से संबंध सुधारने के प्रयास प्रशंसनीय हैं। सचिव स्तर की वार्ता हुई थी। एक वक्तव्य में उन्होंने बताया कि विश्वास पैदा करने हेतु कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। कृपया क्या वह हमें जानकारी देंगे कि विश्वास पैदा करने हेतु ऐसे कौने से विशेष उपाय हैं जिनके संबंध में उन्होंने पाकिस्तान से प्रस्ताव किया है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं नहीं समझता कि हम इस स्थिति तक पहुंच गए हैं, जहां हम उपायों का प्रस्ताव कर सकें। हमने सामान्य बातों पर चर्चा की है। हमें इस पर सोचना पड़ेगा और परस्पर ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे विश्वास पैदा करने वाले उपाय किये जा सकें। मुझे विश्वास है कि विदेश सचिवों की बैठक में ऐसे उपाय निकलेंगे।

श्री रूप चंद पाल : महोदय, अभी हाल ही में कई अवसर आए हैं, जब डब्ल्यू.टी.ओ. जैसे पुराने मंच में भारत और पाकिस्तान को कुछ परस्पर हितों के कारण आपस में लड़ना पड़ा था। माननीय प्रधान मंत्री से क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या अभी तक चालू वार्ता के दौरान या अभी हाल ही में समान सरोकारों और आपसी

हितों वाले क्षेत्रों का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस संबंध में जहां तक संभव हो एक समान दृष्टिकोण रखा जा सके।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : निःसंदेह, जो कुछ भी मेरे माननीय मित्र ने कहा है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि डब्ल्यू.टी.ओ. पर हमारा एक समान दृष्टिकोण रहा है। किंतु मैं समझता हूँ कि हमें धीरे-धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया में हैं विदेश सचिव स्तर की वार्ता का एक दौर हो चुका है। विदेश मंत्री के रूप में मैं श्री गौहार अयूब से मिल चुका हूँ। अब मैं प्रधान मंत्री से मिलूंगा। दोनों देशों की स्थिति ऐसी है कि जैसा मैंने कहा, हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : सभापति महोदय, खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कश्मीर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन जब उन्होंने यह कहाः

[अनुवाद]

"किसी के वक्तव्य"। डॉ॰ फारूक अब्दुल्लाह 'कोई अन्य' व्यक्ति नहीं है। वह एक राज्य के मुख्य मंत्री हैं।

[हिन्दी]

और बार-बार वे इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि यह जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको मुद्दा बनाया जाए। *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : रिप्लाई इसका आया ही नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि इसमें अमेरिका अपना खेल, खेल रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना सवाल पूछिये न।

श्री चमन लाल गुप्त : इस समय जो कश्मीर हमारे पास है, वह इंटेग्रल पार्ट है तो होल ऑफ कश्मीर, जो पार्लियामेंट का बाकायदा रेजोल्यूशन है, उसको हमें मान कर चलना चाहिए। *... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : इतना साफ सवाल है कि जब कोई जिम्मेदार आदमी, राज्य का मुख्य मंत्री बार-बार इस बात को बोलता है तो उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं होना चाहिए?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य दिया है। और जो भी संकल्प संसद ने पारित किया है, हम उस संकल्प का आदर करते हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, पिछले पांच वर्षों से भारत और पाकिस्तान के मध्य जनता के संबंध सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। यह बात कई अवसरों पर देखने को मिली है, जब दिलीप कुमार, जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में संगीतकारों के सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान गए हैं। प्रधान मंत्री जी मैं आपको उदाहरण पेश कर सकता हूँ - हमारे मन में यह डर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान हमें पसन्द करेगा या नहीं, जब हमारी भारतीय फुटबाल टीम पेशावर में थी, तो शासक दल के पाकिस्तानी नेतागणों ने मैदान में आकर गोल दागने वाले हमारे खिलाड़ियों को बाहों में भर कर अपनी शुभकामना व्यक्त की। अतः ऐसे प्रत्येक मौके पर यह पाया गया कि सद्भावना अभी भी मौजूद है। किंतु दुर्भाग्य से जब कभी सरकार द्वारा इस संबंध में पहल की जाती है, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें ऐसी कोशिश करती हैं कि भारत-पाकिस्तान संबध और न सुधरें। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जिनका ताशकंद में निधन हुआ था ने भारत और पाकिस्तान में स्थायी शांति के लिए योगदान दिया; इसका अनुसरण श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते की पहल करके किया था; श्री वाजपेयी ने जो विदेश मंत्री थे, भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध सुधारने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया; और अंत में सार्क सम्मेलन में, जिसका नेतृत्व राजीव गांधी ने किया था, श्रीमती बेनजीर भुट्टो को कहना पड़ा था कि जहां तक पाकिस्तान का संबंध है भारत उसे अच्छी नीयत से देखता है।

क्या मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जान सकता हूँ कि उनकी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ माले में होने वाली बैठक में क्या होगा, क्या उन्हें आशा है कि बातचीत शिमला समझौते की परिधि ही में ही होगी?

दूसरे, पाकिस्तान में बढ़ते लोकतांत्रिक विकास को देखते हुए राष्ट्रपति की शक्ति कम करके और इन सभी बातों के द्वारा क्या प्रधान मंत्री इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वह समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य संबधों को बिगाड़ने हेतु समय-समय पर पड़ता रहा है, को इस समय पूरी तरह रोक लिया जाएगा और क्या भारत सरकार, भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों पर निर्णय लेते समय इस

उपमहाद्वीप में किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार की हेराफेरी, हथकंडो और सत्ता का खेल, खेल रही ताकतों के समक्ष नहीं झुकेगी।

हमें प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल पर पूरा विश्वास है, जिनके पास व्यक्तिगत राजनैतिक, राजनयिक अनुभव है। वह कोई रास्ता निकालेंगे और राष्ट्र को इस समय कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए और उन्हें उलझन में नहीं डालना चाहिए।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के समय बैठक में उनकी चर्चा के दायरे को शिमला समझौता पूरा करेगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं एक बात पर अपने युवा मित्र का मेरी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वह बात यह है कि पाकिस्तान में आन्तरिक रूप से जो कुछ भी हो रहा है; चाहे संविधान में संशोधन किया जये अथवा नहीं; मैं उस पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ। वह उनका अपना मामला है।

जहां तक द्विपक्षीय वार्ता का संबंध है, शिमला समझौता द्विपक्षीय वार्ता पर बल देता है। मैं समझता हूँ कि विदेश सचिवों के स्तर, विदेशी मंत्री के रूप में मेरे स्तर पर वार्ता के जो दौर हो चुके हैं और तीसरा दौर जो माले में चलेगा उसी परिधि के भीतर होगा।

सेवानिवृत्ति आयु

***442. श्री पी. कोदंड रमैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सिफारिश विशेष को लागू करने पर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हाँ। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली भविष्य लक्षी तारीख से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र सेनाओं, केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कर्मचारियों अथवा जो सेवावृद्धि पर हैं, को छोड़कर) की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाए। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षिता की वर्तमान आयु ने कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों, न्यायिक अधिकारियों, संवैधानिक प्राधिकारियों इत्यादि की अधिवर्षिता की आयु निर्धारण के लिए बैंच मार्क के रूप में काम किया है अतः आयोग यह आशा करता है कि वर्तमान सापेक्षताओं को बनाए रखने के लिए इसकी सिफारिश से पुनः उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

(ख) और (ग) वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

वेतन आयोग

+

***451. डॉ॰ कृपासिन्धु भोई :**
डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार कर्मचारियों द्वारा कभी भी हड़ताल पर जाने की धमकी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) रिपोर्ट को कब तक स्वीकार तथा लागू कर दिया जाएगा; और

(ङ) उक्त आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिणामस्वरूप कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने में विलम्ब नहीं किया गया है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, सिफारिशों को एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जाँचना अपेक्षित है। इस समिति की तीन बैठकें पहले से ही आयोजित की जा चुकी हैं। इस बारे में कर्मचारी पक्ष के दृष्टिकोण का पता लगाना भी अपेक्षित होता है। उनके साथ भी एक बैठक आयोजित की गयी थी। रिपोर्ट पर आगे प्रक्रियात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(ख) और (ग) इस मामले पर केन्द्र सरकार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने का कोई नोटिस/धमकी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लिए जाँए।

(ङ) आयोग का अनुमान है कि यदि सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है तो इस पर प्रतिवर्ष 8800 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

सभापति महोदय : चूंकि प्रश्न सं0 442 और 451 एक ही तरह के हैं, मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ उठाने की अनुमति देता हूँ।

श्री पी.कोदंड रमैया : देश में रोजगार समस्या पर अधिवर्षिता आयु में वृद्धि के असर के बारे में, मेरा प्रश्न एकदम स्पष्ट है। हम व्यापक रूप से उदारीकरण की ओर जा रहे हैं तथा साथ ही हम विनिवेश की ओर भी व्यापक रूप से बढ़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कपिपय कमियां हैं तथा निजी क्षेत्र इस कमी को पूरा करने में सक्षम नहीं है जब यह स्थिति है तो, क्या अधिवर्षिता आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करना सही होगा। मैं सरकार का निश्चित विचार जानना चाहता हूँ।

श्री एस.आर.बालासुब्रह्मण्यन : वेतन आयोग के प्रस्तावों की जांच करते समय देश में रोजगार समस्या पर अधिवर्षिता आयु में वृद्धि के प्रस्ताव के प्रभाव पर विचार किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ इस मामले पर निर्णय लेते समय इस पहलू पर विचार किया जाएगा।

श्री पी. कोदंड रमैया : इस स्थिति का दूसरा पक्ष आरक्षण की समस्या है। बहुत सारी मुसीबतों का अध्ययन तथा लम्बे संघर्ष के बाद अ.जा. तथा अ.ज.जा. को जो भी आरक्षण उपलब्ध है इसके अतिरिक्त मंडल आयोग के माध्यम से हम आरक्षण करा सके हैं। यदि सरकार अधिवर्षिता आयु को 60 वर्ष करती है तो दो और वर्षों तक कोई रिक्तियां नहीं भरी जाएगी जोकि मंडल आयोग सिफारिशों के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका क्रमिक प्रभाव इस प्रकार होगा कि सरकारी सेवा में आने की पात्रता सरकार द्वारा नहीं बढ़ाई जाएगी तथा इस तरह से अधिक आयु होने के कारण बहुत सारे पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार सेवाओं में नहीं आ पाएंगे। जब तक इस तरह का प्रभाव है तो मैं सरकार के विचार जानना चाहूंगा कि यदि वह अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष कर रही है तो मंडल आयोग के अंतर्गत इस आरक्षण समस्या से वे किस प्रकार निबटेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : मैं अपने मित्रों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब सरकार कोई निर्णय लेगी तो उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, इन पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, चूंकि प्रश्न प्रधान मंत्री महोदय, को सम्बोधित है। मैं प्रश्न को विस्तार से बताता हूँ।

सभापति महोदय : क्या आप का इरादा प्रश्न बदलने का है?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जी नहीं, मैं इस प्रश्न के विस्तार में जवाब चाहता हूँ। 58 वर्ष अथवा 60 वर्ष के बारे में सभी प्रश्न शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं। सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं जिनके 60 वर्ष की सीमा है जैसे कि कृषि श्रमिकों के लिए बीमा योजनाएं हैं जहां कि आयु सीमा 60 वर्ष है मैं नहीं जानता कि वहां यह आयु सीमा क्यों रखी गई है।

अधिवर्षिता आयु के बारे में, यह चाहे 58 वर्ष अथवा 60 वर्ष हो, सचिवों की समिति अपनी सिफारिश करेगी, तथा उन पर चर्चा होगी। मेरा प्रश्न इस संबंध में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो लोग बीमा लाभ आदि प्राप्त कर रहे हैं उनकी आयु बढ़ाकर 60 वर्ष से अधिक क्यों नहीं की जा रही है? क्या आप इससे सहमत होंगे?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैंने सोचा कि प्रश्न वेतन आयोग के बारे में है। परन्तु इसके साथ-साथ ही चूंकि श्री चटर्जी निष्पक्ष विचारक हैं, मैं इसे ध्यान में रखूंगा।

श्री एस.सी. जोस : महोदय, अधिवर्षिता आयु में वृद्धि करना एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है वेतन आयोग की किसी भी सिफारिश का प्रभाव राज्यों पर पड़ेगा। केरल में अधिवर्षिता आयु आज भी 55 वर्ष है। कुछ राज्यों में यह 56 वर्ष के आस-पास है। यदि आप पूरे देश में अधिवर्षिता आयु को एक समान करते हैं तो मैं खुश हूंगा।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि इन सिफारिशों को स्वीकार करने से पूर्व अथवा अधिवर्षिता आयु में वृद्धि अथवा परिवर्तन करते समय अथवा अधिवर्षिता आयु में परिवर्तन किए बिना, क्या भारत सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करेगी तथा पूरे देश में एक समान अधिवर्षिता आयु करने के लिए राज्य सरकारों से सिफारिश करेगी तथा जैसा कि श्री निर्मल कांति चटर्जी ने कहा कि क्या यह राज्य सरकारों से हर एक पहलू पर परामर्श करेगी? सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा यहां तक कि सरकारी सेवाओं में भी अधिवर्षिता आयु के संबंध में एकरूपता होनी चाहिए। इस विसमानता से स्थितियों पर असर पड़ता है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श करके एक समान नीति बनाएगी।

सभापति महोदय : प्रश्न, वेतन आयोग से संबंधित है।

श्री एस.सी. जोस : मैं सिर्फ वेतन आयोग की सिफारिशें के बारे में बात कर रहा हूँ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैंने सिर्फ यह कहा तथा मेरे सहयोगी पहले ही यह सुझाव दे चुके हैं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विभिन्न समितियों द्वारा यह विचार किया जा रहा है कि इसका क्या परिणाम होगा तथा अन्य विभिन्न पहलू क्या होंगे। स्वाभाविकतः जब हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो, हर एक चीज को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, वेतन आयोग को निश्चित रूप से इस समय तक आ जाना चाहिए था लेकिन वह अभी तक नहीं आया। लोग बहुत लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसकी घोषणा सरकार विधिवत कब करने वाली है, यह प्रतिक्षा है। क्या आप नयी युवा पीढ़ी के लोगों को मौका मिलने के लिए नये अवसर पैदा करने वाले हैं? उसमें आप क्या करने वाले हैं? इसमें इन सिफारिशों को आप कब तक लागू करेंगे और कब से लागू करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सभापति जी, डिले का सवाल नहीं है। मुझे तो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हुए दो हफ्ते भी नहीं हुए हैं। .....*(व्यवधान)*

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : सरकार अपनी जगह कायम है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सरकार तो हमेशा कायम रहती है, लेकिन वह कमेटी ये सारी चीजें देखेगी .....*(व्यवधान)*

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : आप अब घोषणा कर दीजिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : क्या घोषणा करूँ?

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : कब से, कब तक लागू हो जाएगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप यह नहीं पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं आपको आदर के साथ कह सकता हूँ कि जो कमेटियां बैठी हैं मैं उनको कहूंगा कि वे जल्दी काम खत्म करें।

[अनुवाद]

डॉ॰ कुपासिंधु भोई : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार को सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने संबंधी कोई सूचना/धमकी नहीं मिली है। परन्तु मैं जानता हूँ कि गृह विभाग, रक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के ग्रेड-एक तथा ग्रेड-दो दोनों कर्मचारियों ने माननीय मंत्री महोदय को विभिन्न अभ्यावेदन दिए हैं। इसलिए क्या इन संबंधित मंत्रालयों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा सरकार इस समय क्या सोचती है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : यह सच है कि हमें बहुत सारे कर्मचारी संगठनों से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वास्तव में वे सौ से अधिक हैं। इन अभ्यावेदनो में से हरएक को शक्ति प्राप्त समिति के पास अग्रेषित कर दिया गया है। शक्ति प्राप्त समिति इन अभ्यावेदनों को देख रही है।

डॉ॰ कुपासिन्धु भोई : क्या शक्ति प्राप्त समिति के सभी सदस्य भारतीय सिविल सेल के हैं। अथवा क्या इसमें स्वास्थ्य विभाग अथवा अन्य इन्जीनियरिंग सेवाओं के लोग भी शामिल हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : बहुत से विभागों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का इसमें प्रतिनिधित्व है। मैं एकदम यह नहीं बता सकता हूँ कि क्या इस विशेष एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व है अथवा नहीं। मैं इसे पता करके आपको बताऊंगा।

डॉ॰ कुपासिन्धु भोई : क्या वे समिति में शामिल हैं?..... .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह यह पूछ रहे हैं कि क्या शा.प्र.से. के अधिकारियों के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य भी है अथवा नहीं है?

डॉ॰ कुपासिन्धु भोई : क्या इसमें सिर्फ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य ही शमिल हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : शक्ति प्राप्त समिति में व्यय विभाग के सचिव इसके चेयरमैन हैं। कार्मिक मंत्रालय के सचिव, रक्षा मंत्रालय के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, डाक विभाग के सचिव जो कि भा.प्र.से. के अधिकारी नहीं हैं, दूरसंचार विभाग के सचिव, जो कि भा.प्र. सेवा के अधिकारी नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग के सचिव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, वो भी, भा.प्र. सेवा के अधिकारी नहीं हैं। सदस्य (स्टाफ) रेलवे बोर्ड की भा.प्र.से. के अधिकारी नहीं हैं तथा उप-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की भा.प्र. सेवा के अधिकारी नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि रिटायरमेंट की आयु 58 से 60 वर्ष करने की बात है। जिस तारीख से सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय करेगी उसी तारीख से वह लागू होगी। यह कई महीने पहले रिपोर्ट आ गयी थी लेकिन सरकार की तरफ से निर्णय में देरी के कारण जो सैकड़ों

लोग रोज रिटायर हो रहे हैं उनको इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। वित्तमंत्री जी ने स्वंय माना है कि एम्प्लॉइज ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में दिये गये हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने कमेटीज बनाई हैं उन कमेटीज को क्या आप कोई टाइम-बांऊड प्रोग्राम यानि दो महीने, तीन महीने, छः महीने दे सकते हैं कि इस समय सीमा में लागू कर देंगे।

दूसरा, आई.ए.एस. ऑफिसर्स को बहुत कुछ इस पे-कमीशन ने दिया है लेकिन बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो इस पे-कमीशन की रिकमेंडेशन से संतुष्ट नहीं हैं। इनमें आर्म्ड-फोर्सिज और रिटायर्ड आर्म्ड-फोर्सिज के लोग शामिल हैं। क्या आप अपनी कमेटी में आर्म्ड फोर्सिज में से भी किसी रिटायर्ड ऑफिसर को या सीनियर ऑफिसर को शामिल करेंगे जिससे उनका दृष्टिकोण भी कमेटी के सामने आ सके।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, अधिवर्षिता आयु के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस तरह का निर्णय सिर्फ शक्ति प्राप्त समिति की सरकारों को की गई सिफारिशों के बाद तथा सरकार द्वारा उच्च स्तर पर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही लिया जा सकता है। इसलिए किसी से भी यह कहना संभव नहीं है कि यह लागू किया जाये जब तक कि सरकार उच्च स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले लेती है।

जहां तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, वेतन आयोग सशस्त्र सेनाओं से संबंध रखता है। रक्षा मंत्रालय के सचिव शक्ति प्राप्त समिति के सदस्य हैं।

डॉ॰ एम.पी. जायसवाल : वह भा.प्र.सेवा के अधिकारी हैं. .....*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे कोई संदेह नहीं है .... ..*(व्यवधान)*

डॉ॰ एम.पी. जायसवाल : सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व कौन करता है ? रक्षा सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आई.ए.एस. ऑफिसर में क्या होता है।

[अनुवाद]

कृपया इस तरह परेशान न करें। माननीय मंत्री को उत्तर देने दें। ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : प्रोब्लम तो वही होती है। आई.ए.एस. ऑफिसर सर्विस मैन, एक्स सर्विस मैन के बारे में बहुत गंभीरता के साथ विचार नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप डिफेंस सेक्रेटरी के बजाए आर्म्ड फोर्सिज में से किसी को ले लें तो लोगों को ज्यादा संतुष्टि हो पाएगी।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे कोई संदेह नहीं है कि शक्ति प्राप्त समिति में सशस्त्र बलों विशेषकर तीनों सेवाओं के मुख्यों के विचारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व से अधिक महत्व दिया जाएगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि शक्ति प्राप्त समिति में उनके विचारों को सुना जाएगा और स्पष्ट किया जाएगा।

सभापति महोदय : श्री शरद पवार अपना प्रश्न पूछें।

श्री शरद पवार : धन्यवाद महोदय, मुझे उत्तर मिल गया है।

श्री रमेश चेन्निन्तला : महोदय, मैं प्रश्न संख्या 442 पर हूँ। यह वैसा ही प्रश्न है। आपने दो प्रश्नों को इक्ट्ठा कर दिया है।

महोदय, यह बहुत गंभीर प्रश्न है। सरकार ने यहां दो टूक शब्दों में बताया है कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इससे हमारे समाज में बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाएगी। हमारे देश के सभी युवा संगठनों ने पांचवें वेतन आयोग की इस सिफारिश के संबंध में अपनी चिंता और आपत्ति व्यक्त की है। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। और सभी सरकारी विभागों में भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारे बेरोजगार युवा कहाँ जाएंगे ? यदि सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की जाती है, तो यह हमारे देश में रोजगार अवसरों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर निर्णय लेने से पहले क्या सरकार सार्थक वार्ता करने हेतु राजनैतिक युवा संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित करेगी।

श्री प्रमोद महाजन : वरिष्ठ नागरिक भी बुलाए जा सकते हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन : महोदय, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अन्तिम निर्णय लेने से पहले सभी बातों की गंभीरता से जांच की जाएगी। युवाओं के संबंध में, वे शक्ति प्राप्त समिति को अभ्यावेदन दे सकते हैं।

श्री इन्नान मोल्लाह : महोदय, इस वेतन आयोग के प्रतिवेदन में पहली बार साढ़े तीन लाख पदों को समाप्त करने करने की

सिफारिश की गई है। मैं समझता हूँ कि यह उनके अधिकार से बाहर है। यह वेतन से संबंधित नहीं है। जैसा कि अभी श्री रमेश चेन्नितला ने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए, सरकार के सबसे बड़े नियोक्ता होने के नाते, यदि वेतन आयोग साढ़े तीन लाख पदों को समाप्त करने की सिफारिश करता है तो इसका देश में रोजगार की इच्छुक युवा पीढ़ी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः यह बहुत गंभीर मामला है।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री ज्ञान मोल्लाह : महोदय मैं समझता हूँ कि यह समिति के अधिकार के बाहर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसे पूरी तरह निरस्त करेगी या नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने और प्रधान मंत्री ने कहा है कि शक्ति प्राप्त समिति वेतन आयोग की सभी सिफारिशों पर विचार कर रही है और हमें शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें प्राप्त होने की आशा है। यह कैसे संभव है कि कोई मंत्री या अन्य कोई इस सभा में खड़ा होकर यह कहे कि "हम यह स्वीकार करेंगे या वह निरस्त करेंगे?" हम सभी बातों का ध्यान रखेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा था कि मुझे यहां की 33 परसेंट रिजर्वेशन के बारे में कुछ कहना पड़ेगा।

सभापति महोदय : मैं आपको ज्यादा दे रहा हूँ।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : सभापति महोदय, सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने जा रही है लेकिन आज हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई बेरोजगारी की है। अभी सभी सदस्यों ने बेरोजगार नवयुवकों के बारे में चिन्ता भी व्यक्त की। क्या सरकार ने वॉलयंटरी रिटायरमेंट के बारे में विचार किया है क्योंकि अगर उसे प्रोत्साहन मिलेगा तो शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सकेगा। पांचवें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, क्या उनमें वॉलयंटरी रिटायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए विचार किया गया है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह जानना चाहती हैं कि क्या सरकारी सेवाओं में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रावधान है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने का अभी तक कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या आप इसके बारे में चिन्ता करेंगे क्योंकि अगर वालयंटरी रिटायरमेंट ज्यादा करेंगे तो शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को ज्यादा रोजगार मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्या के सुझाव को मैंने नोट कर लिया है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : सभापति महोदय, बेरोजगारी इस देश के लिए गंभीर खतरा है जैसाकि माननीय सदस्या ने बताया है मैं भी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार में आयु सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है।

सभापति महोदय : वह पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : जी नहीं, महोदय, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या केन्द्रीय सरकारी सेवा की सेवा में आने के लिए आयु सीमा में वृद्धि होगी। क्योंकि 35 वर्ष अथवा 38 वर्ष की आयु में रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसे 40 वर्ष अथवा 42 वर्ष किया जायेगा तथा क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है।

श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन : महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कडलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना

***443. श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कडलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना द्वारा कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तथा इस परियोजना को स्थापित करते समय इसमें विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस परियोजना से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं तथा सरकार द्वारा इन विस्थापित परिवारों के कितने सदस्यों को अब तक रोजगार मुहैया कराया है;

(ग) क्या इस परियोजना से गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आर.एन. सेनगुप्त समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने का है;

(च) यदि हाँ, तो इस रिपोर्ट को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) द्वारा स्थापित कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (एस.टी.पी.पी.) की अधिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता 840 मे.वा. (4X210मे.वा.) है। सभी यूनिटें वाणिज्यिक प्रचालन में हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान इस स्टेशन ने 3200 मिलियन यूनिट के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 3318.3 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है।

(ख) कहलगांव एस.टी.पी.पी. के लिए भू-अधिग्रहण किए जाने के कारण विस्थापित हुए परिवारों की संख्या 171 है। इसमें से 20 लोगों को एन.टी.पी.सी. में नौकरी प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 38 व्यक्ति संविदा एजेंसियों के साथ कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कहलगांव एस.टी.पी.पी. से पैदा होने वाला निस्सरण यथा राखकुण्ड निस्सरण और मुख्य संयंत्र निस्सरण की गुणवत्ता बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सांविधिक सीमाओं के भीतर है।

(ङ) से (छ) मंत्रालय को सेनगुप्ता समिति रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री आर.एल.पी. वर्मा : सभापति जी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके संदर्भ में इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा।

सभापति महोदय : बैकग्राउंड में स्पीच मत देना।

श्री आर.एल.पी. वर्मा : यह ऐसा प्रश्न है जो कि बिहार विधान सभा में उठा और राज्यपाल महोदय के पास गया। इसको लेकर 190 दिन तक ग्रामवासियों ने धरना, अनशन और आमरण अनशन किया लेकिन इसके बाद भी समस्या हल नहीं हुई। यह तो आप जानते ही हैं कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1982-83 में बनना शुरू हुआ। 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दुबे जी के चैम्बर में मैनेजमेंट, मुख्यमंत्री और विस्थापितों के बीच बैठक हुई। उसमें सभी बातें तय हुई लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ।

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री आर.एल.पी. वर्मा : इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इसलिए इसे अब लोक सभा में उठाना पड़ रहा है ताकि पिछड़े-गरीब हरिजन लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं, उनको न्याय मिल सके। इस संदर्भ में लगातार आन्दोलन चला। यह सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1840 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए बनाया गया था लेकिन उसमें 840 मेगावाट की चार यूनिट्स ही लगी हैं। इसमें गरीब लोगों की जमीन चली गई। भागलपुर का कहलगांव इलाका कृषि के लिए प्रसिद्ध है, उसकी जमीन को लिया गया।

वहां पर 1000 मेगावाट का नया प्लांट नहीं लगाया है फिर भी किसानों की पिछले 12-13 साल से जमीन लेकर रखी हुई है। वहां पर 840 विस्थापित परिवार हैं जबकि सरकार ने गलत जवाब दिया है कि 171 ऐसे परिवारों को नियोजित करने का निर्णय किया गया है। एक पैनल लिस्ट बनाया गया है। उसमें 20 को बहाल किया गया है और 151 शेष बचे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सुपर थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव में शेष 151 बचे हुए परिवारों की बहाली कब होगी। दूसरी बात यह है कि जो प्रदूषण हो रहा है.....

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिये, सात मिनट तो आपने भाषण कर दिया।

श्री. आर. एल. पी. वर्मा : मैं यही कह रहा हूँ कि 151 की बहाली कब तक होगी?

[अनुवाद]

डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी : सभापति महोदय, व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले तैयार की गई थी तथा बिहार सरकार द्वारा 1625 मे.वा. तथा 300 मे.वा. के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। मूल लक्ष्य 2800 मे. वा. था। जब उन्होंने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा की थी, लक्ष्य के घटाकर 1800 मे. वाट कर दिया गया क्योंकि फरक्का और कहलगांव परियोजनाएं इसी क्षेत्र में आती हैं। इसीलिए उन्होंने इसे कम किया है। अब कोयला लिंकेज के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सी.ई.ए. के पास है।

जहाँ तक 150 व्यक्तियों के पुनर्वास का संबंध है जिसका माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं। कहलगांव तथा एन.टी.पी.सी. अधिकारी विश्व बैंक तथा बिहार सरकार के साथ चर्चा के बाद तैयार की गई नीति तथा मानदंडों के अनुसार पुनर्वास कर रहे है। 2086 व्यक्तियों में से 1586 व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जा चुका है। अढाई करोड़ रुपया भूमि का मुआवजा देने में खर्च हुआ है। हम उनको पर्यवेक्षक कामगार का काम दे रहे हैं तथा हम उनको दुकानें भी आवंटित कर रहे हैं। 2062 व्यक्तियों में से 1550 व्यक्तियों को सीधे नौकरी अथवा छोटे-मोटे ठेके दिए हैं। हमने सामाजिक विकास के लिए ढाई करोड़ रुपये व्यय किए हैं। अब तक हमने जो भी कार्य किया है वहां पुनर्वास समिति की सिफारिशों के अनुसार किया है। हम इसे स्थानीय यूनियन नेताओं तथा बिहार सरकार के साथ परामर्श करके कर रहे हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, जहां तक लोगों का संबंध है जिन्हें अब तक पुनर्वासित नहीं किया गया है सरकार इसे उच्च प्राथमिकता देगी तथा यह देखेगी की वे पुनर्वासित हो जाएं।

[हिन्दी]

श्री आर. एल. पी. वर्मा : सभापति महोदय, इस सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के प्रदूषण से राख मिला हुआ पानी फैल रहा है। इससे किसानों की 1000 एकड़ जमीन बेकार हो गई है जो कृषि के लायक नहीं रही। यह लीची, आम, गेहूँ उत्पादन का बहुत प्रसिद्ध इलाका माना जाता है। ऐसे इलाके में थर्मल पॉवर प्लांट नहीं लगाना चाहिए था। अगर लगाया गया है तो हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है। गंगा तल में जो गंदगी जमा हो जाती है, उससे पीलिया जैसे भयानक रोग फैलते हैं। क्या सरकार इस प्रदूषण को रोकने और पेय जल मुहैया करने के लिए कोई सक्षम कार्यवाही करेगी। ऐसे तो कई समस्यायें हैं जिनका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है। मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक संसदीय कमेटी का गठन किया जाए जो इस बात की सही जांच करे कि जिन लोगों ने 190 दिन तक धरना दिया, यह सच्चाई है या अफसरों की तानाशाही है, यह सच्चाई है? मैं चाहूंगा कि एक संसदीय कमेटी का गठन किया जाये जो सही तथ्यों की जांच कर इसकी रिपोर्ट दे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सभापति महोदय, आप कहेंगे तो कमेटी बना सकते हैं। उससे अच्छा यह रहेगा कि चाहे किसी भी पार्टी के मैम्बर्स हों, उस इलाके से आये हैं, अगर मिलकर स्टडी कर लें तथा मुझे बता देंगे तो जल्दी एक्शन ले लेंगे।

श्री इलियास आजमी : महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री से जानना चाहता हूँ कि बिजली की हालत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश में बिजली बोर्ड पर आर.ई.सी. का करीब 600 करोड़ रुपया बकाया है जिसका ब्याज भी उत्तर प्रदेश नहीं दे पा रहा है और दो-तीन साल से उत्तर प्रदेश में बिजली का सारा काम ठप्प हो रहा है।

मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर पंजाब जैसे खुशहाल राज्य का सारा कर्जा माफ किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश का सिर्फ बिजली का ही जो बकाया है उसको माफ करने पर क्या वह गौर करेंगे?

सभापति महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न सुपर थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट्स के बारे में है।

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि कारखानों का जाल बिछाने के लिए, खदान खोदने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है और कहलगांव सुपर थर्मल पॉवर प्लांट के लिए भी लैण्ड एक्वायर किया गया है। वहां जो लैण्ड लूजर्स हैं, उनको कहलगांव थर्मल पावर में नौकरी देने का प्रावधान है। जैसे उन्होंने कहा कि 20 आदमियों को नौकरी दी गई है। इसके लिए अलग-अलग पब्लिक-सैक्टर्स में प्रावधान है जैसे कोल इंडिया में तीन एकड़ जमीन के बदले एक आदमी को नौकरी दी जाती है और सिंचित जमीन में तीन एकड़ पर एक आदमी को तथा असिंचित ज़मीन में दो एकड़ के बदले एक आदमी को नौकरी दी जाती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या कहलगांव सुपर थर्मल पावॅर स्टेशन में जिसकी जमीन ली जाती है, उनकी कितनी एकड़ जमीन लिये जाने पर कितने लोगों को नौकरी देने का प्रावधान है? दो एकड़ पर या तीन एकड़ पर या एक परिवार में एक आदमी को है? मंत्री जी कृपया इस बारे में बताएं।

[अनुवाद]

डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी : महोदय, पूर्व में अधिग्रहित कुल भूमि.....

श्री रमेन्द्र कुमार : वह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी नीति क्या है?

सभापति महोदय : उन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। क्या आपके पास उत्तर है।

डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी : पहले, जब एन.टी.पी.सी. ने भूमि अधिग्रहित की थी तब भूमि विस्थापितों के लिए कोई नीति नहीं थी। जब हम ऋण लेने हेतु विश्व बैंक के पास गए, विश्व बैंक ने कहा कि एन.टी.पी.सी. को भूमि विस्थापितों को रोजगार तथा मूल सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। भूविस्थापितों के पुनर्वास के लिए एक सर्वेक्षण किया गया तथा यह विश्व बैंक के अंतर्गत विचाराधीन है। उसके अनुसार हमने जो भी भूमि अधिग्रहीत की है उसके लिए हमें मुआवजा देना है।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं पुनर्वास के बारे में कोई बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैं एक बहुत ही विशिष्ठ प्रश्न पूछ रहा हूँ। जिनकी भूमि एन.टी.पी.सी. द्वारा अधिग्रहित की गई है, को रोजगार देने के क्या मानदंड हैं। इसके लिए कुछ उपबंध होने चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है - क्या आप उन लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं?

डॉ॰ एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, हम भूमि विस्थापितों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि रोजगार दिलाने के लिए उनके पास कतिपय मानदंड हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : क्या मंत्री महोदय, भूमि विस्थापितों को रोजगार दिलाने के लिए मानदंडों को नहीं बता सकते हैं? मंत्री महोदय भूमि विस्थापितों, जिनकी भूमि एन.टी.पी.सी. द्वारा अधिग्रहित की गई है को रोजगार देने के बारे में सारे तथ्य नहीं बता रहे हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : माननीय सदस्य को यह जो मैंने इससे पहले कहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। इस विशेष परियोजना में कुछ ही लोग शेष हैं जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है। मैंने उन सहित सभी माननीय सदस्य से अनुरोध किया था कि यदि सभी सदस्य मुझसे बताते कि कितने लोग अभी बेरोजगार हैं तो मैं इसके पक्ष में विचार करूंगा।

श्री रमेन्द्र कुमार : श्रीमान, धन्यवाद।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता

*444. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राजस्थान तथा अन्य राज्यों को पेयजल योजनाओं तथा सफाई योजनाओं को शुरू करने के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों के क्या नाम है जहां इन योजनाओं के अंतर्गत कार्य शुरू किया जा चुका है; और

(घ) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी एजेंसियों से सहायता प्राप्त स्कीमें इस प्रकार हैं:

क्र.सं	जल आपूर्ति तथा सफाई स्कीमें	लागत (करोड़ रु)	विदेशी सहायता (मिलियन)	एजेंसी	समापन/संभावित समापन की तारीख
1.	हैदराबाद जल आपूर्ति तथा सफाई	337.00	89.0 अमरीकी डालर	विश्व बैंक	31.3.1998
2.	11 चेन्नई जल आपूर्ति (न्यू वीरनाम)	421.40	69.4 अमरीकी डालर	विश्व बैंक	30.6.2002
3.	मुम्बई मल निस्तारण	1003.80	192.0 अमरीकी डालर	विश्व बैंक	31.12.2002
4.	चेन्नई जल आपूर्ति तथा सफाई प्रणाली में कार्यात्मक सुधार	572.09	17098 येन	ओईसीएफ जापान	30.6.1999
5.	बंगलौर जल आपूर्ति तथा सफाई	1072.00	28452 येन	ओईसीएफ जापान	31.12.2001
6.	केरल शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति	1787.48	11997 येन	ओईसीएफ जापान	31.12.2003
7.	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई	319.58	109.00 अमरीकी डालर	विश्व बैंक	31.12.1997
8.	कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई	447.20	92.00 अमरीकी डालर	विश्व बैंक	30.6.2000
9.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई	783.38	59.60 अमरीकी डालर	विश्व बैंक	2002
10.	राजस्थान हेतु एकीकृत एवं जल आपूर्ति तथा सफाई एवं सामुदायिक भागीदारी	253.01	135.00 डेनिस मार्क	केएफडब्ल्यू (जर्मनी)	1000

(ग) उपर्युक्त स्कीमों के तहत जहां काम शुरू हो गया है उन स्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(i) हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद

(ii) चेन्नई

(iii) मुम्बई

(iv) चेन्नई

(v) बंगलौर

(vi) पट्टुवम, मीनाड, चेरथला, समीपवर्ती ग्राम, अनंतपुरम तथा कालीकट।

(vii) सतारा, पुणे, अहमदनगर, सांगली, थाणे, औरंगाबाद, बीड, लातूर, बुलडाना तथा चन्द्रपुर।

(viii) बंगलौर, मानदया, मैसूर, शिमोगा, दक्षिणा, विलौरी, गुलबर्गा, रायपुर बिदर, बेलगाम, टुमकुर तथा हासन।

(ix) टिहरी, देवरिया, झांसी, बिजनौर, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, ललितपुर, जालौन, अल्मोड़ा, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा इलाहाबाद।

(x) चुरू तथा हनुमानगढ़।

(घ) जल आपूर्ति तथा सफाई चूंकि राज्य के विषय हैं इसलिए ये स्कीमें संबंधित परियोजना प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रत्येक शहर और गांव में हुई प्रगति की भारत सरकार द्वारा अलग-अलग निगरानी नहीं की जाती। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार भाग (ग) के उत्तरों में उल्लिखित स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र चुडानिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विश्व बैंक और अन्य विदेशी ऐजेन्सियों की सहायता से चलने वाली पेयजल योजना और सफाई योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह सहायता किस प्रकार की है?

यह हमारा कर्जा है या हमारी बिना कर्ज सहायता है या इस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट हमारे ऊपर है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन योजनाओं के चयन का क्राइटीरिया क्या है। आज आजादी के 50 वर्ष के बाद भी हमारे देश का बहुत सा हिस्सा पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। इस संबंध में मैं राजस्थान की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज भी राजस्थान के बहुत से हिस्से में पानी का अभाव है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह सहायता किस प्रकार की है, इस पर कितना इंटरेस्ट है, इसका देश पर कितना भार पड़ेगा और इन योजनाओं के चयन का तरीका क्या है।

[अनुवाद]

डा० उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, सामन्यतया या दो प्रकार से ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र में एक बड़ी ऋण एजेन्सी है। इसकी ऋण देने वाली दो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन और पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, हमें इन दोनों ऐजेन्सियों के माध्यम से सहायता मिलती है।

यदि ऋण आई.बी.आर.डी. एजेन्सी के अंतर्गत दिया जाता है तो बयाज की दर सामान्य तथा सात प्रतिशत से साढ़े सात प्रतिशत के बीच होगी तथा इसे 20 वर्षों में अदा करना होगा।

यदि ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के अंतर्गत दिया जाता है तो कोई ब्याज नहीं लिया जाता है तथा आदायगी की अवधि 10 वर्ष की छूट की अवधि के साथ 35 वर्ष है। परन्तु आई.डी.ए. ऋण के अंतर्गत 0.5 प्रतिशत सेवा प्रभार लिया जाता है।

जहां तक ऋण नमूनों तथा इन दो संघटकों के मिश्रण का संबंध है, वे निर्णय करेंगे कि परियोजना को देखते हुए ऋण किसी एक संघटक विशेष के अंतर्गत दिया जाए अथवा दोनों संघटकों के मिश्रण के अंतर्गत दिया जाए। जहां तक हमको मिल रही सहायता का संबंध है तो समान्यतौर पर वे आई.डी.ए. और आई.बी.आर.डी.- इन दोनों संघटकों को मिल कर सहायता देते रहे हैं। यह इसका एक एक भाग है। दूसरा भाग यह है कि स्थान का चयन करने के लिए क्या मानदंड हो। स्थान का चयन करने के लिए मानदंड मुख्यतया राज्य सरकार पर निर्भर होता है। राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के आधार पर यह सुझाव देती है कि कौन सी परियोजना शुरू की जाए। जब सरकार एक बार परियोजना के संबंध में सुझाव दे देती है तो केन्द्र सरकार उस मुद्दे को उस मंत्रालय के साथ उठाती है जिसके साथ इसका संबंध है। योजना ग्रामीण क्षेत्र में है, अथवा शहरी क्षेत्र में, इसके आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जाती है। यह परियोजना सामान्यतौर पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा व्यक्त आवश्यकता के आधार पर शुरू की जाती है।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र चुडानिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो विदेशी सहायता प्राप्त हमारी योजनाएं

हैं उनकी केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार से मॉनीटरिंग नहीं करती है। सभापति महोदय, जबकि केन्द्र सरकार इन योजनाओं के सुचारू रूप से चलने और अन्य प्रकार की गारंटी देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इन पर केन्द्र सरकार की कोई मॉनीटरिंग नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मॉनीटरिंग के अभाव में जितनी भी योजनाएं हैं वे समय पर पूरी नहीं होती हैं। इन्होंने अपने जवाब में अनुमानित समय बताया है। लेकिन इस अनुमानित समय में कोई योजना पूर्ण नहीं होती और समय पर पूर्ण न होने की वजह से जो योजनाएं बनती हैं और जब खत्म होती है तो जितना इनका पैसा होता है उससे तीन गुना लागत बढ़ जाती है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि भारत सरकार इनकी मानिटरिंग करे और ये योजनाएं समय पर पूर्ण हो जाएं?

सभापति महोदय : बुडानिया जी, सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : सभापति महोदय, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैंने अपने प्रश्न के भाग ''घ'' में यह पूछा है ''इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?'' मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में प्रगति के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में जर्मन सरकार के सहयोग से चल रही पेयजल योजनाओं की वर्तमान में क्या प्रगति है और समय-समय पर इनकी मानिटरिंग के लिए सरकार क्या कार्य रही रही है? सभापति महोदय, चूंकि मैं राजस्थान के चुरू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ इसलिए मुझे वहां की हालत के बारे में जानकारी है। आज चुरू और हनुमानगढ़ के लोग पानी के लिए इतने परेशान हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज वहां के लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं जिसके कारण उनकी उम्र आधी रह जाती है। इस फ्लोराइडयुक्त पानी के कारण उनकी अकाल मौत हो जाती है, शरीर में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। फेफड़े गल जाते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चुरू और हनुमानगढ़ की योजनाएं समय पर पूरी हो जाएं, इसके लिए केन्द्र सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? इन योजनाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है? और सरकार का राजस्थान की चूरू और हनुमानगढ़ पेय जल योजनाओं का और विस्तार करने का क्या कोई कार्यक्रम है या नहीं?

[अनुवाद]

डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : ऐसी योजनाओं जिनका वित्त पोषण वाह्य रूप से किया जाता है के संबंध में केन्द्र सरकार की निगरानी प्रणाली के बारे में माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी योजना नहीं है जिसमें केन्द्र सरकार बाहरी एजेन्सियों से ऋण प्राप्त करने के सुसाध्य बनाएगी। एक बार ऋण प्राप्त हो जाने पर उसे राज्य सरकार के सुपुर्द कर दिया जाएगा और राज्य सरकार सम्पूर्ण कार्य निष्पादित करने के लिए एक एजेन्सी विशेष को नामित करेगी। यह कोई सीवरेज बोर्ड तथा वाटर बोर्ड अथवा ऐसी ही कोई एजेन्सी हो सकती है और वह कार्य निष्पादित करेगी। इस प्रकार सामान्यतया, हम केन्द्र सरकार की तरफ से कोई निगरानी तन्त्र नहीं रखेंगे क्योंकि यह एक बाहरी एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषित परियोजना होगी और राज्य सरकार कार्य निष्पादित करायेगी। राज्य सरकार इसका पूरा ध्यान रखेगी लेकिन हमें प्रायः इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट मिलती रही है कि इस संबंध में हुआ कुल खर्च क्या है। पहले यह नियंत्रित नहीं था लेकिन अब मैंने यह निश्चित कर लिया है कि मुझे कम से कम छः माह में एक बार सूचना मिल जानी चाहिए ताकि हम इन बातों की जानकारी रख सकें। हमने हाल ही में, इस अर्थ में कुछ निगरानी तन्त्र विकसित किए हैं कि खर्च की प्रगति की निगरानी रखी जाए, क्योंकि ये सभी परियोजनाएं मुख्यतया राज्य सरकारों की परियोजनाएं हैं।

जहां तक प्रश्न के द्वितीय भाग का संबंध है यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन चार परियोजनाएं है जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। दो परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं तथा दो परियोजनाओं को अभी शुरू किया जाना है, माननीय सदस्य ने चुरू और हनुमानगढ़ जिलों का विशेष उल्लेख किया है। राजस्थान सरकार में बताया है कि राजस्थान के चुरू और हनुमानगढ़ जिलों के लिए 253.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की समन्वित जल आपूर्ति, स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी परियोजना ए.एफ.एम. जर्मनी से सहायता प्राप्त करके उन पर कार्यान्वित की जा रही है। सहायता की राशि डी.एम. 135 मिलियन है। परियोजना से 325 गांवों तथा दो कस्बों को पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। दो कस्बों में स्वच्छता-उपाय किए जायंगे तथा सामुदायिक भागीदारी तथा महिलाओं को परियोजना में शामिल किया जाएगा। जून, 1995 में परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। विस्तृत ब्यौरे प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि माननीय सदस्य इतने इच्छुक हैं तो मैं उनको विवरण भेज दूंगा। मुझे परियोजना का पूरा ब्यौरा मिल गया है कि परियोजना के कौन-कौन से चरण हैं। मैं माननीय सदस्य को पूरे विवरण की प्रति जिसमें प्रत्येक परियोजनाओं की स्थिति दर्शायी गई है, भेज सकता हूँ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, यह प्रश्न देश में पेय जल से जुड़ा है। सौभाग्य से, हमारे लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करना सभंव है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देश के सभी भागों में लगातार पूरे वर्ष सभी लोगों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति नहीं कर सके।

राज्य सरकारों द्वारा कुछ छोटी योजनायें बनाई गई हैं तथा कार्यान्वित की गई हैं और उन्होंने कुछ राहत भी दी है। लेकिन

हमने पाया है कि वे छोटी योजनाएं वास्तव में पूरी तरह से मददगार नहीं हैं। धन को बर्बाद किया जा रहा है और जो भी किया जा रहा है हम एक अवधि के लिए लगातार पेय जल की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, हम यह जानना चाहेंगे कि क्या भारत सरकार के पास पूरे देश के सभी भागों में लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए कोई सटीक दीर्घावधिक योजना और नीति है। और यदि हाँ, तो वह योजना क्या है और यदि हाँ तो इस योजना से कितनी अवधि में हमारे लिए पीने के पानी की आपूर्ति की जा सकेगी।

डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मुख्य रूप से प्रश्न कुछ परियोजनाओं को बाहरी सहायता से संबंधित है। परन्तु फिर भी....

सभापति महोदय : प्रश्न अन्य राज्यों के लिए भी है।

डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैं राज्यों के बारे में विवाद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह राजस्थान तथा अन्य राज्यों के बारे में है। इसलिए यह कतिपय परियोजनाओं के लिए यह विश्व बैंक की सहायता से सम्बन्धित है। तथापि, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे माननीय सदस्य ने पूछा है। जहाँ तक देश के सभी भागों में पेयजल उपलब्ध कराने का यह विशेष प्रश्न है, संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सात विषयों, जिनकी पहचान 'प्राथमिकता क्षेत्र' के रूप में की गई है, में से पेयजल उपलब्ध कराना भी एक विषय है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री इस मामले की देख रहे हैं तथा मेरी जानकारी में उन्होंने इस वर्ष ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत आवंटन में वृद्धि की है इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। विशेष रूप से जब कभी किसी समस्या क्षेत्र का पता लगता है तो वे सभी पेय जल योजनाओं सहित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी मिशन योजना के अन्तर्गत इस पर तत्काल ध्यान देते हैं। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के इस विशेष पहलू को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए सरकार यह कार्य कर रही है। सरकार देश के सभी भागों में पेय जल की इस समस्या को दूर करने की बहुत इच्छुक है।

[हिन्दी]

श्रीमती रजनी पाटिल : सभापति जी, उत्तर में जो विवरण रखा गया है उसके सात नम्बर में मंत्री जी ने बताया है कि महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई स्कीम के लिए राशि उपलब्ध की गयी है और वह काम 31.12.97 तक पूरा हो जायेगा। उस विवरण के "ग" भाग में उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में सतारा, पुणे, अहमदनगर, सांगली, थाणे, औरंगाबाद, बीड, लातूर, बुलडाना तथा चन्द्रपुर का काम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के बीड क्षेत्र से मैं आती हूँ। वहां अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है जबकि मंत्री जी ने कहा है कि दिसम्बर 1997 तक यह काम पूरा हो जायेगा। मुझे नहीं लगता कि दिसम्बर 1997 तक यह काम पूरा हो जायेगा। अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में जायें तो आप देखेंगे कि वहां आज भी सब महिलायें सिर पर बर्तन रखकर दूर-दूर से पानी लाती हैं। वहां पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। क्या आपको यकीन है कि आपने जो समयबद्ध प्रोग्राम दिया है। वह निश्चित समय में पूरा हो जायेगा? वहां अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : कृपया क्षमा करें। क्या यह मद सं. सात के संबंध में है।

श्रीमती रजनी पाटिल : जी, हाँ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, कृपया संक्षेप में उत्तर दें अन्यथा प्रश्न काल समाप्त होने जा रहा है।

डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मैं अति संक्षेप में उत्तर दूंगा। जहां तक महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता योजना का संबंध है तो इस परियोजना के लिए 319.58 करोड़ के परिव्यय का विचार किया गया था। हमें राज्य सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इस पर लगभग 5.06 करोड़ रुपये पहले ही व्यय हो चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना को प्रारम्भ किया गया है। यह विभिन्न स्तरों पर होगी किन्तु यह वर्ष 1991 में ही कार्यान्वित की गई थी।

डॉ॰ एम. जगन्नाथ : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि वह बाह्य वित्तीय सहायता के लिए योजना प्रस्तुत करने में अधिक समय लगता है। आपने दो-तीन वर्ष से अधिक वर्ष लगाये हैं। इसके क्या कारण हैं।

डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : समय की कमी के कारण मैं विस्तृत उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। आमतौर पर जब कोई योजना बनाई जाती है और विश्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है तो वे चार चरणों में अपना प्रारम्भिक सर्वेक्षण दल भेजते हैं। प्रथम चरण में परियोजना को अभिज्ञात किया जाता है। दूसरे चरण में परियोजना को तैयार किया जाता है। तीसरा चरण पूर्व मूल्यांकन का है और चौथा चरण मूल्यांकन है। अतः उनका दल आएगा क्योंकि कोई ऋणदाता अभिकरण, कोई वित्तीय अभिकरण परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी व्यवहार्यता को देखेगा। वे भिन्न-भिन्न चरणों में अपना दल भेजेंगे जैसे ही वे आश्वस्त हो जाएंगे तभी वे निधियां देंगे। सामान्यता इसमें अंतिम स्वीकृति मिलने में कम से कम दो वर्ष का समय लगता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बीड़ी कर्मकार

*445. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार बीड़ी कर्मकारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन कर्मकारों को आवास निर्माण तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु ऋण देने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) देश में बीड़ी कर्मकारों की कुल संख्या लगभग 4.36 मिलियन होने का अनुमान है। राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार उन बीड़ी कर्मकारों के लिए अपना मकान स्वयं बनाओं योजना को कार्यान्वित करती है जिनके पास अपनी निजी भूमि/प्लाट है, जिसके अंतर्गत एक मकान बनाने के लिए 10,000/- रु० का ऋण प्रदान किया जाता है जिसे नौ वर्षों में मासिक किश्तों के रूप में लौटाना होता है तथा 3,000/- रु० की आर्थिक सहायता और छोटा परिवार के मानक अपनाने वाले कर्मकारों के लिए एवं 1700/-रु० की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया करवायी जाती है। इसके अलावा, सामूहिक आवास योजना के अंतर्गत, बीड़ी कर्मकार 6,000/- रुपये प्रति मकान का ऋण और प्रति मकान 1,000/-रुपये की आर्थिक सहायता के भी हकदार हैं। जिसे नौ वर्षों की अवधि में त्रैमासिक किश्तों में अदा करना होता है, जिसे कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया जाता है। इसके आलवा, दो अन्य योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत कोई ऋण तो प्रदान नहीं किया जाता, किन्तु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना में निर्माण की वास्तविक लागत का 50% आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो अधिकतम 9,000/- रुपये तक होगी। बीड़ी कर्मकारों की सहकारी समितियों द्वारा शेडों/गोदामों के निर्माण संबंधी योजना के अंतर्गत प्रत्येक के लिए 75,000/- रुपये अथवा दोनों के लिए वास्तविक लागत का 75% जो भी कम हो, तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन कर्मकारों के लिए उपलब्ध अन्य सुविधायें विवरण-II में दी गई हैं।

इन योजनाओं के लाभानुभोगियों की संख्या के बारे में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। लाभानुभोगियों की संख्या का क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

बीड़ी कर्मकारों की कुल संख्या (आंकलित) के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	बीड़ी कर्मकारों की वर्तमान में आंकलित कुल संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	4,75,000
2.	असम	7,725
3.	त्रिपुरा	5,000
4.	उड़ीसा	1,60,000
5.	मध्य प्रदेश	7,50,000
6.	आंध्र प्रदेश	6,00,000
7.	राजस्थान	1,00,000
8.	गुजरात	50,000
9.	कर्नाटक	3,60,000
10.	केरल	1,36,419
11.	महाराष्ट्र	2,56,000
12.	बिहार	3,91,500
13.	उत्तर प्रदेश	4,50,000
14.	तमिलनाडु	6,21,000
	कुल	43,63,520

विवरण-II

(I) बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची

1. स्थिर सह-सचल/स्थिर एलोपैथिक और स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय।
2. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
3. तपेदिक से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के घर पर इलाज करने की योजना।
4. कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के इलाज की योजना।
5. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के इलाज की योजना।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) के इलाज की योजना।
7. चश्मों की खरीद के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

8. महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना।

9. बीड़ी कर्मकारों की नसबंदी के लिए मौद्रिक प्रतिपूर्ति भुगतान की योजना।

10. हृदय रोगों के संबंध में बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

11. गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

सामाजिक सुरक्षा

1. समूह बीमा योजना।

आवास

1. अपना घर स्वंय बनाओ योजना।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीड़ी कर्मकारों के लिए आवास योजना।

3. वर्कशेड़ों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

4. समूह आवास योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों, जिनमें घरखाता बीड़ी कर्मकार भी शामिल हैं, के बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

2. बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों को एक सेट वर्दी, नोट बुक और पाठ्य पुस्तक प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की समन्वित योजना।

3. हाईस्कूल के बाद विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

4. बीड़ी कर्मकारों की लड़कियों को स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर 1/-रुपये प्रति दिन की दर से प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

आमोद-प्रमोद

1. श्रव्य-दृश्य सैटों की स्थापना/सिनेमा वेन/फिल्मों का प्रदर्शन।

2. बीड़ी कर्मकारों के लिए खेल-कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करना।

3. बीड़ी कर्मकारों के लिए अवकाश गृह योजना।

4. बीड़ी कर्मकार औद्योगिक सहकारी समितियों को टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

5. रंगीन टी.वी. सैटों सहित बीड़ी कर्मकार आवास कालोनी में सामुदायिक केन्द्र की स्थापना।

(II) कल्याण निधियों के अन्तर्गत सहायता : प्रति इकाई आर्थिक सहायता

क्र.सं.	मद	उपलब्ध सहायता
1.	औषधालयों में दवाइयों की खरीद के लिए वित्तीय मानक	एलौपैथिक में प्रति मरीज प्रति दौरा 4/-रु० और आयुर्वेदिक औषधालयों में 3/-रु०
2.	कक्षा 5 और उससे ऊपर पढ़ रहे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (स्नातकोत्तर/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक)	250/-रु० से 3000/-रु० प्रति वर्ष प्रति छात्र
3.	बीड़ी कर्मकार के कक्षा 4 तक पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल वर्दी/पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री	125/- रु० प्रति छात्र
4.	छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की संख्या	कोई प्रतिबंध नहीं।

(III) बीड़ी कर्मकारों के लिए आवास योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्ध सहायता
1.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) आवास	गृह निर्माण की वास्तविक लागत का 50% जो कि अधिकतम 9000/-रु० होगा
2.	अपना घर स्वयं बनाओ योजना (बी.वाई.ओ.एच.एस.)	(i) 10,000/-रु० तक ब्याज मुक्त ऋण (ii) 3000/-रु० की आर्थिक सहायता (iii) छोटे परिवार का मानदण्ड अपनाने वाले कर्मकारों को 1700/-रु० की अतिरिक्त आर्थिक सहायता
3.	बीड़ी कर्मकारों की सहकारी समितियों द्वारा वर्कशेड़ों/गोदामों का निर्माण	प्रत्येक के लिए 75,000/-रु० या दोनों के लिए निर्माण की वास्तविक लागत का 75% इनमें जो भी कम हो।
4.	समूह आवास योजना	(i) आर्थिक सहायता 1000/-रु० प्रति मकान (ii) ऋण-6000/-रु० प्रति मकान

विवरण-III

क - 1995-96 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभानुभोगियों के ब्यौरे

इलाहाबाद	बंगलौर	भीलवाड़ा	भुवनेश्वर	कलकत्ता	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	नागपुर	कुल
244576	493582	283117	492355	353737	901618	891125	781875	291730	4733733

ख - 1996-97 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभानुभोगियों के ब्यौरे (अनन्तिम)

इलाहाबाद	बंगलौर	भीलवाड़ा	भुवनेश्वर	कलकत्ता	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	नागपुर	कुल
329456	532596	242868	-	378192	911809	908731	673416	253823	4238894

[हिन्दी]

कच्चे तेल का मूल्य

***446. जस्टिस गुमान मल लोढा :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से अप्रैल, 1997 के बीच कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारी परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य क्या था;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मूल्य वृद्धि का प्रभाव भारतीय उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है; और

(घ) यदि हाँ, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कच्चे तेल के न्यूनतम मूल्य का लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को किस कारण से नहीं मिल पाया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य अत्यन्त संवेदनशील प्रकृति के हैं और यह मांग और आपूर्ति तत्वों, मुख्य तेल उत्पादक/निर्यातक देशों में राजनैतिक गतिविधियों जैसे इराक द्वारा दिसंबर, 1996 के अंत तक कच्चे तेल का निर्यात पुनः आरम्भ करना, विश्व के विभिन्न भागों में मौसम की परिस्थितियों आदि में असामान्य अंतर, किसी विशेष समय में विद्यमान बाजार परिस्थितियों जैसी बाजार शक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं।

जैसा कि प्लाट के कच्चा तेल बाजार वायर द्वारा प्रकाशित किया गया है जनवरी, 1997 से अप्रैल, 1997 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुबई, ओमान और डेटेड ब्रेट नामक मार्कर कच्चे तेलों के औसत मूल्य क्रमशः 18.69 अमरीकी डालर/बी.बी. एल. 19.57 अमरीकी डालर/बी.बी.एल. और 20.20 अमरीकी डालर/बी.बी.एल. है।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों का वर्तमान मूल्य निर्धारण प्रशासित है, जिसके अनुसार समाज के गरीब तबकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एस.के.ओ. जैसे कुछ पेट्रोलियम उत्पादों पर राज सहायता दी जाती है। वर्ष 1996-97 के मूल्य तेल अर्थतंत्र बजट के अंतर्गत यह अनुमान लगाया गया था कि निवल आयात बिल लगभग 7342.5 मिलियन अमरीकी डालर होगा। तथापि संशोधित तेल अर्थतंत्र बजट के अनुसार वर्ष 1996-97 का आयात बिल अब लगभग 9321.6 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

ओ.सी.सी. के रखरखाव वाले तेल पूल लेखें में 31.03.97 तक 15,500 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है और 31.03.98 तक इसके 24500 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। यह धनराशि ओ.सी.सी. द्वारा तेल कंपनियों को देय बकाया रकम दर्शाती है। सरकार इस घाटे को नियंत्रित करने के विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है।

[अनुवाद]

हज तीर्थयात्री

***447. श्री राम नाईक :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की हज यात्रा में लगभग कितने भारतीय गए थे तथा मक्का तथा मीना में आग लगने से कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा कितने लापता हैं;

(ख) मृत व्यक्तियों के परिवारों तथा घायलों को राहत पहुंचाने के क्या प्रयास किए गए/किये जा रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय दल या भारतीय दूतावास को संकट प्रबंधन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राहत-उपायों के क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार ने तथ्यों का पता लगाने के लिये किसी दल को जद्दा भेजा है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) इस वर्ष हज यात्रा के लिए गए भारतीय राष्ट्रिकों की कुल संख्या लगभग 81,000 है। इसमें से 53,664 यात्री केन्द्रीय हज समिति के माध्यम से गए शेष लगभग 27,000 पर्यटन संचालकों के माध्यम से अन्य देशों से थे अथवा सऊदी अरब के निवासी थे। 15 अप्रैल को मीना में लगी आग के फलस्वरूप हताहतों में भारतीय यात्री भी थे। आज तक 94 मृत व्यक्तियों की पहचान हुई है; 122 व्यक्ति लापता बताए गए हैं और सऊदी अरब के सरकारी अस्पतालों में उपचार पा रहे घायल व्यक्तियों की संख्या 147 है। इनके अतिरिक्त, 269 और व्यक्ति आग में और उसके परिणामतः आहत हुए हैं। इनमें से 172 व्यक्ति मक्का में भारतीय चिकित्सा मिशन से उपचार ले रहे हैं। अनुमान है कि कुल आहत व्यक्तियों की संख्या 400 से कुछ अधिक है।

(ख) सरकार ने हताहत व्यक्तियों के परिवारों के लिए बड़ी संख्या में राहत उपायों की घोषणा की है इनमें आग में मारे गए यात्रियों और स्थायी तौर पर अपंग हो गए व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदार को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान और यथावश्यक वित्तीय सहायता सहित सरकारी अस्पतालों में घायल व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार शामिल है। सऊदी अरब में भारतीय राजदूतावास और जद्दाह में भारत के प्रधान कौंसलावास को घायल व्यक्तियों और इन व्यक्तियों को जो आग लगने के कारण बेसहारा हो गये थे, तत्काल वित्तीय तथा अन्य राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। जो घायल व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से यात्रा करने के लिए ठीक थे उन्हें विशेष चार्टर उड़ानों से भारत वापस आने की पेशकश सरकार ने की है। सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को भी शवों को भारत लाने के लिए निःशुल्क परिवहन की पेशकश की थी। जिन व्यक्तियों के आग में यात्री दस्तावेज खो गए हैं उन्हें शीघ्र और निःशुल्क डुप्लीकेट दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं। सरकार ने जद्दाह में भारतीय समुदाय की सेवाओं का भी उपयोग किया और घायल सहित जरूरतमंद हज यात्रियों को कपड़े और नकद रुपये बांटे। भारत सरकार ने घायलों के उपचार के लिए पट्टी, दवाई और मरहम जैसी आवश्यक सामग्री वायु मार्ग से जद्दाह पहुंचाई। अनेक घायल यात्री जिन्हें अस्पताल में उपचार के बाद पहले ही छोड़ दिया गया था, भारत लौट आए हैं। अन्य यात्री हज चार्टर सारिणी के अनुसार भारत लौटने के लिए अपनी निर्धारित वापसी उड़ान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन हज यात्रियों की मक्का और मदीना में तैनात भारतीय चिकित्सा मिशन द्वारा निरन्तर देखरेख की जा रही है और उनकी निर्धारित उड़ानों तक उनकी आवश्यक चिकित्सा देखभाल की जा रही है। प्रत्येक वापसी उड़ान पर सवार घायल यात्रियों के नाम जद्दाह स्थित एयर इंडिया कार्यालय द्वारा अग्रिम रूप से भेजे जा रहे हैं ताकि दिल्ली में और अन्य प्रवेश स्थानों पर पहुँचने पर उन्हें लेने आने वालों को कोई कठिनाई न हो और साथ ही उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता यथावश्यक अस्पतालों और क्लीनिकों में ले जाने में आसानी रहे। यात्रियों के लौटने पर उन्हें लेने जोन का कार्य संबंधित राज्य हज समिति द्वारा विदेश मंत्रालय, एयर इंडिया और आप्रवासन तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समन्वय के साथ किया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने राहत उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में दो सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति नियुक्त की है जिसके सदस्य श्री सी.एम. एब्राहिम और श्री मकबूल डार हैं। राहत उपायों को क्रियान्वित करने के लिए और राहत राशि बांटने के लिए विदेश मंत्रालय में हज सैल के अंतर्गत विशेष प्रबंध के माध्यम से तात्कालिक आधार पर राहत उपाय क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों के पास आपातकालीन और संकटकालीन परिस्थितियों में स्थायी अनुदेश और दिशा-निर्देश हैं। मीना में हुई इस दुर्घटना का स्वरूप इस तरह का था कि इन निर्देशों को एक सीमा तक ही लागू किया जा सकता था। तथापि, 15 अप्रैल की दोपहर को आग लगने और भारतीय हज यात्रियों पर इसका प्रभाव पड़ने की जैसे ही सरकार को जानकारी मिली वैसे ही रियाद स्थित हमारे मिशन और जद्दाह स्थित प्रधान कौंसलावास को हज यात्रियों को राहत और सहायता देने के लिए हर संभव उपाय करने के अनुदेश जारी कर दिए गए थे। मिशन ने जद्दाह, मक्का और रियाद में हताहतों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और देने तथा राहत कार्य समन्वित करने और यात्रियों के रिश्तेदारों की पूछताछ का उत्तर देने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे। 15 अप्रैल की रात को ही 500 से अधिक यात्रियों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई थी। अनुवर्ती दिनों में मिशन में (1) लापता/मृत यात्रियों के रिश्तेदारों की मृतकों की पहचान में सहायता के लिए मीना के पास शवगृह जाने के लिए (2) घायल भारतीयों के बारे में निश्चित स्थिति का पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा मिशन द्वारा मक्का और मीना में सभी अस्पतालों में प्रतिदिन जाने के लिए (3) मक्का स्थित मुख्य चिकित्सालय से जलने से हुए आहत व्यक्तियों के लिए विशेष मरहम पट्टी कक्ष की स्थापना के लिए (4) घायलों के उपचार के लिए मक्का में सभी शाखा औषधालय में व्यवस्था करने के लिए (5) मक्का में उन इमारतों में, जहां भारतीय हज यात्री रह रहे थे, भारतीय चिकित्सा मिशनों के डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन दौरा करने के लिए (6) भारतीय हज यात्री कल्याण मंच, जद्दाह जो कि निवासी भारतीयों का एक स्वैच्छिक संगठन है, के माध्यम से हज-यात्रियों को सहायता देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था।

(ङ) और (च) एक चार सदस्यीय दल, जिसमें तीन संसद सदस्य और एक भूतपूर्व संसद सदस्य, जिन्हें हज मामलों का अनुभव है, ने तीर्थयात्रियों विशेष रूप से घायलों, और निकट संबंधी के हित-कल्याण की जांच करने तथा और आगे सहायता उपायों की सलाह देने के साथ-साथ लापता तीर्थयात्रियों के बारे में स्थिति का जायजा लेने के संबंध में 25 अप्रैल से 01 मई तक सउदी अरब की यात्रा की। इस दल ने आग लगने के स्थान का दौरा किया और उन्होंने अस्पतालों में इलाज पा रहे घायल तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने अन्य तीर्थयात्रियों से मुलाकात की और हज प्रबंधों से सम्बद्ध सऊदी अधिकारियों तथा भारतीय राजदूत और प्रधान कॉसल के साथ बातचीत की। घायलों को तत्काल वित्तीय सहायता देने की दल की सिफारिश पर सऊदी अरब में विचार हो रहा है और स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई है। दल की रिपोर्ट और उसकी अन्य सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। इसके पहले विदेश मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक सरकारी दल ने स्थिति का मूल्यांकन करने और अपेक्षित राहत उपायों की निगरानी करने के उद्देश्य से 17 से 20 अप्रैल तक जद्दाह का दौरा किया।

विदेशी मुद्रा

*448. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने विदेशी मुद्रा अभ्यर्पित की;

(ख) क्या सरकार ने कानून का उल्लंघन करने वालों की शिनाख्त करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त अवधि में कितने व्यक्तियों की शिनाख्त की गई है और उन पर मुकद्दमा चलाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशी मुद्रा के गैर-कानूनी संचयन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इस संबंध में पृथक रूप से आंकड़े तैयार नहीं किए जाते।

(ख) से (घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय नाम से एक अलग विभाग है। गत तीन वर्षों के दौरान फेरा के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण अदालतों में जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए थे उनकी संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	चलाए गए मुकद्दमों की संख्या
1994	264
1995	202
1996	101

(ङ) सरकार अपनी प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के गैर-कानूनी संचयन पर नियमित रूप से नियंत्रण रखती है।

करेंसी नोट तथा सिक्के

*449. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न मूल्यवर्ग के कितने करेंसी नोट तथा सिक्के परिचालन में हैं;

(ख) क्या सरकार विभिन्न मूल्यवर्ग के करेंसी नोट तथा सिक्कों की स्थिति पर निगरानी रखती है;

(ग) यदि हाँ, तो जिन करेंसी नोट तथा सिक्कों की कमी है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मूल्यवर्ग के करेंसी नोट तथा सिक्कों की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) मार्च, 1997 के अंत में परिचालित करेंसी नोटों और सिक्कों की संख्या निम्न प्रकार थी :

मूल्य वर्ग	करेंसी नोट	सिक्के (मिलियन अदद में)
एक रुपए	3201	8960
दो रुपए	2765	1444
पांच रुपए	3480	963
दस रुपए	10056	–
बीस रुपए	378	–
पचास रुपए	7122	–
सौ रुपए	6081	–
पांच सौ रुपए	495	–

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न मूल्यवर्गों में करेंसी नोटों और सिक्कों की स्थिति का अनुवीक्षण करता है।

(ग) नोट प्रिंटिंग प्रेसों और टकसालों की सीमित उत्पादन क्षमता के कारण विभिन्न मूल्यवर्गों के करेंसी नोटों और सिक्कों की सामान्य कमी है।

(घ) देवास और नासिक में स्थित नोट प्रिंटिंग मुद्रणालयों का उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में अपनी नोट प्रिंटिंग प्रेसें स्थापित की हैं। नासिक और देवास में स्थित सरकारी मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण और वर्ष 1998-99 तक, मैसूर और सालबोनी में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रणालयों द्वारा पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने से नोटों की आपूर्ति स्थिति में पर्याप्त सुधार आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भी एक-बारगी उपाय के रूप में वर्ष 2000 तक मांग आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए करेंसी नोटों (100 रुपए - 2000 मिलियन अदद और 500 रुपए - 1600 रुपए मिलियन अदद) की विदेशों से छपाई करा रहा है। कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई में स्थित सरकारी टकसालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सिक्कों की आपूर्ति स्थिति में मार्च, 1998 तक आधुनिकीकरण के बाद सुधार आएगा। सरकार ने आपूर्ति स्थिति में सुधार करने के लिए सिक्कों (एक रुपए - 700 मिलियन अदद और दो रुपए - 300 मिलियन अदद) का आयात करने का निर्णय किया है।

कुवैत तथा इराक की जेलों में भारतीय बंदी

*450. **श्री ई. अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत तथा इराक के बीच हुए खाड़ी युद्ध के कारण इन देशों की जेलों में कितने भारतीय नागरिक बंदी हैं;

(ख) इन भारतीय नागरिकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन भारतीय नागरिकों को रिहा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

*452. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्राप्त करने के अधिकार और खुली तथा पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने संबंधी मामलों का अध्ययन करने हेतु सरकार द्वारा गठित किये गये कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार ने इनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं;

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने भी सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करके उसे सरकार के पास भेजा है; और

(च) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) प्रेस-परिषद के अध्यक्ष से प्राप्त सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी विधेयक का प्रारूप, सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कार्य-दल को, अपने पारस्परिक विचार-विमर्श के दौरान, उस पर विचार करने के लिए उपलब्ध करवाया गया।

सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन

*453. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा मार्च, 1997 तक भारत में कितने विदेशियों को सीमाशुल्क नियमों का उल्लघन करने तथा तस्करी करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) ये विदेशी किन देशों के नागरिक हैं;

(ग) वर्ष 1994 तथा 1995 में इनकी संख्या कितनी थी; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये रोकथाम संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) गत दो वर्षों के दौरान और मार्च, 1997 तक तस्करी सहित सीमा शुल्क नियमों

का उल्लंघन करने के सिलसिले में भारत में 372 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रकार के उल्लंघनों के सिलसिले में वर्ष 1994 और 1995 में क्रमशः 196 और 168 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार किए गए विदेशी व्यक्ति विभिन्न देशों के हैं जिनमें अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, कनाडा, डेनमार्क, इथोपिया, गाम्बिया, घाना, जर्मनी, ग्रीस, हालैण्ड, ईरान, जोर्डन, केन्या, म्यांमार, मलएशिया, इटली, नेपाल, नाइजीरिया, नीदरलैण्डस, पाकिस्तान, पौलेण्ड, फिलिपीन, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, स्पेन, सिंगापुर, श्रीलंका, सोमालिया, स्विटजरलैण्ड, टर्की, तंजानिया, थाईलैण्ड, तुर्कमेनिस्तान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युगांडा, वियतनाम और यमन के देश शामिल हैं।

आसूचना एजेंसियां और सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालय माल की तस्कीर और सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघनों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए सतर्क हैं। तस्करी की रोकथाम करने और विदेशी नागरिकों सहित सभी प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों/पत्तनों और संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किए गए विशेष उपायों में संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखना, आसूचना का लक्ष्य निर्धारण करना और विमानपत्तनों/पत्तनों और भू-सीमा शुल्क, सटेशनों पर धातुखोजियों, रंगीन असबाब एक्सरे मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का उपयोग करना शामिल है। पूरे देश में तस्करी-रोधी संकायों के लिए बहुत से वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, तस्करी-रोधी एवं निगरानी रखने के कार्य के लिए पश्चिमी तट पर जुलाई, 1996 से दो हेलीकॉप्टरों को रखा गया है। अधिकारियों की कार्यकुशलता और योग्यता सुधारने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पता लगाए गए तस्करी और सीमाशुल्क अधिनियमों/नियमों के उल्लंघनों के सभी मामलों में विदेशी राष्ट्रिकों सहित सभी अभियुक्तों के खिलाफ उचित और सामयिक जांच-पड़ताल, न्यायनिर्णयन और अभियोजन चलाकर कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बचत में गिरावट

*454. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियों व संस्थाओं द्वारा ऊंची ब्याज दर दिए जाने के कारण सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न बचत योजनाओं पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बचत योजना में ही 11 प्रतिशत की कमी आई है;

(ग) क्या सभी जमा योजनाओं पर सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज की दर निजी कंपनियों तथा संस्थाओं द्वारा दी जा रही ब्याज दर से 0.5 से 1.5 प्रतिशत तक कम है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस स्थिति के उपचार हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत सकल संग्रहों में पिछले वर्षों में वृद्धिकारी प्रवृत्ति दिखाई देती है। 1996-97 के लिए वास्तविक आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई लघु बचत योजनाएं निजी कंपनियों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित योजनाओं से तुलनीय नहीं हैं। प्रत्येक बचत पत्र लघु जमाकर्ताओं की अलग-अलग आवश्कयताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्लामी देशों का संगठन

*455. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी देशों के संगठनों के हाल ही में 24 मार्च, 1997 को हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को उसकी कश्मीर नीति पर तथा कश्मीर को भारत से अलग कराने के संबंध में उसे समर्थन देने के मुद्दे पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन देशों ने बैठकों में भाग लिया तथा उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए उनके नाम क्या हैं?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) 23 मार्च, 1997 को इस्लामाबाद में हुई ओ.आई.सी. के विशेष शिखर सम्मेलर में जम्मू और कश्मीर पर एक विशेष घोषणा स्वीकार की गई। दस्तावेज में जम्मू और कश्मीर के बारे में टिप्पणी की गई है तथा उस कार्रवाई का आह्वान किया गया है जो इस मामले पर पाकिस्तान के सुपरिचित विचारों को प्रकट करता है।

(ग) इस बैठक में आई.ओ.सी. के जिन देशों ने भाग लिया उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. जॉर्डन
2. अजरबेजान
3. अफगानिस्तान (रिक्त स्थान)
4. अल्बानिया
5. यूनाइटेड अरब अमीरात
6. इण्डोनेशिया
7. उगाण्डा
8. ईरान
9. पाकिस्तान
10. बहरीन
11. ब्रुनेई दारेस्सलाम
12. बुर्कीना फासो
13. बंगलादेश
14. बेनिन
15. टर्की
16. चाड
17. ट्यूनीशिया
18. गेबॉन
19. गाम्बिया
20. अल्जीरिया
21. कॉमारोस
22. डिजिबूटी
23. सऊदी अरब
24. सैनेगल
25. सूडान
26. सीरिया
27. सियरा लिओन
28. सोमालिया
29. ईराक
30. ओमान
31. गिनी
32. गिना बिसाऊ
33. फिलिस्तीन
34. किर्गिजिस्तान
35. कतर
36. कॉमरून
37. कुवैत
38. लेबनान
39. लीबिया
40. मालदीव
41. माली
42. मलेशिया
43. मिस्र
44. मोरक्को
45. ऑरितानिया
46. नाईज़र
47. नाईजीरिया
48. यमन
49. मोजाम्बिक
50. तुर्कमेनिस्तान
51. ताजिकिस्तान
52. कज़ाकस्तान
53. सूरीनाम
54. गयाना

[हिन्दी]

पासपोर्ट की लागत में वृद्धि

***456. श्री मढेश कुमार एम. कनोडिया :**
श्री इलियास आजमी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पासपोर्ट की लागत तथा गत एक वर्ष के दौरान इस लागत में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पासपोर्ट की लागत में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल और दुरूस्त बनाने तथा इसकी लागत कम करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ) जुलाई, 1993 के बाद से पासपोर्ट की विविध सेवाओं के लिए, जिनमें नए पासपोर्ट जारी करना शामिल है, शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कम्प्यूटरीकरण सहित कार्यालयी सुविधाओं को बेहतर बनाना जिससे आवेदनों पर जांच पड़ताल और कार्रवाई शीघ्र की जा सके।

(ii) पासपोर्ट और विविध सेवा संबंधी प्रपत्रों का सरलीकरण।

(iii) जिन मामलों में पुलिस की रिपोर्ट 4 सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है, उन मामलों में पुलिस अनापत्ति की और प्रतीक्षा किए बिना पासपोर्ट जारी करना।

(iv) आवेदन-पत्रों को स्वीकार करने के स्तर पर ही उनके सभी तरह से पूरा होने/सही होने की पूर्णतः जाँच-पड़ताल करना।

(v) लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या को कम करने और उन्हें निपटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना।

(vi) किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए सत्यापन प्रमाण-पत्र के आधार पर आपातकालीन/तात्कालिक मामलों में बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करना।

(vii) सत्यापन प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची का विस्तार करना।

(viii) 20 वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट की शुरूआत करना; और

(ix) पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाने पर नए सिरे से पुलिस सत्यापन के बिना स्वतः पासपोर्ट फिर से जारी करना।

पासपोर्ट पुस्तिकाओं को तैयार करने की लागत में हुई निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय भाषाओं का प्रयोग

*457. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भिन्न-भिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर भारतीय भाषाओं में देने की छूट दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इन सभी सेवाओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या 18 जनवरी, 1968 को संसद द्वारा पारित किए गए इस आशय के संकल्प को पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसे कब तक कार्यान्वित करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) सरकार के तहत भिन्न-भिन्न सेवाओं/पदों में भर्ती, बहुत से भर्ती निकायों जैसे-संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड अथवा विभागीय चयन समितियों आदि के माध्यम से की जाती है। इन निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से निर्णय, इन्हीं के द्वारा 1968 के संकल्प के उपबंधों तथा साथ ही जिस सेवा/पद के लिए चयन किया जाता है, उसकी विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के साथ परामर्श करके किया जाता है। जहां तक, सरकार के तहत भिन्न-भिन्न सेवाओं/पदों में चयन हेतु दो मुख्य निकायों संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न है, जिनका संबंध कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से है, उनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भारतीय भाषा (भाषाओं) के प्रयोग की सीमा, सदन के पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प दिए जाने के प्रश्न पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया जिसकी सिफारिशें इस समय सरकार के पास विचाराधीन हैं। मामले के महत्व तथा इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए और इस विषय में भिन्न-भिन्न मत होने के कारण सरकार का प्रयास इस पर सहमति प्राप्त करना है और राज्य सरकारों और अन्य के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात राष्ट्र स्तर पर एक स्वीकार्य नीति तैयार करना है। परामर्श की प्रक्रिया अभी चल रही है।

विवरण

भारतीय भाषाओं में उत्तर देने की अनुमति

	संघ लोक सेवा आयोग	कर्मचारी चयन आयोग
1	2	3
वे परीक्षाएं जिनमें अंग्रेजी, हिन्दी और आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प उपलब्ध है।	सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा	-

1	2	3
वे परीक्षाएं जिनमें केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प उपलब्ध है।	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक ग्रेड/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (केवल कुछ प्रश्न पत्रों के लिए विकल्प है) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रेड-I (अवर सचिव) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	सहायक ग्रेड (मुख्य) परीक्षा लिपिक श्रेणी परीक्षा (केवल समूह ''घ'' कर्मचारियों के लिए) आशुलिपिक श्रेणी 'ग' परीक्षा (निबन्ध प्रश्न-पत्र के लिए)

टिप्पणी-1 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए जिनमें विवरणात्मक उत्तर देने अपेक्षित हैं। केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने की अनुमति है।

टिप्पणी-2 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी मुख्य परीक्षाएं और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कुछ परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ पद्धति की हैं जिनमें टिक मार्किंग अपेक्षित हैं और इनके लिए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए माध्यम का प्रश्न संगत नहीं है।

भारत-ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना

***458. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान से भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना पर खर्च की गयी विपुल धनराशि को ध्यान में रखते हुए इसे पुनः आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस परियोजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) ओमान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन ओमान आयल कंपनी द्वारा अभी पूरा किया जाना है। यद्यपि भारत सरकार ने व्यवहार्यता अध्ययन पर धनराशि का व्यय नहीं किया है, तथापि परियोजना के महत्व को देखते हुए व्यवहार्यता अध्ययन को शीघ्रतापूर्वक संपन्न कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। गेल और ओमान आयल कंपनी ने व्यवहार्यता अध्ययन को शीघ्र पूरा करने और परियोजना के लिए धनराशि के संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया है।

(घ) वर्तमान समय में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

गैर-योजना व्यय

***459. श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लि० (एस.आई.एल.) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (एच.ई.सी.), हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन एच.पी.सी. और भारत यंत्र निगम लि० (बी.वाई.एन.) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 1997-98 के दौरान गैर-योजना व्यय के तौर पर कोई रकम उपलब्ध नहीं करायी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वर्ष के दौरान कर्मचारियों के वेतन और अन्य रखरखाव प्रभारों पर होने वाले व्यय को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों में एच.ई.सी., एच.पी.सी. आदि को उपलब्ध कराए गए आयोजना-भिन्न ऋण :

(करोड़ रुपए)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों में आयोजना भिन्न ऋण	अभ्युक्तियां
1	2	3
1. स्कूटर इंडिया लि०	-	इस कंपनी को सुधरे हुए निष्पादन के कारण वर्ष 1997-98 में सरकार से आयोजना भिन्न सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसने वर्ष 1996-97 में 1.09 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया।

1	2	3
2. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	18.00	-
3. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन	-	इस कंपनी ने सरकार से कोई आयोजना-भिन्न सहायता नहीं मांगी है क्योंकि वर्ष 1997-98 में इसे प्रचालन लाभ कमाने की आशा है।
4. भारत यंत्र निगम लि0	9.07	इसमें त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि. के लिए 5.70 करोड़ रुपये और रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि. के लिए 4 करोड़ रुपए शामिल हैं, ये दोनों भारत यंत्र निगम लि. की सहायक कंपनियां हैं। किए गए प्रावधान स्वीकृत बी.आई.एफ.आर.स्कीम में संकल्पित निधियों की आवश्यकता के अनुसार हैं।

(ग) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य अनुरक्षण प्रभारों के व्यय को पूरा करने में कोई कठिनाई संकल्पित नहीं है। अपेक्षित सीमा तक व्यय की पूर्ति, उनके अपने आंतरिक संसाधनों से की जाएगी।

[हिन्दी]

गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

*460. **श्री कचरू भाऊ राउत :**
श्री बी. एस. शंकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुटनिरपेक्ष देशों के मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया;

(ग) इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसमें इस आशय की कोई घोषणा की गई थी कि इजरायल सभी फिलिस्तीनी क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटा लें;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन से भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(छ) क्या इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत के प्रवेश की संभावनाएं बढ़ गयी हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी, हाँ।

(ख) सम्मेलन में 129 देशों ने भाग लिया जिनमें 99 सदस्य राज्य, 6 पर्यवेक्षक और 24 अतिथि देश शामिल थे।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन के विचारों को पुनः व्यक्त करने के साथ-साथ सम्मेलन ने सुरक्षा परिषद की पुनः संरचना, कार्यसूची-21 और मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया पर घोषणाएं तथा फिलीस्तीन पर एक विज्ञप्ति पारित की।

(घ) और (ङ) सम्मेलन ने 1967 के बाद से कब्जे में लिए गए यरूसलम सहित सभी फिलीस्तीनी और अरब भूखण्डों से इजरायल की वापिसी की मांग दोहरायी।

(च) सम्मेलन ने आंदोलन की एकता पर पुनः बल दिया और प्रमुख मुद्दों पर अपना ध्यान और अधिक केन्द्रित किया। चूंकि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है, इसलिए इस आन्दोलन के सुदृढ़ होने का हमें लाभ मिलता है।

(छ) और (ज) सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि गुट-निरपेक्ष देश विकासशील देशों की अनदेखी कर सुरक्षा परिषद के आंशिक अथवा चयनात्मक विस्तार को स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय दृष्टिकोण से यह एक अच्छी बात है।

[अनुवाद]

इंडियन बैंक घोटाले की जांच

4928. श्री पी. आर. वासमुंशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन बैंक, चेन्नई में घोटाले की जांच के संबंध में क्या प्रगति है;

(ख) यह कितनी राशि का घोटाला है; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को फिर से न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि इंडियन बैंक से संबंधित 14 मामले सी.बी.आई. की विभिन्न

शाखाओं में दर्ज किए गए हैं। सी.बी.आई. ने यह भी सूचित किया है कि उनके द्वारा दर्ज किए गए 14 मामलों में 295.95 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि सभी अनुपयोज्य आस्तियों को हानि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे सभी पूर्णरूपेण अवसूली योग्य नहीं होती हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों का सतत एवं केन्द्रीभूत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर जांच करने की अपनी प्रणाली में कतिपय परिवर्तन किए हैं। पूर्व चेतावनी संकेतों का पता लगाने के लिए तिमाही स्थलेतर निगरानी प्रणाली भी शुरू की गई है। बैंकों में आंतरिक नियंत्रण तथा लेखा परीक्षा प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने से संबंधित राशि जिलानी समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने का परामर्श बैंकों को दे दिया गया है।

केनरा बैंक की कैनस्टार पूंजी योजना

4929. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनरा बैंक का कैनस्टार पूंजी योजना के अंतर्गत संविदात्मक दायित्वों में एक-पक्षीय संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम 'सेबी' के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 'सेबी' द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) कैन बैंक इन्वेस्टमैंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि० ने सूचित किया है कि उन्होंने निवल आस्ति मूल्य को कैनस्टार एककों की पुनः खरीद/शोधन से जोड़ने की मांग करते हुए दिनांक 10 सितम्बर, 1996 के नोटिस में निर्धारित संकल्पों के संदर्भ में डाक से मतदान के परिणामों की सूचना सेबी को दी है।

(ख) और (ग) यह मामला सेबी के विचाराधीन है।

कृषि भूमि पर इमारतें

4930. श्री राम सागर : क्या प्रधान मंत्री कृषि भूमि पर इमारतों के बारे में 20 नवंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं० 5 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों पर कार्यवाही की जा रही है और कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही पूरी हो चुकी है;

(ख) मामलों के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) कृषि भूमि पर बने 2714 प्लाटों पर बने कितने भवनों को गिराया जा चुका है और कितनी भूमि को वास्तव में कृषि भूमि के उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया;

(घ) बिना भूमि परिवर्तन के कृषि भूमि पर बनी अनधिकृत कालोनियों की संख्या क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्राम सभा के उन प्लाटों की खरीद-फरोख्त को नियमित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है जिन्हें कमजोर वर्ग के लोगों को आवंटित किया गय था परन्तु खरीद फरोख्त पर कुछ कर लगाने के पश्चात् अन्य लोगों को बेच दिया गया जैसा कि इससे पहले डी.डी.ए. फ्लैटों के मामलें में किया जा चुका है; और

(च) यदि नहीं, तो इन भेदभावपूर्ण नीतियों के अनुपालन के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय

4931. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 26 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय का आकस्मिक दौरा किया है ताकि वे पारपत्र के आवेदकों को होने वाली कठिनाईयों संबंधी शिकायतों का स्वयं जायजा ले सकें;

(ख) यदि हाँ, तो पारपत्र के आवेदकों को हो रही कठिनाईयों के बारे में कौन-कौन सी प्रमुख शिकायतें उनकी जानकारी में आई; और

(ग) इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री ने विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यालय के दौरान नव स्थापित टेली-इन्क्वायरी सिस्टम का उद्घाटन करने के लिए 26 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का दौरा किया था। उन्होंने उस समय

कार्यालय का निरीक्षण भी किया, आवेदकों से बातचीत की तथा उनकी शिकायतें सुनीं। उन्होंने जनता की आवश्यकताओं के प्रति कार्यालय को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए धन

4932. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से धन आबंटित करती है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी रुग्ण कंपनियों के क्या नाम हैं जिन्हें धनराशि आबंटित की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले एक वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में कितना धन आबंटित किया गया;

(ग) क्या केरल में सार्वजनिक क्षेत्र की किसी इकाई ने ऐसी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को निधियां, सरकार के पुनरुद्धार योजना के अनुमोदन के आधार पर आबंटित की जाती हैं। पुनरुद्धार योजना में, बकाया ऋणों की प्रतिपूर्तियों में परिवर्तित करना, सरकार को देय ब्याज की माफी, स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण हेतु सरकारी सहायता तथा नई सरकारी निधियों का निवेचन शामिल है।

वर्ष 1996-97 के दौरान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, स्कूटर इंडिया लि०, भारत रिफ्रैक्ट्रीज, हिन्दुस्तान पेपर निगम (नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन), भारत यंत्र निगम की तीन अनुषंगी इकाइयां तथा भारत भारी उद्योग निगम की दो इकाइयों के लिए पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की गई है।

वर्ष 1996-97 में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु किए गए प्रावधान दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० कोटा, जिसकी एक इकाई पालघाट (केरल) में है, के पुनरुद्धार हेतु एक योजना प्राप्त हुई है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय पुनर्संरचनाकरण, नई निधियों का निवेचन तथा सरकारी गारंटी इत्यादि शामिल हैं। इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को फिर से चालू करने के लिए वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए :

(करोड़ रुपए में)

(i) बकाया सरकारी ऋणों को बट्टे खाते डालना		
(क) भारत यंत्र निगम		14.65
(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०		29.45
(ग) स्कूटर इंडिया लि०		139.50
	जोड़	183.60
(ii) सरकार के कारण ब्याज में छूट		
(क) नीपको द्वारा ब्याज अदायगी में रियायत		35.46
(ख) भारत यंत्र निगम लि०		151.13
(ग) भारत भारी उद्योग लि०		101.14
(घ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०		147.52
(ङ) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०		272.00
(च) स्कूटर इंडिया लि०		454.09
(छ) भारत रिफैक्टरीज लि०		61.64
	जोड़	1222.98
(iii) बकाया ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन (टोकन प्रावधान किया गया)		
(क) भारत यंत्र निगम लि०		71.16
(ख) भारत भारी उद्योग निगम लि०		63.66
(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० (नागालैंड पेपर एण्ड पल्प कारपोरेशन लि०)		71.38
(घ) स्कूटर इंडिया लि०		27.22
(ङ) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०		99.41
(च) भारत रिफ्रैक्टरीज लि०		39.76
	जोड़	373.03
(iv) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम को लागू करने आदि के लिए सहायता अनुदान		220.21

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकारी उपक्रमों को संशोधित अनुमान 1996-97 में 1453.54 करोड़ रुपए की कुल राशि का गैर-योजना ऋण दिया गया जिसमें नकद नुकसान को पूरा करने वाले 1216.30 करोड़ भी शामिल थे। इक्विटी और ऋण वाले सरकारी उपक्रमों में योजना निवेश इन गैर-योजना ऋणों से अधिक थे।

सार्वजनिक क्षेत्र की उन छः बीमार इकाइयों, जिनके लिए वर्ष 1996-97 में उन्हें दुबारा चालू करने की योजनाएं स्वीकृत की

गई थीं; के लिए का योजना निवेश तथा गैर-योजना ऋण क्रमशः 52.37 तथा 101.72 करोड़ रुपए था।

गैर-कार्यनिष्पादक परिसम्पत्तियां

4933. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-कार्यनिष्पादक परिसम्पत्तियों का पता लगाने तथा उनकी प्रभावी वसूली के लिए कोई नीतियां तैयार की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की वृद्धि को नियंत्रित करने और साथ ही उनके विद्यमान स्तरों को कम करने के लिए उपाय किए हैं। आर. बी.आई. द्वारा किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :

नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर उपयोज्य का अनुपयोज्य के रूप में बैंक की आस्तियों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। यह वर्गीकरण आस्तियों की गुणवत्ता के मूल्यांकन की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वसूली के रिकार्ड से संबंधित वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित है। अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) के स्तर से बैंक के ऋण पोर्टफोलियों की गुणवत्ता का पता चलता है।

वसूली के आधार पर ही आय ही पहचान की जाती है। और इसलिए बैंक की लाभप्रदता अनिवार्य रूप से अनुपयोज्य आस्तियों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के सलाह के आधार पर बैंकों ने ऋण-नीति, ऋण वसूली नीति निर्धारित की है और उनसे आवधिक रूप से लेखों की पुनरीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। अतः बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण परिभाषित नीतियों और कार्यनीतियों के माध्यम से अनुपयोज्य आस्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करें। आर.बी.आई. ने वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के अतिरिक्त स्थलेतर तिमाही निगरानी प्रणाली भी शुरू की है।

बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी ऋण वसूली नीतियां बनाएं। इस नीति में देय राशियों की वसूली का तरीका, कमी (अवधि-वार) का लक्ष्यगत स्तर, अनुमत त्याग/मामलों के लिए मानदंड, माफी पर विचार से पूर्व ध्यान में रखे जाने वाले पहलुओं, निर्णय स्तरों, उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करना और बट्टे-खाते/माफी की निगरानी निर्धारित की गई है।

महाप्रबंधक के ओधन मुख्यालयों में वसूली कक्ष स्थापित किए गए हैं। वसूलियों के लिए शाखा-वार लक्ष्य नियत किए हैं। वसूलियों की अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक द्वारा मासिक आधार पर तथा निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर पनरीक्षा की जाती है।

मुकदमा दायर मामलों के शीघ्र निपटान को गति प्रदान करने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बंगलौर, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, चेन्नई और गुवाहाटी में ऋण वसूली अधिकरणों और मुम्बई में अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

1 करोड़ रुपये और अधिक की चूक करने वाले चूककर्ताओं की सूची का संकलन और परिचालन तथा वार्षिक आधार पर आर. बी.आई. द्वारा मुकद्दमा दायर चूककर्ताओं के खातों का प्रकाशन।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टॉक के उत्तरदायित्वों के ब्यौरे के साथ, दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष 100 खातों की भी पुनरीक्षा की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अंशदान

4934. श्री आराधन राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों और प्रयोजक बैंकों का ब्यौरा क्या है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपना आनुपातिक अतिरिक्त हिस्से का अंशदान देने में विफल रहे हैं जहां केन्द्र सरकार अपने अतिरिक्त हिस्से का अंशदान कर चुकी हैं; और

(ख) उन प्रायोजक बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूरी पूंजीगत सहायता प्रदान नहीं की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में मालाबार ग्रामीण बैंक

4935. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केरल में नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक और साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक को कितना लाभ या हानि हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन बैंकों की शाखाएं खोलने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जैसा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित किए गए लाभ इस प्रकार हैं :

(लाख रुपयों में)

आर.आर.बी. के नाम	अर्जित लाभ		
	1993-94	1994-95	1995-96
1. नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	52.44	215.46	218.92
2. साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक	125.31	210.50	51.82

(अन्तिम आंकड़े)

(ख) और (ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक की शाखा मैटानूर में खोलने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 1996 में मंजूर कर लिया था और शाखा ने अब कार्य करना प्रारम्भ कर लिया है। इसके अलावा, साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक की शाखा बादागाढ़ में खोलने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1996 में फैसला कर लिया था और इस शाखा ने जून 1996 में काम करना शुरू कर दिया था।

भविष्य निधि बकाया

4936. श्री जयन्त भट्टाचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल द्वारा प्रबंधन के हिस्से को भविष्य निधि के लिए 34 करोड़ रुपये (चौंतीस करोड़ रुपये मात्र) की राशि जमा करने के मामलें में चूक हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस राशि की वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सेनानिवृत्त कर्मचारियों और इनके आश्रितों को भविष्य निधि की बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) फरवरी, 1997 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के भविष्य निधि में प्रबंधन के हिस्से की 12.07 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाने में चूक की है।

(ख) बकाया राशियों की वसूली के लिए राजस्व वसूली प्रामाण पत्र जारी किया गया था और पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करवायी गयी थी परिणामस्वरूप, प्रबंधन ने न्यासी बोर्ड के पास रुपये 35 लाख की राशि जमा करवायी है। यह प्रतिष्ठान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत है।

(ग) निगम के प्रबंधन से कहा गया है कि वह सेवा निवृत्त कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को भविष्य निधि की अदायगी किए जाने के लिए विशिष्ट जमा मुहैया करवाएं।

एन.सी.वी.टी. को मान्यता

4937. श्री एस. अजय कुमार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) के लिए एन.सी.वी.टी. की मान्यता अपेक्षित है;

(ख) यदि हाँ, तो केरल में एन.सी.वी.टी. की मान्यता न होने वाले कितने आई.टी.आई. हैं;

(ग) क्या इससे इन संस्थानों में अध्ययनरत अथवा इनसे उत्तीर्ण छात्र प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या एन.सी.वी.टी. को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ। राष्ट्रीय व्यावसायिक, प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) को मान्यता/सम्बन्धन प्रदान करने की आवश्यकता इसलिए अपेक्षित है, ताकि प्रशिक्षु, एन.सी.वी.टी. द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा में प्रवेश ले सकें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.7.96 की स्थिति के अनुसार असम्बद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.)/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.सी.) की संख्या निम्न प्रकार है :

सरकारी	47
गैर-सरकारी	7
योग	54

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इसके अतिरिक्त 53 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.सी.) ऐसे हैं जहां कुछ व्यवसायों के लिए आंशिक सम्बन्धन है।

(ग) ऐसे संस्थान, जिनका एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन नहीं है, में अध्यन करने वाले प्रशिक्षु राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद

द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश ले सकते हैं तथा उन्हें, राज्य के भीतर रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त समान निकाय प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) 42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, जिनमें से केरल सरकार के अनुसूचित जाति विकास विभाग के 41 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा आरम्भ एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सम्बन्धन प्रदान करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है। परन्तु इन संस्थानों का सम्बन्ध इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि स्थायी समिति की एन.सी.वी.टी. को सम्बन्धन की सिफारिश करने संबंधी कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन संस्थानों का सम्बन्धन अभी तक इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि वे एन.सी.वी.टी. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं कर सके।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

4938. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को कार्य करने की अनुमति दिए जाने से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (ए.आर.डी.बी.) सहकारी समितियां हैं जो संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम से नियंत्रित होती हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसे पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (डब्ल्यू.बी.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) से हावड़ा और बांकुरा ए.आर.डी.बी. द्वारा शाखाएं खोलने के लिए और आसनसोल में डब्ल्यू.बी.एस.सी.ए.आर.डी.बी. द्वारा शाखा खोलने के लिए भी वर्ष 1996 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। नाबार्ड ने इन प्रस्तावों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। तथापि, अंततः नाबार्ड को फरवरी 1997 में आसनसोल में डब्ल्यू.बी.एस.सी.ए.आर.डी.बी. की शाखा खोलने संबंधी केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आसनसोल में अब राशि स्थापित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

पेयजल की उपलब्धता

4939. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल की कमी के कारण पेयजल की उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए एक सर्वेक्षण और मूल्यांकन के आधार पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने कहा है कि राज्य के कुल भूमि जल संसाधन प्रति वर्ष 8.38 मिलियन हैक्टेयर मीटर आंके गए हैं और राज्य में भूमि जल विकास का स्तर इसकी क्षमता का केवल 37.67% है। अधिक विकास और उपयोग हेतु भूमि जल संसाधनों का काफी बड़ा भाग शेष है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने यह भी कहा है कि विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि जल संसाधनों का विकास करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की कोई योजना नहीं है। तथापि, यह बोर्ड राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि जल संसाधनों का विकास करने के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराता है।

भारतीय निवेश केन्द्र

4940. श्री शिवराज सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय निवेश केन्द्र को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के हितों के बारे में विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सरकार ने विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेशों के लिए उदारीकृत व्यापारिक एवं आर्थिक माहौल के वर्तमान संदर्भ में भारतीय निवेश केन्द्र की भूमिका और प्रासंगिकता की समीक्षा आरंभ कर दी है।

ऋण

4941. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य को दिए गए ऋण और विशेष सहायता/अनुदान की राशि का पृथक-पृथक वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 1990 को शेष ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) तब से अब तक माफ की गई ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1996-97 में ऋण भुगतान के प्रावधान का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा जम्मू व कश्मीर सरकार को वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक के लिए विभिन्न शीर्षों (विशेष राहत सहित अनुदान और ऋण घटक अलग-अलग) के तहत जारी धनराशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1.1.1990 को बकाया ऋण।

व्यय विभाग को देय	1353.38 करोड़ रुपये
आर्थिक कार्य विभाग को देय	959.38 करोड़ रुपये
वित्त मंत्रालय को कुल देय जोड़	2312.76 करोड़ रुपये

(ग) नौवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सामान्य ऋण राहत की योजना जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के तहत जम्मू व कश्मीर सरकार को 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान 851.23 लाख रुपये तक की राशि की चुकौती करने में राहत प्राप्त हुई।

इसी प्रकार, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जम्मू व कश्मीर सरकार को वर्ष 1995-96 में 216.34 लाख रुपये तथा 1996-97 के दौरान 242.38 लाख रुपए की विशिष्ट राहत मिली।

रंगराजन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण जम्मू व कश्मीर राज्य के वर्ष 1990-91 के ऋण में 332.38 करोड़ रुपये की कमी की गई।

(घ) जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान वित्त मंत्रालय को 412.14 करोड़ रुपये की चुकौती करनी थी :

व्यय विभाग	आर्थिक कार्य विभाग
मूल - 42.48	मूल - 111.36
ब्याज - 93.88	ब्याज - 164.42
जोड़ - 136.36	जोड़ - 275.78

विवरण

वित्त मंत्रालय द्वारा जम्मू व कश्मीर को जारी निधि

(करोड़ रुपयों मे)

क्र.		1994-95			1995-96			1996-97		
सं.	मद	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	73.45	661.00	734.48	99.56	896.02	995.58	111.98	1007.80	1119.78
2.	विशेष केन्द्रीय सहायता	97.30	875.70	973.00	38.35	345.15	383.50	66.30	596.70	663.00
3.	विशेष ऋण योजना	-	-	-	44.00	-	44.00	100.00	-	100.00
4.	ई.ए.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1.11	9.99	11.10	0.65	5.86	6.51	1.24	11.17	12.41
5.	सीमावर्ती क्षेत्र विकास के लिए विशेष के.स.	-	17.50	17.50	-	20.68	20.68	-	20.68	20.68
6.	प्राकृतिक आपदा निधि में केन्द्र का हिस्सा	-	9.00	9.00	-	13.95	13.95	-	14.78	14.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	राजस्व घाटा अनुदान	-	226.61	226.61	-	535.39	535.39	-	419.05	419.05
8.	अन्य गैर-योजना अनुदान	-	-	-	-	10.00	10.00	-	4.80	4.80
9.	लघु बचतों पर ऋण	93.21	-	93.21	63.34	-	63.34	181.91	-	181.91
10.	आर.पी.एफ. समेत केन्द्रीय करों में हिस्सा	-	569.80	569.80	-	606.69	606.69	-	832.91	832.91
11.	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	12.42	12.42
12.	उन्नयन अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	2.77	2.77
13.	विशेष समस्याओं हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	5.55	5.55

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की जांच का सामना करने वाली कम्पनियां

4942. श्री पवन दीवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां अपने उत्पादों के झूठे और गुमराह करने वाले तथाकथित विज्ञापन के कारण, विशेषरूप से मध्य प्रदेश में एम.आर.टी.पी. की जांच का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच के परिणाम क्या रहे; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) कम्पनियों द्वारा उनके उत्पादों के बारे में दिए गए झूठे तथा गुमराह करने वाले विज्ञापन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36क के अर्थों में अनुचित व्यापार प्रथाओं का गठन करते हैं। 31 मार्च, 1997 को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष 959 अनुचित व्यापार प्रथा जांचें लम्बित थीं। ऐसी जांचों से संबंधित सूचना एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में राज्य-वार नहीं रखी जा रही हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त जाँचों के संबंध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है और यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगा।

[अनुवाद]

तेल शोधक परियोजना

4943. श्री भक्त चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पारादीप में भारतीय तेल निगम की तेल शोधक परियोजना की स्थापना हेतु आई.ओ.सी. से निधियां जारी कराने के लिए कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निधियों के जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) मांगी गई राशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) उड़ीसा औद्योगिक संरचना विकास निगम (आई.डी.सी.ओ.), जोकि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु नामित उड़ीसा सरकार का उपक्रम है, से अगस्त, 1996 में इंडियन आयल कारपोरेशन को परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्रशासनिक प्रभारों के संबंध में 50 लाख रुपए के प्राथमिक जमा के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसमें परियोजना के संबंध में स्थल चयन का विषय सम्मिलित है, और यह निवेश अनुमोदनों के लिए सरकारी प्रक्रियाधीन है।

दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद का वार्षिक आवंटन

4944. श्री आर.बी. राई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद का वार्षिक आवंटन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) वित्त आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के वार्षिक आबंटन को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से काई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) वितरण फार्मूले के अनुसार, आई.आई.ए.डी.पी. में प्रत्येक घटक राज्य का हिस्सा निर्धारित है। तथापि आठवीं योजना के दौरान दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को योजना के प्रत्येक वर्ष में 4.87 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए थे। जिसका कुल योग 23.35 करोड़ रुपए होता है, जो कि आई.आई. ए.डी.पी. में पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित हिस्से से अधिक है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, दार्जिलिंग जिले के नगर पालिका क्षेत्रों में वर्ष 1994-95 तथा 1995-98 के दौरान, जल आपूर्ति में सुधार हेतु 3.117 करोड़ रुपये की रकम मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों की आसन्न निम्नलिखित योजनाओं के सर्वेक्षण तथा अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 15.04 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई थी:

(क) सेंचल तथा मिरिक प्राकृतिक शीलों की प्रणाली संरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न करने वाले स्रोतों का पता लगाने के लिए दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद द्वारा किए जा रहे व्यापक सर्वेक्षण के लिए।

(ख) दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के अन्तर्गत पर्वतीय भागों में स्वास्थ्य ताथा लाभभोगियों की आवश्यकताओं के आकलन हेतु किए जा रहे व्यापक सर्वेक्षण के लिए।

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

4945. श्री एस. रमना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 मार्च, 1997 के "न्यूज टाइम" में की गई रिपोर्ट के अनुसार विशाखापत्तनम में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) ने वाल्टेयर रेलवे मंडल द्वारा रेलवे पार्सल डिवीजन में पोर्टरों की न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने के संबंध में चुनौती दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत पोर्टरों को क्षतिपूर्ति किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिनांक 20 मार्च, 1997 के "न्यूज टाईम" में प्रकाशित समाचार क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) हैदराबाद द्वारा 19 मार्च, 1997 को सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन को व्यापक प्रचार देने के लिए विशाखापट्टनम में आयोजित प्रेस कांन्फ्रेंस से संबंधित है। वाल्टेयर डिवीजन में रेलवे के कुलियों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित मामला हैदराबाद स्थित आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया और जिनके निर्देश पर रेलवे प्रशासन ने कुलियों को न्यूनतम मजदूरी देना स्वीकार कर लिया। तथापि, कतिपय संगत मुद्दों से जुड़ा मामला न्यायाधीन है।

आन्ध्र प्रदेश में पेयजल योजना

4946. डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड्स सरकार की वित्तीय सहायता से आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में पेयजल आपूर्ति योजना को लागू किया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो नीदरलैंड्स सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल कितनी राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराने को सहमत हुई है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से जिले शामिल किए जाने का विचार है और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से इस मंत्रालय को कोई ऐसी स्कीम प्राप्त नहीं हुई है, उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश की नालगोंडा जिला जल आपूर्ति परियोजना नवम्बर, 1990 में सहायता हेतु आर्थिक कार्य विभाग द्वारा नीदरलैंड्स सरकार को भेजी गयी थी लेकिन वह अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निजी विद्युत परियोजनाएं

4947. श्री एन. जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु निजी विद्युत उत्पादकों को कोई रियायत देने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात राज्य की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें निजी विद्युत उत्पादकों को रियायत देने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार विशेष रूप से गुजरात सरकार को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में *राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?*

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (ङ) भारत सरकार ने विद्युत के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 30.3.1992 की टैरिफ अधिसूचना में निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादन पर लगाए जाने वाले टैरिफ का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। यह अधिसूचना गुजरात सहित सभी राज्यों पर लागू होती है। जनवरी, 1997 में सभी राज्यों को जारी किए गए एक परिपत्र में सरकार ने यह निर्णय लिया कि स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई. पी.पी.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का विस्तार करने के मामले में आरंभिक चरण की स्थापना करने हेतु आई.पी.पी. की चयन प्रक्रिया की उपेक्षा करते हुए समझौता ज्ञापन (एस.ओ. यू.)/आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) आदि प्रक्रिया तथा ई.पी.सी./ टर्न-की कान्ट्रैक्टर का चयन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया को अपनाया जाए।

[अनुवाद]

केरल में बिजली परियोजनाएं

4948. श्री टी. गोविन्दन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कुछ बिजली परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्य को विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) और (ख) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार, केरल सरकार से प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई भी प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लंबित नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दो विद्युत परियोजनाओं नामशः ब्रह्मपुरम में डी.जी. सैट (5x20 मे.वा.) तथा कोजीकोड में डी. जी.सैट (6x20 मे.वा.) को निवेश अनुमोदन दिया गया है।

(घ) और (ङ) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सर्वेक्षण

4949. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में ऊंची बचत दर की आवश्यकता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में ऊंची बचत दर को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्टाफ के अनुसार, घरेलू बचत दर में पिछले चार दशकों में अनियमित उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखी गई है और अनुमानों के अनुसार आगामी वर्षों में निजी बचतों का मान धीमा गति से बढ़ने का अनुमान है। तथापि, स्टाफ ने इस बात को ध्यान में रखा है कि जिन नीतियों से बचतों-विशेष रूप से सार्वजनिक बचतों की दर में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और जो अपने कार्यक्रम आबंटन को सुगम बनाएंगी, उनसे मध्यावधि में सरकार को 7 प्रतिशत की वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि उच्च वृद्धि से ऐसे सुचक्र का प्रादुर्भाव होगा जिसमें उच्च वृद्धि से और अधिक बचतें होंगी और उच्च बचतें उच्च वृद्धि की ओर अग्रसर होंगी और यह क्रम चलता रहेगा।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्टाफ की टिप्पणियों के प्राप्त होने से पहले ही, भारत सरकार ने उक्त पहलुओं पर

विभिन्न मंचों अर्थात अद्यतन आर्थिक समीक्षा और बजट भाषण में जोर दिया है कि विशेषरूप से, दिनांक 28.2.97 के बजट भाषण में बचतों को प्रोत्साहन देने में पूंजी बाजारों की महत्ता पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है जबकि आर्थिक समीक्षा में इस बात का संकेत दिया है कि हाल के सुधार संबंधी प्रयासों से विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की अपेक्षा बचतों और निवेश के अवसरों को विस्तारित करके बचतों को प्रोत्साहन मिला है।

[हिन्दी]

बिहार का सौन्दर्यीकरण

4950. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को चालू वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य के सौन्दर्यीकरण के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने उपलब्ध की गई सारी राशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) क्या 1996-97 के लिए आवंटित राशि में से कुछ राशि अभी भी अप्रयुक्त पड़ी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) राज्यों के सौन्दर्यीकरण के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा कोई धन नहीं दिया गया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

4951. श्री दिलीप संघानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को 5000 करोड़ रुपसे से ज्यादा रुपये प्रदान किए हैं;

(ख) क्या इस धनराशि को प्रदान करते समय कोई अनियमितता बरती गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टील प्राधिकरण लि0 (सेल) फिलहाल 16 सदस्य बैंकों के संघ (कंसोर्टियम) से कार्यशील पूंजी ऋण सीमाएं प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंकों ने बोकारो स्टील संयंत्र के विस्तार/ आधुनिकीकरण को आंशिक वित्त देने के लिए मियादी ऋण मंजूर किए हैं। तथापि बैंकों के बीच प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार, अलग-अलग संघटक से संबंधित विवरण प्रकट नहीं किया जा सकता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण निगरानी व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण सीमाओं के मंजूरी पूर्व संवीक्षा के दौरान कोई अनियमितता उसकी जानकारी में नहीं आई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

4952. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के किन-किन सरकारी उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले भी केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (ए.टी.अधिनियम) में संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर उस राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले निपटाने हेतु उक्त राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने की व्यवस्था है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत, वर्तमान में उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 (2) के तहत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लायी गयी निगमों/समितियों/अन्य स्वायत्त प्राधिकरणों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	निगम/समिति/अन्य	प्राधिकरण का नाम
1.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड	सांविधिक निकाय
2.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	निगम
3.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	पंजीकृत समिति
4.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	पंजीकृत समिति
5.	राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद	पंजीकृत समिति
6.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद	समिति
7.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	सरकार द्वारा नियंत्रित प्राधिकरण
8.	भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद	सरकार द्वारा नियंत्रित समिति
9.	भारतीय खेल-प्राधिकरण	सरकार द्वारा नियंत्रित समिति

[हिन्दी

बेरोजगार व्यक्तियों को साक्षात्कार पत्र

4953. श्री संदीपान थोरात : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान वर्षवार कितने व्यक्तियों ने दरियागंज रोजगार कार्यालय में लिपिक संवर्ग हेतु पंजीकरण कराया है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति के एक भी व्यक्ति को उक्त कार्यालय द्वारा उनके पंजीकरण की तिथि से लेकर आगे तक साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त कार्यालय द्वारा लिपिक संवर्ग के लिए साक्षात्कार पत्र जारी किये जाने में अनियमितताएं बरती जा रही हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सागौन की लकड़ी का आयात

4954. श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सागौन की लकड़ी का मणिपुर राज्य की सीमा से सड़क मार्ग से म्यामार से मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा व्यापार करार के अंतर्गत मणिपुर-म्यांमार सीमा पर स्थित मोरह भू सीमाशुल्क स्टेशन से सागौन की लकड़ी का आयात करना शामिल नहीं है। म्यांमार की सरकार भी सागौन की लकड़ी के निर्यात की अनुमति नहीं देती है। अतः, उक्त मार्ग से वैध रूप से सागौन की लकड़ी का आयात अनुमत्य नहीं है।

अनुच्छेद 371

4955. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि संविधान के अनुच्छेद 371 का सम्मान करते हुए उस पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर लागू नहीं किया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सिक्किम सरकार ने सिक्किम राज्य में प्रत्यक्ष कर कानूनों के कार्यान्वयन को आस्थगित करने के लिए केन्द्र सरकार

से अनुरोध किया है। मुख्य मंत्री ने इस मामले में भारत के प्रधान मंत्री को दिनांक 2 जुलाई, 1996 को एक पत्र लिखा था। वित्त मंत्रालय की यह राय है कि राज्य में प्रत्यक्ष कर कानून वैध रूप से लागू किये गये हैं और इनका कार्यान्वयन सिक्किम के लोगों और राज्य के लिए लाभदायक होगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भविष्य निधि से धन की मांग

4956. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भविष्य निधि आदि से धन की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) जी, हाँ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वह भविष्य निधि के अभियोजन के बारे में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अनुरूप जमा प्रमाणपत्रों के अंतर्गत भविष्य निधि, सावधि जमाराशियों और बाडों मे माध्यम से धन का संग्रहण करता है। वर्तमान मार्गदर्शनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत यथा परिभाषित, सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ जारी बांडों एवं प्रतिभूतियों में मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों, स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधियों और स्वीकृत ग्रेच्युटी निधियों को निवेश योग्य धनराशियों में से 40% तक निवेश करने की अनुमति है।

सभी संगत अधिनियमों के विलयन का प्रस्ताव

4957. श्री रूप चन्द पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण और विनियमन से संबंधित सभी संगत अधिनियमों का विलयन कर एक व्यापक अधिनियम बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को कवर करने के लिए एक व्यापक विधायन बनाने के उद्देश्य से प्राप्त हुए सुझावों के परिणामस्वरूप, भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके अनुषंगी बैंकों, या उनको शासित करने वाले कानूनी उपबंधों में और अधिक एकरूपता लाने के लिए, कानूनों की समीक्षा करने तथा उसके उपबंधों में परिवर्तन सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय रिर्जव बैंक के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति को सौंपे गए कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए एक समय निर्धारित करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के पत्र

4958. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर अपवंचन के संबंध में ससंद सदस्यों द्वारा आयकर आयुक्तों को की गई शिकायतों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन शिकायतों पर कब तक समुचित कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) आयकर-अपवंचन के बारे में आयकर विभाग को संसद सदस्यों से बड़ी सख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या 1996 में 40, 1995 में 45 और 1994 में 63 थी।

(ख) से (घ) माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सभी शिकायतों को विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों के रूप में माना जाता है। इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्रीय प्राधिकारियों के साथ यह सुनिश्चित करने हेतु घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जाता है कि आवश्यक जाँच-पड़ताल पूरी की जाए और आयकर अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई यशाशीघ्र की जाए।

[अनुवाद]

केनरा बैंक में धोखाधड़ी

4959. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केनरा बैंक के एक अधिकारी द्वारा खाताबही में जाली प्रविष्टियां करके 3.18 करोड़ रुपए निकाले गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिकारी को इस बीच गिरफ्तार कर लिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बैंक के अन्य अधिकारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल पाए गए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (च) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की बटाला शाखा के एक अधिकारी द्वारा बैंक के खाते में जाली प्रविष्टियां करके 3.18 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज कराई है और 10.9.1996 को एक मामला दर्ज कर लिया गया गया है। लेकिन अधिकारी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसका कोई अता-पता ज्ञात नहीं है। बैंक द्वारा की गई जांच से बैंक के अन्य अधिकारियों की सहपरायिता का पता नहीं चला है। तथापि, बैंक ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उनकी ड्यूटी के निष्पादन में उपेक्षा/चूकों के लिए आवश्यक विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।

ऋण की वसूली

4960. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुःसाध्य ऋणों की वसूली के लिये तरीके और उपाय निकालने हेतु उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में किसी सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) इंडियन बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के ऋण दिये हैं;

(ग) इन ऋणों के अंतर्गत कुल कितनी राशि अंतर्गस्त है और उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा इन ऋणों की अदायगी संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बैंक ने कितने व्यक्तियों को ऋण माफी दी है;

(ङ) क्या सरकार ने बैंक आफ तन्जावूर और इंडियन बैंक के विलय की अनुमति दी है; और

(च) यदि हाँ, तो इस विलय के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) सरकार ने ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की है। तथापि इंडियन बैंक ने एक सेटलमेंट परामर्शदात्री समिति स्थापित की है जिसमें चेन्नई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंकर और वसूली के प्रभारी महाप्रबंधक सदस्यों के रूप में होंगे जो समझौता प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करेंगे और इस मामले में बैंक के बोर्ड को परामर्श देंगे।

(ख) से (घ) बैंकों के बीच प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार, उन अलग-अलग व्यक्तियों से संबंधित सूचना जिन्हें इंडियन बैंक ने ऋण दिए, ऋण को बट्टे खाते डाला आदि से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है। तथापि, इंडियन बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खातों/राशियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है -

दिए गए ऋणों के आंकड़े

	1993-94	1994-95	1995-96
खातों की संख्या	1725427	1648318	1465813
राशि (करोड़ रुपए)	6113.00	6940.43	7871.23
अनुपयोज्य आस्तियों की वसूलियां (करोड़ रुपए)	156.68	262.13	253.78

बट्टे खाते डाली गई राशियों से संबंधित आंकड़े

	1993-94	1994-95	1995-96
खातों की संख्या	3223	6859	291469
राशि (करोड़ रुपए)	2.37	1.12	72.60

(ङ) और (च) समामेलन की योजना के तहत, तत्कालीन दि बैंक आफ थन्जावूर लि० का विलय दिनांक 20.2.1990 को इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया था। विलय इसलिए किया गया ताकि बैंक आफ थन्जावूर लि० के जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

4961. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को गंदी बस्तियों के विकास कार्यक्रम हेतु कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1996-97 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

	राज्य	वर्ष 1996-97 के दौरान जारी की गयी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि
I.	**विशेष श्रेणी राज्य**	
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.11
2.	असम	2.22
3.	हिमाचल प्रदेश	0.50
4.	जम्मू और कश्मीर	3.26
5.	मणिपुर	0.45
6.	मेघालय	0.40
7.	मिजोरम	0.34
8.	नागालैण्ड	0.24
9.	सिक्किम	0.03
10.	त्रिपुरा	0.39
	जोड़ - I	7.94
II.	**गैर विशेष श्रेणी राज्य**	
1.	आंध्र प्रदेश	22.97
2.	बिहार	18.91
3.	गोवा	0.44
4.	गुजरात	14.27
5.	हरियाणा	3.65
6.	कर्नाटक	12.64
7.	केरल	7.27
8.	मध्य प्रदेश	14.80
9.	महाराष्ट्र	35.67
10.	उड़ीसा	4.50
11.	पंजाब	7.05
12.	राजस्थान	10.49
13.	तमिलनाडु	19.05
14.	उत्तर प्रदेश	31.28
15.	पश्चिम बंगाल	24.69
	जोड़ - II	227.68
	सकल जोड़ (I + II)	235.62

बंधुआ मजदूर

4962. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने बंधुआ मजदूर कानून के असंतोषजनक कार्यान्वयन पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है और सभी राज्यों से बंधुआ मजदूरों की स्थिति के बारे में विस्तृत हलफनामा दर्ज करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने बंधुआ मजदूर अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन के संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने उनसे इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कातिपय राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ बंधुआ श्रम का सर्वेक्षण कराने में स्वयं द्वारा प्राप्त प्रगति की सूचना नहीं दी है और सभी राज्य सरकारों को विस्तृत शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। संघ सरकार ने अनेक दिशा निर्देशों के माध्यम से राज्य सरकारों की बांधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 को जोरदार ढंग से क्रियान्वित करने की सलाह दी है। अधिनियम के क्रियान्वयन की मासिक रिपोर्टों के माध्यम से नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है और समय-समय पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

सिन्धु जल संधि

4963. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर के नेता पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिये दबाव डाल रहे हैं क्योंकि यह संधि जम्मू कश्मीर की जनता के हितों के खिलाफ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस संधि के पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को विश्वास में लिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) सरकार के पास पाकिस्तान के

सिंधु नदी जल संधि की समीक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सिंधु नदी जल संधि सम्पन्न करने से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य को विश्वास में लिया गया था।

बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण

4964. श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और ऐसे अन्य बैंक इनका उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिये इनके कार्यकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के दायरे में आते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में निहित उपबंधों के तहत गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक को बहुविध शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक शक्तियां निम्नलिखित से संबंधित हैं :

(i) बैंक के प्रबंधन पर नियंत्रण (ii) बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना, तथा उनके द्वारा नए शाखा कार्यालयों का खोला जाना, (iii) बैंकों द्वारा न्यूनतम चुकता पूंजी तथा आरक्षित एवं चल निधि परिसंपत्ति का रखरखाव (iv) ऋणों व अग्रिमों पर वसूले जाने वाले ब्याज की दरें (v) ऋणों व अग्रिमों पर नियंत्रण (vi) विभिन्न मामलों पर बैंकों को निर्देश देना (vii) कारोबार को समाप्त करना तथा बैंककारी कंपनियों का समापन आदि। भातीय रिजर्व बैंक को गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निरीक्षण की शक्तियां भी प्रदत्त की गई हैं।

बाल बियरिंग की तस्करी

4965. श्री विनशा पटेल :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में बड़े पैमाने पर बाल-बियरिंग की तस्करी किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो गत एक वर्ष के दौरान पकड़े गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बड़े पैमाने पर तस्करी को देखते हुए सरकार द्वारा घरेलू बाल-बियरिंग उत्पादकों के हित को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

4966. कुमारी क्रिडा तोपनो :
श्री भक्त चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और ब्रिटिश फर्मों के बीच बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के लिए हाल ही में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कानून के अनुसार बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय और ब्रिटिश फर्मों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किस प्रकार किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) विद्यमान बीमा कानूनों के अन्तर्गत, सम्पूर्ण बीमा कारोबार पर वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम एवं इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों का अनन्य विशोषाधिकार है। भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों ने हाल में किसी ब्रिटिश फर्म के साथ संयुक्त उपक्रम-करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सरकार के पास निजी कम्पनियों के बीच समझौता-ज्ञापन अथवा करार पर हस्ताक्षर होने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक सूचना नहीं है।

कारखाना अधिनियम में संशोधन

4967. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कारखाना अधिनियम, 1948 में समुचित संशोधन करके विसंगतियों को दूर करने का है ताकि इस

अधिनियम की धारा 1-क के अन्तर्गत कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान के महानिदेश द्वारा किसी भी कारखाने में प्रवेश कर कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण करने को दी गई शक्ति का स्वयं उपयोग कर सकें और उन्हें सिफारिशों को लागू करने की शक्ति भी प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम :) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 91-क कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय को किसी कारखाना में प्रवेश करने और सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने की शक्ति प्रदान करती है। डी.जी. फसली सर्वेक्षण करता रहा है। इसकी सिफारिशें राज्य सरकारों को उनकी ओर से उचित कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं। मामले को राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ बैठकें करके और मुख्य कारखाना निरीक्षकों के सम्मेलन के माध्यम से भी उठाया जाता है।

मेटल बाक्स इंडिया लिमिटेड

4968. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. द्वारा लिए गए निर्णय के बावजूद मेटल बाक्स इंडिया लि० को फिर से चालू नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि० (आई.सी.आई.सी.आई.) ने सूचित किया है कि मेटल बॉक्स इंडिया लि० की दो इकाइयां इस समय संचालन में हैं और बाइफर द्वारा पुनर्वास योजना के अनुमोदन के बाद कोई अन्य इकाई नहीं खोली गई है।

बाइफर ने सूचित किया है कि कंपनी को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए पुनर्वास योजना दिनांक 10.6.1996 को मंजूर की गई थी, परन्तु मेटल बॉक्स इंडिया लि०, मैसर्स बैंक नेशनल डि० पेरिस और मेटल बॉक्स इंडिया लि० के अभियंता कामगार संघ द्वारा दायर अपीलों पर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण, (आइफर) द्वारा योजना के कार्यान्वयन की तारीख स्थगित रखी गई थी। आइफर ने बाइफर को दिनांक 10.6.1996 को मंजूर योजना की दिनांक 6.3.1997 के अपने आदेश द्वारा संशोधित किया है।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिक

4969. श्री नवल किशोर राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि देश का प्रमुख उद्योग है तथा इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिकतम है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत तीन चौथाई किसान छोटे और सीमान्त किसान हैं जो नई श्रमिक प्रधान कृषि तकनीक अपनाकर श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर का सृजन कर सकते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने नई श्रमिक आधारित कृषि तकनीक में निवेश करने और देश के कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के लिए रोजगार के नये और अतिरिक्त अवसर जुटाने हेतु इसका उपयोग करने के लिए कुछ कारगर उपाय किये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कृषि क्षेत्र से जीविकोपार्जन कर रहे देश के कुल श्रमिकों का प्रतिशत क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) कृषि सामान्यतः एक उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं है लेकिन यह देश में बड़ी संख्या में कर्मकारों को रोजगार मुहैया कराता है। यह भी सच है कि कृषि क्षेत्र में लगे बड़ी संख्या में कर्मकार छोटे और सीमान्त कृषक हैं। और देश में कुल श्रम बल का लगभग 67% अपनी जीविका इस क्षेत्र से चलाते हैं।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने 1991 में प्रधानमंत्री को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि खेती के मशीनीकरण से श्रमिक की मांग घटती है। तथापि, इस विषय पर मतभेद है और प्रति दृष्टिकोण है कि मशीनीकरण से भूमि श्रमिक की उत्पादकता में सुधार होता है वास्तव में इससे नियोजन के और अवसर खुलते हैं।

3. कृषि श्रमिकों के बीच अल्प-रोजगारी की समस्या अवस्थापनात्मक सुविधाओं के सुधार कृषि क्रिया-कलापों के विविधीकरण, कौशल सुधार, वित्तीय सहायता और अन्य विकास कार्यक्रमों ग्रामीण क्षेत्र के लिए बढ़े हुए परिवार, आदि जैसे बहु-आयामी कार्रवाई के माध्यम से निपटाया जाना है।

सरकार ने अवस्थापना के गहन विकास और ग्रामीण उद्योगों विशेषकर कृषि के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं चलायी हैं। परती भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रमों के अलावा ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन और ग्रामीण एवं प्रौद्योगिकी (एफ.ई.जी.एस.टी.) के माध्यम से व्यापक रोजगार सृजन नामक एक योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि के भवन का निर्माण

4970. श्री काशी राम राणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में कर्मचारी भविष्य निधि के भवन का निर्माण करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भवन के निर्माण से संबंधित किस कार्य को पूरा किया जा चुका है;

(घ) इस भवन का निर्माण जल्दी करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस भवन के निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (च) सूरत में क.भ.नि. भवन की प्लानिंग तथा निर्माण से संबंधित कार्य 14 जनवरी, 1994 को मैसर्स एन.बी.सी.सी. को सौंपा गया था। तथापि इसी दौरान "राजदीप चैम्बर" भवन जिसमें फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि, सूरत का कार्यालय कार्य कर रहा है सीधी खरीद करने का प्रस्ताव शुरू हुआ है। भवन की खरीद के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिए जाने का मामला लम्बित होने के कारण क.भ.नि. संगठन के अपने भवन में निर्माण का कार्य स्थगित रखा गया है।

[अनुवाद]

देय राशि का भुगतान न करना

4971. श्री वसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैसोर, माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के उपरांत सांविधिक देय राशि का भुगतान न करने संबंधी मामले संबंधित मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार के निर्णयानुसार भारी उद्योग विभाग उचित कार्रवाई करेगा।

शेयर बाजार घोटाला

4972. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेयर बाजार घोटाले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चूककर्ताओं से उनके बकाया करों की बकाया राशि वसूल की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष बकाया करों को वसूलने में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) प्रतिभूति लेन-देन में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा वर्ष 1994 में संसद में रखी गई "की गई कार्रवाई रिपोर्ट" में दी गई है। किए गए कुछ और उपायों में ये शामिल हैं :- गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के ऊपर बेहतर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन, बैंकों की आंतरिक नियंत्रण निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली की पुनरीक्षा करने वाली कार्यकारी समूह की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को सलाह देना, बैंकों की लेखा परीक्षा समितियों की स्थापना, मुकदमा दर्ज खातों की सूची का प्रकाशन आदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने भी कई मामले दर्ज किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई विभागीय कार्रवाई की निगरानी कर रहा है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निजी क्षेत्र के बैंक

4973. श्री के. परसुरामन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे निजी क्षेत्र के बैंकों के नाम क्या हैं जिनकी स्थापना को तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के उन बैंकों द्वारा ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार शाखाएं खोली जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) तीन वर्षों से अधिक समय से स्थापित गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम, विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.1.93 के मार्गनिर्देश जो बैंकिंग कारोबार के प्रारम्भ के लिए नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्थापित करने के लिए हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि प्रारंभ से पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, इन बैंकों को अपनी शाखाओं का 25% भाग ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित करना होगा। अभी हाल ही में स्थापित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से, दो बैंक अर्थात, यू. टी.आई. बैंक लि० और इन्ड्स इन्ड बैंक लि० ने अप्रैल, 1997 में परिचालनों के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

1. बैंक ऑफ मदुरै लि०
2. बैंक आफ राजस्थान लि०
3. बरेली कार्पोरेशन बैंक लि०
4. भारत ओवरसीज बैंक लि०
5. बनारस स्टेट बैंक लि०
6. कैथोलिक सीरियन बैंक लि०
7. धनलक्ष्मी बैंक लि०
8. फेडरल बैंक लि०
9. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०
10. कर्नाटक बैंक लि०
11. करूर वैश्य बैंक लि०
12. सिटी यूनियन बैंक लि०
13. लक्ष्मी विलास बैंक लि०
14. लॉर्ड कृष्णा बैंक लि०
15. नैनीताल बैंक लि०
16. नेदुनगड़ी बैंक लि०
17. रत्नाकर बैंक लि०
18. सांगली बैंक लि०
19. साउथ इंडियन बैंक लि०
20. तमिलनाडु मरकेनटाइल बैंक लि०
21. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०
22. वैश्य बैंक लि०
23. एस.बी.आई. कामर्शियल एंड आई.एन.टी. बैंक लि०
24. गणेश बैंक आफ कुरुंदवाड बैंक लि०
25. इंड्स इंड बैंक लि०
26. यू.टी.आई. बैंक लि०
27. सिक्किम बैंक लि०

विवरण-II

क्र.सं	बैंक का नाम	महानगरीय	शहरी	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	योग
1.	यू.टी.आई. बैंक लि०	8	1	-	-	9
2.	इंड्सइंड बैंक लि०	11	3	-	4	18

[हिन्दी]

"फेरा" मामले

4974. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री काशी राम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 से "फेरा" (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) के अन्तर्गत कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही पूरी नहीं की गई है;

(ख) प्रत्येक मामले में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन मामलों की समीक्षा करने का है जिनमें अत्यधिक विलंब हो रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) दिनांक 31.3.1997 को बकाया न्यायनिर्णयन एवं मुकद्मों के मामलों (विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत) की संख्या क्रमशः 4809 एवं 2058 थी।

(ख) से (घ) यद्यपि उक्त कार्यवाहियों को शीघ्रता से पूरा करने हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं परन्तु इनमें विधिक प्रक्रिया के दौरान विलंब हो जाता है।

[अनुवाद]

शेयरों का अंतरण

4975. श्री मदन प्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को जून और जुलाई, 1996 के माह में दिल्ली/नई दिल्ली में रहने वाले निवेशकों की ओर से मैसर्स आर.के. इंडस्ट्रीज लि०, बाम्बे द्वारा शेयरों का अंतरण करने में विलम्ब होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी शिकायत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनी द्वारा अब तक कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया;

(घ) उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है जो छः माह से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ङ) कंपनीवार शेयरों के अंतरण में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) क्या निवेशक द्वारा शेयर प्रमाणपत्र कंपनी में पहुंचाये जाने के संबंध में डाक विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बावजूद कंपनी यह तर्क देते हुए कि उसे शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं इनका अंतरण नहीं कर रही हैं;

(छ) क्या कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) निवेशकों की शिकायत पर निपटारा कब तक निपटा दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्रदूषित पेय जल

4976. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के बसीरहाट, 24 परगना उत्तर, बरहामपुर तथा मुर्शिदाबाद क्षेत्र में पेय जल के रूप में सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाने वाली भूजल में आर्सेनिक मिलें होने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे जल संसाधनों का समुचित रूप से उपचार करने के संबंध में उपचारात्मक कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है;

(ग) क्या ऐसे जल के उपयोग से उक्त क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) जी, हाँ। यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में पेयजल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक आर्सेनिक है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने नलकूपों के स्थान पर गहरे कूयें खोदकर, पाइपयुक्त नई जल आपूर्ति स्कीमें बनाकर तथा सफाई की दृष्टि से सुरक्षित रिगवेल और तत्काल राहत के लिए बरसाती पानी को इकट्ठा करने के ढांचे और पाइपलाइन की जल आपूर्ति स्कीमों पर आधारित भूजल की स्थापना और समस्या को हल करने के लिए उन उदगम स्रोतों का पता लगाने के लिए आर्सेनिक संदूषण को हल करने के लिए एक परिदृश्य योजना बनाई है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए कार्य योजना के प्रथम चरण का 9.62 करोड़ की अनुमानित लागत का ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1994 में अनुमोदन किया गया था जिससे 4.87 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। इसकी वित्त व्यवस्था केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में की जानी है। ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने फरवरी, 1995 में मालदा जिले के लिए इसी पैट्रन पर 88.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भूतल स्रोत के जरिए पाइपयुक्त जल आपूर्ति की एक अन्य परियोजना का अनुमोदन किया है। परियोजना में 10.87 लाख आबादी को लाभान्वित करने का विचार है।

जहां तक शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय का सवाल है, अप्रैल, 1997 में 260.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दक्षिण 24 परगना जिले में आर्सेनिक प्रभावित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भूतल जल आधारित जल आपूर्ति योजना पर एक संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ था इस प्रस्ताव की तकनीकी दृष्टि से जांच की गयी है तथा राज्य सरकार से परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अखिल भारतीय स्वास्थ्यकारी और जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता द्वारा आयोजित अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न स्तरों पर आर्सेनिक युक्त जल का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों में से करीब 14% लोग आर्सेनिकोसिस (केराटोसिस सहित) रेनड्राप

पिगमेन्टेशन, हेपाटीमेगली (यकृत का बढ़ना) तथा ब्रोनकाइटिस (स्वाश्नली की बीमारी) से पीड़ित थे।

तथापि, यह भी उल्लेखनीय थी कि ये बीमारियां गैर प्रभावित नियंत्रण समूहों में भी पाई जाती थी, इसलिए पुराने संखिया रोग के निदान में कम सहायक हैं।

[हिन्दी]

कर्मचारी चयन परीक्षाएं

4977. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चा" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न कर्मचारी चयन परीक्षाओं हेतु अनधिकृत तत्वों द्वारा नकली (डमी) प्रश्न पत्रों के प्रकाशन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हज तीर्थयात्री

4978. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक से हज तीर्थयात्रा हेतु प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्ति जद्दा का दौरा करते हैं;

(ख) क्या बंगलौर में हज समिति की कोई शाखा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार हज तीर्थयात्रियों की सहायता हेतु बंगलौर में समिति स्थापित करने हेतु कदम उठाएगी?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) हज 97 के लिए केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए प्रबंधों के अन्तर्गत कर्नाटक से जद्दाह जाने वाले हाजियों की संख्या 2812 थी। कर्नाटक के उन हाजियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर या निजी टूर आपरेटरों के माध्यम से हज यात्रा की।

(ख) और (ग) केन्द्रीय हज समिति की देश के किसी भी भाग में कोई शाखा नहीं है। तथापि, राज्यों में अपने-अपने राज्यों से संबंधित हज यात्रियों की सहायता करने तथा उनकी देखभाल करने के लिए राज्य हज समितियाँ गठित की गई हैं। कर्नाटक राज्य के हज यात्रियों की सहायता करने के लिए कर्नाटक में भी राज्य हज समिति है जो बंगलौर में स्थित है।

आतंकवादियों का मारा जाना

4979. श्री वी. प्रदीप देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकप्रिय सरकार के गठन से 31 मार्च, 1997 के बीच कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में विदेशी आतंकवादियों सहित कितने आतंकवादी मारे गए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान सुरक्षा बलों के कितने जवान हताहत हुए;

(ग) क्या राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1.10.1996 से 31.3.1997 तक की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में 35 विदेशी राष्ट्रिक/भाड़े के सैनिकों सहित 457 उग्रवादी तथा 97 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए थे।

(ग) और (घ) राज्य में लोकप्रिय सरकार के सत्ता संभालने के बाद जम्मू और कश्मीर की समग्र स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। पुलिस तथा सुरक्षा बलों के सतत आपरेशन, जिनके कारण हाल के महीनों में महत्वपूर्ण सफलता मिली है, सूचना प्राप्ति में वृद्धि, लोगों की मनःस्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन तथा उनके द्वारा उग्रवादी गतिविधियों की खुली भर्त्सना के कारण उग्रवादियों पर पर्याप्त दबाव बढ़ा तथा उन्हें अलग-थलग करने तथा आगे उनकी गतिविधियों पर काबू पाने में मदद मिली, तथापि वे आसान लक्ष्यों पर हताशापूर्ण कार्रवाई समय-समय पर करते रहे। सरकार तथा सुरक्षा बलों द्वारा यथाशीघ्र पूर्ण शांति और सामान्य हालात की बहाली सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

जनजातीय क्षेत्र की घोषणा

4980. **श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्र अधिसूचित किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंटार्कटिका अभियान

4981. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के द्वारा अंटार्टिका के लिए अब तक कुल कितने अभियान दल भेजे गए हैं;

(ख) क्या भारत विश्व के 25 विशेषाधिकार प्राप्त देशों में प्रथम देश हो गया है जिसने अंटार्टिका में पोलर स्टेशन पर विभिन्न वैज्ञानिक उपयोग हेतु तरल नाइट्रोजन संयंत्र लगाया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले अभियान पर कुल कितनी राशि खर्च हुई;

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में अंटार्टिका के लिए अगला अभियान दल भेजने का विचार है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यह अभियान कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) अब तब 16 भारतीय अभियान अंटार्कटिक भेजें जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त वेडल सागर और हिन्द महासागर क्षेत्र के दक्षिणी महासागरों के लिए एक-एक अभियान भेजा गया है।

(ख) अंटार्कटिक में यह सुविधा पाने वाले कुछ देशों मे भारत भी एक देश है।

(ग) इस संयंत्र द्वारा उत्पादित तरल नाइट्रोजन को, वर्तमान में अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन सान्द्रण को मापने के लिए लगाई गई लेजर हेटेरोडाइन प्रणाली को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) पिछले अभियान पर खर्च की गई कुल राशि लगभग 19.28 करोड़ रुपये थी।

(ङ) जी हाँ, श्रीमान।

(च) ध्रुवीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात वायुमण्डलीय, भूमि, जैव, पर्यावरणीय, चिकित्सा, इंजीनियरी और संचार विज्ञान में अनुसंधान हेतु अंटार्कटिक के 17वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान रवाना किए जाने का प्रस्ताव है।

(छ) 17वां अभियान दिसम्बर, 1997 में रवाना किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

पेयजल की कमी

4982. **श्री सत्य पाल जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में पेयजल की भारी कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो पेयजल की इस कमी को दूर करने के लिए गत पांच वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) (क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पेयजल की अत्यधिक कमी बाबत संघ राज्य प्रशासन से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि 51.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से चण्डीगढ़ चरण-IV के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, संघ राज्य प्रशासन द्वारा निष्पादित किय जाने के लिए जून, 1996 में तकनीकी रूप से अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

विवेकाधीन मार्गदर्शन

4983. **श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1997 को एशियन ऐज में प्रकाशित शीर्षक समाचार, "आर.बी.आई. प्रूडेंसियल नोर्म्स हू दिन ट्रिक फार दी बैंक आफ इंडिया" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सन्दर्भ में दिए गए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को नए लेखा नियमों के कारण हानि उठानी पड़ी; और

(घ) बैंक की प्राधिकृत पूंजी की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार को 93.47 करोड़ रुपए की उस पूंजी आय के कारण 327.14 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है जिसे गलती से यह मान लिया गया है कि 35 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर निर्निहित किया गया है। सरकार ने अपने घाटों को समायोजित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी में अपने निवेश का मूल्य घटा दिया है। इन समायोजनों को पूंजी खाते में प्राप्तियों और वसूलियों के अनुरूप बनाया गया है। निवेशों में इन संशोधनों से बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति मिल गई है। बैंक ने अपना पूंजी आधार सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 675 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्गम जारी किए जो पूरी तरह अभिदत्त कर दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। (1) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 1996-97 तक 16346.12 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। (2) लाभप्रदता के संगत रिकार्ड वाले बैंकों को शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि भारत सरकार की इक्विटी धारित कुल चुकता पूंजी का 51% से कम न होने पाए।

वृहत् पन-बिजली परियोजना की स्थापना

4984. श्री वीर सिंह महतो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले की अजध्या पहाड़ियों में वृहत् पन बिजली परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) पुरुलिया पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना (4x225 मेगावाट) का निर्माण पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में किया जा रहा है।

(ख) पुरुलिया पंप स्टोरेज के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 17.3.93 को मंजूरी दे दी गई थी। इस परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति भी अक्टूबर, 1993 में प्राप्त हो गई थी तथा योजना आयोग द्वारा भी इस परियोजना को 9.2.94 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। 20520 मिलियन येन के ऋण के लिए 28.2.1995 को ओ.ई.सी.एफ. के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। 92 प्रतिशत ऋण प्राप्त कर लिया गया है। कार्यस्थल पर जनवरी, 1996 से अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के लिए पुरुलिया ई.पी.डी.पी. जापान तथा वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज, भारत का एक संयुक्त उपक्रम को एक परामर्शी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य कार्यों एवं जल यांत्रिकी कार्यों के लिए पूर्व-अर्हता सम्बंधी दस्तावेजों का मूल्यांकन करने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। जल यांत्रिकी कार्यों के लिए पूर्व-अर्हता सम्बंधी दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं।

(ग) 1994 के अनुमानों के आधार पर अद्यतन अनुमानित लागत 3188.90 करोड़ रुपए है जिसमें 227.90 करोड़ रुपए निर्माण के दौरान ब्याज शामिल है।

श्रम कानून लागू करना

4985. श्री एम. रामनाथन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्थित कुछ जापानी कंपनियां, जिसमें सुमीतोमो कॉरपोरेशन और मुत्सुई कॉरपोरेशन शामिल है उनके द्वारा नियुक्त भारतीय सुरक्षा गार्डों और ऑफिस बॉयज/संदेशवाहकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इन कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन हेतु इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जापानी अधिकारी उनके द्वारा नियुक्त भारतीय कर्मचारियों के साथ जातीय भेदभाव तथा उनके विरूद्ध अपमान जनक टिप्पणियां करते है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों में नियुक्त भारतीय श्रमिकों के सेवा हितों और सम्मान की रक्षा करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधान क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का दंडित किया जाना

4986. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठगांठ से दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत निर्माण किये गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है और इनके नाम क्या-क्या हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कुछ मामलों में डी.डी.ए. अधिकारियों की मिलीभगत का पता चला है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच पड़ताल की गयी थी और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। गत चार वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की है :

1. निम्नलिखित व्यक्तियों पर 2 वर्ष तक पदोन्नति पर रोक लगाने की शास्ति श्री राज कुमार, पटवारी।

2. निम्नलिखित व्यक्तियों पर भर्तस्ना शास्ति लगाई गई :

   (क) श्री नारायण स्वरूप, नायब तहसीलदार
   (ख) श्री गैन्दा लाल, कानूनगो
   (ग) श्री कुलबीर सिंह, पटवारी
   (छ) श्री सुरेश कुमार, पटवारी

3. निम्नलिखित व्यक्तियों पर 2000/- रुपये की वसूली की शास्ति लगाई गई :

   (क) श्री जे.सी. सहगल, नायब तहसीलदार
   (ख) श्री वी.एस. जैन, पटवारी

4. निम्नलिखित व्यक्तियों पर असाधारण शास्ति लगाने की कार्रवाई की गई :

   (क) श्री सत्यवीर सिंह, संयुक्त निदेशक
   (ख) श्री आफताब इकबाल, उप निदेशक
   (ग) श्री एस.एस. चोपरा, उप निदेशक
   (घ) श्री एल.सी. राठी, सहायक निदेशक
   (ङ) श्री आर.डी. गुप्ता, सहायक इंजीनियर
   (च) श्री के.डी. गुप्ता, तहसलीदार
   (छ) श्री ओम प्रकाश, तहसीलदार
   (ज) श्री सतीश कुमार, तहसीलदार
   (झ) श्री सोरन सिंह, तहसीलदार
   (ञ) श्री दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार
   (ट) श्री जे.सी. सहगल, नायब तहसीलदार
   (ठ) श्री हर्ष वर्धन, पटवारी

5. निम्नलिखित के विरुद्ध असाधारण शास्ति हेतु कार्यवाही शुरू की गयी :-

   (क) श्री पी.के. जैन, कनिष्ठ इंजीनियर

6. निम्नलिखित व्यक्तियों को निलम्बित किया गया :-

   (क) श्री सतीश कुमार, तहसीलदार
   (ख) श्री सोरन सिंह, तहसीलदार
   (ग) श्री दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार
   (घ) श्री हर्षवर्धन, पटवारी
   (ड़) श्री जय प्रकाश वर्मा, कानूनगो
   (च) श्री मोहिन्द्र सिंह, पटवारी
   (छ) श्री योगराज शर्मा, सहायक निदेशक
   (ज) श्री पराग, अनुभाग अधिकारी।

स्वच्छ प्रशासन

4987. श्री काशी राम राणा :
श्री संदीपान थोरात :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रभावी कानून नीतियां और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के जरिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नई पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सौदों और लोक प्रशासन में सार्वजनिक पारदर्शता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या भ्रष्टाचार की समस्या से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए अधिक ध्यान देने हेतु विभिन्न राज्यों में किए जा रहे ऐसे उपायों की समीक्षा की गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ) प्रशासन को उत्तरदायी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने, सिविल सेवाओं में साफ-सुथरापन लाने और

संवैधानिक सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 20.11.1996 को राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं :

(i) लोक सेवा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी रोकथाम, निगरानी तथा निवारक अभियोजन पर ध्यान दिया जाय और अपराधियों एवं अनैतिक तत्वों के बीच गठ-बंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

(ii) सरकार और लोक निकायों के क्रियाकलापों में खुलापन और अधिक पारदर्शिता लाना आवश्यक है। उदाहरण के लिये, इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयास शामिल होगा।

(iii) जनता की संतुष्टि और सेवाओं की उत्तरदायित्वपूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही को व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए यथासम्भव अधिक सेवा संस्थानों के लिए नागरिक चार्टर की शुरूआत चरणबद्ध ढंग से किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

सम्मेलन की सिफारिशों का व्यापक प्रचार किया गया है और उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

सरकार द्वारा अभी हाल में उठाए गए कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं :

- लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

- सूचना के अधिकार और उन्मुक्त तथा पारदर्शी सरकार के संवर्द्धन हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई जिससे यह अपेक्षा की गई है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना के अधिकार की संभावना की जांच करे और सरकारी अभिकरणों की कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता तथा खुलापन लाने के लिये उपाय सुझाये।

- सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सरकारी भवनों के स्वागत कार्यालयों के निकट कम्प्यूटरीकृत सुविधा कांउटर खोलने का निर्णय लिया है।

- सार्वजनिक सपंर्क वाले कई केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने नागरिक चार्टर तैयार करने के लिये प्रयास शुरू कर दिये हैं।

- मंत्रालयों/विभागों से उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विनियामक और कानूनी ढांचे की पुनरीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि वे यह देख सकें कि क्या उनके द्वारा प्रशासित विनियम उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जिनके लिये ये बनाए गए हैं तथा इन विनियमों को नागरिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है।

बीड़ी मजदूरों को लाभ

4988. श्री दादा बापूराव परांजपे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा पहचान पत्र जारी किए गए बीड़ी मजदूरों में से एक चौथाई बीड़ी मजदूरों को भी इनका लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बीड़ी मजदूरों को भविष्य निधि का पूरा लाभ प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। मध्य प्रदेश में अनुमानित 7,50,000 बीड़ी कर्मकारों में से 6,71,267 बीड़ी कर्मकारों को पहचान पत्र जारी कर दिये गये हैं। अब तक 4,16,628 बीड़ी कर्मकारों ने कल्याण निधि से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किये हैं।

(ग) मध्य प्रदेश में 1,53,027 बीड़ी कर्मकारों को भविष्य निधि सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया है। राज्य श्रम विभाग के सहयोग से निरीक्षणों/पूछताछों के माध्यम से सदस्यता में वृद्धि के प्रयास किय जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ब्याज की वसूली

4989. श्री सुरेन्द्र यादव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी किश्त समय पर जमा करने में असमर्थ रहे व्यक्तियों से 48 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इतनी अधिक ब्याज वसूले जाने का आधार क्या है और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वसूल किए जा रहे ब्याज की दर किसी अन्य वित्तीय संस्थान की तुलना में बहुत अधिक है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ब्याज की दर में कुछ सीमा तक कमी करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ताकि चूककर्ता अपने बकाया का भुगतान कर सकें;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की कीमतों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि की जा रही है;

(च) यदि, हाँ तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्माण और भूमि लागत की तुलना में दुगनी कीमत वसूल कर रही है;

(ज) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या ब्याज की अधिकतम दर 24.1 प्रतिशत है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 48 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है;

(ञ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण "न लाभ न हानि" पर चलने वाला संगठन है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि आवंटन पत्र के निबंधन और शर्तों के तहत यदि किसी मासिक किस्त के भुगतान में विलम्ब होता है तो, आवंटी को पहले महीने 1% प्रति माह अथवा 2 रुपये प्रति माह, दूसरे माह 2% प्रति माह अथवा 5 रुपये प्रतिमाह और तीसरे माह 4% प्रति माह अथवा 10 रुपये प्रति माह जो भी अधिक हो, की दर पर जुर्माना देना होगा।

आवंटियों को राहत देने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित किराया खरीद जुर्माना राहत स्कीमें शुरू की हैं :

(i) **किराया-खरीद जुर्माना राहत स्कीम - 95** : इस स्कीम के तहत जुर्माने में 66% तक की राहत दी गयी थी।

(ii) **किराया-खरीद जुर्माना राहत स्कीम - 96** : इस स्कीम के तहत जुर्माने में 50% तक की राहत दी गयी थी।

(iii) **किराया-खरीद जुर्माना राहत स्कीम - 97** : इस स्कीम के तहत जुर्माने में 1.3.97 से 30.9.97 तक 43% तक और 1.10.97 से 31.12.97 तक 37% तक की राहत उपलब्ध है।

(ङ) से (ञ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि फ्लैटों की लागत, निर्माण पर हुए व्यय, निर्माण के दौरान निवेश की गयी पूंजी की लागत ऊपरी प्रभारों और निर्धारित फार्मूले के अनुसार अधिग्रहण और विकास लागत के अनुसार निर्धारित की जाती है जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी वैध ठहराया है इस समय गैर एस.एफ.एस.फ्लैटों की लागत निर्धारित करते समय निर्माण के दौरान निवेश की गयी पूंजी के लिए 15% की दर से ब्याज वसूल किया जाता है जो राष्ट्रीय आवास बैंक की उधार ब्याज दर के समान है।

(ट) जी, हाँ।

क्षेत्रों को साफ-सुथरा रखना

4990. श्री जगमोहन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी., एल. एण्ड डी.ओ. और संपदा निदेशालय जैसे अनेक सरकारी विभागों को अपने क्षेत्रों/नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर स्थिति न बनाये रखने के लिये कारण दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से नोटिस मिले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह क्षेत्रों को साफ-सुथरा रखने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भूमि तथा विकास कार्यालय और सम्पदा निदेशालय ने सूचना दी है कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को स्वास्थ्यकर स्थिति में न रखने बाबत दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर परिषद से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों के लिए कल्याण कार्य

4991. डॉ॰ राम विलास वेदान्ती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि मजदूरों के कल्याण के लिये किन-किन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की जानी है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि मजदूरों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों का विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एन.एस.ए.एस.) जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषि कर्मकारों को लाभ पहुंचाती है जैसे अनेक विद्यमान ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को जारी रखने के अलावा, सरकार कृषि कर्मकारों के रोजगार, सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित करने और उनके कतिपय कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने पर विचार कर रही हैं।

(ख) चूंकि इस विधान का कार्यान्वयन विद्यमान तंत्र के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है और कल्याण उपायों का वित्तपोषण मुख्यतः नियोक्ताओं के अंशदान द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अतः इस प्रयोजनार्थ किसी निधि का आंबटन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ग्रामीण श्रम परिवारों की मजदूरी और उपार्जन, रोजगारी और बेरोजगारी, आय और ऋणदेयता आदि के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए 1950-1951 से कृषि श्रम पूछताछ कर रही है। इसे अब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सामान्य रोजगारी और बेरोजगारी संबंधी पंचवर्षीय सर्वेक्षण के साथ एकीकृत कर दिया गया है। दस वर्षीय जनगणना में सामान्य जनसंख्या के साथ कर्मकारों की भी गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (1987-91) ने अन्य ग्रामीण कर्मकारों के साथ कृषि कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक दशाओं के संबंध में भी गहन अध्ययन किया है।

बिहार में आई.डी.एस.एम.टी. योजना

4992. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में समेकित लघु एवं मझोला शहर विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) लागू की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो आज की तिथि तक जिलेवार किन-किन शहरों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ग) क्या नॉलन्दा तथा दरभंगा को भी इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें शामिल करने संबंधी यदि कोई प्रस्ताव है तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हाँ।

(ख) समेकित लघु एवं मझोला शहर विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत आज तक शामिल किये जा चुके बिहार के 40 कस्बों की जिले-वार सूची संलग्न **विवरण** में है।

(ग) समेकित लघु एवं मझोला शहर विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत नालन्दा को अब तक शामिल नहीं किया गया है। दरभंगा को सातवीं योजना अवधि के दौरान शामिल किया गया था।

(घ) समेकित लघु एवं मझोला शहर विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु प्राथमिकता वाले कस्बों की पहचान और चयन का अधिकार राज्य सरकारों का है। बिहार सरकार ने चुने हुये प्राथमिकता वाले कस्बों की सूची में नालन्दा को शामिल नहीं किया है।

विवरण

1979-80 से मार्च 31, 1997 तक

क्र.सं.	राज्य/कस्बे का नाम	जिले
1	2	3
	बिहार	
1.	आरा	भोजपुर
2.	बेगूसराय	बेगूसराय
3.	बेतिया	पश्चिम चम्पारण
4.	चाईबासा	पश्चिमी सिंहभूमि
5.	छपरा	सारन
6.	डाल्टनगंज	पलामू
7.	देवधर	देवधर
8.	धनबाद	धनबाद
9.	दुमका	दुमका
10.	गिरीडीह	गिरीडीह
11.	गोपालंगज	गोपालगंज
12.	हाजीपुर	वैशाली
13.	हजारीबाग	हजारीबाग
14.	कटिहार	कटिहार

1	2	3
15.	सहरसा	सहरसा
16.	विहार सरीफ	नालन्दा
17.	बुधगया	गया
18.	बक्सर	भोजपुर
19.	दरभंगा	दरभंगा
20.	किशनगंज	किशनगंज
21.	मधुबनी	मधुबनी
22.	नावादा	नवादा
23.	पुरनिया	पुरनिया
24.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
25.	सिवान	सिवान
26.	जेहानाबाद	जेहानाबाद
27.	साहिबगंज	साहिबगंज
28.	बांका	भागलपुर
29.	गढ़वा	पलामू
30.	मुंगेर	मुंगेर
31.	भागलपुर	भागलपुर
32.	छतरा	हजारीबाग
33.	गोड़ा	गोड्डा
34.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
35.	राजगीर	नालन्दा
36.	फोरबेसंगज	अरड़िया
37.	गया	गया
38.	लोहारदगा	लोहारदगा
39.	शिवहार	सीतामढ़ी
40.	सुपौल	सहरसा

वाणिज्यिक ऋण

4993. श्री नन्द कुमार साय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक ऋण सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सुविधाएं किन-किन क्षेत्रों को उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी.वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) प्रस्तावों की अर्थक्षमता को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं दी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे ऋण और अग्रिम मंजूर करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात ऋण एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें।

टिहरी बांध से विस्थापित लोग

4994. डॉ॰ रमेश चन्द्र तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध के विस्थापित के पुनर्वास और उन्हें भूमि का मुआवजा देने संबंधी कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितने लोगों को भूमि का मुआवजा नहीं मिला है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे परिवारों की ब्यौरे सहित संख्या क्या है जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (घ) प्रभावित ग्रामीण परिवारों का पुनर्वास टिहरी जल विद्युत निगम लि० (टी.एच.डी.सी.) द्वारा दो चरणों में किया जा रहा है। चरण-1 में काफर बांध के निर्माण द्वारा प्रभावित जनता का पुनर्वास किया जाना था जब कि चरण-2 प्रमुख बांध के निर्माण द्वारा प्रभावित शेष जनता को शामिल करेगा। चरण-1 के अंतर्गत, 2064 परिवारों को शामिल करते हुए, पुनर्वास पूरा कर लिया गया है, मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है तथा केवल 30 व्यक्तियों को छोड़कर जिन्होंने अभी अपने दावे दायर करने हैं शेष सभी को आवंटन कर दिया गया है तथा 70 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भूमि का आंवटन कर दिया गया है परन्तु उनके अंतिम मुआवजे का भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजस्व प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

चरण-2 में ग्रामीण जनता के पुनर्वास में पूरी तरह से प्रभावित 2845 परिवार तथा जलाशय की खुदाई से पहले आंशिक रूप से प्रभावित 3998 परिवार शामिल होंगे। इनमें से 446 पूर्णतः प्रभावित परिवारों को मुआवजे का भुगतान/भूमि का आवंटन कर दिया गया है। शेष पूर्णतः प्रभावित तथा आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों का पनुर्वास परियोजना के निर्माण के साथ-साथ जारी रहेगा।

6.6.85 की अंतिम तिथि के भीतर 5291 परिवारों को शामिल करने वाला शहरी पुनर्वास पूरा होने की अग्रिम अवस्था में है तथा अपेक्षित आवासीय भूखंड, फ्लैट और दुकानों का निर्माण करके अधिकांश का आंबटन कर दिया गया है। टिहरी नगर के गृह-स्वामियों को आवश्यक मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

नगरों का विकास

4995. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम स्तर की श्रेणी में आने वाले उन नगरों के नाम क्या हैं जिनका राज्यवार समन्वित विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) छोटे और मझौले कस्बों की एकीकृत स्कीम (आई.डी.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत कस्बों को क, ख, ग, घ और ङ के रूप में पांच स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है। न्यूनतम स्तर अर्थात "क" 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए लागू होता है। आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत शामिल करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत कस्बों के चयन का अधिकार राज्य सरकारों को है। इस स्तर पर जबकि नौवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और इस स्कीम को जारी रखने बाबत निर्णय लिया जाना लम्बित होने के कारण आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत शामिल किये जाने के लिए प्रस्तावित न्यूनतम स्तर वाले कस्बों के नाम उल्लिखित करना संभव नहीं है।

(ख) स्कीम के आरम्भ होने से 31.3.97 तक विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यों को जारी की गयी कुल केन्द्रीय सहायता की धनराशि 291.25 करोड़ रुपये है।

(ग) आई.डी.एस.एम.टी. परियोजनाएं चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की जाती हैं और निधियां, प्रगति के स्तर, राज्य शेयर की उपलब्धता, बजट की उपलब्धता आदि पर निर्भर करते हुए किस्तों में जारी की जाती है। तदनुसार, आई.डी.एस.एम.टी. परियोजनाओं के लिये कार्यान्वयन की कोई समय सीमा अपेक्षित नहीं है।

शाखाओं का विस्तार

4996. श्री के.पी. सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने का है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार अपने सेवा क्षेत्रों के दायरे में अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता के मूल्यांकन का कार्य अलग-अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के बैंकों के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत किया जाना होता है। जहां तक अर्द्ध-शहरी केन्द्रों का संबंध है, शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के आकार पर निर्भर करते हुए प्रत्येक बैंक को एक विशेष कोटा आबंटित किया जाता है। अर्द्धशहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने संबंधी प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। जहां तक शहरी/महानगरीय केन्द्रों का संबंध है, शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों को पहचान किए गए स्थान आबंटित किए जाते हैं। ऐसे प्रस्तावों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को अलग-अलग मामले के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना शाखाएं खोलने की स्वतंत्रता भी दी है।

1. जोखिम आस्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) की तुलना में 8 प्रतिशत या अधिक पूंजी।
2. कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों के 15% से कम अनुपयोज्य आस्ति।
3. 100 करोड़ रुपये से अधिक की स्वाधिकृत निधियां।
4. तीन लगातार वर्षों के लिए निवल लाभ।

ऐसे मामलों में बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक के पास सभी प्रकार की शाखाएं खोलने के लिए एक वर्ष का कार्य योजना पेश कराने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से एक बार योजना के अनुमोदित हो जाने के बाद बैंक शाखाएं खोल सकते हैं।

चीन को भारतीय सहायता

4997. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने अपने शेयर बाजार के विकास हेतु भारतीय सहायता मांगी है;

(ख) क्या भारत और चीन के बीच इस संबंध में कोई समझौता हुआ है और इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) इसके नियम तथा शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सेबी के अध्यक्ष और सेबी के कुछ अधिकारियों ने 16.4.1997 को पेइचिंग में शंघाई स्टाक एक्सचेंज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान, शंघाई स्टाक एक्सचेंज के प्रतिनिधियों ने शंघाई स्टाक एक्सचेंज में प्रणालियों को सुधारने के उद्देश्य से, सेबी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों, भारत में स्टाक एक्सचेंजों के कम्प्यूटरीकरण और संबधित घटनाओं में दिलचस्पी दिखाई। सेबी ने उन्हें सलाह दी है कि वे भारत के स्टाक एक्सचेंजों का दौरा करें और यह मूल्यांकन करें कि स्टाक बाजार के विकास संबंधी भारतीय अनुभव का वे किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। वे ऐसे दौरे की संभावनाओं के संबंध में सेबी को सूचित करने पर सहमत हो गए हैं।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय नागरिकों को वापस भेजना

4998. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष आज तक विदेशों से कुल कितने भारतीय नागरिकों को निष्कासित किया गया है;

(ख) ऐसे भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है जो इन देशों में मुसीबत में थे और जिन्हें स्वदेश वापस भेजा गया; और

(ग) इन मामलों में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखाने

4999. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम की तेल शोधन क्षमता के वास्तविक कार्यनिष्पादन की स्थिति क्या-क्या रही;

(ख) भारतीय तेल निगम ने वर्ष 1997-98 के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य तय किए हैं; और

(ग) सभी परियोजनाओं के अधिकतम क्षमता उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इनकी सूक्ष्म निगरानी के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.ओ.सी. की रिफाइनरियों की शोधन क्षमता और उनका वास्तविक कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :

(आंकड़े हजार टनों में)

रिफाइनरी	स्थापित क्षमता	वास्तविक क्रूड संसाधन		
		1994-95	1995-96	1996-97
गुवाहाटी	850.00	894.2	839.2	847.9
बरौनी	3300.0	2219.9	2322.8	1895.3
गुजरात	9500.00	9888.3	10166.6	10352.3
हल्दिया	2750.0	3257.7	3416.2	3450.4
मथुरा	7500.0	8377.2	8332.2	8113.4
डिग्बोई	500.0	536.0	559.4	476.9
(आई.ओ.सी.योग)	24400.0	25163.3	25636.4	25136.2

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए निर्धारित क्रूड थ्रुपुट लक्ष्य निम्नानुसार है :

रिफाइनरी	क्रूड थ्रुपुट टी.एम.टी.
गुवाहाटी	900
बरौनी	1950
गुजरात	9800
हल्दिया	4100
मथुरा	8000
बिग्बोई	550
पानीपत	100
आई.ओ.सी.योग	25400

(ग) आई.ओ.सी. द्वारा घरेलू निगरानी के अलावा इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी सरकार द्वारा त्रैमासिक कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठकों में की जाती है।

[हिन्दी]

यूको बैंक

5000. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूको बैंक की सिंगापुर शाखा और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा और इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस निर्णय के परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावना है; और

(घ) क्या इन कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वाहन प्रदूषण

5001. श्री के.एस. रायुडू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने अपने अध्ययन में यह सिद्ध कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल के साथ मैथानोल/इथानोल का सम्मिश्रण वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श सम्मिश्रण है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का मेट्रोपोलिटन शहरों में अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने अध्ययन किए थे जिनसे पता चला कि पेट्रोल के साथ मेथानोल/एथानोल का निम्न सतर पर मिश्रण, वाहन उत्सर्जनों को कम करने का एक साधन है। मेथानोल और एथानोल दोनों अल्कोहलों के इस्तेमाल का अध्ययन, वाहन उत्सर्जनों विशेषकर धुएं को कम करने के लिए डीजल वाहनों में दोहरे ईंधन की विधि का इस्तेमाल करते हुए किया गया है।

खाद्य मंत्रालय (चीनी विभाग) ने भी पेट्रोल/डीजल के साथ चीनी निर्माता/आसवनी यूनिटों द्वारा उत्पादित एथानोल का मिश्रण करने की संभावना की जांच करने के लिए सचिव (खाद्य) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

गन्दी बस्ती के लोगों को अन्यत्र बसाना

5002. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन दिल्ली की गन्दी बस्तियों के कुछ लोगों को वहां से हटाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बसाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय दिल्ली में गन्दी बस्तियों में कुल कितने लोग रहते हैं; और

(घ) गन्दी बस्तियों के लोगों को कब तक दिल्ली से हटाकर बाहर बसाए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क), (ख) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने बताया है कि इस बारे में दिल्ली सरकार से कोई खास प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) दिल्ली सरकार के अनुसार मार्च, 1994 में एक सर्वेक्षण

करवाया गया था जिससे पता चला कि झुग्गी समूहों की अनुमानित संख्या लगभग 1080 है जिसमें 4.80 लाख झुग्गियां हैं और 20 लाख से अधिक आबादी रहती है।

"हुडको" ऋण

5003. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हुडको के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु केरल राज्य हाउसिंग फेडरेशन से कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो हुडको द्वारा कितनी धनराशि देने के लिए कहा गया है; और

(ग) केरल राज्य हाउसिंग फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, नहीं। राज्यस्तरीय एजेन्सियां विशेष परियोजना प्रस्ताव तैयार करती हैं और ऋण सहायता के लिए उनको सीधे ही हुडको को भेजती हैं।

(ख) हुडको ने 11549 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए वर्ष 1996-97 तक, 52.02 करोड़ रुपये की ऋण धनराशि की केरल राज्य सहकारी आवास परिसंघ की अब तक 12 स्कीमें स्वीकृत की हैं।

(ग) केरल राज्य सहकारी आवास परिसंघ द्वारा प्रस्तुत 6808 रिहायशी मकानों के निर्माण पर विचार हेतु 45.02 करोड़ रुपये की ऋण-राशि की एक नगद ऋण आवास स्कीम हुडको के विचाराधीन है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में क्रायोजेनिक इंजन का विकास

5004. **श्री सुरेश प्रभु :**
श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 'इसरो' में क्रायोजेनिक इंजन के विकास हेतु कितनी धनराशि का आवेदन किया गया है तथा अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रूस द्वारा क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति किए जाने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तीसरी श्रृंखला के संचार उपग्रह छोड़ने के संबंध में 'इसरो' द्वारा क्या प्रगति की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) सरकार ने 335.89 करोड़ रुपये की लागत से स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पर 31 मार्च, 1997 तक लगभग 150 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।

(ख) क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इंजिन का डिजाइन पूरा हो गया है तथा इंजीनियरी मॉडल को पूरा करने का कार्य चल रहा है। चरण का विस्तृत डिजाइन पूरा हो गया है। इंजिन और चरण के संविरचन और जांच के लिए आवश्यक सुविधाएं तैयारी के अग्रिम चरण में हैं। एक-टन वर्ग के दाब भारित क्रायो इंजिन का सफलतापूर्वक विकास किया गया है, जो बड़े इंजिन के निर्माण के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है।

(ग) और (घ) विदेश से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बंद हो जाने के कारण स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के विकास की आवश्यकता हुई। इस स्थिति में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रूस केवल चरणों की ही आपूर्ति कर रहा है। क्रायोजेनिक चरण का विकास कार्य निर्धारित योजना के अनुसार प्रगति में है।

(ङ) तीसरी पीढ़ी के संचार उपग्रह (इनसैट-3) श्रृंखला के अभिलक्षणों को परिभाषित कर दिया गया है। इस श्रृंखला के प्रथम अन्तरिक्षयान का निर्माण कार्य 1997-98 के वित्तीय वर्ष में शुरू होगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस श्रृंखला में चार उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है।

असंगठित श्रमिकों के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण

5005. **श्री पी.वी. राजेश्वर राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषतः आंध्र प्रदेश में, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शिक्षा देने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए आरंभ की गयी योजनाओं का उन पर किये गये व्यय सहित वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

(आई.टी.आई.) की तरह परंपरागत शिल्प तथा भारतीय शिल्प कला में कमजोर बेसहारा बालकों के लिए कोई संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो यह संस्थान कब तक स्थापित किया जाएगा तथा इसके उद्देश्य क्या होंगे तथा इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है एवं एकत्रित की जा रही है।

श्रम न्यायालयों में लंबित पड़े मामले

5006. **श्री राजाभाऊ ठाकरे :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रम न्यायालयों की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार श्रम न्यायालयों में राज्य-वार लंबित पड़े मामलों की संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए श्रम न्यायालयों तथा मामलों को निपटाने के लिए राज्य-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) बढ़ते जा रहे बकाया मामलों को निपटाने के लिए राज्यों के परामर्श से तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को कोई सहायता दी गई है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रिलायंस के शेयरों में ऋण/निवेश

5007. **डॉ॰ हरि सिंह :**
श्री इलियास आजमी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों/सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में निवेश शेयर खरीदकर अथवा ऋण देकर बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो रिलायंस ग्रुप उद्योग की सभी कम्पनियों में शेयर खरीदकर अथवा ऋण देकर बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या ऐसे सारे ऋणों की वसूली कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऋण की बकाया राशि का संस्थान-वार/बैंक-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि बैंकों को अपनी अधिशेष निधियां कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, (पी.एस.यू.), द्वारा जारी म्युचुअल फंड के यूनिटों और बांडों में निवेश करने की अनुमति है। वर्तमान नीति के अनुसार, बैंकों को अधिमान कंपनी निकायों के शेयरों व अपरिवर्तनीय डिबेंचरों और पी.एस.यू. द्वारा जारी बांडों में असीमित धनराशि निवेश करने की छूट है। तथापि, विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण करने से पूर्व ऐसे निवेशों को ध्यान में रखना पड़ता है। साधारण शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और म्युचुअल फंड को यूनिटों में निवेश करना आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित सीमाओं की शर्तों पर आधारित है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, इन प्रतिभूतियों में एक वर्ष का निवेश गत वर्ष के वृद्धिशील जमाराशियों के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

बैंकों द्वारा किए गए ऐसे निवेशों पर आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा निगरानी रखी जाती है। आर.बी.आई. कंपनी-वार सूचना नहीं रखता है।

[अनुवाद]

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

5008. **श्री विजय गोयल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर परिव्यय में कुछ परिवर्तन करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति में किए गए परिवर्तनों को अन्तर्विष्ट करने वाली वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रेस विज्ञप्ति

विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति 1997-98

सरकार ने जून, 1996 में विदेशी वाणिज्यिक उधार की नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए व्यापक मार्गनिर्देश घोषित किए थे, जिनका उद्देश्य नीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना व प्रक्रिया को सरल बनाना था ताकि भारतीय उद्योग को निवेश व आर्थिक गतिविधि के लिए विदेशी पूंजी तक आसान पहुंच उपलब्ध करायी जा सके।

2. सरकार ने विद्यमान नीति की समीक्षा की है और पिछले वर्ष के अनुभव एवं उभरती हुई प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार मार्ग निर्देशों में संशोधन का निर्णय लिया है :

I. इस समय विद्युत, दूर संचार एवं रेलवे के क्षेत्रों में रुपया व्यय के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। इस नम्यता में निम्नलिखित आधारभूत क्षेत्रों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है :

(i) सड़क (पुलों सहित)

(ii) पत्तन

(iii) औद्योगिक पार्क; और,

(iv) शहरी आधारभूत ढांचा (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क में यथापरिभाषित जलापूर्ति, सफाई और मल-जल निकासी की परियोजनाएं।

II. धारता कंपनियों/प्रवर्त्तकों को अधारभूत ढांचे की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली सहायक कंपनी में इक्विटी निवेश के वित्त पोषण के लिए अधिकतम 50 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य तक विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाने की अनुमति दी जाएगी। यह नम्यता इसलिए दी जा रही है कि ताकि आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं में न्यूनतम घरेलू इक्विटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू निवेशकों को सक्षम बनाया जा सके।

III. इस समय परियोजना वित्त पोषण के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार पर ब्याज दर की सीमाएं "लिबोर"/अमरीकी राजकोष से 350 आधार बिन्दु तक ब्याज फैलाव की अनुमति देती हैं। उधारकर्त्ता को ऋण की कार्यनीति बनाने से अधिक नम्यता प्रदान करने के लिए ऊंची ब्याज दर पर अधीनस्थ ऋण के रूप में अनुमत्य ब्याज के 5 प्रतिशत तक की अनुमति देने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इकट्ठे लिए गए वरिष्ठ और अधीनस्थ ऋण के लिए मिश्रित कीमत-लागत अंतर परियोजना के वित्तपोषण की सीमा में आता हो।

IV. जो निगमित उधारकर्ता 10 वर्ष और 20 वर्ष की औसत परिपक्वता वाले दीर्घावधिक संसाधन जुटाने में सक्षम हैं उन्हें बगैर किसी उद्दिष्ट प्रयोग प्रतिबंध अर्थात् स्टाक बाजारों या स्थावर संपदा में निवेशों को छोड़कर सामान्य निगमित उद्देश्यों के लिए क्रमशः 100 मिलियन अमरीकी डालर और 200 मिलियन अमरीकी डालर तक की विदेशी वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों के प्रयोग की अनुमति होगी। इस प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए ऋण लिखत में कोई भी "मांग" अथवा "विक्रय" विकल्प शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे बताई गई परिपक्वताओं को कम करने की संभावना हो। इस खिड़की (विंडो) के माध्यम से लिए गए कुल ऋण विदेशी वाणिज्यिक उधार के लिए उधारकर्ता की हकदारी की समग्र सीमा के भीतर ही होंगे।

V. निगमित उधारकर्ताओं को भारतीय पोत-कारखानों से जहाज/पोत प्राप्त करने के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाने की अनुमति होगी।

VI. निर्यातकों को बगैर उद्दिष्ट प्रयोग प्रतिबंध के अधिकतम 15 मिलियन अमरीकी डालर के अधीन पिछले तीन वर्षों की उनकी औसत निर्यात आय के स्तर तक उधार लेने की वर्तमान योजना को निम्नानुसार उदार बनाया जाएगा :

निर्यातकों को बगैर किसी उद्दिष्ट प्रयोग प्रतिबंध अर्थात स्टाक बाजारों या स्थावर संपदा में निवेशों को छोड़कर अधिकतम 100 मिलियन अमरीकी डालर की शर्त के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक निर्यातकों की औसत राशि के दुगुने तक विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाने की अनुमति होगी। न्यूनतम औसत परिपक्वता 15 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य तक तीन वर्ष और 15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक शेष राशि के लिए सात वर्ष होगी। किसी एक वर्ष में हकदारी का अधिकतम स्तर संचित सीमा है और विद्यमान 15 मिलियन अमरीकी डालर निर्यातक स्कीम के अन्तर्गत बकाया ऋण को वार्षिक पात्रता निर्धारित करने के लिए घटा दिया जाएगा।

VII. बांडों/एफ.आर.एन./संघटित ऋणों के माध्यम से पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण जुटाने वाले निगमित उधारकर्त्ताओं को भारत में निधियां भेजने और पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का वास्तव में आयात किए जाने तक अथवा एक वर्ष तक, इनमें से जो भी पहले हो अंतरिम उपाय के तौर पर इनका स्टाक बाजार अथवा स्थावर संपदा में निवेश छोड़कर, अपने कारोबारी निर्णय के अनुसार निवेश करने की अनुमति होगी। यदि उधारकर्ता अनुमोदित उद्दिष्ट प्रयोग की आवश्यकता पड़ने तक निधियों का विदेशों में निवेश करने का निर्णय

लेते हैं तो वे भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसा कर सकते हैं।

3. विदेशी वाणिज्यिक उधारों की नीतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में 19 जून, 1996 को जारी किए गए मार्गनिर्देशों में दी गई अन्य शर्तें लागू रहेगी। विदेशी वाणिज्यिक उधारों की नीतियों और प्रक्रियाओं संबंधी समेकित मार्गनिर्देशों जिसमें उल्लिखित संशोधन भी सम्मिलित हैं, शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

4. ये परिवर्तन पहली अप्रैल, 1997 से प्रभावी होंगे।

5. संशोधन का उद्देश्य महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना क्षेत्रों में निवेशकों को प्राथमिकता देना और अपेक्षाकृत अधिक नम्यता प्रदान करना, विदेशी वाणिज्यिक उधारों तक पहुंच के लिए निर्यातकों को प्राथमिकता देना और दीर्घावधिक ऋण लेने वालों को अतिरिक्त नम्यता प्रदान करना है। अनुमोदनों की कुल मात्रा का विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध के अनुरूप सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण किया जाएगा।

एफ सं0 4(1)/97-ई.सी.बी. नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 1997

प्रेस सूचना ब्यूरो से अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञप्ति का व्यापक रूप से प्रचार करें।

ह0/-
(यू0 शरत चन्द्रन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रेस सूचना अधिकारी,
प्रेस सूचना ब्यूरो,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

बाल श्रम

5009. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों से एक हजार से अधिक बाल श्रमिक 30-31 मार्च, 1997 को जूरी के समक्ष अपने खोये हुए बचपन की दास्तां/सार्वजनिक सुनवाई के लिए और एक सम्मेलन में भाग लेने के लिये राजधानी में एकत्रित हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या थी; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ।

(ख) सार्वजनिक सुनवाई में की गई प्रमुख मांगों और सिफारिशों में, अन्यों के साथ-साथ सभी बालकों को मुफ्त, अनिवार्य, संगत और गुणकारी प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रावधान करना सभी क्षेत्रों में 14 वर्षों तक की आयु के बालकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध करना और सर्वोच्च न्यायालय के 10 दिसम्बर, 1996 के फैसले में दिए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से प्रवर्तन करना शामिल थे।

(ग) सरकार सभी व्यवसायों और उद्योगों से बाल श्रम को समाप्त करने और मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने इस संबंध में पहले ही अनेक कदम उठाए हैं और इन प्रयासों को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन का उद्देश्य पूरा न हो जाए। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों ने भी बाल श्रम संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

कपड़ा मिलों के बेरोजगार कामगारों को विधिक देयताएं

5010. श्री सनत मेहता : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई और गुजरात में कपड़ा मिलों के बंद होने अथवा परिसमापन के कारण कुल कितने कामगार बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कामगारों को विधिक देयताओं के भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुम्बई और गुजरात की मिलों में अनुमानतः कितने कपड़ा मजदूर बेरोजगार हो गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल की खोज

5011. श्री अंचल दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तेल और गैस क्षेत्रों की खोज के लिये योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार की उड़ीसा में तेल/गैस की खोज का काम आयल इंडिया की अपेक्षा निजी एजेंसियों/तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सौंपे जाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना के अंतर्गत उड़ीसा में तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत, तेल एवं गैस के अन्वेषण के संबध में सभी संभावना वाले क्षेत्रों को, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, निजी/सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निवेश किए जाने हेतु पूरी तरह खोल दिए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

इण्डियन कॉउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स

5012. डॉ॰ अरविन्द शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली स्थिति इण्डियन कॉउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (सप्रू हाउस) जो कि एक ही विश्व प्रसिद्ध संस्थान है, का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इसके स्तर को सुधारने, संस्थान की सम्पत्ति के दुरूपयोग को रोकने और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं तथा सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मद-वार कितनी सहायता प्रदान की है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हाँ। सरकार को संसद सदस्यों, शिक्षाविदों, अन्य प्रमुख व्यक्तियों तथा आई.सी.डब्ल्यू.ए. इम्पलाईज ट्रेड यूनियन के जरिए भारतीय विश्व कार्य परिषद के असंतोषजनक कार्य, सप्रू हाउस पुस्तकालय की बिगड़ती स्थिति, मंहगाई भत्ते/अतिरिक्त मंहगाई भत्ते आदि की अदायगी न करने के बारे में इसके कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) चूंकि भारतीय विश्व कार्य परिषद एक स्वायत्त निकाय है जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1886 के अन्तर्गत पंजीकृत है, अतः विदेश मंत्रालय का इस परिषद के कार्य पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। मार्च, 1993 में सरकार ने परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि भारतीय विश्व कार्य परिषद के कार्यों की जांच करने के लिए कए उच्चाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षकीय/सलाहकार समिति का गठन करने के लिए शासी निकाय से एक संकल्प पारित कराए जिसमें उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के तौर-तरीकों की सिफारिश की गई हो। मौखिक और लिखित रूप में कई अनुस्मारकों के बावजूद परिषद के अध्यक्ष ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

सरकार ने पिछले दस वर्षों से परिषद को किसी प्रकार की वित्तीय अथवा अन्य कोई सहायता नहीं दी है।

चीन-पाकिस्तान सैन्य समझौता

5013. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1997 के "पाईनीयर" में "चाइना-पाक मिलिट्री टाईज वरी इन्डिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चीन द्वारा पाकिस्तान को गुप्त आसूचना जानकारी सहित सैन्य हथियारों की सप्लाई के कारण राष्ट्र की सुरक्षा को हानि पहुचंने से उप-महाद्वीप में शक्ति संतुलन बिगड़ गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने चीन सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब और चीन की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) सरकार ने 10 अप्रैल, 1997 के "पायनीयर" में "चायना-पाक मिलिट्री टाईज वरी इन्डिया" शीर्षक से प्रकाशित खबर देखी है।

(ख) से (ङ) सरकार को पाकिस्तान के लिए चीनी हथियारों और हथियारों से संबद्ध प्रोद्योगिकी की आपूर्ति सहित चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापक रक्षा सहयोग की जानकारी है। सरकार को नाभिकीय हथियारों और मिसाईलों के विकास संबंधी पाकिस्तान के कार्यक्रम के साथ चीन की संलिप्तता की जानकारी भी है। सरकार चीनी पक्ष के साथ इस मसले को समय-समय पर उठाती रही है और इस विषय में अपनी चिन्ताओं से सुचित कर दिया है। चीन की सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति उसके सामान्य द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है, जो कि सीमित प्रकृति की है तथा संगत अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत उसकी बाध्यताओं का उल्लंघन नहीं करती है। सरकार उन सभी घटनाओं पर निकट से निगाह रखती है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है तथा राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए समुचित उपाय करती है।

रसोई गैस का अभाव

5014. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री डरिन पाठक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रसोई गैस सिलिंडरों की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन क्षेत्रों में इस कमी की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) वर्तमान कमी के कारण क्या हैं; और

(घ) रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) अखिल भरतीय परिवहनकर्त्ता संघ की हड़ताल की वजह से अपर्याप्त थोक/डिब्बा बंद एल.पी.जी. प्रेषण के कारण अप्रैल, 97 के दौरान मुख्यतः दक्षिणी/पश्चिमी क्षेत्रों में एल.पी.जी. बैकलाग में वृध्दि हुई।

(घ) प्रभावित क्षेत्रों को एल.पी.जी. सिलिंडरों की आपूर्तियां बढ़ाने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है;

(1) अधिकतम संख्या में सिलिन्डरों को भरने तथा इन्हें प्रभावित क्षेत्रों को प्रेषित करने के लिए भरण संयंत्रों का रविवारों/छुट्टी के दिनों में तथा दैनिक आधार पर वर्धित घंटों के लिए भी प्रचालन करना।

(2) प्रभावित बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य विपणन कंपनियों से सहायता लेने की व्यवस्था करना।

(3) पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हजीरा तथा पुणे भरण संयंत्रों से दक्षिणी क्षेत्र के लिए एल.पी.जी. सिलिन्डरों के अन्तर्राज्यीय प्रेषण की व्यवस्था करना।

(4) बैकलाग की दैनिक स्थिति की निगरानी करना तथा सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करना।

[अनुवाद]

बकाया राशियाँ

5015. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या प्रधान मंत्री बिना बारी के आबंटन के बारे में लोक सभा में 19 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न सं0 3950 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन व्यक्तियों के पास अनधिकृत रूप से सरकारी मकान है, उनमें से प्रत्येक पर 31.3.95 तक बकाया राशि, प्रत्येक मामले में सी.सी.ए. द्वारा आदेश दिये गये किराया माफी की राशि तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति से अभी तक वसूली गयी बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक सरकारी आवासों में रह रहे व्यक्तियों और प्रत्येक पर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 23 दिसम्बर, 1996 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्तियों से देय वसूली और सरकारी मकान खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है। जिसमें संगत सूचना दी गयी है।

(ग) विवरण-II संलग्न है जिसमे संगत सूचना दी गयी है।

(घ) उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी आवास खाली करने और बकाया राशि वसूलने के लिए आबंटियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रत्येक मामलें में पहले वाली अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण I और II में दर्शायी गई है।

विवरण-I

उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार बकाया राशि मामलों को माफ करने के लिए नोटिस जारी किए गये हैं

क्र सं.	नाम तथा क्वार्टर सं0	सरकारी निर्णय की तारीख	अधिक प्रवास की अवधि	बकाया राशि	वसूल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	एस.पी. शुक्ला, ओ.एस.डी. कैबिनेट सचिवालय, एबी-86 शाहजहां रोड़	21.7.92	1.7.92 से 26.8.92 तक	16,261.00	16261 पूरा भुगतान 11.4.97 को मिला।
2.	वी.के. नाम्बियार, राजदूत, काबुल, डी-1/80, भारती नगर	21.7.92	1.2.91 से 10.1.93 तक	120638.00	शून्य

1	2	3	4	5	6
3.	एस.पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर कस्टम, डी-11/41, काकानगर	21.7.92	1.6.90 से 30.11.91 तक	70958.00	शून्य
4.	एस.वी. अय्यर, महानिदेशक, सेंटरल ईसीओ-आईबी, सी-11/9, मोती बाग	21.7.92	1.1.92 से 21.10.92 तक	72400.00	-
5.	डॉ॰ जे.पी. सिंह, 51, लोदी एस्टेट	21.7.92	1.2.89 से 26.10.89 तक	69074.00	-
6.	के.के. माथुर मुख्य सचिव, गोवा, बी-6-11(एम.एस.) एस-13, आर.के. पुरम	21.7.92	3.5.83 से 2.11.83 तक	3407.00	-
7.	तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य सचिव, सी-1/39, पंडारा पार्क	21.7.92	14.3.91 से 31.5.92 तक	109628.00	- -
8.	स्व0 श्री सुरेन्द्र नाथ, राज्यपाल 68, लोदी एस्टेट	21.7.92	7.8.91 से 8.8.94 तक	364960.00	-
9.	आर.नारायण स्वामी, मुख्य सचिव अरूणाचल डी-11/330, पंडारा रोड़	21.7.92	20.7.87 से 21.12.87 तक	8830.00	-
10.	एच.के.एल.भगत, भूतपूर्व सांसद, 34-पृथ्वीराज राज रोड़	21.7.92	20.6.91 से 30.10.95 तक	1573376.00	-
11.	एस.वी. सुब्रामणियम्, अध्यक्ष, आई.डब्ल्यू.ए.आई.डी.-1/16, सत्य मार्ग	21.7.92	29.1.90 से 28.1.93 तक	148122.00	-
12.	सुखदेव प्रसाद, भूतपूर्व सांसद, तथा भूतपूर्व राज्यपाल, राजस्थान, 14-तीनमूर्ति लेन	21.7.92	16.3.86 से 11.5.90 तक	23392.00	-
13.	श्रीमती अकबरजहॉन, पूर्व सांसद, 9-सफदरजंग लेन	21.7.92	27.12.89 से 26.12.94 तक	778302.00	-
14.	जी. पार्थसारथी, भूतपूर्व अध्यक्ष, नीतिसलाहकार आयोग, 49, लोदी एस्टेट	21.7.92	1.9.87 से 20.4.93 तक	शून्य	-
15.	जे.सी.लीन, अध्यक्ष, एफ.सी.आई. सी-11/65, मोती बाग	21.7.92	19.2.91 से 22.12.92 तक	152779.00	पूरा भुगतान 152779 21.4.97 को मिला।
16.	श्रीमती एस. सत्यभामा, सीएमडी राष्ट्रीय बीज निगम, डी-1/73, भारती नगर	21.7.92	1.7.90 से 30.8.91 तक	39467.00	-
17.	वजाहत् हबीबुल्लाह डी-1/69, रवीन्द्र नगर	21.7.92	11.10.92 से 20.6.92 तक	55943.00	-
18.	रमेश भंडारी, उपाध्यक्ष 40वीं स्वाधीनता आयोजन समिति, 18, अशोक रोड़	21.7.92	1.12.96 से 30.3.90 तक	शून्य	-

	1	2	3	4	5	6
19.	डॉ॰ वी.एस. अरुणाचलम, वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा मंत्री, 82, लोदी एस्टेट	21.7.92	1.6.92 से 16.10.94 तक	363121.00	-	
20.	जी. वेंकटारमण, आई.ए.एस. 3/2, एम.एस. शाहजहाँ रोड़	17.9.92	16.7.90 से 2.1.91 तक	13924.000	13924.00 पूरा भुगतान 21.4.97 को मिला	
21.	वी.के. सिन्हा, आई.आर.एस., डी-1/117, रवीन्द्र नगर	17.9.92	6.11.89 से 15.4.91 तक	50907.00	-	
22.	वी.यू.वीरदी, सदस्य कर सुधार समिति, डी-1/62, भारती नगर	17.9.92	1.1.92 से 14.5.92 तक	22984.00	-	
23.	एस.वी. सिरोही, डी.आई.जी. डीएसएफ, डी-11/5/4, एन्ड्रयूजगंज	17.9.92	17.5.91 से 5.5.92 तक	52986.00	-	
24.	प्रदीप कुमार जैन, मार्फत स्व0 श्री जैनेन्द्र कुमार जैन डी-1/35, भारती नगर	17.9.92	24.12.88 से 31.12.92 तक	209250.00	-	
25.	मुख्ती मौ0 सईद, 10, अकबर रोड़	17.9.92	13.4.91 से 28.11.91 तक	108454.00	-	
26.	आर.सी. विकल, सांसद 5, डुप्लेक्स रोड़	17.9.92	2.5.90 से 6.7.90 तक	26039.00	-	
27.	एस.ए.मोगा, ए.पी.एस., उद्योग मंत्रालय, 12/236, लोदी कालोनी	17.9.92	17.8.90 से 20.6.91 तक	14305.00	-	
1993						
1.	एस. मुखोपाध्याय, महानिदेशक राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादकर तथा नशीले पदार्थ अकादमी, दिल्ली, डी-8-1, एम.एस. फ्लैट, एस-13, आर.के. पुरम	26.2.93	29.2.92 से 31.5.92 तक	16978.00	-	
2.	एम.सी. गुप्ता, सदस्य सचिव 10वाँ, वित्त आयोग सी-11/31, तिलक लेन	26.2.93	17.12.91 से 23.3.92 तक	20148.00	20148.00 1.5.97 को पूरा भुगतान किया।	
3.	जे.पी. दुबे, पुलिस महानिरीक्षक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, डी-11/एम-2791, नेताजी नगर	26.2.93	20.6.91 से 2.8.92 तक	70920.00	शून्य	
4.	नवल किशोर शर्मा, पूर्व सांसद बंगला नं0 3, कृष्णा मैनन मार्ग,	26.2.93	27.12.89 से 2.1.90 तक	17924.00	शून्य	

1	2	3	4	5	6
5.	स्व॰ डॉ॰ जी.एस. ढिल्लो, पूर्व सभापति (लोक-सभा) सी-1/11, पंडारा पार्क	26.2.93	27.12.89 से 30.7.90 तक	135739.00	शून्य
6.	सैयद मीर कासिम, स्वतंत्रता सेनानी ए-21/87, लोदी कालोनी	26.2.93	15.5.90 से 11.6.90 तक	1995.00	1460 रु0 भुगतान किया शेष 535/- रुपये
7.	स्व॰ श्री सी.पी.एन.सिंह, पूर्व सांसद 2, अकबर रोड़	26.2.93	26.1.90 से 19.3.90 तक	39296.00	शून्य
8.	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, पूर्व मंत्री एबी-96, शाहजहां रोड़	26.2.93	14.2.88 से 14.3.89 तक	78009.00	-
9.	श्रीमती अमरजीत कौर, विधवा स्व0 श्री भाई समिन्दर सिंह बी-2, बी.के.एस. मार्ग	26.2.93	8.8.91 से 7.8.93 तक	129685.00	-
10.	श्रीमती पामेला सिंह, पूर्व आथित्य सलाहकार डी-1/55, भारती नगर	26.2.93	1.1.92 से 30.4.93 तक	105184.00	-
11.	आर.एल.प्रदीप, अपर सचिव सी-1/10, पंडारा पार्क	26.2.93	16.9.90 से 17.1.91 तक	46,587.00	-
12.	जे.एस. उप्पल, आयुक्त पशु पालन तथा डेरी विभाग डी-1/72, चाणक्यपुरी	3.5.93	1.8.87 से 27.11.88 तक	35037.00	-
13.	ए.जे. क्लेक्स, नागालैंड के राज्यपाल के एस.ए., डी-1/193, भारती नगर	3.5.93	1.8.90 से 2.7.92 तक	111220.00	-
14.	न्यायमूर्ति आर.सी. पाटनायक, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 15, तुगलक रोड़	3.5.93	30.6.92 से 2.7.92 तक	322.00	-
15.	न्यायमूर्ति एम.के. चावला दिल्ली उच्च न्यायालय 18, अशोक नगर	3.5.93	5.8.91 से 30.10.91 तक	178260.00	2.4.97 को 44854 रुपये प्राप्त हुए
16.	डॉ॰ आई.एन.खुसु, वैज्ञानिक एबी-817, शाहजहां रोड़	7.7.93	15.1.91 से 29.2.92 तक	43960.00	-
17.	आर.सी. जैन, पूर्व सचिव, सी-11/81, मोतीबाग	7.7.93	1.10.91 से 1.4.94 तक	216275.00	-
18.	स्व॰ एम.ए. बालासुब्रामणियम, संयुक्त निदेशक, एस.एस.बी. निदेशालय, डी-11/299, विनय मार्ग	7.7.93	3.3.91 से 30.9.93 तक	175732.00	शून्य भुगतान

1	2	3	4	5	6
19.	लोकपति त्रिपाठी पुत्र श्री कमलापति त्रिपाठी 9, जनपथ	7.7.93	7.11.90 से 14.10.91 तक	365031.00	शून्य
20.	स्व० श्री अमीन अंसारी 12, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड़ का परिवार	7.7.93	14.9.90 से 22.1.91	21.336.00	भुगतान शून्य
21.	एच.पी.सिंह 2, आई.सी.,बी.एस.एफ. पंजाब, ए-730, सी.आर.हास्टल	7.7.93	31.1.92 से 21.10.95	2,00,621.00	शून्य
22.	सुधीर शर्मा, हटा दिया गया है।				
23.	डॉ० श्रीमती बी. करोली 9, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड़	7.7.93	1.6.92 से 31.5.95	7,05,442.00	-
24.	डॉ० श्रीमती रेणुका के. निगम, ए-2, बी.के.एस.मार्ग	7.7.93	7.7.93 से 6.7.96	1,76,530.00	-
25.	आर.के.शर्मा, महानिरीक्षक सी.आर.पी.एफ., पंजाब एफ-5/3, एम.एस./एस-13, आर.के. पुरम	7.9.93	जुलाई,92 से 31.12.92	1,09,779.00	-
26.	उर्मीलेश झा, स्तवंतत्रता सेनानी 508, ए/सैक्ट.-3, आर.के. पुरम (टाइप-4)	7.9.93	7.9.88 से 31.12.92	1,37,773.00	12397/-
27.	स्व० श्री रामजी लाल अधी0इंजी0के.लो.नि. वि., 24/1, एम.बी.रोड़	7.9.93	3.11.91 से 31.12.92	41,263.00	64,660/-
28.	कौशल कुमार, भूतपूर्व उपाध्यक्ष के.प्र.न्या.जोधपुर सी-1/35, पंडारा पार्क	7.9.93	6.9.89 से 4.11.89	6,460.00	11.4.97 को पूरा भुगतान प्राप्त किया
29.	बी.एस.रामूवालिया पूर्व सांसद, 15, फिरोजशाह रोड़	7.9.93	27.12.89 से 10.5.90	31,906.00	शून्य
30.	बी. भट्टाचार्यजी, संयुक्त सचिव, ए-7-3, एम.एस., आर.के.पुरम	22.12.93	13.6.89 से 30.4.93	2,00,433.00	-
31.	बी.एस.जफा, सलाहकार दसवां वित्त आयोग बी-1/57, सत्यमार्ग	22.12.93	1.7.92 से 30.11.94	2,19,713.00	-
32.	बी.के. गोस्वामी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार, सी-2/45, बापानगर	22.12.93	1.2.93 से 1.1.94	91,456.00	2.4.97 को पूरा भुगतान प्राप्त किया

1	2	3	4	5	6
33.	ओ.पी. टंडन राजस्थान के राज्यपाल के सलाहकार, सी-2, तिलक मार्ग	22.12.93	16.12.92 से 4.1.94	1,21,224.00	
34.	दिनेश गोस्वामी पूर्वमंत्री, 11, रेसकोर्स रोड़	22.12.93	10.12.90 से 14.8.91	61,858.00	-
35.	श्रीमती धर्मकम्मा स्टीफन पूर्वमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग सी-1/32, पंडारा पार्क	22.12.93	20.9.90 से 20.12.90	शून्य	-
36.	आई.के. बडठाकुर परामर्शदाता आर्थिक कार्य विभाग, सी-1/38, पंडारा पार्क	22.12.93	1.5.93 से 30.4.94	1,10,380.00	
	1994				
1.	श्री के.एन. राव	10.10.94	1.7.91 से 31.1.94	शून्य	-
2.	श्रीमती रमा देवी अवैतनिक सलाहकार राष्ट्रीय महिला आयोग ए.बी.-93, शाहजहां रोड़	10.2.94	1.10.92 से 30.6.93	93,936.00	-
3.	श्री भगवत झा आजाद पूर्व सांसद लोक सभा 7, अशोक रोड़	10.10.94	18.3.98 से 5.4.90	3,30,046.00	
4.	स्व॰ श्री दिनेश सिंह पूर्व मंत्री, 1, त्यागराज मार्ग	10.2.94	20.1.91 से 16.1.93	7,13,900.00	-
5.	पी.एस. बावा, पुलिस महानिरीक्षक, रामसिंह, सिक्किम डी-1/58, रविन्द्र नगर	28.3.94	17.9.93 से 31.10.95	1,85,215.00	-
6.	आर.सी. जैन, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के भूतपूर्व सलाहकार सी-2/81, मोती बाग	28.3.94	1.2.93 से 12.6.93	1993 के क्रम संख्या 17 में शामिल	-
7.	आर.के. सहवेद, भाचायी अल्पसंख्यक के आयुक्त सी-2/24, तिलकलेन	28.3.94	1.10.90 से 3.4.91	14,048.00	-
8.	पी. शिवशंकर, पूर्व सांसद राज्यसभा, 2 विलिंगटन क्रिसेंट	28.3.94	13.9.93 से 12.12.94	1,98,836.00	-

1	2	3	4	5	6
9.	एस. के. दत्ता 22, तुगलक क्रिसेंट	28.3.94	1.8.93 से 19.9.93	शून्य	-
10.	के.जे.एस. चतरथ निवासी आयुक्त उड़ीसा डी-2/1, शाहजहां रोड़	28.3.94	1.1.88 से 9.10.88	25,813.00	-
11.	दलजीत सिंह भूतपूर्व महानिरीक्षक बी.एस.एफ., ओ-2-1, आर.के.पुरम	7.6.94	1.7.92 से 31.3.93	1,07,501.00	-
12.	भीमसिंह, पूर्व एम.एल.ए. अध्यक्ष, पैन्थर पार्टी, एस-48, एस.आर.-42, बी.पी. हाऊस	7.6.94	2.4.93 से 2.10.94	332.00	332.00/-
13.	के.के. पुरी 10-बी, राजाजी मार्ग,	7.6.94	1.1.92 से 18.2.92	15,881.00	21.4.97 को पूरा भुगतान प्राप्त
14.	के. किपगिन संयुक्त सचिव, सी-1/18, पंडारा पार्क	7.6.94	1.1.92 से 18.2.92	15,043.00	-
15.	सुश्री सरोज खापरडे सांसद, राज्य सभा 98-100, साउथ एवेन्यू	7.6.94	12.5.85 से 1.1.90	62,689.00	-
16.	ए.आर. बन्दोपाध्याय पूर्व अवर सचिव, डी-1/200 चाणक्यपुरी	7.6.94	1.12.93 से 31.12.93	7,466.00	27.3.97 को पूरा भुगतान प्राप्त
17.	वी.जी. वैद्य निदेशक, सतर्कता ब्यूरो 9-तुगलक रोड़	7.6.94	15.4.94 से 31.9.94	5,694.00	25.4.97 को पूरा भुगतान प्राप्त
18.	आर.के. गुप्ता भूतपूर्व संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार 5-बी, टेलीग्राफ लेन	26.8.94	1.5.91 से 31.5.91	5,008.00	-
19.	अरविन्द मायाराम उप सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, डी-2/57, काका नगर	26.8.94	24.8.92 से 11.12.92	1,00,199.00	
20.	श्रीमती आर.के. वाजपेयी पूर्व मंत्री, 6 अशोक रोड़	26.8.94	20.6.91 से 11.11.92	4,01,738.00	-
21.	आर.के. थवानी, महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व एवं सीमा शुल्क, ई-48, हैदराबाद स्टेट, मुम्बई	26.8.94	19.1.94 से 18.5.94	58,925.00	-

1	2	3	4	5	6
22.	लालखामा, महानिदेशक (सी.ए.पी.ए.आर.टी.) (सी)/ 8, लोधी गार्डन	26.8.94	18.8.92 से 21.12.94	1,50,284.00	-
23.	श्रीमती रणवीर कौर ढिल्लो, विधवा श्री जी.एस.ढिल्लो स्पीकर लोक सभा, सी-1/2, पंडारा पार्क	26.8.94	24.3.92 से 31.10.95	3,93,489.00	
24.	वी.के. मल्होत्रा 6, डाक्टर, वी.डी. मार्ग	12.12.94	23.6.91 से 28.2.94	1,25,761.00	-
25.	वसंत साठे, 2, कृष्ण मेनन मार्ग	12.12.94	20.6.91 से 4.10.93	6,97,899.00	-
26.	आ० श्रीकुमार ए-332, प्रगति विहार हास्टल	12.12.94	10.10.92 से 31.7.93	22,953.00	-
27.	डॉ० (श्रीमती) कपिला वात्सायन, डी-1/23, सत्यमार्ग	12.12.94	1.4.93 से 31.3.96	1,69,628.00	इस राशि के लिए दिया गया नोटिस वापस लिया गया
	1995				
1.	आई.रामामोहन राव जम्मू व कश्मीर के सूचना सलाहकार डी-1/33, सत्य मार्ग	24.2.95	1.6.92 से 31.10.95	3,06,284.00	-
2.	जे.आर. अन्सारी, भूतपूर्व मंत्री 9, अकबर रोड़	24.2.95	1.4.73 से 15.2.90	97,766.00	-
3.	एच.एन.शर्मा, भूतपूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर के भूतपूर्व निजी सचिव सी-11/51, चाणक्यपुरी	24.2.95	10.10.91 से 31.12.94	3,86,464.00	-
4.	श्रीमती मोहसिना किदवई भूतपूर्व मंत्री, 12, जनपथ	2.1.90 24.2.95	2.1.90 से 28.3.90	51,303.00	-
5.	बी. नरसिंहन, स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, सी-11/48, तिलक मार्ग	24.2.95	3.4.93 से 15.4.93	3,169,00	23.4.97 को पूरे आंकड़े प्राप्त किए
6.	बी.एन.सोम अपर पोस्ट मास्टर जनरल सी-11/2, शाहजहां रोड़	24.2.95	1.8.88 से 1.6.87	29097.00	-

1	2	3	4	5	6
7.	एल.एस. मिश्रा, महानिदेशक (सी.एस.पी.ए.आर.टी.) सी-11/35, मोती बाग	24.2.95	6.1.94 से 5.11.94	6,18,90.00	-
8.	न्यायाधीश महेश चन्द्र ए.बी.-10, पुराना किला रोड़	24.2.95	1.11.91 से 25.5.96	6,18,090.00	-
9.	श्रीमती कृष्णा साही, मंत्री 7, तीन मूर्ति मार्ग	24.2.95	2.1.90 से 28.3.90	10941.00	-
10.	एम.एम. हासिम, सांसद (राज्य सभा) ए.बी.-19, तिलक मार्ग	24.2.95	8.4.91 से 31.10.95	26,000.00	-
11.	सुश्री राज ऊषा चोपड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, 6, टेलीग्राफ लेन	24.2.95	1.10.90 से 12.6.92	24,1293.00	-
12.	आर.के. भार्गव, सचिव सूचना एवं प्रसारण ए.बी.-88, शाहजहां रोड़	24.2.95	1.7.94 से 7.1.95	50,584.00	-
13.	एम.एस. चौधरी, महानिदेशक बी.आई.एस., सी-1/20, हुमायूँ रोड़	10.5.95	23.12.95 से 31.10.95	17,6787.00	-
14.	नजामस साक्यूब डी-2/306 विनय मार्ग	10.5.95	11.7.93 से 31.10.95	161504.00	-
15.	डॉ॰ एन.पी. सिंह 147, नार्थ एवेन्यू	10.5.95	1.12.89 से 31.10.95	307893.00	-
16.	जी.वी.जी. कृष्णामूर्ति भूतपर्व सदस्य सचिव, विधि आयोग, 9बी, डॉ॰ जाकिर हुसैन मार्ग	10.5.95	1.8.93 से 30.9.93	-	-
17.	ई.एन. राममोहन महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल बी-2/5/2, लोधी रोड़ परिसर	10.5.95	4.12.92 से 18.2.93	-	-
18.	के.एन. जोशीपुरा संयुक्त निदेशक, डी.जी.सी.ए. सी.आर. तिलक लेन	10.5.95	1.12.93 से 1.8.94	-	-
19.	श्रीमती वैजंतीमाला बाली सांसद राज्य सभा 76, लोधी स्टेट	10.5.95	20.6.91 से 28.5.93	369248.00	2500
20.	न्यायाधीश बी.एन. कृपाल पूर्व न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय 37, औरंगजेब रोड़	10.5.95	13.1.94 से 4.3.94	43335.00	-

1	2	3	4	5	6
21.	आर.एन.मिर्धा, सांसद 17, सफदरजंग रोड़	10.5.95	2.1.90 से 25.3.90	11596.00	-
22.	जितेन्द्र प्रसाद, सांसद 60, लोदी स्टेट ..	10.5.95	27.12.89 से 26.8.90	43689.00	-
23.	एस. कानूनगो 83, शाहजहां रोड़	10.5.95	1.12.94 से 18.7.95	87247.00	-
24.	एम.सी. नरसिंहन संयुक्त सचिव, सी-11/10, तिलक मार्ग	10.5.95	1.5.87 से 28.5.89	35060.00	-
25.	एस.एस. खान, उपायुक्त मध्य प्रदेश सरकार ई-11-87, ए.जी.वी.परिसर	10.5.95	5.4.94 से 30.6.95	108215.00	-
26.	देवेन्द्र नाथ द्विवेदी ए.एस.जी. 1-बी, मौलाना आजाद रोड़	6.10.95	3.3.95 से 31.3.96	312694.00	-
27.	पं0 रवि शंकर, सलाहकार 95, लोधी स्टेट	6.10.95	11.6.92 से 31.10.95	493825.00	-
28.	ओम् मेहता 30, पृथ्वी राज रोड़	6.10.95	12.3.95 से 31.10.95	347740.00	-
29.	ई.वी.मडिशी पूर्व विशेष कार्याधिकारी, प्रधानमंत्री, सी-11/23, बापानगर	6.10.95	24.11.92 से 5.10.95	शून्य	शून्य
30.	बी.एन.पाण्डेय, पूर्व सांसद राज्य सभा 1, लोधी स्टेट	6.10.95	24.12.92 से 31.10.95	156160.00	शून्य
31.	शरद पवार, पूर्व सांसद 5, जनपथ	6.10.905	14.3.95 से 3.10.96	शून्य	शून्य
32.	मु0 युनूस, पूर्व सांसद राज्य सभा 1, तुगलक रोड़	6.10.95	14.10.95 से 31.10.95	143394.00	-
33.	एम.के. झांडू, सेवा निवृत्त अवर सचिव, बी-32, नानक पूरा	6.10.95	1.4.94 से 6.10.95	53824.00	2979.00
34.	देवकी नन्दन पाण्डेय, 19, लक्ष्मी वाई नगर,	6.12.92 से 3.2.94		32056.00	7.4.97 को पूरा भुगतान प्राप्त
35.	इन्द्रानी देवी, 6, कृष्णा मेनन मार्ग	2.11.91 से 30.10.95		शून्य	

1	2	3	4	5	6
36.	श्रीमती प्रधान कौर पत्नी स्व० ज्ञानी जैल सिंह 4 सरक्यूलर रोड़	1.4.95 से 31.10.95		247343.00	–
37.	विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधान मंत्री 1, तीनमूर्ति मार्ग	1.4.94 से 31.10.95		शून्य	–

विवरण-II

सरकारी धन की माफी वाले 127 मामलों की सूची में शामिल व्यक्तियों के नाम जिनके दखल में अब भी सरकारी वास है उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	नाम और आवास	देय राशि
1.	डॉ० (श्रीमती) बी. करौली 9,जी.आर.जी. रोड़	14,14,973.00
2.	डॉ० (श्रीमती) आर.के.निगम ए-2, (एम.एस.) बी.के.एस.मार्ग	4,21,706.00
3.	श्रीमती आर.के. ढिल्लो सी-1/11, पंडारा पार्क	6,70,527.00
4.	स्व० ज्ञानी जैल सिंह का परिवार, 4, सरक्यूलर रोड़	10,85,768.00
5.	श्रीमती अमरजीत कौर बी-2, बी.के.एस. मार्ग	5,99,848.00
6.	श्री एच.पी. सिंह ए-703 कर्जन रोड़ हास्टल	3,48,701.00
7.	श्री एस.एच.खान 87, एशियाई खेल गांव परिसर	91,448.00
8.	डॉ० एन.पी. सिंह 147, नार्थ एवेन्यू	3,94,953.00
9.	श्री भीम सिंह 4, वी.बी.पटेल हाउस	2,15,624.00
10.	श्री नजामश सक्यूब डी-2/306, विनय मार्ग	1,46,134.00
11.	श्री उमीलेश झा 508-ए/III/आर.के.पुरम	1,37,773.00
12.	श्री एम.के. हांडु बी-32, नानक पुरा	53,824.00

कापीराइट अधिनियम का उल्लंघन

5016. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के "बिक्री हेतु प्रकाशन" काफी राइट अधिनियम के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकारी प्रकाशन निजी प्रकाशकों द्वारा मुद्रित और प्रकाशित किए जा रहे हैं जैसे कि पांचवीं वेतन आयोग रिपोर्ट मैसर्स बाहारी ब्रादर्स द्वारा आयात और निर्यात नीति क्रिएटिव आर्ट्स प्राइवेट लि० द्वारा तथा कर्पनियों और आयकर के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट मैसर्स टैक्समैन एण्ड भारत ला हाउस द्वारा प्रकाशित की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो उन्हें अनुमति देने की क्या शर्तें हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अवैध व्यापारिक कार्यों को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) कापी राइट अधिनियम के अन्तर्गत शेष दोषी पाए गए प्रकाशकों की संख्या क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकारी रिपोर्टों और प्रकाशनों को कापीराइट स्वामी की अनुमति पर ही पुनः प्रकाशित अथवा पुनः मुद्रित कराया जा सकता है। तथापि, कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 (1) (क्यू) में व्यवस्था है कि कुछ अधनियमों में कॉपीराइट के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, अन्य बातों के साथ-साथ इसमें यह भी शामिल है कि किसी भी समिति आयोग, परिषद, बोर्ड अथवा सरकार द्वारा गठित समान निकाय की रिपोर्ट का पुनः प्रकाशन अथवा पुनः मुद्रण ऐसी रिपोर्ट

विधान मण्डल के सभा पटल पर रखी गयी है और जब तक कि सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्ट के पुनः प्रकाशन अथवा मुद्रण निषेध न किया गया हो किया जा सकता है।

(ग) से (च) मंत्रालय की जानकारी में यह आया है कि कुछ निजी प्रकाशकों द्वारा पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट और आयात व निर्यात नीति का पुनः प्रकाशन किया है। वित्त और वाणिज्य मंत्रालय को इन प्रकाशनों बाबत ज्ञान है। कम्पनी कार्य विभाग ने सूचना दी है कि कम्पनी अधिनियम 1956 (फरवरी, 1997 में सरकार को प्रस्तुत) को पुनः तैयार करने के लिए बनाये गये कार्यदल की रिपोर्ट कुछ निजी प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित की गयी है। यह सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों का कार्य है कि वे कॉपीराइट के किसी प्रकार के उल्लघंन के लिए कार्रवाही करें। जहां तक कम्पनीज एक्ट, 1956 को पुनः तैयार करने के लिए गठिन कार्यदल की रिपोर्ट का संबंध है, कम्पनी कार्य विभाग से सूचना दी है कि रिपोर्ट सार्वजनिक सम्पत्ति बन चुकी है इसलिए इस रिपोर्ट का पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से प्रकाशन कोई भी कर सकता है।

मुटयालमाडु में हाइड्रो ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

5017. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से मुटयालमाडु में एक नया पन बिजली संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ• एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (ग) कर्नाटक में मुट्यालमाडु स्थित नयी जल विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पेयजल योजना

5018. श्री बत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कौन-कौन से छोटे, मध्यम और बड़े शहरों में पानी की भारी कमी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई योजनाएं भेजकर इन शहरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ• छम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि राज्य में प्रायः 58 छोटे शहरों, 14 मझोले शहरों और 10 बड़े शहरों में पानी की कमी होती है। ब्यौरे विवरण-I में हैं।

(ख) और (ग) मझोले तथा बड़े शहरों के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जहां तक छोटे शहरों का सवाल है, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र सरकार से 28 स्कीमें मिली हैं। इनमें से अब तक 13.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 10 शहरों के लिए जल आपूर्ति स्कीमें मंजूर की गई हैं। (विवरण-II) 18वीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 3.86 करोड़ रुपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं तथा स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार ने 2.65 करोड़ रुपये का व्यय होने की सूचना दी है।

विवरण-I

उन शहरों की सूची जहां पानी की कमी महसूस की गयी

क्र.सं	नगर परिषद का नाम	जिले का नाम
1	2	3
	छोटे शहर	
1.	पथरडी	अहमदनगर
2.	रहठा-पिम्पलास	अहमदनगर
3.	सिरडी	अहमदनगर
4.	रिसोध	अकोला
5.	गोरसी	अमरावती
6.	सेन्दूरजाना	अमरावती
7.	सिलोड	औरंगाबाद
8.	वैजापुर	औरंगाबाद
9.	धरूड़	बीड़
10.	पवानी	भंडारा
11.	तिरोरा	भंडारा
12.	चिखाली	बुलधाना
13.	देवलगॉवराजा	बुलधाना

1	2	3
14.	जलगावं-जमोद	बुलधाना
15.	लोनार	बुलधाना
16.	मेहकर	बुलधाना
17.	सिन्धखेड-राजा	बुलधाना
18.	मूल	चन्दरपुर
19.	राजोरा	चन्दरपुर
20.	ब्रह्मपुरी	चन्दरपुर
21.	देसाईगंज	गाडचिरोली
22.	गाडचिरोली	गाडचिरोली
23.	फैजपुर	जलगांव
24.	रावेर	जलगांव
25.	सावड़ा	जलगांव
26.	रावल	जलगांव
27.	भोकरदन	जालना
28.	मल्कापुर	कोल्हापुर
29.	अहमदपुर	लातूर
30.	औसा	लातूर
31.	निर्लगा	लातूर
32.	काटोल	नागपुर
33.	मोवाड़	नागपुर
34.	नरखेड़	नागपुर
35.	सौमेर	नागपुर
36.	लोहा	नादेड़
37.	मुखेड	नादेड़
38.	उमरगा	उस्मानाबाद
39.	कल्लम	उस्मानाबाद
40.	मुरूम	उस्मानाबाद
41.	नालडरग	उस्मानाबाद
42.	परन्दा	उस्मानाबाद
43.	सैलू	परभानी
44.	सौनपीठ	परभानी
45.	करजाट	रायगढ़
46.	मुरूद-जलजीरा	रायगढ़
47.	टीटा	सांगली
48.	कुपवाड	सांगली
49.	महेशवाड़	सतारा
50.	मालवान	सिंधुदुर्ग
51.	वेंगूरला	सिन्धुदुर्ग
52.	अकालकोट	सोलापुर
53.	दुधानी	सोलापुर
54.	कुरदुवाड़ी	सोलापुर
55.	मैनदुरगी	सोलापुर
56.	बसई	थाना
57.	पुल्गांव	वर्धा
58.	सिन्धी	वर्धा

उन शहरों की सूची जहां पानी की कमी महसूस की गयी

क्र.सं	नगर परिषद/नगर निगम का नाम	जिले का नाम
	बड़े शहर	
1.	अकोला	अकोला
2.	गोंदिया	भंडारा
3.	चन्दरपुर	चन्दरपुर
4.	धूले	धूले
5.	जालना	जालना
6.	लातूर	लातूर
7.	परभानी	परभानी
8.	वर्धा	वर्धा
9.	यवतमाल	यवतमाल
10.	नासिक	नासिक
	मझोले शहर	
1.	अकोट	अकोला
2.	नंदुरबार	धूले
3.	चालिसगांव	जलगांव
4.	चोपड़ा	जलगांव
5.	पचोरा	जलगांव
6.	उदगीर	लातूर
7.	कामठी	नागपुर
8.	मनमाड	नासिक
9.	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
10.	बरसी	सोलापुर
11.	नाधर-मानिकपुर	थाने
12.	नाला सोपरा	थाने
13.	वीरार	थाने
14.	हिंगनघाट	वर्धा

विवरण-II

महाराष्ट्र

ए यू डब्लू एस पी के अंतर्गत अनुमोदित योजनाएं

रु0 (लाखों में)

क्र.सं.	शहर का नाम	अनुमोदित तारीख	प्रयोजना लागत
1.	पातूर	मार्च, 94	51.03
2.	देवोलगांव राजा	मार्च, 94	160.22
3.	लोनार	मार्च, 94	98.18
4.	मेन दारगी	मार्च, 94	42.21
5.	टेलहारा	मार्च, 94	18.37
6.	कुंदलवाड़ी	दिसंबर, 95	145.1
7.	सेंदुरजनाघाट	अगस्त, 96	117.78
8.	ससवाद	अक्टूबर, 96	213.55
9.	इंद्रापुर	अक्टूबर, 96	324.47
10.	दुधानी	नवंबर, 96	200.19
	योग		1371.10

[अनुवाद]

टाइटेनियम डाइआक्साइड उद्योग

5019. श्री पी.सी. चाको : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डांगकांग/सिंगापुर से आने वाले टाइटेनियम डाइआक्साइड की कीमतों को कम दिखाए जाने के कदाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है; और

(ग) देश में टाइटेनियम डाइआक्साइड उद्योग को बचाने के लिए सरकार का अन्य कौन-कौन से उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ग) सूचना सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय शिष्टमंडल

5020. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन महीनों में कितने और किन-किन देशों में भारतीय शिष्ट मंडल भेजे गये हैं और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) शिष्ट मंडलों के साथ भेजे गये सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्यों और मंत्रियों, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके उद्देश्य क्या थे?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे तेल का आयात

5021. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिला जामनगर के वाडिनार पत्तन के माध्यम से कितना कच्चा तेल आयात किया गया;

(ख) इसमें से मथुरा फिराइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से कितने तल की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या तेल की मात्रा में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तेल की मात्रा में आ रही कमी को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले दो वर्षों में गुजरात में जामनगर जिले के वाडीनार बंदरगाह के माध्यम से आयातित कच्चे तेल की मात्रा निम्नानुसार है:

आँकड़े एम.एम.टी. में

वर्ष	मात्रा
1995-96	8.74
1996-97	9.35

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान मथुरा रिफाइनरी तक पाइपलाइन के माध्यम से प्रेषित आयातित कच्चे तेल की मात्रा निम्नानुसार है :

आँकड़े एम.एम.टी. में

वर्ष	मात्रा
1995-96	5.99
1996-97	6.41

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय अनियमितताएं

5022. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गोरखपुर जिले के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वित्तीय घोटालों और अन्य अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराएं जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सामने आए वित्तीय घोटालों और अन्य अनियमितताओं की संख्या कितनी है; और

(घ) दोषी पाए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जी, हाँ। यह मामला प्रायोजक बैंक के परामर्श से शिकायत की जांच करने के लिए पहले ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं

5023. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं की संख्या में कमी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कमी के क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान हुई कमी का प्रतिशत क्या रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एल.पी.जी. कनेक्शन

5024. श्री वी. धनन्जय कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष में अधिक संख्या में नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी एक क्षेत्र में नए कनेक्शन देने के लिये क्या मापदंड अपनाए जाते हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मंगलौर रिफाइनरी में कितनी गैस का उत्पादन हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने 1997-98 (अप्रैल-जून, 1997) की प्रथम तिमाही के दौरान 10 लाख नए एल.पी.जी. कनेक्शन और 10 लाख डी.बी.सी. कनेक्शन जारी करने के लिए अनुमोदन कर दिया है।

(ग) नए एल.पी.जी. कनेक्शन, एल.पी.जी. की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं।

इसके आलावा सरकार पर्वतीय क्षेत्रों, ताज ट्रेपिजियम क्षेत्र, तत्काल योजना के अंतर्गत कनेक्शनों, नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/संसद सदस्यों की प्राथमिकताओं और अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरों को भी एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने के लिए प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को भी उन सभी व्यक्तियों को पंजीकरण पर्ची प्रस्तुत करने पर एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने के अनुदेश दिए है जिन्होंने 01.01.91 से पहले अपना कनेक्शन बुक करा दिया था।

(घ) 3.0 एम.एम.टी.ए.पी. की स्थापित क्षमता वाली मंगलौर रिफाइनरी 25.3.96 को चालू की गई थी। वर्ष 1995-96 के दौरान उत्पादन शून्य रहा, परन्तु 1996-97 में एल.पी.जी. उत्पादन 50.9 टी.एम.टी. हुआ जबकि अनुमान 59.3 टी.एम.टी. के उत्पादन का था।

हुडको

5025. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन में विभिन्न राज्यों में आवास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यवार कितनी धनराशि आंबटित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) हुडको आवास तथा शहरी विकास से जुड़ी निम्नलिखित स्कीमों के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है :

- शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आय श्रेणियों के लिए आवास योजनाएं
- स्टाफ आवास
- वाणिज्यिक स्कीमें
- सामाजिक अवस्थापनाएं
- भूमि अधिग्रहण
- निजी भवन निर्माता स्कीमें
- आवास से जुड़ी शहरी अवस्थापना स्कीमें यथा-जल आपूर्ति, मल निकास, जल निकास आदि।

(ख) और (ग) 31.3.97 तक हुडको ने विभिन्न राज्य आवास एजेंसियों, विकास प्राधिकरणों, सहकारी समितियों तथा गैर-सरकारी संगठनों/भवन निर्माताओं को 8895 करोड़ रुपये की ऋण राशि की 10,885 आवास परियोजनाएं मंजूर की हैं। ऋण तथा रिहायशी मकानों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

31.3.97 तक आवास परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	ऋण राशि (करोड़ रु)	रिहायशी मकानों की कुल संख्या	प्लाटों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.18	784	0
2.	आंध्र प्रदेश	931.21	1158069	4866
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.96	317	0
4.	असम	139.42	57057	735
5.	बिहार	223.22	156149	9259
6.	चण्डीगढ़	78.18	26511	8205
7.	दिल्ली	37.60	16292	0
8.	गोवा	13.25	2786	1526
9.	गुजरात	581.53	503398	7742
10.	हिमाचल प्रदेश	88.12	28839	1232
11.	हरियाणा	219.00	106422	95
12.	जम्मू और कश्मीर	51.08	15137	12084
13.	केरल	894.23	758388	486
14.	कर्नाटक	627.86	720877	4536
15.	मेघालय	42.28	13267	0
16.	महाराष्ट्र	618.98	373732	18263
17.	मणिपुर	79.61	11034	0
18.	मध्य प्रदेश	479.51	135475	88546
19.	मिजोरम	25.47	7533	0
20.	नागालैण्ड	39.40	13188	0
21.	उड़ीसा	300.33	154883	6219
22.	पंजाब	221.96	122582	4679
23.	राजस्थान	606.14	252882	16997
24.	सिक्किम	17.18	12914	0
25.	तमिलनाडु	1308.43	828087	128189
26.	त्रिपुरा	8.25	5011	0
27.	उत्तर प्रदेश	925.92	654767	54570
28.	पश्चिम बंगाल	293.19	146540	974
29.	दादरा और नगर हवेली	0.25	87	0
30.	पाण्डीचेरी	12.58	5525	0
	योग	8895.30	6288533	369203

कश्मीर में पाकिस्तान का हस्तक्षेप

5026. श्री कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री बृज भूषण तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों को समर्थन जारी रखने की बात कही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार को अभी भी पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की उम्मीद है और यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह बयान देखा है जो उन्होंने 23 मार्च, 1997 को पाकिस्तानी राष्ट्रीय दिवस परेड को संबोधित करते समय दिया था।

(ख) भारत के विरूद्ध चलाए जा रहे आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन की बात सुविख्यात है।

सरकार को आशा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में शुरू हुई द्विपक्षीय बातचीत जारी रखी जाएगी ताकि दोनों देश विश्वास, मित्रता और सहयोग के संबंध स्थापित करने के लिए काम कर सकें।

[हिन्दी]

रुपए का मूल्य

5027. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाउण्ड, डालर, जर्मन-मार्क और जापानी येन के मुकाबले भारतीय मुद्रा के मूल्य में लगातार गिरावट जारी है;

(ख) वर्ष 1960 में भारतीय रुपए के मूल्य की तुलना में उसका वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए ब्याज दर में वृद्धि करने का है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) अमरीकी डालर की तुलना में रुपया मई, 1996 से लेकर व मार्च, 1997 के दौरान उचित रूप से स्थिर बना रहा है। अमरीकी डालर की तुलना में, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के उतार-चढ़ाव को प्रतिबिम्बित करते हुए भारतीय रुपए में ड्यूश मार्क और येन की तुलना में अधिमूल्यन हुआ है लेकिन इसी अवधि के दौरान पौंड स्टर्लिंग की तुलना में अवमूल्यन हुआ है।

(ख) अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर 1960 में 4.7691 रुपए की तुलना में 2 मई को 35.7550 रुपए थी।

(ग) और (घ) रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। विदेशी मुद्रा बाजार का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन्निकट अनुवीक्षण किया जाता है और रुपए पर अनिश्चित दबावों का सामना करने तथा विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए जैसे और जब जरूरी हो, उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भंडार

5028. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष होने वाली कमी का ब्यौरा तथा 1997 के दौरान अप्रैल तक महीना-वार कमी का कारण सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (सोने तथा एस.डी.आर. को छोड़कर) आयातों में तीव्र वृद्धि, पूंजी अंतर्प्रवाह में संकुचन और विदेशी ऋण की प्रबन्ध व्यवस्था में भारी वृद्धि के कारण मार्च, 1995 के अंत के 20809 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में गिरकर फरवरी, 1996 के अंत में 15943 मिलियन अमरीकी डालर रह गया। तथापि, मार्च 1996 से विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्र लगातार वृद्धि होने से यह मार्च, 1997 के अंत में 22367 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया तथा और अधिक बढ़कर अप्रैल, 1997 तक विदेशी मुद्रा भंडार (सोने तथा एस.डी.आर. को छोड़कर) की मासिक प्रवृत्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विदेशी मुद्रा भंडारों (सोने तथा एस.डी.आर. को छोड़कर) में मासिक प्रवृत्ति

माह/वर्ष	विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डालर में)
मार्च, 1995	20809
अप्रैल, 1995	20454
मई, 1995	20267
जून, 1995	19601
जुलाई, 1995	19882
अगस्त, 1995	18990
सितम्बर, 1995	19064
अक्टूबर, 1995	17753
नवम्बर, 1995	17335
दिसम्बर, 1995	17467
जनवरी, 1996	16310
फरवरी, 1996	15943
मार्च, 1996	17044
अप्रैल, 1996	17088
मई, 1996	17105
जून, 1996	17526
जुलाई, 1996	17940
अगस्त, 1996	17976
सितम्बर, 1996	18433
अक्टूबर, 1996	19177
नवम्बर, 1996	19388
दिसम्बर, 1996	19742
जनवरी, 1997	19848
फरवरी, 1997	19695
मार्च, 1997	22367
अप्रैल, 1997*	22659

* अनन्तिम

[हिन्दी]

कम मूल्य के करेंसी नोट

5029. डॉ॰ सत्यनारायण जटिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान मुद्रित एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, और दस रुपए मूल्य के करेंसी नोटों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान छापे गऐ एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए और दस रुपए मूल्यवर्ग के करेंसी/बैंक नोटों का विवरण निम्नानुसार है :

मूल्यवर्ग	1994-95	1995-96	1996-97
		(आंकड़े मिलियन में)	
एक रुपए	40	–	–
दो रुपए	91	–	–
पांच रुपए	480	157	–
दस रुपए	2632	2571	2883
जोड़	3243	2728	2883

[अनुवाद]

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट

5030. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बाहरी ब्रदर्स (प्रकाशक और मुद्रक) ने पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का पुनर्मुद्रण किया है और इसे बाजार में अधिक मूल्य पर बेचा है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कितनी रायल्टी शुल्क वसूल की गई है तथा तत्संबंधी अनुबंध देने हेतु क्या शर्तें रखी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सरकार की जानकारी में आया है कि मैसर्स बाहरी ब्रदर्स ने सरकार की बिना अनुमति के पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का मुद्रण किया है। इस मामले पर उचित कार्रवाई की जा रही है।

रूग्ण इकाइयां

5031. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बड़ी, मध्यम और लघु रुग्ण औद्योगिक इकाइयों और इन इकाइयों पर बकाया पड़े ऋण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1990-96 के दौरान ऐसी रूग्ण इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) अर्थक्षम पाई गई इकाइयों की राज्यवार संख्या क्या है और ऐसी अर्थक्षम इकाइयों में कितना बैंक ऋण लगा है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी अर्थक्षम इकाइयों के पुनरूद्धार के लिये उन्हें और सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र तथा आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के बीच समझौता

5032. डॉ॰ एम. जगन्नाथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र तथा आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के बीच राज्य में अतिरिक्त विद्युत बोर्ड की बिक्री के लिए किए जाने के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते की शर्तें क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (ग) आर.आई.एन.एल. की अतिरेक विद्युत को एपीएसईबी को बेचने के लिए 24.3.1997 को राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर.आई.एन.एल./विशाखापट्नम स्टील प्लांट तथा आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एपीएसईबी) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार आर.आई.एन.एल./बी.एस.पी. को अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्र से 85% पी.एल.एफ. पर निवल 25 मे.वा. विद्युत की सुनिश्चित आपूर्ति (समझौते के प्रथम वर्ष के दौरान, अर्थात् जनवरी, 1997 के खपत माह से, 15.30 मिलियन यूनिट प्रतिमाह) तथा दूसरे वर्ष तथा उससे आगे अर्थात् जनवरी, 1998 के खपत माह से, 85% पी.एल.एफ. की दर से निवल 30 मे.वा. अर्थात् 18.36 मे.वा./माह की दर से विद्युत आपूर्ति करनी अपेक्षित है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक

5033. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालीबान सरकार ने हाल ही में दिल्ली में हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक में अपदस्थ अफगान राष्ट्रपति रब्बानी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का विरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में आने वाली राजनैतिक अड़चनें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) हमने तालिबान के उस बयान को देखा है जिसमें अप्रैल, 1997 में नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति रब्बानी की सरकार को एक मेजबान देश के रूप में भारत द्वारा दिए गए आमंत्रण की आलोचना की गई थी। कार्यवाहक विदेश मंत्री श्री अब्दुल रहीम गफूर जेई ने अफगानिस्तान इस्लामिक राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। बैठक में भाग लेने वाले किसी भी सदस्य देश ने उनके प्रत्यय-पत्र को चुनौती नहीं दी थी। राष्ट्रपति रब्बानी का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में "अफगान के लिए" नियत स्थान पर अभी भी पदासीन हैं। अतः भारत का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप था।

औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड

5034. श्री दरबारा सिंह
कर्नल राव राम सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने स्वीकृत पुनरुद्धार योजनाओं के कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने के लिये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अधिक सतर्क रहने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रुग्ण उद्योगों/इकाइयों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट पर निगरानी रखने के लिये किसी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि उनका एक निगरानी प्रभाग है जो कि पुनरुज्जीवन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है। सम्बद्ध निगरानी ऐजेंसियों और रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को पुनरुत्थान योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में अर्धवार्षिक रिपोर्ट बाइफर को भेजनी होती है। पुनरुज्जीवन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में और सुधार लाने के लिए चर्चा करने हेतु बाइफर ने हाल ही में, निगरानी ऐजेंसियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर समस्या

5035. प्रो॰ पी.जे. कुरियन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर समस्या से निपटने के लिए कोई "पैकेज" तैयार किया है: और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर का मामला पाकिस्तान द्वारा इस राज्य के क्षेत्र पर अवैध रूप से और जबरन कब्जा किये जाने से संबंधित हैं, भारत इस मुद्दे को शांतिपूर्ण, द्विपक्षीय बातचीत के जरिए निपटाने के लिए वचनबद्ध है, जैसा कि शिमला समझौते में परिकल्पित किया गया है।

[हिन्दी]

अमूल

5036. श्री राम कृपाल यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत अमूल कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात स्थित अमूल कम्पनी, वितरकों के साथ सांठ-गांठ करके काला-बाजारी में लिप्त है अथवा लिप्त रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अमूल नाम की किसी भी कम्पनी के विरुद्ध कोई जाँच संस्थित नहीं की गई है। तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा कायरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (जो दूध और दूध से बने पदार्थों का अमूल ब्रान्ड के नाम के अन्तर्गत विपणन करते हैं) के विरूद्ध वितरकों के साथ करार करने के लिए जिन्होंने थोक विक्रेताओं/फुटकर विक्रेताओं को अनुशंसित अधिकतम मूल्य से कम मूल्य पर अमूल दूध बेचने की स्वतन्त्रता नहीं दी थी और वितरकों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगा दिए थे, अधिनियम के अंतर्गत दो अवरोधक व्यापार प्रथा जांचें (1994 की संख्या 4 और 1995 की 245) संस्थित की गई थीं।

उपरोक्त जाँचों, में, मूल्य तथा क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के बारे में, जिसे प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया था, आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने की वचनबद्धता देते हुए दो अलग-अलग आवेदन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा स्वीकार किए गए थे। दोनों मामलों में आयोग द्वारा इस निर्देश के साथ नोटिस दिए गए थे कि प्रतिवादी करार में संशोधन करने की कार्रवाई इसके द्वारा दी गई वचनबद्धता के अनुरूप ही करेगा।

[अनुवाद]

रुग्ण बैंक

5037. श्री एस.डी.एन.आर. बाडियार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान कुछ कमजोर और रूग्ण बैंकों को अर्थक्षम बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उन बैंकों को अर्थक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि सहित ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों को अर्थक्षम बनाने के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से दिनांक 31.3.96 तक 8% पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करने को कहा है। तथापि 08 राष्ट्रीकृत बैंक 8% पूंजी पर्याप्तता नहीं प्राप्त कर सके हैं। इन दुर्बल बैंकों को ऋण विस्तार एवं पूंजी व्यय, प्रशासनिक खर्चों में कमी, नये कर्मचारियों की भर्ती न करने आदि की शर्तों को समावेश करने के अध्यधीन 31.3.97 तक लक्ष्य प्राप्त करने को कहा गया है।

सरकार ने मार्च 1997 में उन छः राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1509 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शेयर पूंजी का अंशदान किया है, जो 8% पूंजी पर्याप्तता नहीं प्राप्त कर सके हैं।

देश में असंगठित श्रमिक

5038. **श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों के दौरान देश में असंगठित श्रमिकों तथा कुल श्रमिकों की राज्य-वार अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) देश में असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों की ब्यौरा क्या है;

(ग) असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिये तैयार की गई योजनाओं/विचार की जा रही नई नीति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान कार्यान्वित करने के लिये तैयार की गई कार्यसूची (कार्य योजना) का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) जनगणना में कर्मकारों की गणना उस कार्यकलाप द्वारा की जाती है जिसमें वे लगे होते हैं। असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की संख्या के संबंध में अलग से आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं और इसलिए वे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश कर्मकार और निर्माण, रोड साइड होटलों और ढाबों आदि जैसे कार्यकलापों में लगे हुए कर्मकार असंगठित हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल कर्मकारों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है। कर्मकारों के अधिकारों को संरक्षित करने और उनके कल्याण की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किए गए अनेक श्रम कानून असंगठित कर्मकारों पर भी लागू होते हैं। ऐसे कुछ कानून हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी और सिगार कर्मकार (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1966, अंतर राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, आदि। लौह, मैगनीज, क्रोम, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अभ्रक खानों, सिने उद्योग और बीड़ी उद्योग में नियोजित कर्मकार संबंधित कल्याण निधियों के अधीन चलाए जा रहे विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अधीन भी शामिल हैं। राज्य सरकारों ने भी हथकरघा बुनकरों, रिक्शा चालकों आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में लगे हुए बड़ी संख्या में कर्मकारों को शामिल करके बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। असंगठित कर्मकारों के रोजगार की गुणवत्ता और उनके कार्य की दशाओं में सुधार करने का कार्य सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय रहा है और यह ऐसा बना हुआ है।

जहां तक नवीन नीतिगत पहल का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार ने निर्माण उद्योग में जो असंगठित कर्मकारों को नियोजित करने वाले कृषि क्षेत्र के बाद, दूसरा सर्वाधिक बड़ा एकल कार्यकलाप है, लगे हुए कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 को अधिनियमित किया है वर्ष 1997-98 की कार्यसूची में विद्यमान उपायों को और तेज करने और उन्हें बढ़ाने और कृषि कर्मकारों, जिनकी संख्या लगभग 200 मिलियन है, के लिए व्यापक विधान बनाने के लिए नए उपाय करने के लिए निरंतरतः प्रयास करना शामिल है।

विवरण

क्रं सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल कर्मकारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29,963,648
2.	अरुणाचल प्रदेश	399,782
3.	असम	8,088,935
4.	बिहार	27,777,071
5.	गोवा	412,736
6.	गुजरात	16,620,519
7.	हरियाणा	5,103,470
8.	हिमाचल प्रदेश	2,274,379
9.	कर्नाटक	18,886,798
10.	केरल	9,146,118
11.	मध्य प्रदेश	28,340,485
12.	महाराष्ट्र	33,910,366
13.	मणिपुर	774,904
14.	मेघालय	757,322
15.	मिजोरम	337,345
16.	नागालैण्ड	516,237
17.	उड़ीसा	11,882,762
18.	पंजाब	6,261,989

1	2	3
19.	राजस्थान	17,104,372
20.	सिक्किम	168,721
21.	तमिलनाडु	24,194,343
22.	त्रिपुरा	858,517
23.	उत्तर प्रदेश	44,799,280
24.	पश्चिम बंगाल	21,914,774
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	98,901
26.	चण्डीगढ़	224,294
27.	दादर और नागर हवेली	73,739
28.	दमन और दीव	38,224
29.	दिल्ली	2,980,461
30.	लक्यद्वीप	13,664
31.	पाण्डिचेरी	267,214
	कुल	314,131,370

स्त्रोत : जनगणना 1991

स्वर्ण भंडार

5039. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार देश में कितना स्वर्ण भंडार था;

(ख) देश में स्वर्ण की वार्षिक खपत कितनी है;

(ग) वर्ष 1996 के दौरान देश में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का स्वर्ण आयात किया गया; और

(घ) देश के स्वर्ण भंडार में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) दिसम्बर, 1996 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण प्रारक्षित भंडार 397.5 टन था जो 14274 करोड़ रुपए के समकक्ष है।

(ख) देश में स्वर्ण की खपत का कोई शासकीय अनुमान नहीं है। विश्व स्वर्ण परिषद ने 1995 में भारत में वार्षिक रूप से 477 टन सोने की खपत का अनुमान लगाया था।

(ग) 1996 के दौरान आयात किए गए स्वर्ण की मात्रा 297.79 टन थी जिसकी कीमत मुंबई बाजार में प्रचलित वार्षिक औसत मूल्य पर 15458.28 करोड़ रुपए थी।

(घ) उदारीकृत स्वर्ण आयात योजना अनिवासी भारतीयों को सोने के आयात की अनुमति देती है तथा वापिस आने वाले अनिवासी भारतीयों को तथा विशेष आयात लाइसेंसों के प्रति भारत में ऐसे सोने की सुपुर्दगी के लिए एम.एम.टी.सी. और एस.बी.आई. द्वारा आयातों की आज्ञा होती है। इस योजना का उद्देश्य विधि सम्मत सरणियों के जरिए तथा विदेशी मुद्रा में सीमा शुल्क के भुगतान पर आयातित सोने की उपलब्धता में सुधार करना है।

त्वरितजन परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) परियोजना

5040. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थानों ने दिल्ली में त्वरितजन परिवहन प्रणाली परियोजना का वित्त पोषण करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस खर्च को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) दीर्घकालिक ऋण और कम लाभ के कारण भारत में वित्तीय संस्थानों ने इस परियोजना में रूचि नहीं दिखाई।

(ख) परियोजना की कुल लागत अप्रैल, 1996 के मूल्य सूंचकांक के आधार पर 4860 करोड़ रुपये आंकी गई है। परियोजना का वित्त व्यवस्था कार्यक्रम इस प्रकार है :

I. भारत सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से परियोजना की कुल लागत का 15-15 प्रतिशत इक्विटी अंशदान।

II. ओई.सी.एफ. जापान ऋण-परियोजना की कुल लागत का करीब 56%

III. भूमि लागत तथा सुगम करों और प्रभारों के लिए सम्पत्ति विकास, सहायक ऋण से प्राप्त राजस्व - 14%

(ग) सन् 2005 तक परियोजना के पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

नैनपुर स्थित पन बिजली परियोजना

5041. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नैनपुर क्षेत्र में 750 किलोवाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजना की स्थापना करने का मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1984 में स्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देरी किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य प्रारंभ किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (एम.पी.ई.बी.) ने 105.63 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 2x300 कि.वा. क्षमता की थानवार मिनी जल-विद्युत परियोजना की परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन हेतु दिसम्बर, 1982 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को प्रस्तुत की थी जो मंडला जिले की नैनपुर तहसील में अवस्थित थानवार सिंचाई परियोजना पर प्रस्तावित थी। इसे अतंतः एमपीईबी ने 1984 में अनुमोदित कर दिया था।

(ख) और (ग) के.वि.प्रा. तथा केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् परियोजना रिपोर्ट की एम.पी.इ.बी. द्वारा समीक्षा की गई तथा तदनुसार जल उपलब्धता अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर अधिष्ठापित क्षमता को 02.9 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर संशेधित करके 2250 कि.वा. कर दिया गया। चूंकि यह लागत 100 लाख रुपए से कम थी इसलिए एम.पी.ई.बी. को परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गई। परियोजना को जुलाई, 1984 में प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य सिंचाई विभाग ने भी जनवरी, 1986 में अपनी स्वीकृति दे दी। टर्न-की क्रियान्वयन हेतु निविदाएं 1988 में आमंत्रित की गई जिसे उच्च दरें प्राप्त होने के कारण अंततः रद्द कर दिया गया। बोर्ड में विद्यमान वित्तीय कठिनाइयों के कारण कोई भी नई परियोजना आरंभ नहीं की गई। परियोजना को 1994 में निजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था परंतु आवंटनकारी फर्म की रुचि न होने के कारण आवंटन को सितम्बर, 1995 में रद्द कर दिया गया। सिचांई एवं बांध-के नाल कार्य 1996 में पूरे कर लिए गए हैं तथा परियोजना को पुनः निजीकरण हेतु प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

अफीम की खेती

5042. श्री विजय हाण्डिक :
श्री एन.एन. कृष्णादास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में अफीम की खेती की जाती है;

(ख) क्या गत दस वर्षों के दौरान उक्त खेती के एकड़ क्षेत्रफल में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) क्या अफीम की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई दबाव डाला गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) फसल वर्ष 1996-97 के दौरान अफीम की खेती का कुल क्षेत्र 29,797.900 हेक्टेयर था। अफीम की खेती का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) मध्य प्रदेश	16573.500	हेक्टेयर
(ii) राजस्थान	12512.700	हेक्टयेर
(iii) उत्तर प्रदेश	711.700	हेक्टेयर

(ख) वर्ष 1986-87 से 1993-94 तक के दौरान हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई है तथापि, अफीम के स्टॉक की स्थिति में आई भारी कमी को देखते हुए वर्ष 1994-95 के बाद पोस्त की खेती के क्षेत्र को निम्नानुसार बढ़ाना पड़ा ताकि अफीम की निर्यात प्रतिबद्धताओं और घरेलू आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

वर्ष	लाइसेंसशुदा क्षेत्र
1993-94	13489.00
1994-95	25215.00
1995-96	26437.00
1996-97	29798.00

(ग) जी, नहीं। किसी फसल वर्ष के दौरान पोस्त की खेती का क्षेत्र अफीम की अंतर्राष्ट्रीय मांग को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है। स्वापकों की अंतरराष्ट्रीय मांग और पूर्ति को मॉनीटर करने वाली संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने सदा ही वैध अफीम के एकमात्र उत्पादक और पूर्तिकर्त्ता के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

आर.ओ.बी. का आयात

5043. डॉ॰ बलिराम : क्या **वित्त मंत्री** 20 दिसम्बर, 1996 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4430 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में हुए विलम्ब का क्या कारण है और अपेक्षित सूचना के कब तक सभा पटल पर रख दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगाई जा रही है और संसद के मौजूदा सत्र के समाप्त होने से पूर्व सभा-पटल पर रख दिए जाने की संभावना है।

पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा में छूट

5044. श्री एन. डेनिस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा में छूट दी जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) लोगों से लोगों के बीच सम्पर्कों को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति के अनुसरण में सरकार ने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए अपनी ओर से वीजा पद्धति को सरल किया है। उदारीकृत नीति के अन्तर्गत सरकार ने (i) पाकिस्तानी पर्यटकों को समूहों में भारत आने की अनुमति देने (ii) पाकिस्तानी व्यवसायियों को एक वर्षीय बहुउद्देशीय वीजा देने और उन्हें, यदि वे हवाई यात्रा कर रहे हों तो मुम्बई अथवा दिल्ली से होकर भारत आने और भारत से जाने की अनुमति देने, (iii) पाकिस्तान के युवा और वृद्ध यात्रियों को पुलिस में रिपोर्ट करने से छूट देने और (iv) वरिष्ठ पाकिस्तानी नागरिकों, सांस्कृतिक टोलियों, कलाकारों, कवियों, लेखकों, छात्रों और पत्रकारों के लिए वीजा शुल्क हटा लेने का निर्णय लिया है।

पन बिजली परियोजनाएं

5045. श्री अय्यन्ना पटरूधु: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रस्तावित नई पन बिजली परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) ऐसी नई विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) पन बिजली परियोजनाओं से मिलने वाली संभावित आय दर क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (ग) सरकार द्वारा वर्ष 1991 में प्रतिपादित की गई निजी विद्युत नीति ताप विद्युत तथा जल विद्युत दोनों उत्पादनों के लिए निजी उद्यमियों को निवेश के अवसर प्रदान करती है। निजी क्षेत्र में स्थापित जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की बिक्री करने संबंधी टैरिफ की गणना का समावेशन किए जाने के लिए वर्ष 1992 में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं.एस.ओ. 251 (ई) जनवरी, 1995 में संशोधन किया गया था। अब तक निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)/आशय पत्र (एल.ओ.आई.) आदि माध्यम से 11 प्रस्ताव (100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया माध्यम से 10 प्रस्ताव (1000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले) प्राप्त हुए हैं। प्रवर्तकों द्वारा आवश्यक सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त करने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं से होने वाली संभावित प्रतिफल की दर का निर्धारण किया जा सकता है।

ठेकों का निष्पादन

5046. डॉ॰ जसीम वाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान निजी पार्टियों द्वारा तेल और गैस के उत्पादन के ठेकों के निष्पादन में कोई अनियमितताएं पाई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व

5047. श्री सुधीर गिरि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 में सभी आयातित-दरों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के माध्यम से कुल कितनी राजस्व राशि वसूल की गई; और

(ख) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी राशि वसूल किये जाने का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) वर्ष 1996-97 में अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए अतिरिक्त सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व का अलग से अनुमान नहीं लगाया गया है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन

5048. श्री सिद्धय्या कोटा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उदारीकरण के पश्चात् रोजगार के अवसरों में गिरावट आई है;

(ख) क्या इस परिवर्तन का महिलाओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि इससे उन्हें स्थायी रोजगार के स्थान पर केवल लघुकालिक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान रोजगार प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उन की रोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्ण आयात योजना का दुरुपयोग

5049. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वर्ण आयात योजना का घोर दुरूपयोग किया जा रहा है और कानूनी रूप से वैध सोने के लिए हवाला माध्यम से भुगतान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) सरकार को इस योजना के घोर दुरूपयोग की सूचना नहीं मिली है हालांकि आसूचना रिपोर्टों से अवैध माध्यमों के जरिए ऐसी कुछेक अदायगियां करने का पता चलता है। तथापि उदारीकृत स्वर्ण आयात योजना के मुख्य उद्देश्यों में, अन्य बातों के अलावा, विदेशी मुद्रा में सीमा शुल्क की अदायगी करने पर वैध माध्यमों के जरिए सोने के आयात को बढ़ावा देने और सोने की तस्करी को रोकना शामिल है। यह सूचित किया गया है कि इस योजना को आरम्भ करने से सोने के चोरी-छिपे किये जाने वाले आयात को रोकने के कार्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

आयकर दाता

5050. **श्री एन.एन. कृष्णादास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली के केवल 4 लाख 50 हजार निवासी ही आयकर का भुगतान करते हैं जबकि शहर में 26 लाख वाहन, 80 लाख टेलीफोन और 15 लाख मकान मालिक हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस असमानता का कारण वर्तमान कानूनों को सही ढंग से कार्यान्वित न करना है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) दिनांक 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में कर-निर्धारितियों की संख्या 7,71,340 (अनन्तिम आंकड़े) हैं। आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा उस समय की विवरणी दायर की जानी अपेक्षित होती है यदि पिछले वर्ष के दौरान उसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक बैठती है जिस पर आयकर नहीं लगाया जाता है।

आयकर-निर्धारितियों की संख्या और टेलीफोन, वाहन, मकानों आदि के मालिकों की संख्या के बीच असमानता होने के अनेक कारण हो सकते हैं। इसके साथ-साथ यह भी सच है कि देश में जनसंख्या की तुलना में करदाताओं की संख्या पर्याप्त रूप से कम है और करदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने समय-समय पर बहुत-से उपाय किए हैं। कर का दायरा बढ़ाने की दृष्टि से,

वित्त विधेयक, 1997 में आयकर अधिनियम की धारा 139 (i) के संबंध में एक परन्तुक पुरःस्थापित किया गया है जिसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से आयकर-विवरणी दायर करने की अपेक्षा की गई है जो निम्नलिखित शर्तों में से किन्हीं दो शर्तों को पूरा करता है, नामश :

(i) किसी विनिर्दिष्ट तल क्षेत्र से अधिक की किसी अचल सम्पत्ति पर कब्जा रखना चाहे वह स्वामित्व, किराएदारी के रुप में हो अथवा अन्यथा हो, जैसा कि बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है; अथवा

(ii) वह किसी मोटर वाहन का स्वामी हो अथवा पट्टाधारी हो; अथवा

(iii) वह टेलीफोन धारक हो; अथवा

(iv) उसने स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा के सम्बन्ध में व्यय किया हो;

आय - विवरणी दायर करने के लिए ऐसी अपेक्षाएं लागू करके सम्भावित कर-दाताओं की पहचान करने के कार्य के आसान हो जाने की सम्भावना है।

हवाला कांड

5051. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा पता लगाने गए मुख्य हवाला संबंधी घोटालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक हवाला कांड में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) कानूनी कमियों, जिनकी वजह से हवाला घोटाले हुए को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय ने कई हवाला कांडों का पता लगाया है। उक्त कांडों में प्रथम दृष्टया शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध न्याय निर्णयन कार्रवाई शुरू की गई है। मामलों की संख्या तथा उनमें शामिल रकम का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	मामलों की संख्या	शामिल रकम (लगभग लाख रुपयों में)
1995	349	25389
1996	185	65355
1997 (31.3.97 तक)	200	11313

(ग) सरकार सतत् निगरानी रखती है तथा जब कभी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के संदिग्ध उल्लंघन का कोई मामला इसके ध्यान में आता है, तो न्यायसंगत उचित कार्रवाई की जाती है।

टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया

5052. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन पैकेज तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को संचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था;

(ख) क्या वित्तीय संस्थान ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के उपर्युक्त आदेशानुसार काम नहीं किया;

(ग) क्या सरकार ने भी नियमों अथवा निदेशों के अनुसार वित्तीय संस्थान को सलाह देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (टैफ्को) को पुनः अर्थक्षम बनाने के सभी उपाय ढूंढने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि टैफ्को अपने वित्तीय दायित्व पूरा करते हुए समुचित समय के भीतर अपनी निवल सम्पत्ति को संचयी घाटों से अधिक बना पाएगा और इसके परिणामस्वरूप कम्पनी के भविष्य में अर्थक्षम बनने की कोई संभावना नहीं थी तथा यह उचित एवं न्याय संगत था कि कम्पनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनिमय, 1985 के प्रावधानों के तहत बन्द कर दिया जाए। बाइफर की राय को अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित उच्च न्यायालय को भेज दिया गया था।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र

5053. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के क्षेत्र में निजी एजेंसियों के प्रवेश को सुगम बनाने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कनाडा की सरकार ने भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के प्रति दिलचस्पी दिखाई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कनाडा सरकार ने 1974 में राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र को दिए जा रहे सहयोग को बन्द कर देने का निर्णय किया था;

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उसे सरकार को कतिपय रियायतें देने का है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) भारत सरकार परमाणु विद्युत क्षेत्र में प्राइवेट फर्मों, भारतीय अथवा विदेशी, द्वारा और सहभागिता किए जाने के कुछ विशिष्ट प्रस्तावों के लिए तैयार है। ऐसे प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, उन पर तकनीकी दृष्टि से उनके उपयुक्त होने, आर्थिक दृष्टि से आकर्षक होने और उससे जुड़ी शर्तों के आधार पर ही विचार किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने पर उपयुक्त समय पर ही विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार के स्तर पर ऐसी कोई संसूचना अभी तक नहीं मिली है।

(ङ) और (च) जी, हाँ। 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा की सरकार ने एकपक्षीय रूप से सहयोग करना बंद कर दिया था।

(छ) जी, नहीं।

(ज) यह प्रश्न नहीं उठता।

टोनरों का आयात

5054. श्री राम सागर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर टोनरों के आयात को और सीमाशुल्क अधिकारियों के बीच ऐसी किसी सांठ-गांठ का पता चला है, जिसके कारण सरकार को भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो टोनरों के आयात में चल रही इस तिकड़म का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामलें में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) कलकत्ता सीमा शुल्क गृह में जिन मामलों का पता लगाया गया है और जांच-पड़ताल की गई है उनमें कलकत्ता पत्तन पर टोनरों के आयात के संबंध में ऐसी किसी सांठ-गांठ का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चण्डीगढ़ में कनाडा वालों का कार्यालय

5055. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार पंजाब की यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए चण्डीगढ़ में कार्यालय खोलने पर सहमत हो गयी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चण्डीगढ़ में सम्पर्क कार्यालय खोलने के लिए हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने विगत तीन वर्षों में भारत में अपना सम्पर्क कार्यालय खोलने पर सहमति जतायी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) कनाडा की सरकार ने चण्डीगढ़ में एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा था।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने कनाडा सरकार के इस अनुरोध को मान लिया था और चण्डीगढ़ में जनवरी, 1997 में कनाडा का एक कार्यालय खोला गया।

(घ) पिछले 3 वर्ष के दौरान अनेक देशों ने अपने-अपने सम्पर्क कार्यालय खोलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। इस संबंध में भारत सरकार ने अनेक देशों के अनुरोध स्वीकार किए थे जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन देशों का विवरण जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई

क्र. सं.	देश का नाम	कार्यालय का नाम	नगर
1	2	3	4
(I)			
1.	बुरकीना फासो	राजदूतावास	नई दिल्ली
2.	दक्षिण अफ्रीका	प्रधान कोसलावास	मुंबई
(II)			
1.	कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका	मानद कोंसलावास	नई दिल्ली
2.	मैक्सिको	वही	मुंबई
3.	तंजानिया	वही	मुंबई
4.	कनाडा	मानद प्रधान कोंसलावास	कलकत्ता
5.	कनाडा	मानद कोंसल	चेन्नई
6.	निकारागुआ	मानद कोंसल	नई दिल्ली
7.	आस्ट्रिया	वही	गोआ
8.	कोमोरोस	वही	नई दिल्ली
9.	सेशेल्स	वही	नई दिल्ली
10.	तुर्कमेनिस्तान	वही	मुंबई
11.	न्यूजीलैंड	वही	चेन्नई
12.	मॉरीशस	वही	मुंबई
13.	इजराइल	वही	कलकत्ता
14.	चेक गणराज्य	वही	कलकत्ता
15.	किर्गीज	वही	चेन्नई
16.	कोस्टारिका	वही	नई दिल्ली
17.	चिली	वही	मुंबई
(III)			
1.	कोरिया गणराज्य	व्यापार कार्यालय	चेन्नई
2.	ताजिकिस्तान	वही	नई दिल्ली
3.	लक्समबर्ग	वही	नई दिल्ली
4.	नीदरलैंड्स	वही	अहमदाबाद
5.	फ्रांस	वही	बंगलौर
6.	आस्ट्रिया	वही	कलकत्ता

[अनुवाद]

न्यूयार्क में भारतीय मिशन

5056. श्री एल. रमना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में भारत के स्थायी मिशन का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी अनुमानित मूल लागत क्या थी और वर्तमान समय में कितनी लागत-वृद्धि हुई है; और

(ग) वर्ष 1988 से परियोजना को लागू न करने के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) न्यूयार्क में भारत का स्थायी मिशन की इमारत के रूप में ज्ञात भवन का निर्माण कार्य जनवरी, 1993 में पूरा हो गया था।

(ख) 1981 में एक स्थानीय वास्तुविद् द्वारा तैयार की गई मूल प्रारम्भिक लागत प्राक्कलन 5.315 मिलियन अमरीकी डालर थी। 1988 में अनुमोदन मांगने के समय प्राक्कलित लागत 19.023 मिलियन अमरीकी डालर दिखाई गई थी। अन्तिम परियोजना में लागत वृद्धि 9.865 मिलियन अमरीकी डालर की हुई है।

(ग) परियोजना क्रियान्वित की गई है और भारत के स्थायी मिशन का कार्यालय और आवास, जिनमें भारत के प्रधान कोंसल न्यूयार्क का आवास शामिल है, नये भवन में स्थानांतरित हो गए हैं।

जलापूर्ति योजना

5057. डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार राज्य के चित्तूर जिले में जलापूर्ति योजना के लिए 101 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली मुख्य परियोजनाएं कौन-कौन सी होंगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार भी इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहायता देने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संगठनों को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) से (ङ) यह मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चित्तूर जिले में जल आपूर्ति हेतु 101 करोड़ रुपये के किये प्रावधान के बारे में अनभिज्ञ है। तथापि, चित्तूर, तिरूपति, श्रीकालहस्ती, मदनापल्ली, तथा पंगनार कस्बों के लिए हडको ने 45.65 करोड़ रुपए की हडको ऋण सहायता सहित 66.58 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर चित्तूर जिले में 6 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

पारेषण और वितरण में विद्युत हानि

5058. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में विद्युत के पारेषण और वितरण में विद्युत क्षति का प्रतिशत पड़ोसी देश की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो विद्युत क्षति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) विद्युत क्षति के प्रतिशत को कम करने के मार्ग में क्या बाधाएं आ रही हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत में पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत निम्नवत् हैं :

बंगलादेश	39.09
नेपाल	29.38
पाकिस्तान	20.32
श्रीलंका	16.26
भारत	21.00

अतः यह देखा जा सकता है कि प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियां बंगलादेश में उच्चतम हैं तथा उसके बाद नेपाल में।

(ग) देश में पारेषण एवं वितरण हानियों में सुधार लाने में मार्ग में आने वाली बाधाए इस प्रकार हैं :

(1) कमजोर एवं अपर्याप्त उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली।

(2) देश में आरंभ किए गए वृहद-स्तर के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम जिनके परिणामस्वरूप लंबी दूरी की लाइनों तथा वितरण नेटवर्क में विस्तार हुआ परंतु इसके बेक-अप पारेषण और उप-पारेषण प्रणाली सशक्त नहीं हुई।

(3) काफी संख्या में पारेषण अवस्थाएं जिसके कारण पारेषण हानियों का उच्च घटक उत्पन्न हुआ।

(4) अनुपयुक्त भार प्रबंधन जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली पर अधिकर भार पड़ा।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पिंग भार तथा शहरी क्षेत्रों में वातानुकूलन, कूलरों तथा औद्योगिक भारों के कारण निम्न विद्युत घटक तथा लोडिंग-प्वाइंट पर अपर्याप्त रिएक्टिव प्रतिपूर्ति।

(6) निर्माण की घटिया गुणवत्ता तथा उपस्कर की अपर्याप्त देख-रेख।

(7) कुछ राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों को लघु घरेलु कनेक्शन तथा कृषि पम्पों की गैर-मीटरित आपूर्ति।

(8) ऊर्जा की चोरी एवं दुरुपयोग।

तकनीकी पारेषण एंव वितरण हानियों को कम करने के लिए के.वि.प्रा. ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :

(क) प्रचालनात्मक वोल्टता का उन्नयन करना;

(ख) एलटी लाइनों की लम्बाई में कमी करना;

(ग) भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मरों को लगाना;

(घ) उपभोक्ताओं के परिसरों में निम्न क्षमता ट्रांसफार्मरों को अपनाना।

(ङ) शंट केपिसिटर्स की अधिष्ठापना करना।

(च) निर्माण तथा प्रचालन तकनीकों में सुधार लाना, तथा

(छ) दीर्घकालीन आधार पर वितरण प्रणाली की आयोजना एवं डिजाइन के लिए क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत प्रणाली; तथा

चोरी तथा दुरुपयोग के कारण होने वाली हानियों तथा वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(क) बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित करने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 को संशोधित किया गया है।

(ख) के.वि.प्रा. ने ऊर्जा लेखा-परीक्षा करवाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए हैं।

(ग) राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् दिसम्बर, 1996 में जारी विद्युत हेतु समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्ययोजना में पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

- सभी प्रमुख फीडरों संबंधी उपकेन्द्रों में अनिवार्य मीटरिंग।

- सभी नए विद्युत कनेक्शनों की अनिवार्य मीटरिंग। साथ ही, 10 हार्स पावर से अधिक के कृषि क्षेत्र के कनेक्शनों को दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

- 2002 ई० तक सभी विद्युत आपूर्तियों को मीटरित कर लिया जाएगा।

- वृहद उपभोक्ताओं अर्थात् 100 के.वी.ए. की अनिवार्य वार्षिक उर्जा लेखा-परीक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।

- बेहतर भार प्रबंधन के लिए वृहद विद्युत उपभोक्ताओं हेतु दिन के निश्चित समय पर मीटरिंग आंरभ की जाएगी।

महासागर विकास पर व्यय

5059. श्री माणिकराव होळ्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा महासागर विकास पर कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ख) क्या इस प्रकार के खर्चों के प्रमुख उद्देश्यों में महासागरीय प्राकृतिक संसाधनों की खोज भी शामिल है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अब तक खोजे गए/प्राप्त या निकट भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों के मौद्रिक मूल्य का पता लगाने हेतु कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में किए गए खर्च की तुलना में उपलब्धियां क्या रही हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान महासागर विकास विभाग द्वारा किए गए व्यय का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	योजना	गैर योजना	कुल योग (रुपये करोड़ में)
1994-95	43.76	14.60	58.36
1995-96	43.74	13.75	56.49
1996-97	44.97	19.11	64.08

(ख) और (ग) जी हाँ, श्रीमान। अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के एक भाग के रूप में बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम (पी.एम.एन.) के अन्तर्गत, मध्य हिन्द महासागर बेसिन में मैंगनीज पिण्डिकाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण किया जा रहा है।

(घ) जी हाँ, श्रीमान।

(ङ) मैगनीज पिण्डिकाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम है, इसलिए बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए व्यय की, इसकी उपलब्धियों से तुलना नहीं की जा सकती।

नई विद्युत नीति

5060. श्री वी.एस. शंकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1997 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "न्यू प्लान फॉर पावर सेक्टर इज आन दी एन्विल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप कितनी विद्युत पैदा होगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा हेतु बैंक ऋण

5061. श्री अशोक प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उत्तर प्रदेश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को बैंक ऋण दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी बैंकवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बैंक ऋण नहीं दिए हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा बैंक ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी.वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में विद्युत उत्पादन

5062. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितने विद्युत स्टेशन/सब-स्टेशन हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार इनमें से प्रत्येक विद्युत स्टेशन में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विद्युत स्टेशनों में विद्युत क्षमता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) राजस्थान में विद्युत स्टेशनों और सब-स्टेशनों की कुल संख्या क्रमशः 8 और 32 (220 के.वी. और इससे अधिक के) हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में प्रत्येक विद्युत स्टेशन का वर्षवार विद्युत उत्पादन संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) और (घ) यूनिटों का संयंत्र भार घटक बढ़ाने के लिए कोटा टी.पी.एस. की प्रत्येक 110 मे.वा. की यूनिट-1 एवं 2 को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम चरण-2 के तहत् शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन यूनिटों की विद्यमान क्षमता में अभिवृद्धि होगी।

विवरण

राजस्थान में विद्युत उत्पादन

केन्द्र/प्रकार	1994-95 वास्तविक (मि.यू.)	1995-96 वास्तविक (मि.यू.)	1996-97 वास्तविक (मि.यू.)
आर.एस.ई.बी.			
थर्मल			
कोटा	4276	5216	5638
रामगढ़ (जी.टी.)	0	16	75
जोड़	4276	5232	5713
हाइड्रो			
आर.आर. सागर	598	625	694
जवाहर सागर	443	443	481
माही बजाज	419	331	363
स्माल हाइड्रो	13	6	9
जोड़	1473	1405	1547
जोड़ (आर.एस.ई.बी.)	5749	6637	7260
एन.टी.पी.सी.			
अन्ता न्यूक्लीयर एनपीसी	2339	2607	2654
आरएपीएस	381	0	0
जोड़ राजस्थान			
थर्मल	6615	7839	8367
न्यूक्लीयर	381	0	0
हाइड्रो	1473	1405	1547
जोड़	8469	9244	9914

[अनुवाद]

• तेल पूल खाता

5063. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल समन्वयन समिति (ओ.सी.सी.) के लिए एक नई भूमिका बनाने का है; और

(ख) तेल समन्वयन समिति के पुनर्गठन से पेट्रोलियम उत्पादों की मानक लागत को प्रभावित करने वाले तत्वों और तेल पूल खाते में घाटे के बोझ को कम करने से संबंधित मामलों में किस हद तक सुधार होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) तेल समन्वय समिति की विद्यमान कार्य प्रणाली की जांच करने तथा पेट्रोलियम क्षेत्र के उदारीकरण के संदर्भ में इसकी भूमिका एवं संरचना में उपयुक्त परिवर्तन सुझाने के लिए तेल समन्वय समिति द्वारा एक अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बकाया रकम

5064. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से केन्द्र सरकार के पास बकाया रकम के समायोजन को स्थगित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन में उल्लिखित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय को देय मूल ऋणों अथवा ब्याज की अदायगी को स्थगित करने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन वित्त मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में विद्युत परियोजना

5065. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत और पेट्रो रसायन विभाग, गुजरात सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को "गुजरात में स्वदेशी उपस्करों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं में भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा निवेश पर छूट दिए जाने "के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज तक प्राप्त हुए इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत, अस्वीकृत तथा विचाराधीन/लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लेने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है तथा इनकी नवीनतम स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) निजी विद्युत नीति अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट करती है कि कुल परिव्यय के 40 प्रतिशत तक की राशि भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से आ सकती है परन्तु शेष राशि की अन्य स्रोतों से पूर्ति की जानी होगी। गुजरात सरकार ने 1996 में अनुरोध किया था कि स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से उपस्कर प्राप्त करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) को इस सीमा से छूट प्रदान की जानी चाहिए। यह अनुरोध विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों को ऋण

5066. श्री डी.पी. यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों को ऋण प्रदान करने में विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनसे उत्तर प्रदेश की, विशेषकर सम्भल क्षेत्र की अनुसूचित जातियां लाभान्वित हुई हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) उत्तर प्रदेश के संयोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस. एल.बी.सी.) की जानकारी में नहीं आई।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी सूचित किया है कि जिन योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों को लाभ दिया गया है, वे हैं :- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर.डी.पी.), विशेष संघटक योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एस.यू.एम.ई.), प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एम. आई.यू.पी.ई.पी.) और सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना (एन.एस.एल.आर.एस.)।

(ग) उत्तर प्रदेश के संयोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित थे :

	योजना की प्रकृति	वास्तविक लक्ष्य
(i)	पी.एम.आर.वाई.	35,813
(ii)	एस.यू.एम.ई.	49,157
(iii)	पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी.	7,822
(iv)	विशेष संघटक योजना	1,00,000
(v)	सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	60,000

जहां तक आई.आर.डी.पी. का संबंध है। 450.00 करोड़ रुपए का वित्तीय लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक में रिक्त पद

5067. श्री अंचल दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 में उड़ीसा क्षेत्र-3 में भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में चतुर्थ वर्ग/वर्ग "घ" के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चयन की कोई प्रक्रिया शुरू की गई थी और उम्मीदवारों का एक पैनल लम्बे समय तक रिक्तियों को बिना भरे रखा गया था;

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यथा स्वीकृत पैनल में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किए जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) रिक्त पदों को कब तक पैनल में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त करके भरा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम ब्यूरो

5068. श्री संदीपान थोरात : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम ब्यूरो को सौंपे गये और उसके द्वारा किये गये प्रमुख सर्वेक्षणों/अनुसंधान अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना-वार संगठित शहरी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, ठेका श्रमिकों, महिला श्रमिकों इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार श्रम ब्यूरो का पुनर्गठन करने, प्रचालनात्मक लागत को कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को सुदृढ़ बनाने तथा नई सरकार की प्रतिबद्धताओं/वरीयताओं के अनुसार ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में संगठित/असंगठित श्रमिकों के लिए नीति बनाने/संशोधित करने के संदर्भ में प्रासांगिक/सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है तथा श्रम ब्यूरों को निर्दिष्ट चल रहे अनुसंधान सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) संगठित श्रम के लिए, श्रम ब्यूरो शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से संबंधित कर्मकारों का सर्वेक्षण करवा रहा है, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत श्रम सांख्यिकी का संकलन, श्रमजीवी व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण, दुबारा मकान किराया सर्वेक्षण श्रम दशाओं का सर्वेक्षण, विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रम सांख्यिकी का संकलन तथा औद्योगिक कर्मकारों, कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए मजबूरी दर सूचकांक, खुदरा मूल्य-सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन कर रहा है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम ब्यूरों, ग्रामीण श्रम जांच, उद्योगों/रोजगार के असंगठित क्षेत्र में लगे कर्मकारों की कामकाजी और रहन-सहन की परिस्थितियों का सर्वेक्षण, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का मूल्यांकन/अध्ययन करवा रहा है। ठेका श्रम सर्वेक्षणों के अंतर्गत ठेका श्रम के संबंध में कार्य दशाओं आदि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है। महिला कर्मकारों के लिए उद्योगों में महिला कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों संबंधी-सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। अनुसंधान अध्ययनों के अंतर्गत भारत में श्रम अनुसंधान की डाइजैस्ट और महिला श्रमिकों संबंधी सांख्यिकीय रूप रेखा प्रकाशित की गयी है।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण करवाने में प्रचलन लागत को कम करने के उद्देश्य से ब्यूरों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया और ब्यूरो को इनहाऊस मुद्रण सुविधा मुहैया करवायी गयी है। ब्यूरो को सौंपे गये चालू सर्वेक्षणों/अध्ययनों की प्रगति संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार है।

विवरण

1. *ग्रामीण श्रम जांच* : अभी तक आठ जांच-पड़तालें करवायी गयी हैं, अद्यतन जांच 1993-94 में करवायी गयी थी। 1987-88 की जांच-पड़ताल से संबंधित रिपोर्टें जारी कर दी गयी हैं और 1993-94 से संबंधित आंकड़े जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से सितम्बर, 1996 में प्राप्त हुए थे रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उनकी छानबीन की जा रही है और उन्हें सारणीबद्ध किया जा रहा है।

2. *देश में असंगठित श्रमिकों की कामकाजी और रहन-सहन की परिस्थितियों का सर्वेक्षण* : 25 सर्वेक्षण करवाए गए हैं और 23 सर्वेक्षणों से संबंधित रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी है। पत्थर उत्थान उद्योग के संबंध में रिपोर्ट मुद्रणाधीन है। मानव निर्मित रेशा वस्त्र उद्योग के संबंध में रिपोर्ट के सारणीकरण और मसौदा बनाने का कार्य हाथ में है। समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग में सर्वेक्षण करवाए जाने संबंधी प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

3. *अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से संबंधित कर्मकारों की कामकाजी और रहन-सहन की परिस्थितियों संबंधी सर्वेक्षण* : आगरा, शोलापुर, मद्रास, पटना, इन्दौर और गाजियाबाद में अनुसूचित जातियों के संबंध में सर्वेक्षण करवाया जा चुका है। गाजियाबाद और इन्दौर के संबंध में रिपोर्ट शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। अन्य सभी रिपोर्टें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। अभी तक राउरकेला, रांचो, सूरत, बैलाडिला, नागपुर और वेलगांव में अनुसूचित जन जातियों के संबंध में सर्वेक्षण करवाया जा चुका है। बेलगांव के संबंध में रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अन्य सभी रिपोर्टें पहले ही जारी की जा चुकी है।

4. *उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (जनगणना और नमूना)* : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (जनगणना) 1992-93 संबंधी सारी रिपोर्टों की ड्राफ्टिंग का कार्य हाथ में है। 1977-78 से प्रारम्भ हुए आठवें दौर के लिए उद्योगों को वार्षिक सर्वेक्षण (नमूना) के संबंध में रिपोर्टें जारी कर दी गयी हैं। और अन्य छः दौर से संबंधित कार्य पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में है।

5. *उद्योग में महिला कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक दशाएं*: बीड़ी उद्योग में अखिल भारतीय आधार पर सर्वेक्षण करवाए गए हैं। बीड़ी उद्योग के संबंध में रिपोर्टें मद्रणाधीन हैं और सिले सिलाए वस्त्र उद्योग तथा अगरबत्ती उद्योग के संबंध में उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूना विनिर्माण उद्योग में क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

6. *श्रमजीवी वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण* : औद्योगिक कर्मकारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (जो वर्तमान में 1982=100 है) को अद्यतन करने के उद्देश्य से नए सिर से सर्वेक्षण शुरू किए जाने संबंधी प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

7. *न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन संबंधी मूल्यांकन अध्ययन*: अभी तक 18 अध्ययन करवाए गए हैं। कर्नाटक में बीड़ी उद्योग में एक और अध्ययन शुरू किया गया है और क्षेत्र के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। प0 बंगाल में कृषि में अध्ययन संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्य अध्ययनों संबंधी रिपोर्टें जारी कर दी गयी हैं।

8. *व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण* : अभी तक सर्वेक्षण के चार दौर आयोजित किये जा चुके हैं। सर्वेक्षण का पांचवां दौर अप्रैल, 1993 में शुरू किया गया था। 57 उद्योगों का चुनाव किया गया है। 34 उद्योगों में क्षेत्र सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 15 उद्योगों के संबंध में रिपोर्ट 5 खण्डों में प्रकाशित की जा चुकी हैं। 10 उद्योगों के संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 9 उद्योगों के लिए आंकड़ों का सारणीकरण चल रहा है। 10 और विनिर्माण उद्योगों के संबंध में क्षेत्र सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है।

9. *दुबारा मकान किराया सर्वेक्षण* : इसे छमरही अंतराल पर नियमित रूप से किया जाता है और इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ो का सामान्य सूचकांक के संकलन के लिए उपयोग किया जाता है।

10. *श्रम दशाओं का सर्वेक्षण* : 59 उद्योगों में 61 सर्वेक्षण करवाए जा चुके हैं। (जिनमें 2 उद्योगों में दुबारा सर्वेक्षण शामिल है)।

11. *ठेका श्रम सर्वेक्षण* : 35 उद्योगों में 38 सर्वेक्षण करवाए जा चुके हैं। (जिनमें 3 उद्योगों में दुबारा सर्वेक्षण शामिल है)।

12. औद्योगिक कर्मकारों, कृषि कर्मकारों और ग्रामीण श्रमिकों संबंध-उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को मासिक आधार पर संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है।

13. 31 आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा मूल्य सूचकांकों को मासिक आधार पर संकलित किया जा रहा है।

14. मजदूरी दर सूचकांकों को वार्षिक आधार पर संकलित किया जा रहा है : 1993 के लिए सभी 21 उद्योगों के सूचकांक प्रकाशित कर दिए गए हैं और 1994 के लिए 12 उद्योगों के लिए सूचकांक का संलग्न पूरा कर लिया गया है।

15. *उत्पादकता सूचकांक* : विनिर्माण क्षेत्र में 35 चुनिन्दा उद्योगों के लिए आधार 1970-71 के साथ यह सूचकांक संकलित किया जा रहा है। वर्ष 1988-89 तक सूचकांक पूरा हो चुका है।

16. *श्रम सांख्यिकी* : विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत विवरणियों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों को लेबर जर्नल (मासिक), इंडियन लेबर ईयर बुक (वार्षिक), इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स आदि में प्रकाशित किया जा चुका है।

17. *अनुसंधान* : महिला श्रम 1993 संबंधी सांख्यिकीय पृष्ठभूमि का चौथा अंक प्रकाशित किया जा चुका है और पांचवें अंक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत में श्रम अनुसंधान डाइजेस्ट का छठा अंक प्रकाशित किया जा चुका है और 1993-96 को शामिल करने वाले सातवें अंक की तैयारी का कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत मजदूर

5069. डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत मजदूर सिलिकोशिश नामक रोग के शिकार हो जाते हैं;

(ख) क्या इस रोग से धीरे-धीरे मृत्यु हो जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए ाए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्लेट-पैंसिल उद्योग में कार्यरत बीमित व्यक्तियों के सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने की कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जानकारी है। सिलिकोसिस एक अनुत्क्रमणीय, दीर्घकालिक और प्रगामी बीमारी है। जिससे एक समय अंतराल पर धीरे-धीरे मृत्यु हो जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल कर्मकारों के लिए उनके निदान, उनको निगरानी में रखने और उनकी आगे जांच पड़ताल व उपचार के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। जिन्हें स्थाई अपंगता से पीड़ित पाया जाता है उनकी एक विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच की जाती है जिससे अपंगता की सीमा और मुआवजे की राशि का मूल्यांकन किया जा सके। व्यवसाय जनित बीमारी से उत्पन्न अपंगता के मामले में क.रा.बी. निगम उसी दर पर अतिरिक्त लाभ का भुगतान कर रहा है जिस दर पर रोजागर के दौरान चोट के लिए दिया जाता है। उन मामलों की जांच की जाती है जिनकी व्यावसायिक बीमारी होने का संशय हो जिससे निदान की पुष्टि हो सके, कार्यात्मक अपंगता का मूल्यांकन हो सके और जिसकी क.रा.बी.नि. द्वारा गठित एक विशेष चिकित्सा बोर्ड जिसका क्षेत्राधिकार समस्त भारत है, द्वारा उपार्जन शक्ति के ह्रास का निर्णय हो सके। व्यावसायिक बीमारियों के शीघ्र पता लगाने व निदान के लिए निगम ने 4 आंचलिक व्यावसायिक बीमारी केन्द्र, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में प्रत्येक में एक-एक स्थापित किये हैं। ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए किये जाने वाले स्वास्थ्य उपाय कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत निर्धारित किये गए हैं सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए उनका अनुसरण करना आवश्यक है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बाल श्रमिक

5070. श्री अमर राय प्रधान :
श्री लिंगराज वल्याल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में नियुक्त करने को रोकने हेतु कड़े उपायों की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली/नई दिल्ली में अनेक सरकारी कार्यालयों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ''पूछताछ कार्यालयों'' में ठेका प्रणाली के अन्तर्गत अनेक बाल श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है तथा ऐसे ठेकेदारों द्वारा उन्हें सफेदी और अन्य दैनिक कार्यों पर नियुक्त किया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एस्सार इन्वेस्टमेंट

5071. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एस्सार इन्वेस्टमेंट जिसने स्टर्लिंग कम्प्यूटर लि० की 80 प्रतिशत इक्विटी पहले ही ले ली है, ने अब शेष 20 प्रतिशत इक्विटी के लिए जनता को खुली आफर दी है;

(ख) क्या एस्सार इन्वेस्टमेंट ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित 218 रुपए प्रति शेयर की दर के विपरीत 532 रुपए प्रति शेयर की दर से शेष 20 प्रतिशत शेयर लेने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त कंपनी ने निर्धारित समझौते की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत इस संबंध में आवश्यक सार्वजनिक घोषणा की है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) सेबी ने सूचित किया है कि एस्सार ग्रुप ऑफ कम्पनीज् ने स्टर्लिंग कम्प्यूटर्स लि० का 80 प्रतिशत हिस्सा अर्जित करने के बाद स्टर्लिंग कम्प्यूटर्स लि० की इक्विटी पूंजी के 20 प्रतिशत हिस्से को अर्जित करने के लिए फरवरी, 1997 में सार्वजनिक पेशकश की।

(ख) अधिग्राहक द्वारा निर्धारित किया गया 532 रुपए प्रति शेयर की पेशकशी मूल्य उस मूल्य से अधिक था जो सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 1997 के तहत नियत किया जा सकता था। अपेक्षाकृत ऊंची दर निवेशकों के हित में थी।

(ग) पेशकश के लिए सार्वजनिक घोषणा 25 नवम्बर, 1996 को की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायताप्राप्त परियोजनाएं

5072. श्री गुमान मल लोढा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1997 के "दैनिक आबजर्वर" में "आई.बी.आर.डी. कॉलेज टार्डी एजीक्यूशन ऑफ हाइवे प्रोजेक्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विश्व बैंक के आडिट मिशन ने यह कहा है कि विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से स्थापित की जा रही परियोजनाओं में विलम्ब किया जा रहा है और उसकी प्रगति असंतोषजनक है;

(ग) यदि हाँ, तो विश्व बैंक के आडिट मिशन द्वारा ऐसी टिप्पणी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) विश्व बैंक का लेखा परीक्षा मिशन राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, संविदाकारी उद्योग और परामर्शदाताओं से विचार-विमर्श करता रहा है। उसके बाद बैंक की मंशा विश्व बैंक की ऋण सहायता से चलने वाली भावी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इस प्रकार के विलम्बों को कम करने के लिए सरकार को उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना है। विश्व बैंक से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न उठेगा।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता

5073. श्री ई. अहमद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर को प्रदान की जाने वाली स्वायत्तता के संबंध में राज्य सरकार के साथ कोई चर्चा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) सरकार ने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में यह कहा है कि वह भारत के संविधान के ढांचे के भीतर जम्मू और कश्मीर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता देने के पक्ष में है। इस मुद्दे की जांच करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने डॉ० कर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। तथापि, राज्य सरकार से अभी तक कोई रिपोर्ट या प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस विषय में राज्य सरकार के साथ बातचीत करने का प्रश्न असामयिक है।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले श्रमिक

5074. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री इलियास आजमी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और वे अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) देश में ऐसे लोगों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) अकुशल श्रमिकों के लिए पृथक रूप से गरीबी के अनुमान उपलब्ध नहीं है। गरीबी का प्रभाव क्षेत्र, योजना आयोग द्वारा अनुमानों के समानुपातन एवं गरीबी की संख्या पर गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा स्वीकृत गरीबी रेखा पर आधारित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा की परिभाषा, 1973-74 के मूल्यों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुप्रए के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के रूप में करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति आवश्यकता के मानदण्ड पर सेवाओं तथा वस्तुओं के समूह पर आधारित है। योजना आयोग राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी के प्रभाव क्षेत्र का आकलन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा उपभोक्ता व्यय पर आयोजित पंचवर्षीय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर करता है। 50वें चक्र के एस.एस.एस. उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित वर्ष 1993-94 के नवीनतम उपलब्ध अनुमान ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत एवं 1993-94 (परिष्कृत विशेषज्ञ समूह)

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		समेकित	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	79.49	15.92	74.47	38.33	159.97	22.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.02	45.01	0.11	7.73	3.78	39.35
3.	असम	94.33.	45.01	2.03	7.73	90.36	40.96
4.	बिहार	450.86	58.21	42.49	34.50	493.35	54.96
5.	गोवा	0.38	5.34	1.53	27.03	1.91	14.92
6.	गुजरात	52.16	22.18	43.02	27.69	105.19	24.21
7.	हरियाणा	36.56	28.02	7.31	16.38	43.88	25.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.46	9.18	15.86	28.44
9.	जम्मू और कश्मीर	19.05	30.34	1.85	9.18	20.92	25.17
10.	कर्नाटक	95.99	29.88	60.46	40.14	156.46	33.16
11.	केरल	55.95	25.76	20.46	24.55	70.41	25.43
12.	मध्य प्रदेश	216.19	40.64	82.33	48.38	290.52	42.52
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93	111.90	35.15	305.22	36.66
14.	मणिपुर	6.33	45.01	0.47	7.73	6.80	33.78
15.	मेघालय	7.09	45.01	0.29	7.73	7.38	37.92
16.	मिजोरम	1.64	45.01	0.30	7.73	1.94	25.66
17.	नागालैण्ड	4.85	45.01	0.20	7.73	5.05	37.92
18.	उड़ीसा	140.90	49.72	19.70	41.64	160.60	48.56
19.	पंजाब	17.76	11.85	7.35	11.35	25.11	11.77
20.	राजस्थान	84.68	26.48	33.82	30.49	128.50	27.41

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	1.81	45.01	0.03	7.73	1.54	41.43
22.	तमिल नाडु	121.70	32.48	80.40	39.77	202.10	35.03
23.	त्रिपुरा	11.41	45.01	0.38	7.73	11.79	39.01
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	108.28	35.39	604.46	40.85
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	40.80	44.66	22.41	254.56	35.66
26.	अण्डमान और निकोबार	0.73	32.48	0.33	39.77	1.06	34.47
27.	चण्डीगढ़	0.07	11.35	0.73	11.35	0.80	11.35
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.72	51.95	0.06	39.93	0.77	50.84
29.	दमन और द्वीप	0.03	5.34	0.15	27.03	0.18	15.30
30.	दिल्ली	0.19	1.90	15.32	16.03	15.51	14.69
31.	लक्यद्वीप	0.06	25.76	0.08	24.55	0.14	25.04
32.	पाण्डिचेरी	9.93	32.48	2.38	39.77	3.31	37.40
	अखिल भारतीय	2440.31	37.27	763.37	32.36	3203.56	35.97

1. असम की गरीबी का अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा के लिए प्रयुक्त किया गया है।
2. तमिलनाडु की गरीबी का अनुपात पाण्डिचेरी एवं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयुक्त किया गया है ।
3. केरल की गरीबी का अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है।
4. गोवा की गरीबी का अनुपात दमन एवं दीव के लिए प्रयुक्त किया गया है।
5. पंजाब की शहरी गरीबी का अनुपात चण्डीगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी दोनों की गरीबी के लिए प्रयुक्त किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा का व्यय वितरण, गोवा की गरीबी अनुपात आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा एवं नगर हवेली का व्यय वितरण, दादरा एवं नगर हवेली के गरीबी अनुपात आकलन हेतु प्रयुक्त किया गया है।
8. हिमाचल प्रदेश की गरीबी का अनुपात 1993-94 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए प्रयुक्त किया गया है।

प्रदूषण जाँच अभियान

[अनुवाद]

5075. श्री पंकज चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का प्रदूषण जांच के लिए कोई विशेष अभियान शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस तारीख तक उस अभियान को शुरू किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नाबार्ड द्वारा पुनः वित्तपोषण किया जाना

5076. श्री जी.ए. चरण रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने 1996-97 के दौरान विभिन्न वित्तीय निकायों को उनकी ग्रामीण निवेश ऋण दिये जाने के लिए पुनः वित्त पोषण किये जाने के लिए 3523 करोड़ रुपए वितरित किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1995-96 के दौरान कितनी राशि वितरित की गई थी;

(ग) वित्त निकायों के नाम क्या हैं जिन्हें ग्रामीण निवेश हेतु यह धनराशि प्रदान की गई थी;

(घ) विभिन्न राज्यों की योजनाओं सहित नाम क्या हैं जहां यह राशि व्यय की गई थी;

(ङ) क्या नाबार्ड को इन वित्तीय संस्थाओं से उनके द्वारा किये गए विकास कार्यों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने 1996-97 के दौरान विभिन्न वित्तीय एजेंसियों को उनके ग्रामीण निवेश ऋण संवितरणों के लिए पुनर्वित्त के रूप में 3523 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। 1995-96 के दौरान, विभिन्न एजेंसियों को संवितरित पुनर्वित्त सहायता की राशि 3064 करोड़ रुपए थी। जिन वित्तीय एजेंसियों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई है, वे हैं (1) वाणिज्यिक बैंक (2) सहकारी बैंक अर्थात् राज्य सहकारी बैंक (एस.सी.बी.) और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एस.सी.ए.आर.डी.बी.) तथा (3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(घ) 1995-96 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए पुनर्वित्त की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राशि विवरण-I में दी गई है। जिन योजनाओं के अंतर्गत उक्त राशि संवितरित की गई है; उनके विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) वित्तीय एजेंसियां उनके द्वारा संवितरित ऋणों के उपयोग की, आवधिक निगरानी करती है। नाबार्ड भी समय-समय पर उसके द्वारा पुनर्वित्तपोषित निवेशों के संबंध में विभिन्न निवेश एवं वित्तीय एजेंसियों को कवर करते हुए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नमूना आधार पर ऋण उपयोग का अध्ययन करता है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने 1995-96 के दौरान ऐसे 98 अध्ययन और 1996-97 के दौरान 25 अध्ययन किए हैं।

विवरण-I

1996-97 के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरित पुनर्वित्त

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1114
2.	आंध्र प्रदेश	35401
3.	अरुणाचल प्रदेश	849
4.	असम	6553
5.	बिहार	14079
6.	चंडीगढ़	4
7.	दादरा व नागर हवेली	16
8.	गोवा	762
9.	गुजरात	19643
10.	हरियाणा	20583
11.	हिमाचल प्रदेश	3575
12.	जम्मू व कश्मीर	943
13.	कर्नाटक	27764
14.	केरल	18377
15.	लक्षद्वीप	6
16.	मध्य प्रदेश	15122
17.	महाराष्ट्र	36003
18.	मणिपुर	742
19.	मेघालय	711
20.	मिजोरम	289
21.	नागालैण्ड	204
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	669
23.	उड़ीसा	11611
24.	पांडिचेरी	150
25.	पंजाब	22456
26.	राजस्थान	23587
27.	सिक्किम	89
28.	तमिलनाडु	29802
29.	त्रिपुरा	1446
30.	उत्तर प्रदेश	48352
31.	पश्चिम बंगाल	12415
	योग	352310

(आंकड़े अनन्तिम)

विवरण-II

निवेश ऋण (योजनाबद्ध ऋण) परिचालन के तहत नाबार्ड द्वारा जिन प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई जा रही पुनर्वित्त सहायता

1. लघु सिंचाई
2. राष्ट्रीय बीज परियोजना-III
3. व्यापक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम
4. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
5. भूमि विकास
6. फार्म यंत्रिकरण
7. शुष्क भूमि कृषि
8. वृक्षारोपण/बागवानी
9. डेयरी विकास
10. समुद्र में मत्स्ययन
11. अंतर्देशीय जल में मत्स्ययन
12. खारे पानी में झींगामछली पालन
13. भण्डारण, गोदाम, बाजार सुविधा
14. वानिकी
15. बायोगेस
16. मुर्गी पालन
17. भेड़/बकरी/सूअर पालन
18. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (कृषि क्षेत्र)
19. संमन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (उद्योग)
20. सेवा/व्यापार
21. अनुसूति जाति/अनुसूचित जनजाति (कृषि क्षेत्र)
22. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (गैर कृषि क्षेत्र)
23. गैर-कृषि क्षेत्र

जम्मू-कश्मीर में बम विस्फोट

5077. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री मंगत राम शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच माह के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट की कितनी घटनाएं हुई और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) सरकार द्वारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) विभिन्न घटनाओं में की गई जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच महीनों के दौरान अर्थात् 15.11.95 से 15.4.97 तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य में ग्रेनेडों और तुरत-फुरत तैयार विस्फोटक युक्तियों के विस्फोटों सहित कुल 251 बम विस्फोट/विस्फोट हुए। इस अवधि के दौरान राज्य में आतंकवादी हिंसा से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 488 सिविलियनों, सुरक्षा बल के 70 कार्मिकों और 318 उग्रवादियों सहित कुल 876 व्यक्ति मारे गए थे।

(ख) आतंकवादियों के ऐसे क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं - संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता/गश्त में बढ़ोत्तरी, नाजुक इलाकों में तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर पिकेंटें स्थापित करना, आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने के लिए लगातार अभियान चलाना, नाजुक इलाकों में वाहनों आदि की जांच के लिए नाकाओं और जांच चौकियों की पद्धति को सुचारू बनाना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, घुसपैठ रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाना तथा संचार माध्यमों के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रति लक्षित विभिन्न उपाय करना आदि।

(ग) इस अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संदिग्ध संलिप्तता के लिए सुरक्षा बलों द्वारा 704 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(घ) आतंकवादी गतिविधियों की ऐसी घटनाओं के संबंध में मामले दर्ज किए जाने हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। किसी विशिष्ट घटना के उल्लेख के अभाव में ऐसी जांच पड़ताल/छानबीन के बारे में कोई विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध करवा पाना व्यवहार्य नहीं हैं।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

5078. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने कश्मीर में हाल में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) यद्यपि यह कहना सही नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा है परन्तु यह सत्य है कि सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित तत्वों द्वारा हिंसा में बढ़ोतरी करने और आसान लक्ष्यों पर हमले करके, निर्दोष सिविलियनों की जान की परवाह न करते हुए विस्फोटक युक्तियों का अंधाधुंध प्रयोग करके राज्य के माहौल को विषाक्त बनाने, सामान्य जीवन को बाधित करने तथा राजनैतिक एवं जनतांत्रिक प्रणाली में बाधा डालने की कोशिश में जबरदस्ती ''बंद'' और ''हड़ताल'' कराने के प्रयास, खासतौर से उग्रवादियों के मारे जाने पर, जारी हैं। स्थिति पर कड़ी और लगातार नजर रखी जा रही है और आतंकवादी एवं विद्रोही तत्वों के खिलाफ अनवरत अभियान चलाने सहित सभी आवश्यक उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं कि इन मनसूबों को सफल न होने दिया जाए। राज्य और केन्द्र दोनों ही स्तरों पर सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए सतत् आधार पर आवश्यक उपाय कर रही हैं कि राज्य में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण और स्थाई शांति कायम की जा सके।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्वायत्तता

5079. श्री पी. कोदंडा रमैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अपनी शक्तियों, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है तथा इसे कार्य संबंधी पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।

[हिन्दी]

ब्रिटिश तेल कंपनियों द्वारा निवेश

5080. कुमारी उमा भारती : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की वृद्धि की संभावना को देखते हुए तेल की खोज में लगी ब्रिटिश तेल कंपनियों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके प्रति ब्रिटिश तेल कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ग) सरकार द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही में घोषित नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत सभी भारतीय तथा विदेशी कंपनियों, जिनमें ब्रिटिश तेल कंपनियाँ शामिल हैं, का भारत में तेल अन्वेषण के काम के सम्बन्ध में निवेश करने के लिए स्वागत है।

बैंक ऑफ इंडिया में धोखा-धड़ी

5081. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1997 के ''जे.वी.जी. टाइम्स'' में प्रकाशित शीर्षक समाचार ''बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामला जांच आगे बढ़ाने की अनुमति ठंडे बस्तें में'' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो 3 वर्ष पूर्व शुरू की गई जांच की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक ऑफ इंडिया की न्यूयार्क शाखा में हुई 89,92,815 डालरों की धोखाधड़ी के बारे में की गई जांच के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देख लिया है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि बैंक आफ इंडिया की न्यूयार्क शाखा में हुई धोखाधड़ी के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया की न्यूयार्क के तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सीनियर वाइस प्रेसीडेंट) एवं अन्यों के खिलाफ फरवरी 1994 में एक नियमित मामला दर्ज किया गया था। इस मामलें में भारत में क्षेत्रीय कार्यवाही पूरी हो गई है। चूंकि विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जांच की जानी अपेक्षित है, इसलिए लेटर रोगेटरी जारी करने के लिए अदालत में आवेदन पत्र दायर करने की कार्रवाई शुरू की गई है। सी.बी.आई. ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि संयुक्त राज्य के प्राधिकारियों द्वारा गहन जांच की जानी है, इसलिए इस मामले में जांच को पूरा करने के लिए फिलहाल कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

हिन्दी का प्रयोग

5082. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मंत्रालय के दफ्तरों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे;

(ख) क्या सरकार का विचार अपने कर्मियों को जो टेलेक्स, कम्प्यूटर आदि जैसे विभिन्न इलैक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं हिन्दी में भी प्रशिक्षण देने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय के कार्यालयों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। 85 भारतीय मिशनों/केन्द्रों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जा चुकी है और शेष कार्यालयों में ऐसी ही समितियों के गठन के लिए कार्रवाई की जा रही है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इन कार्यालयों को पुस्तकें, साहित्य, श्रव्य-दृश्य, सामग्री, द्विभाषी कम्प्यूटर सोफ्टवेयर और अन्य संगत सामग्री निरन्तर रूप से देते रहने के प्रयास जारी रहेंगे।

(ख) और (ग) जी, हाँ। हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए विदेश मंत्रालय के कार्यालयों को उपयुक्त द्विभाषी कम्प्यूटर सोफ्टवेयर की खरीद और आपूर्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है। इससे ई-मेल और फैक्स जैसे संचार के आधुनिक माध्यमों से हिन्दी में संदेशों और अन्य विषय-वस्तुओं को तेजी से भेजने में भी मदद मिलेगी।

कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि को जमा न किया जाना

5083. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार यह जानती है कि अर्थरटन मिल, कानपुर, उत्तर प्रदेश के नियोजकों ने 1991 से न तो श्रमिकों की भविष्य निधि का 2.40 करोड़ रुपया जमा करवाया है और न ही अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट आयुक्त के कार्यालय में भेजी है जिसके परिणामस्वरूप कामगार अपना धन प्राप्त करने की आशा ही खो बैठे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार तुलन-पत्र तैयार करवाने, कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को जमा करवाने और समय पर वेतन के वितरण के लिये प्रयास करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक कर लिया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ। अर्थरटन मिल, कानपुर (उत्तर प्रदेश) ने लगभग 2.50 करोड़ रुपए के बराबर भविष्य निधि की बकाया राशि जमा नहीं करवायी है और 1991-92 से भविष्य निधि कार्यालय में विवरणी भी प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) वर्तमान में, यह प्रतिष्ठान पुनर्वास हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत है। जबकि सरकार, कर्मकारों, को समय पर भुगतान किए जाने को सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है, फिर भी कभी-कभी वित्तीय कठिनाईयों के कारण ऐसी अदायगियां किए जाने में विलम्ब होता रहा है। कर्मचारियों को वर्ष 1990-91 के लिए लेखा पर्चियां जारी कर दी गयी हैं। प्रबंधन से अंशदान प्राप्त होने पर ही बाद के वर्ष के लिए लेखा पर्चियां जारी की जा सकती हैं।

बकाया सीमा/उत्पाद शुल्क

5084. श्री मडेश कुमार एम. कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार बकाया सीमा/उत्पाद शुल्क की धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकारी तंत्र सीमा शुल्क की इस बकाया धनराशि को वसूल करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

आरक्षण का कार्यान्वयन

5085. श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आरक्षित पदों को भरने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करने के लिए कोई पैनल तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) मंत्रिमंडल समिति की संरचना और विचारणीय विषयों आदि के संबंध में सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

उद्योगों में श्रम कानून लागू करना

5086. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश उद्योग अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं तथा श्रम न्यायालय विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करवाने में पूर्णतः असफल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों को कठोरता से लागू किए जाना सुनिश्चित करने हेतु कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली स्थित अधिकांश उद्योग न्यूनतम मजदूरी अदा कर रहे हैं हालांकि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी न अदा किये जाने संबंधी कुछ शिकायतें भी समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) और (ग) वर्ष, 1996 के दौरान, दिल्ली सरकार को 7194 शिकायतें प्राप्त हुई जो कि न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न करने/कम से संबंधित थीं। 1187 मामलों में नियाक्ताओं ने कमियों में सुधार किया और 48,36,495/-रुपये की राशि कर्मकारों को अदा कराई गई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए 429 चूककर्ता प्रबंधनों के विरुद्ध अभियोग चलाए गए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र अधिनियम की परिधि के भीतर शामिल प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करते हैं और अधिनियम के किसी उल्लंघन की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करता है।

बैंकों में बेनामी खाते

5087. श्री आई.डी. स्वामी : क्या वित्त मंत्री बैंकों में बेनामी खाते के बारे में 22 नवम्बर, 1996 तथा 28 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 432 तथा 1119 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त के संबंध में अब तक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ। सूचना अब एकत्र कर ली गई है और नीचे दी जा रही है।

(ख) (i) बैंक ऑफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उनकी आपेरा हाऊस शाखा में 22 तथाकथित बेनामी खाते खोले जाने की सूचना मिली है।

(ii) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ने सूचित किया है कि फोर्ट शाखा में 4 (चार) खाते दरबारगढ़ (भावनगर) शाखा में 2 (दो) खाते और नीलम बाग चौक में 1 (एक) खाता तथाकथित बेनामी किस्म के खोले जाने की सूचना मिली है। फोर्ट शाखा के चार खातों के बारे में विवरण की जांच प्रवर्त्तन निदेशालय कर रहा है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अनुसार उनकी डॉ॰ डी.एन.रोड़ शाखा एम.जी. रोड़ शाखा और चौपाट्टी शाखाओं में 14 खातों में संदिग्ध धोखाधड़ी दस्तावेजों के बदले अत्यधिक धन जमा किए जाने और/या प्रेषण किए जाने के कारण वे नोटिस में आए।

(iv) आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि सांगली बैंक के अनुसार उनकी फोर्ट मुम्बई शाखा में कोई बेनामी खाता नहीं है।

(ग) बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ने सूचित किया है कि शाखाओं ने उचित परिचय प्राप्त करने और चैक जमा करने तथा आहरण की अनुमति के लिए मानदंडों का अनुसरण जैसे निर्धारित मार्गनिर्देशों को पूरा करने के लिए ही ये खाते खोले थे। अतः उन खातों को खोलने के लिए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक के अनुसार, सभी चौदह खाते अन्य बैंकों या मौजूदा खाता धारकों द्वारा विधिवत् परिचित करवाए गए थे। तथापि, खाता खोलने के फार्मों में दिए गए कुछ पते की बाद में की गई पुष्टि से पता लगा कि ये व्यावसायिक केन्द्रों के पते थे, जिनमें खाता धारक ने डाक प्राप्त करने की व्यवस्था की थी। कुछ मामलों में खाता खोलने की प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया था और बैंक द्वारा समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तथापि, कर्मचारियों की खाता धारकों के साथ मिलीभगत के कोई प्रमाण नहीं मिले।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बेनामी खातों पर रोक लगाने के लिए बैंकों ने दिनांक 1 जनवरी, 1994 से नए जमा खातों के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को फोटो प्राप्त करने की नई प्रणाली शुरू की है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.10.94 के पत्र की शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि सभी मामलों में खाता धारकों के पतों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।

बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक ने सूचित किया है कि सभी शाखाओं को नए खाते खोलने के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने और साथ ही किसी संदेहास्पद लेन-देन के लिए नए खोले गए सभी खातों पर निकट से निगरानी रखने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं।

तेल की खोज

5088. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी व्यवस्था से भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों का कारोबार फैलाने हेतु विदेशों में इक्विटी भागीदारी कार्यक्रम में इन कम्पनियों की भागीदारी को अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) इस संबंध में क्या विशेष उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा तेल अन्वेषण कार्यक्रम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए परिकल्पित सम्पूर्ण दृष्टिकोण को क्रमबद्ध रूप से आरम्भ नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उपाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) विदेश में इक्विटी तेल अर्जित करने के अवसरों की खोज में लगी है। इसने वियतनाम, यमन, मिस्र और ट्यूनिशिया में अन्वेषण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी करार किए हैं। यह कजाखस्तान, इराक आदि में भी ठेके प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रही हैं।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में ओ.एन.जी.सी. द्वारा कूपों के संबंध में अन्वेषणात्मक वेधन लक्ष्य प्राप्त किए गए थे, हालांकि मीटरेज में कमी थी। आठवीं योजना में अन्वेषणात्मक वेधन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। सरकार ने तेल अन्वेषण में निजी कंपनियों द्वारा प्रतियोगिता के लिए विभिन्न दौरों की घोषणा की है। हाल ही में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति की भी घोषणा की गई है, ताकि देश में अन्वेषण प्रयासों को अत्यधिक बढ़ावा दिया जा सके। कोयला परत मिथेन जैसे नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की शुरूआत करने के अलावा गहन जल अन्वेषण में प्रयास करना और सीमावर्ती बेसिनों में अन्वेषण जारी रखना नौवीं योजना में घरेलू रकबों में अन्वेषणात्मक प्रयासों में वृद्धि करने की कुछ पहलें हैं।

[हिन्दी]

बीड़ी कर्मकार

5089. श्री दादा बापूराव परांजपे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च माह में अखिल भारतीय बीड़ी कर्मकार संघ के आह्वान पर देश के लगभग सभी भागों के हजारों बीड़ी कर्मकारों ने दिल्ली में एक रैली आयोजित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वी गंडक पनबिजली परियोजना

5090. डॉ॰ मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार की ऋण सहायता से बिहार के बाल्मीकि नगर में स्थापित पूर्वी गंडक पन बिजली परियोजना की सभी इकाइयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन इकाइयों में कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या जापान सरकार ने इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालाचारी): (क) इस समय पूर्वी गण्डक जल विद्युत परियोजना की तीन यूनिटों में से दो यूनिटों को चालू किया गया है। फील्ड सर्किट ब्रेकर (ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर तथा इलेक्ट्रिक गवर्नर जो पारगमन

के दौरान खराब हो गए थे) को बदले जाने की आवश्यकता के कारण तीसरी यूनिट को अभी तक चालू नहीं किया है। यूनिट-1 और 2 को क्रमशः 13.9.95 और 28.6.95 को चालू किया गया।

(ख) और (ग) इन यूनिटों से 15 अप्रैल, 1997 तक उत्पादित कुल विद्युत 28.7 मि.यू. है। यह दोनों यूनिटें 5 मे.वा. प्रत्येक की निर्धारित क्षमता पर प्रचालन कर रही है।

(घ) इस परियोजना को ओ.ई.सी.एफ. ऋण के जरिए वित्त पोषित किया गया है। ऋण की संविदात्मक राशि 1628 मिलियन येन थी तथा ओ.ई.सी.एफ. द्वारा ऋण की पूरी राशि संवितरित कर दी गई है।

बिहार जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ओ.सी.एफ. से अनुदान के रूप में एक और 56.45 मिलियन येन का ऋण प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। ताकि तीसरी यूनिट को चालू करने के दौरान फील्ड सर्किट ब्रेकर, ए.बी.आर. और इलैक्ट्रिक गवर्नर को बदलने तथा पर्यवेक्षक शुल्कों के लिए आवश्यक व्यय की पूर्ति की जा सके।

[अनुवाद]

लोक प्रशासन

5091. श्री जगमोहन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राजनैतिक अस्थिरता अथवा अनिश्चितता के दौरान सुचारू एवं प्रभावी ढंग से लोक प्रशासन का संचालन सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्णिया में पनविद्युत परियोजना स्थापित करना

5092. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के पूर्णिया जिले में एक पन विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह संयंत्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (ग) पूर्णिया जिले में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने सम्बन्धी कोई भी परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लम्बित नहीं है। पूर्णिया जिले में किसी भी जल विद्युत परियोजना पर निर्माण कार्य नहीं चल रहे हैं।

[हिन्दी]

नई आर्थिक नीति के अंतर्गत रोजगार के अवसर

5093. डॉ॰ राम विलास वेदान्ती : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई आर्थिक नीति के अंतर्गत रोजगार अवसर सृजित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने बेरोजगार युवाओं को लाभ पहुंचने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष औसतन 8.5 मिलियन के लगभग अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की मध्यमार्गीय नीति बनाई है। रोजगार वृद्धि की नीति नौवीं योजनावधि में भी जारी रहने की सम्भावना है तथा 1997-2002 की अवधि के दौरान औसतन प्रतिवर्ष 9.5 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की अपेक्षा है जिससे बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकें। रोजगार वृद्धि की यह दर प्राप्त करने के लिये योजना में ऐसी रोजगार नीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें उच्च रोजगार गहनता वाले क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों यथा; कृषि, कृषीय तथा ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण अवसंरचना, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर जोर दिया गया है। नयी रोजगार योजनाएं यथा; रोजागर आश्वासन योजना (इएएस), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की 2 मिलियन रोजगार की योजना आठवीं योजनावधि में, पहले से चल रही योजनाओं यथा; आई.आर.डी.पी., जे.आर.वाई. तथा एन.आर.वाई. के अतिरिक्त आरम्भ की गई हैं। प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम भी जनसंख्या के निर्धन वर्ग को बुनियादी सेवाओं के प्रावधन के साथ रोजगार सृजन का एक घटक है।

[अनुवाद]

गैस एजेन्सियाँ

5094. श्री पवन दीवान :
डॉ॰ सत्यनारायण जटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और उज्जैन जिलों के किन-किन स्थानों पर रसोई गैस की एजेन्सियां खोली गई है और कब से;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन गैस एजेन्सियों को रसाई गैस के कितने अतिरिक्त कनेक्शन जारी किये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नए गैस कनेक्शनों के लिए इन गैस एजेन्सियों में कितने लोग पंजीकृत हैं; और

(घ) इन जिलों में गैस एजेन्सियों को जारी किए गए अतिरिक्त गैस कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या का एजेन्सीवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1994-95 से 1996-97 के दौरान डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से जारी एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र और उज्जैन जिले में कार्यरत एल.पी.जी. डिस्ट्रब्यूटरशिपों की प्रतीक्षा सूची से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	संख्या	अवधि	1994-95 से 96-97 के दौरान जारी एलपीजी कनेक्शनों की संख्या	प्रतीक्षा सूची
छत्तीसगढ़	62	1993-1996	37056	127164
उज्जैन जिला	16	1982-1996	14428	26735

[हिन्दी]

टिहरी बांध के विस्थापित

5095. डॉ॰ रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल में चल रही बांध परियोजना के डूब क्षेत्र के लोगों तथा इस जिले की अन्य जनता और साथ ही विभिन्न वर्गों के लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणी के भरे गए पदों की कुल संख्या कितनी है तथा इसमें से डूब क्षेत्र के लोगों की वर्गवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या टिहरी हाईड्रो डिवलपमेंट कारपोरेशन (टी.एच.डी.सी.) रोजगार देते समय इस क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (घ) टिहरी जल विद्युत निगम लिमिटेड (टी.एच.डी.सी) टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन डूब क्षेत्रों से संबंधित लोगों को अधिसूचित की गई रिक्तियों में रोजगार हेतु वरीयता प्रदान करती है। वर्ष 1994-95 तथा 1996 के दौरान भरे गए श्रेणीवार पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	पदों की श्रेणी	भरे गए कुल पद	डूब क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों की संख्या
1.	कार्यपालक	33	14*
2.	सुपरवाइजर	17	14
3.	कामगार	25**	17

* गैर डूब क्षेत्र के व्यक्तियों को विशिष्ट पदों पर भर्ती किया गया है। डूब क्षेत्र के व्यक्ति तथा आरक्षित क्षेत्रों के व्यक्ति सहज ही उपलब्ध नहीं थे।

** इसमें दो आरक्षित रिक्तियां तथा चार अनुकम्पा आधार वाली नियुक्ति शामिल हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास बैंक

5096. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 1997 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "एन.एच.बी. पेज रूपीज 912 करोड़ टू ग्रिन्डलेज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषगी, राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) ने सूचित किया है कि कतिपय प्रतिभूति लेनदेनों के संबंध में ए.एन.जेड. ग्रिंडलेज बैंक पी.एल.सी. से संबंधित उसके विवाद के मामले में, जो मार्च-अप्रैल 1992 के दौरान किया गया था; उसने 4 नवम्बर, 1992 को ए.एन.जेड. नेशनल ग्रिंडलेज बैंक पी.एल.सी. से एक समझौता किया है कि वह मामलों को मध्यस्थों के एक पैनल/बोर्ड को भेजेगा। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई कि अधिसंख्यक द्वारा दिया गया अवार्ड माना जाएगा और यह भी कि एन.एच.बी., ए.एन.जेड. ग्रिंडलेज पी.एल.सी. को उस ब्याज के साथ विवादित राशि का भुगतान करेगा जो अधिनिर्णित किया गया और कोई भी पक्ष अवार्ड का चुनौती देने के लिए कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक कि उपर्युक्त अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है। विद्वान मध्यस्थों ने एक की तुलना में दो के बहुमत से 29 मार्च 1997 को अपना निर्णय सुनाया और एन.एच.बी. ने ए.एन.जेड. ग्रिंडलेज बैंक पी.एल.सी. को 912.22 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) की राशि का भुगतान तदनुसार कर दिया है। एन.एच.बी. के अनुरोध पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 700 करोड़ रुपए का मीयादी ऋण मंजूर किया है जो 5 प्रतिशत वार्षिक के ब्याज दर पर 15 वर्षों के पश्चात् इस शर्त के साथ लौटाना है कि अवार्ड के अंतिम रूप से रद्द होने पर, ग्रिंडलेज बैंक से वसूली गई सम्पूर्ण राशि आर.बी.आई. को वापस की जाएगी। एन.एच.बी. ने बाकी राशि को अपने आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध कराया है।

एन.एच.बी. ने आगे बताया है कि उसने भारतीय माध्यस्थम अधिनियम 1940 के उपबंधों के अंतर्गत विशेष न्यायालय में बहुमत अवार्ड को चुनौती देने का निर्णय लिया है।

पड़ौसी देश के द्वारा परमाणु हथियारों की खरीद

5097. श्री वी. प्रदीप देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत की पश्चिमी सीमा पर भारी मात्रा में परमाणु हथियार एकत्र किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार अपने इस फैसले कि वह परमाणु हथियार तब तक नहीं बनाएगी, जब तक कि उसे बाध्य न कर दिया जाए, पर पुनर्विचार करेगी, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) सरकार को भारत के पड़ोस में उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों की जानकारी है। भारत की सुरक्षा की स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती हैं, विशेष रूप से पड़ोस में घटित होने वाली घटनाओं के संदर्भ में तथा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सभी आवयक उपाय करेगी।

अवैध कब्जे का हटाया जाना

5098. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकारण (दि.वि.प्रा.) को सरकारी भूमि पर सभी अवैध कब्जों को हटाने और यह कार्य मार्च, 1997 तक पूरा करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो आज तक की स्थिति के अनुसार दि.वि.प्रा. द्वारा हटाये गये इन अवैध निर्माणों/कब्जों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दि.वि.प्रा. इन अवैध निर्माणों/कब्जों को हटाने हेतु प्रभावी कदम उठाने में असफल रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि न्यायालय से ऐसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, रिट याचिका सं0 2729/96 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिये थे कि सरिता विहार क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटा दिये जाने चाहिए। न्यायालय के आदेश में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) सरिता विहार (स्ववित्त पोषित स्कीम) में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हटाये गये अतिक्रमणों का विवरण इस प्रकार है:

पाकेट सं0	मामलों की संख्या जिनमें अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाये गये
पॉकेट डी	24
" ई	28
" एफ	16
" जी	13
" एच	17
" जे	13

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि जब कभी भी अतिक्रमणों का पता चलता है/जानकारी में आते हैं तो अतिक्रमणों/अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाती है। 1/4/96 से 31/3/97 की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 172 एकड़ सार्वजनिक भूमि से अवैध निर्माण और अतिक्रमण तथा 5913 अवैध ढांचे भी हटाये गये।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता में कटौती

5099. श्री के. परसुरामन :
डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कम धनराशि मिलने की संभावना है;

(ख) क्या विश्व बैंक की ब्याज की उदार शर्तों पर ऋण संबंधी सुविधा (सॉफ्ट लोन इन्ट्रेस्ट विन्डो) भारत को उपलब्ध नहीं होगी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या अनेक ऋणदाता देशों द्वारा इसका विरोध किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसका मुख्य कारण क्या है और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) हाल के वर्षों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से लगभग एक बिलियन प्रति वर्ष उधार लिया है। अगले तीन वर्षों के लिए उधार देने के स्तर में कुछ कमी होने का अनुमान लगाया गया था। उधार देने का यह स्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के कुल उधार देने के भाग में कमी का संकेत करता है।

(ख) से (ङ) जी, हाँ। तथापि, भारत और चीन जैसे देशों मे इस आधार पर कि ये देश निजी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं; आई.डी.ए. से संबंधित सहायता को कम करने के संबंध में विचार-विमर्श होता रहा है। विलोमतः यह भी तर्क दिया गया कि इस प्रकार की निजी निधियां गरीबी कम करने/सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों से संबंधित आई.डी.ए. सहायता की मूल बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का पक्ष सुदृढ़ है। तथापि इस प्रकार के मामलों अभी केवल विचार-विमर्श के स्तर पर हैं और इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रफ आपथलेमिक ब्लैंक्स

5100. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **वित्त मंत्री** 29 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4438 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हांगकांग के उन सप्लायरों (निर्यातकों) से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से (ओ.आर.बी. रफ आपथलेमिक ब्लैंक्स फार करेक्टिव स्पेक्टेकल्स ऑफ चाइनीज ओरिजिन) का आयात किया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हांगकांग के सप्लायरों के माध्यम से तथा सीधे ही चीन से पृथक-पृथक रूप से आयात किए गए ओ.आर.बी. की गुणवत्ता के बारे में इनके आकार एवं मोटाई सहित ब्यौरे क्या है;

(ग) क्या देश में उक्त वस्तुओं के आयातक इन्हें सी. एण्ड एफ. के आधार पर अथवा एफ.ओ.बी. के आधार पर आयात करते हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान चीन से तथा हांगकांग के डीलर सप्लायरों के माध्यम से आयात किए गए ऐसे आर.आर.बी. के प्रति यूनिट मूल्य के संबंध में मोटाई-वार एवं आकार वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस अवधि के दौरान दिल्ली तथा मुम्बई के प्रत्येक आयातक द्वारा उक्त मद की कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(च) उन सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; जिनके द्वारा मामले को लटकाए रखने के कारण उक्त अवधि के दौरान कम मूल्य के बीजक दर्शाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक के सीमा शुल्क और बिक्री कर की बचत कर ली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चीन द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल प्रोद्योगिकी का हस्तांतरण

5101. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1997 के दैनिक ''बिजनैस स्टैन्डर्ड'' में ''चाइना कंटीन्यूज मिसाइल टैंक ट्रासंफर

टू पाक'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चीन द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी समाचार पहले भी विगत वर्षों में समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अपने साधनों से इन तथ्यों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और विगत वर्षों में इस संबंध में पाकिस्तान को किस तरह की सहायता दी गई और वह कब प्रदान की गई थी ?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) सरकार को इस बात की बराबर जानकारी है कि विगत वर्षों के दौरान पाकिस्तान को चीन द्वारा कुछ एम-11 मिसाइलों और संबद्ध प्रौद्योगिकी का अन्तरण किया गया है। सरकार स्वयं महसूस की जाने वाली धमकियों के अनुसार सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

घरेलू तेल शोधन उपकरण निर्माता

5102. श्री सुरेश प्रभु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घरेलू तेल शोधन उपकरण निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवर्ष 4000 करोड़ रुपए के बाजार घाटे की आंशका से भावी निर्यात स्थिति में परिवर्तन की मांग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) घरेलू तेल शोधन उपकरण निर्माताओं के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जी, हाँ। शोधक परियोजनाओं के घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए प्रत्यक्ष निर्यातों के सममूल्य पर समझी गई निर्यात प्रसुविधाएं चाहने वाले घरेलू पूंजीगत वस्तु उद्योग की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार ने पहले ही शोधक परियोजनाओं को पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए समझी गई निर्यात प्रसुविधाएं प्रदान करने की घोषणा कर दी है।

फ्लेटों का रख-रखाव

5103. श्री शिवराज सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) परिसर में स्थित फ्लैट, जो कि इस समय जवाहर लाल विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं, सम्पदा निदेशालय के हैं तथा उनका रख-रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जे.एन.यू. परिसर द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये फ्लैट जीर्ण स्थिति में हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इनका उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन फ्लैटों के रख-रखाव के लिए अभी तक वार्षिक रूप से शीर्षवार कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(च) फ्लैटों के उचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सिविल	1996-97	रूपये 2,37,262/-
इलैक्ट्रिकल	1996-97	रुपये 2,92,000/-

(च) क्वार्टरों का रखरखाव ठीक प्रकार से किया जाता है।

असंगठित क्षेत्र के लिये बीमा योजना

5104. श्री पी.वी. राजेश्वर राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की पद्धति पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिये कोई बीमा योजना आरम्भ करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस समय किसी नई बीमा योजना को शुरू करने अथवा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं हैं जिसमें असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को शामिल किया जा सके। तथापि, अभिनिर्धारित असंगठित क्षेत्रों में कर्मकारों की पहचान करने के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के प्रयोजन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि से एल.आई.सी. और जी.आई.सी. द्वारा अनेक व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें खेतिहर भूमिहीन कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा, कर्मकार रिक्शा चालक आदि शामिल हैं। निर्माण कार्य, ट्रैक्टरों द्वारा खेती, सेप्टिक टैंकों और जंगलों की सफाई, खेती, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव/डस्टिंग मशीन से फसल कटाई/दवाई आदि में लगे असंगठित श्रमिकों को पहले ही कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों के दायरे में लिया गया है। सरकार ने अन्तर्राज्यीय सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए ट्रक/बस ड्राइवरों के परिवारों के पुनर्वास के लिए अनुग्रह भुगतान योजना भी शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत भुगतान किए जाने वाले लाभ के अलावा होगी।

दार्जिलिंग गोरखा हिल कांऊसिल

5105. श्री आर.बी.राई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दार्जिलिंग हिल कांऊसिल (डी.जी.सी.) की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कांऊसिल को उसके फंड्स (ए.सी.ए. आदि) सीधे ही मुहैया करा दिए जाएं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इस मंत्रालय में दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् (डी.जी.एच.सी.) के चेयरमैन एवं चीफ एक्जीक्यूटिव कांउसलर श्री सुभाष घीसिंग से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें अनुरोध किया गया था कि वर्ष 1992-93 में विशेष केन्द्रीय सहायता परिषद् को सीधे ही पहुंचाई जाए।

(ग) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत डी.जी.एच.सी. के अस्तित्व में आने से पहले ही विशेष केन्द्रीय सहायता, जिसमें दार्जिलिंग क्षेत्र के लिए नियत निधि भी शामिल है, राज्य सरकार को ही उपलब्ध कराई जा रही थी। मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत, केन्द्रीय निधियां राज्य सरकारों को अंतरित की गई थी। जो स्वायतशासी निकायों/अभिकरणों को ये निधियां और आगे जारी करते थे।

दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद अधिनियम, 1988 के तहत कुछ विकास संबंधी मामले डी.जी.एच.सी. को सौंपे गए थे और कुछ राज्य सरकार द्वारा अपने पास रखे गए थे। हस्तांतरित मामलों के लिए राज्य सरकार द्वारा निधियां सीधे डी.जी.एच.सी. को मंजूर की जाती रही हैं। इसके अतिरिक्त एच.ए.डी.पी. और विशेष क्षेत्र योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता केवल डी.जी.एच.एस. के लिए ही नहीं थी।

राज्य सरकारों द्वारा स्वायत्त निकायों/अभिकरणों को निधि आबंटन/अंतरण की मौजूदा व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि राज्य सरकार केवल राज्य योजना के अंतर्गत हुए कुल व्यय के मानीटरन (प्रबोधन) के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि निधियों की उपयोगिता के लिए भी जवाबदेह हैं।

इजरायल के साथ संबंध

5106. श्री विजय गोयल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारहवें मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में अपने सदस्य राष्ट्रों से इजरायल के साथ अपने मौजूदा संबंधों को समाप्त करने की अपील की है;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत और इजरायल के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत क्या राजनयिक और नीतिगत कदम उठाने पर विचार कर रहा है; और

(ग) इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव कम करने में भारत की क्या भूमिका है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत के इजराईल के साथ चल रहे कार्यात्मक सहयोग को नाम घोषणा को ध्यान में रखते हुए और आगे विकसित किया जाएगा।

(ग) भारत ने मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन किया है और तदुनसार, सभी संबंधित पक्षों से सहमत समय सीमा के भीतर अंतरिम करार और समझौते करके शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रयोजनपूर्ण कार्य करने का अनुरोध किया है ताकि इसका तार्किक हल निकाला जा सके।

प्राकृतिक गैस

5107. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड :
श्री बी. के. गढ़वी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस की कीमत-निर्धारण संबंधी टी.एल. शंकर समिति ने प्राकृतिक गैस की कीमतो में 1 अप्रैल, 1997 से वृद्धि की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो संस्तुत वृद्धि का ब्यौरा क्या है और उसका मूलाधार क्या था; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति ने ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. के लिए क्रमशः 1800/- रुपये प्रति हजार घन मीटर और 1900/- रुपये प्रति हजार घन मीटर के उत्पादक मूल्यों की सिफारिश की है। समिति ने एच.बी.जे. पाइपलाइन के साथ 1150 रुपये प्रति हजार घन मीटर के परिवहन प्रभार की सिफारिश की है। समिति ने मूल्य निर्धारण अवधि में गैस के उपभोक्ता मूल्य में 200 रुपये की वार्षिक वृद्धि की सिफारिश की है।

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

राज-सहायता पर किया गया व्यय

5108. श्री सनत मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 में विभिन्न प्रकार की राज-सहायता ऐसे खाद्यान्नों, चीनी, मिट्टी का तेल, रसोई गैस, यूरिया और नाइट्रोजनी उर्वरकों पर दी गई राज-सहायता पर किए गए व्यय संबंधी अद्यतन आंकड़े क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1996-97 का बजट तैयार करने के समय इन राज-सहायताओं का अनुमान क्या था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जैसा कि अभी अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, सुनिश्चित आर्थिक सहायताओं के लिए बजट अनुमान की तुलना में 1996-97 के लिए संशोधित अनुमान इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए)

आर्थिक सहायता	1996-97	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
खाद्यान्न	5241	5166
चीनी	643	900
देशी (यूरिया) उर्वरक	4500	4743
आयातित (यूरिया) उर्वरक	1648	1350
किसानों को रियायत सहित विनियंत्रित पोटाशी एवं फास्फेटी उर्वरकों की बिक्री	2224	1674
अन्य आर्थिक सहायताएं	2064	2861
जोड़	16320	16694

मिट्टी के तेल एवं रसोई गैस (एल.पी.जी.) के लिए बजट के माध्यम से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवा

5109. श्री सत्य पाल जैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में पिछले पांच वर्षों के दौरान बेरोजगार युवाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है तथा तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) चंडीगढ़ में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में कितना प्रावधान किया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) श्रम मंत्रालय से एकत्र की गयी सूचना के अनुसार रोजगार की तलाश में जुटे उन व्यक्तियों की संख्या नीचे दर्शायी गयी जो जरूरी नहीं कि सभी के सभी बेरोजगार हो और

संघ प्रदेश चण्डीगढ़ में कार्यरत रोजगार केन्द्रों के ताजा रजिस्टरों पर दर्ज हों :

वर्ष (वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार)	रोजगार केन्द्रों के रजिस्टर में दर्ज रोजगार की तलाश में जुटे व्यक्तियों की संख्या (हजारों में)
1992	161.9
1993	161.6
1994	157.2
1995	153.2
1996	139.7

(ये रोजगार केन्द्र नियोक्ता द्वारा उनको अधिसूचित रिक्त पदों के आधार पर अपने पास पंजीकृत उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित करते हैं।)

(ख) नेहरू रोजगार योजना सन् 1989 से संघ प्रदेश चण्डीगढ़ सहित देश में चल रही है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करना है।

(ग) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए संघ प्रदेश चण्डीगढ़ के बारे में किया गया अस्थाई प्रावधान 12.34 लाख रुपये हैं।

[अनुवाद]

डेकोरेटिव लैमिनेटों की तस्करी

5110. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मयंमार को बरास्ता मोराह डेकोरेटिव लैमिनेटों की तस्करी के बारे में अवगत है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) ऐसी कोई घटनाएं ध्यान में नहीं हैं।

(ख) तस्करी-रोधी एजेंसियां डेकोरेटिव लैमिनेटों की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी रोकने और उसका पता लगाने के लिए सतर्क हैं।

केरल में हथकरघा कल्याण निधि योजना

5111. श्री पी.सी. चाक्को : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने उत्पादन इकाइयों/प्राथमिक समितियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करने से छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार हथकरघा क्षेत्र को कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करने से छूट प्रदान करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो इस निर्णय को कब तक लागू कर दिया जएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) हैंडलूम सैक्टर उत्पादन इकाइयों/प्राथमिक सोसायटियों को ई.एस.आई. अधिनियम से छूट प्रदान करने के लिए केरल सरकार से उनके 27 जुलाई, 1996 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई इसको स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि इसमें ऐसी इकाईयों के श्रमिक ई.एस.आई. स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध विस्तृत सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रह जायेंगे।

मुद्रा की कमी

5112. श्री भक्त चरण दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को मुद्रा की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य वित्तीय लेन-देन का काम काज ठप पड़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए लोगों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तेंदु पत्तों आदि की अधिप्राप्ति के लिए संभवतः काम के लिए भोजन और अन्य रोजगार कार्यक्रमों और स्कीमों को आरंभ करने के कारण पिछले वर्षों की तुलना में नकदी की मांग में अचानक तेजी आई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने भुवनेश्वर स्थित कार्यालय के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रबन्ध किया गया है जो आगे इसे करेंसी तिजोरियों को सप्लाई करता है।

भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सेबी)

5113. श्री सुलतान सलाउद्दीन आवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार को घोटालों से मुक्त करने के लिए "प्रतिभूति और प्राधिकृत गारंटी" नामक कार्यक्रम की जांच की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रणाली अमरीका में हस्ताक्षर प्रणाली पर आधारित है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे शेयर-बाजार घोटालों को न्यूनतम करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं। सेबी ने यह सूचित किया है कि इन प्रतिभूति और प्राधिकृत गारंटी कार्यक्रम नामक किसी प्रणाली की जांच नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विजया बैंक में धोखाधड़ी

5114. डॉ॰ एम. जगन्नाथ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 तथा 1992 के मध्य में विजय बैंक में हुए करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता चला है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके लिए जिम्मेवार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) विजया बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ने वर्ष 1987-1992 की अवधि में निम्नलिखित छः खातों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की अंतर्ग्रस्तता वाले धोखाधड़ी/सतर्कता मामलों का पता लगाया था :

(1) विजया वीडियो एक्सपोर्टस एवं सहयोगी संस्था।

(2) एशियन वायर रोप्स एंड मैसर्स एशियन इस्पात प्रा॰ लि॰।

(3) पी.जे. पाइप्स एण्ड वेसल्स लि॰

(4) आर.के.बी. हर्बल्स प्रा॰ लि॰

(5) सेबसन फ्रेट कंटेनर्स प्रा॰ लि॰

(6) सर्राफ ग्रुप एण्ड लोढिया ग्रुप ऑफ कम्पनियां।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इन सभी खातों के संबंध में मामले दर्ज किए थे। सभी मामलों में विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है तथा दोषी कर्मचारियों में से 27 कर्मचारियों पर दंड लगाया गया है।

काल्वे में विद्युत परियोजना की स्थापना

5115. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र में जिला ठाणे के काल्वे में एक ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु बी.एस.ई.एस. कंपनी की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) महाराष्ट्र में जिला थाणे के काल्वे में एक ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए बी.एस.ई.एस. कंपनी की ओर से कोई परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सदर्न गैस ग्रिड

5116. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन दक्षिणी राज्यों ने सदर्न गैस ग्रिड स्थापित करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने दक्षिणी राज्यों को सदर्न गैस ग्रिड स्थापित करने हेतु कोई आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) दक्षिणी गैस ग्रिड के लिए मांग आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा केरल से प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने, आयातित प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस द्वारा अनुपूरित, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से गैस का परिवहन करने के लिए दक्षिणी गैस ग्रिड अवधारणा को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

प्रबन्धन परीक्षा

5117. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **श्रम मंत्री** प्रथम श्रेणी प्रबन्धन परीक्षा के बारे में 19 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4063 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस संबंध में सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई सिफारिशों/संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : समिति ने (क) द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी खान प्रबन्धक सहायता प्रमाण पत्र को बनाए रखने (ख) खण्डों के परीक्षाएं उत्तीर्ण करने और (ग) गैर कोयला खानों मे "फोरमैन" और खनन गेट प्रमाणपत्र की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने के मामलों में वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की है। समिति की ये सिफारिशें क्रियान्वित की जाती रहीं। समिति ने सिफारिश की कि मौखिक परीक्षण में कम से कम दो परीक्षक होने चाहिए। समिति को यह सिफारिश मान ली गई है और इसे लागू कर लिया गया है।

2. निम्नलिखित पहलुओं पर समिति की सिफारिशें जो क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं; कोयला खान विनियम 1957, धात्विक खान विनियम 1961 और इनके अंतर्गत बनाए गए उप-कानूनों में संशोधन अपेक्षित हैं;

(क) द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता।

(ख) प्रबंधक प्रमाण के मामले में लिखित और मौखिक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण करने का मानदण्ड।

(ग) सर्वेक्षक प्रमाणपत्र के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव।

(घ) मेडिकल फिटनेस के लिए प्रमाणपत्रों का पृष्ठाकंन/नवीकरण।

(ङ) लैम्प जांच प्रमाणपत्र की समाप्ति।

विनियमों और उप-कानूनों में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

3. अधिनियम, 1952, के उपबंधों के अन्तर्गत गठित एक निकाय खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा क्रियान्वयन के लिए संशोधन के साथ समिति की निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

(क) द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक, प्रमाणपत्र के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड।

(ख) दो प्रमाणपत्रों अर्थात् कोयला खानों में खनन सरदार और ओवरमैन प्रमाणपत्र के बजाय केवल एक खनन पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र परीक्षा आयोजित करना।

(ग) मेकेनिकल/इलैक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए समकक्षता प्रमाणपत्र।

(घ) सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए उच्चतम आयु सीमा निर्धारित करना।

(ङ) गैस परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया।

(च) प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र के लिए सेवा अनुभव। खनन परीक्षा बोर्ड का इन सिफारिशों के संबंध में भिन्न-भिन्न मत है। इनकी जांच की जा रही है।

नेशनल हाइडल पावर कारपोरेशन

5118. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हाइडल पावर कारपोरेशन कुछ राज्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) लाभार्थी राज्यों के विरुद्ध मार्च, 1997 तक बकाया ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे ऋणों की वसूली के लिए नेशनल हाइडल पावर कारपोरेशन क्या कदम उठा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

5119. श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम निवेश करने और धन को जुटाने में निर्णय स्वयं लेने हेतु स्वायत्तता की मांग कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को उज्जवल भविष्य सहित एक विश्वव्यापी संगठन बनाने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (ग) जी, हाँ। समान न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसरण स्वरूप सरकार ने ऐसे नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पता लगाया है जो कि तुलनात्मक दृष्टि से "विश्वस्तर की श्रेष्ठता" प्राप्त हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से एक है। इन उपक्रमों को "विश्वस्तर की श्रेष्ठता" के योग्य बनाने संबंधी प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसके लिए किए जाने वाले उपाय अभी तैयार किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

[हिन्दी]

वित्त निगम

5120. श्री इलियास आजमी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए स्थापित वित्त निगम को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(घ) अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कुल स्वीकृत धनराशि के वितरण के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1994 की 5000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की गई थी। इसमें 25 प्रतिशत (125 करोड़ रुपए) तक अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 75 प्रतिशत (375 करोड़ रुपए) राज्य सरकार द्वारा किया जाना था।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार का पूरा हिस्सा निगमों को निम्नानुसार प्रदान किया जा चुका है :

	(करोड़ रुपए)
1994-95	50
1995-96	39
1996-97	36
जोड़	125

[अनुवाद]

पारेषण और वितरण में नुकसान

5121. प्रो॰ अजीत कुमार मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रिड में विद्युत पारेषण की फ्रीकवेंसी में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव आने के कारण विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में करोड़ों रुपये मूल्य के बिजली के उपकरणों का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रिड संचालन के कुप्रबंध के बारे में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव आने से किसी भी उपस्कर के क्षतिग्रस्त होने का पता नहीं चला है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वी क्षेत्र के विद्युत ग्रिड में उच्च फ्रीक्वेंसी प्रचालन के कारण चंद उपस्कर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन हानियों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य/ प्रणाली	केन्द्र	यूनिट	क्षमता (मे.वा.)	क्षति
1	2	3	4	5
डीवीसी	बोकारो "बी"	2	210	टरबाईन के ब्लेड में खराबी
डब्ल्यूबीपीडीसीएल	कोलाघाट	5	210	टरबाईन के ब्लेड में खराबी

1	2	3	4	5
डब्ल्यूबीपी कोलाघाट डीसीएल		3	210	लेसिंग तारों के ब्रेजिंग में दरारें
बीएसईबी पतरातू		1 व 3	50	टरबाईन के ब्लेड में
		9	110	खराबी
सीईएससी दक्षिण विद्युत		1	67.5	खराबी
डीवीसी	दुर्गापुर	4	210	रेगुलेटरी स्वेज लाइनर क्षतिग्रस्त

ग्रिडकों ने नेशनल एल्यूमिनियुम लिमिटेड (नालको) तथा इंडियन चार्ज क्रोम लि॰ (आईसीसीएल) के विद्युत केन्द्रों के टरबाइनों में भी खराबी होना बताया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की है तथा इन समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं। जांच समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) पूर्वी क्षेत्र के ग्रिड में उच्च फ्रीक्वेंसी प्रचालन का मुख्य कारण गैर-व्यस्तमकालीन मांग बहुत न्यून हो जाने के परिणामस्वरूप शीर्ष/गैर शीर्ष/गैर शीर्ष मांग का अनुपात उच्च होता रहा है। गैर शीर्ष अतिरेक विद्युत की पूर्वी क्षेत्र से पड़ौसी क्षेत्रों में हस्तांतरित करने के लिए पूर्वी क्षेत्र से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (असम-100 मे.वा.), दक्षिणी क्षेत्र (आंध्र प्रदेश-150 मे.वा.) को विद्युत हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विद्युत का हस्तांतरण पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र (मध्य प्रदेश-150 मे.वा) तथा उत्तरी क्षेत्र (100-150 मे.वा.) को करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र के बीच अंतःक्षेत्रीय उच्च वोल्टता एचवीडीसी लिंक निर्माणाधीन हैं तथा यह फरवरी, 1999 तक पूरा हो जाएगा। इसकी सहायता से पूर्वी क्षेत्र की 500 मे.वा. अतिरिक्त विद्युत को दक्षिणी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा सकेगा। पूर्वी क्षेत्र की और अतिरेक विद्युत को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हस्तांतरित करने के लिए पावरग्रिड बोंगाईगांव (उ.पू.क्षे.) तथा मालदा (प.क्षे.) के बीच में 400 के.वी. डबल सर्किट लाईन का निष्पादन कर रहा है। इस लाइन का निर्माण कार्य एक वर्ष के अंदर पूरे कर लिए जाने की प्रत्याशा है। इसके माध्यम से 700-800 मेगावाट विद्युत को पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच अंतरित किया जा सकेगा।

सदस्य (ग्रिड प्रचालन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने फ्रीक्वेंसी का अनुमत्य सीमा तक बनाए रखने के लिए समुचित भार प्रबंधन सुनिश्चित किए जाने हेतु पूर्वी क्षेत्र की सभी घटक यूटिलिटियों के अध्यक्षों को भी पत्र लिखे हैं।

हज सद्भावना दल

5122. श्री दरबारा सिंह :
कर्नल राव राम सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी तादाद में हज से लौटे यात्रियों ने मीना को भेजे गए "हज सद्भावना दल" पर पीड़ितों की देखभाल न करने और अपने लिए कारों, सुरक्षा कर्मियों और विशेष भोजन की मांग करने के आरोप लगाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उपर्युक्त मामले में कोई उच्चस्तरीय जांच करायी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) हज से लौटे यात्रियों से सरकार को सद्भावना दल के विरुद्ध शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

5123. श्री राम कृपाल यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना सितम्बर, 1993 में ही शुरू की गई, अतः पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने की

आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को तेजी से भरने के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं जो एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

विद्युत प्रशुल्क

5124. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत प्रशुल्क के संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या देश में निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादन की गई बिजली सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली की तुलना में महंगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) केन्द्रीय सरकार ने 30 मार्च, 1992 को एक टैरिफ अधिसूचना सं. एस.ओ. 251 (ई) (यथा समय संशोधित) जारी की है जिसके अनुसार विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा बोर्डों और अन्य व्यक्तियों को की जाने वाली विद्युत की बिक्री हेतु टैरिफ निर्धारित किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं। भारत सरकार की टैरिफ अधिसूचना ऐसी प्रत्येक विद्युत उत्पादक कंपनी के लिए चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, लागू होती है; जिनके वित्तीय पैकेज 30 मार्च, 1992 या उसके बाद अनुमोदित किए गए हैं। विद्युत स्टेशन का टैरिफ इसकी सम्पूर्ण लागत, प्रकार, कीमत और ईंधन के स्रोत कर शुल्कों तथा संपूर्ण होने के वर्ष पर निर्भर करता है न कि इस घटक पर कि यह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थापित हैं।

(ग) यह प्रश्न नही उठता।

मान्यता नियमों में संशोधन

5125. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सेवाओं में यूनियन/एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए मान्यता नियमों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नये मान्यता नियमों को लागू करने से पूर्व इन्हें जारी करने के लिए संगठनों से बातचीत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) यूनियन/एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को मान्यता देने का निर्णय करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा एसोसिएशन को मान्यता) नियमावली, 1993 में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई है :

(i) मान्यता प्राप्त करने के क्रम में एसोसिएशन किसी एक वर्ग के कुल कर्मचारियों में से कम से कम 35% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अवश्य करती हो इसमें आगे यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसे मामलों में जहां केवल एक एसोसिएशन है जिसकी 35 प्रतिशत से अधिक की सदस्यता है कोई दूसरी एसोसिएशन जो सदस्यता के क्रम में दूसरे नम्बर पर है, को भी मान्यता मिल सकती है यदि वह कर्मचारियों के विशिष्ट वर्ग के कम से कम 15 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हो।

(ii) सदस्यता की जांच-पड़ताल चैक-आफ पद्धति द्वारा की जाएगी जिसके तहत सदस्यता शुल्क कर्मचारी की वेतन पंजी से उनकी लिखित घोषणा के आधार पर काटा जाएगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विभिन्न विभागों में मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है तथा नए नियमों के अधीन कुछ एसोसिएशनों को मान्यता पहले ही मिल भी चुकी है।

[हिन्दी]

नारायणगंज में परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना

5126. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाँच दल द्वारा मध्य प्रदेश के मंडाला जिले में नारायणगंज (बाया) में केन्द्रीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 1984 में स्थल की जाँच की गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जांच दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा जांच/मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित किए गए स्थलों में नारायणगंज नहीं था।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अमरीकी प्रतिबन्धों के प्रति म्यांमार की प्रतिक्रिया

5127. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका प्रतिबंधों के प्रति म्यांमार की प्रतिक्रिया का पता लगाया है;

(ख) क्या इन प्रतिबन्धों से म्यामांर के साथ भारत के संबंधों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नही।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों के कर्मचारियों को भत्ते

5128. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता देती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्वतीय भत्ते में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों को पर्वतीय और ईंधन भत्ते उपलब्ध कराते हैं जिनमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित हैं।

स्थान	अवार्ड कर्मचारी	अधिकारी
1	2	3
3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई पर रिक्त स्थान	450/- रुपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वेतन का 18%	600/- रुपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के तहत वेतन का 15%
1500 मीटर से अधिक परन्तु 3000 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थान	150/-रुपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के तहत वेतन का 18%	160/- रुपए प्रति माह की अधिकतम सीमा के तहत वेतन का 6%
1000 मीटर से अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर अवस्थित स्थान	110/- रुपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के तहत वेतन का 6%	130/-रु0 प्रति माह की अधिकतम सीमा के तहत वेतन का 5%

उपर्युक्त के अलावा वे कर्मचारी जो 750 मीटर से अनधिक की ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात हैं और जो उच्चतर ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और जहां 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई को पार किए बिना नहीं पहुंच सकते हैं, को उसी दर पर पर्वतीय और ईंधन भत्तों का भुगतान किया जाता है, जो 1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम की ऊचाई वाले केन्द्रों पर लागू हैं।

(ग) और (घ) अवार्ड स्टाफ और अधिकारियों दोनों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को पर्वतीय और ईंधन भत्तों का भुगतान क्रमशः समझौतों की शर्तों और अधिकरी सेवा विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट और वीजा जारी करना

5129. श्री विजय हाण्डिक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक दूतावास और उच्चायोग अब अतिरिक्त पत्र और उस पर स्टाम्प वीजा लगे पासपोर्ट स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने नए पासपोर्ट जारी करने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों को अनुदेश देने हेतु उन देशों से यह मामला उठाया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) सरकार के ध्यान में यह बात लायी गई है कि कुछ राजदूतावासों और कुछ उच्चायोग ने केवल पासपोर्ट पुस्तिकाओं पर ही, न कि अतिरिक्त वीजा पत्रों पर, वीजा जारी करने के लिए वीजा विनियमों को संशोधित किया है।

(ख) भारत और विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले सभी प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे पासपोर्टों में सभी पृष्ठ भर जाने पर अतिरिक्त वीजा पत्र लगाना बंद कर दें और किसी और सत्यापन के बिना नई पासपोर्ट-पुस्तिकाएं जारी कर दें।

भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत छूट

5130. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितनी फर्मों को भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है;

(ख) क्या इन प्रतिष्ठानों ने भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया है;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में कितने फर्मों ने निवेश किया है ओर कितने निवेश नहीं कर पाये हैं;

(घ) क्या इन प्रतिष्ठानों के लिए छूट को रद्द करने अथवा वापस लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) कर्नाटक में 88 प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से छूट प्रदान की गयी है और 28 प्रतिष्ठान ऐसे हैं। जिन्हें इस योजना के पैरा 79 के अंतर्गत छूट प्रदान की गयी है।

(ख) और (ग) 98 प्रतिष्ठानों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार निधियां निवेशित की हैं और शेष 18 प्रतिष्ठानों ने निर्धारित पैर्टन के अनुसार निधियां निवेशित नहीं की हैं। 18 प्रतिष्ठानों में से 16 प्रतिष्ठान केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करने में असफल रहे हैं।

(घ) और (ङ) जो प्रतिष्ठान निर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश कर पाने में असफल रहे हैं उन्हें निर्धारित पैटर्न को अपनाने की सलाह दी गयी है तथा उनके द्वारा फिर भी सलाह का पालन न किए जाने की दिशा में कानून के अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा बच्चों को छोड़ दिया जाना

5131. श्री मोहन रावले :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने 38 भारतीय बच्चों को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका ध्यान 27 मार्च, 1997 के "दि इंडियन एक्सप्रैस" में "स्टारव्ड टॉरचर्ड दि बॉयज रिकाल डार्क नाइट्स इन पाक जेलस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) मार्च, 1997 में पाकिस्तान उन 38 भारतीय बच्चों का रिहा करने के लिए सहमत हुआ जो 1994 से पाकिस्तान में नजरबंद थे। ये बच्चे मछली पकड़ने-वाली भारतीय नौकाओं में यात्रा कर रहे थे जिन्हें पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने जब्त कर लिया था। सरकार ने उनकी ओर से कई अभ्यावेदन दिए और इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया कि पाकिस्तान उन बच्चों को रिहा करने पर सहमत हो गया। ये बच्चे 23 मार्च, 1997 को मुम्बई पहुंचे तथा उसके बाद उन्हें उनके घरों को भेज दिया गया था।

(ग) से (ङ) जी हाँ, पाकिस्तानी जेलों और सुधारालयों में इन बच्चों को जो विकट परिस्थितियां पेश आई, उससे सरकार चिन्तित है।

श्रम न्यायालयों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लम्बित मामले

5132. डॉ॰ बलिराम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार मंत्रालय में अथवा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से संबद्ध उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली के श्रम न्यायालय में लंबित हैं; और

(ख) इन लंबित मामलों को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्रिब्यूनल-व-श्रम न्यायालय, नई दिल्ली में बकाया मामलों का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्रिब्यूनल-व-श्रम न्यायालय, नई दिल्ली ने सूचित किया कि पार्टियों को कहा गया है कि वे साक्ष्य तथा जिरह भी पूरा करें ताकि विवादों को यथाशीघ्र निपटाया जा सके।

विवरण

मामलों की सूची			निपटान की वर्तमान स्थिति
1	2		3
1. जयकुमार	बनाम	दूर संचार विभाग	कार्य कामगार साक्ष्य
2. दलीपराम	बनाम	-वही-	कार्यवाही स्थगित
3. राजिन्द्र प्रसाद	बनाम	-वही-	
4. श्रीमती शशिकान्ता	बनाम	-वही-	कामगार शपथ-पत्र
5. जीतबहादुर	बनाम	-वही-	विविध तर्क
6. वालेश्वर कामती	बनाम	-वही-	लिखित तर्क
7. अनिल कुमार	बनाम	-वही-	लिखित तर्क
8. रामू	बनाम	-वही-	तर्क
9. जसराम सिंह	बनाम	-वही-	तर्क
10. बलबीर सिंह	बनाम	-वही-	तर्क
11. कृष्णपाल	बनाम	-वही-	तर्क
12. गिरधारी लाल	बनाम	-वही-	तर्क
13. मुन्शी प्रसाद तथा अन्य	बनाम	-वही-	दस्तावेज
14. नेत्रपाल सिंह	बनाम	-वही-	विचार विमर्श
15. किशन सिंह	बनाम	-वही-	विचार विमर्श
16. बोरे सिंह	बनाम	-वही-	विचार विमर्श
17. महासचिव	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
18. धनीराम	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
19. जितेन्द्र कुमार	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
20. थान सिंह	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
21. भोलाराम और अन्य	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
22. जानकी प्रसाद	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
23. केशव देव और अन्य	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
24. युद्धवीर सिंह	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
25. त्रिभुवन शंकशाह	बनाम	-वही-	निर्णय आरक्षित
26. शिवदत्त	बनाम	महानगर टेलिफोन निगम लि०	लिखित तर्क
27. राम किशन	बनाम	-वही-	उत्तर
28. विरेन्द्र कुमार	बनाम	-वही-	विविध तर्क
29. ब्रहम जीत	बनाम	-वही-	तर्क
30. मछेन्द्र सिंह	बनाम	-वही-	कामगार साक्ष्य
31. श्रीमती सुष्मा रानी	बनाम	-वही-	उत्तर
32. कपिल देव	बनाम	-वही-	विविध तर्क
33. ओम प्रकाश राणा	बनाम	-वही-	विविध तर्क
34. रामनरेश	बनाम	-वही-	विविध तर्क
35. राम रत्न	बनाम	-वही-	तर्क
36. श्रीमती शकुन्तला	बनाम	-वही-	लिखित तर्क
37. कैलाश चन्द	बनाम	-वही-	एडमिशन/साक्ष्य मना करना
38. रवि वाल्मिकी	बनाम	-वही-	कामगार साक्ष्य
39. सतपाल वाली	बनाम	-वही-	तर्क

[अनुवाद]

ईस्ट कोस्ट रिफाइनरी

5133. श्री अयूयन्ना पटरूडु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट कोस्ट रिफाइनरी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना किस स्थान पर की जाएगी और इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) इंडियन आयॅल कार्पोरेशन को पूर्वी तट में 6 एम.एम.टी.ए.पी. क्षमता वाली संयुक्त उद्यम रिफाइनरी की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त है। आई.ओ.सी. ने एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें स्थान के चयन का विषय शामिल है और यह निवेश अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है। परियोजना के कार्यान्वयन में

सरकारी अनुमोदन की तारीख से यांत्रिक पूर्णता के लिए लगभग 46 महीने लगने का अनुमान है।

बैंक ऋण

5134. डॉ॰ असीम बाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋणों में कमी आई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. बीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान, 28 मार्च, 1997 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाधेतर बैंक ऋणों में 24,710 करोड़ रुपए (10.1. प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 44938 करोड़ रुपए (22.5 प्रतिशत) थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जहां तक ऋण और इक्विटी के बीच कुछ संतुलन का संबंध है ऐसा प्रतीत होता है कि संतुलन बनाने में मंद पूंजी बाजार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। कंपनियों द्वारा बढ़ाई गई इक्विटी वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में काफी कम थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि बैंक ऋण को देखते हुए, वाणिज्यिक क्षेत्रों की ओर निधियों के प्रवाह को ध्यान में रखा जाना है। वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा बैंकों तथा गैर बैंक स्रोतों से जुटाई गई निधियों की कुल राशि पिछले वर्ष के 94,497 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1996-97 में 82,334 करोड़ रुपए थी।

विद्युत वित्त निगम

5135. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत वित्त निगम (पी.एफ.सी.) को 1250 लाख डालर मूल्य के "यूरो इश्यू" जारी करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस "इश्यू" की शर्तें क्या हैं और "यूरो इश्यू" से पी. एफ.सी. को क्या लाभ होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. बीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नाभिकीय अपशिष्ट

5136. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों के नाभिकीय अपशिष्ट भारत में जमा किया जा रहे हैं; और

(ख) इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक सुविधाओं का निजीकरण

5137. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकर के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपलब्ध संसाधन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की लघु और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवी योजना के दौरान इन क्षेत्रों के लिए कितना धन आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में निजी निवेश को बढ़ावा देना सरकार की नीति है। तथापि, जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय होने के नाते मुख्य रूप से यह राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों का कार्य है कि वे इस मामले में निर्णय लें।

(ग) और (घ) शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता हेतु योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि नौंवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के लिए लगभग 51000 करोड़ रुपऐ की आवश्यकता होगी। तदुनसार नौंवी योजना में इस पर विचार हेतु योजना आयोग से अनुरोध किया गया है जिस पर योजना अयोग ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रिक्त दुकानें

5138. श्री मंगत राम प्रेमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि निदेशालय, नई दिल्ली नगर-पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में बनाई गई रिक्त पड़ी/अनावंटित दुकानों की सूची क्या है;

(ख) ये दुकानें कौन-कौन से क्षेत्रों/बाजारों में रिक्त पड़ी हैं;

(ग) ये दुकाने कब से रिक्त/अनावंटित पड़ी हैं, इसके क्या कारण हैं और इन दुकानों को आवंटित करने या नीलाम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस कितनी है और इनका न्यूनतम आरक्षित मूल्य कितना है; और

(ङ) इन दुकानों को बेरोजगार युवकों और सेवामुक्त सरकारी कर्मचारियों को जैसा भी मामला हो न्यूनतम लाइसेंस फीस या न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर किराए पर दिए जाने के क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) और (ख) सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (जो निर्माण-कर्त्ता एजेन्सियां हैं) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिल्ली में खाली पड़ी अन-आवंटित दुकानों की सूची और क्षेत्रों/बाजारों, जहां पर ये खाली पड़ी संलग्न **विवरण-I** में दर्शायी गयी हैं।

(ग) ये दुकानें किस तारीख से खाली पड़ी हैं तथा इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें आंवटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली नगर निगम या सम्पदा निदेशालय के बारे में इनका उल्लेख संलग्न **विवरण-II** में किया गया है डी.डी.ए. ने बताया है कि उनकी दुकानें आवंटित न किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं :

(I) मुद्रा बाजार में मन्दी।

(II) दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली न देना।

(III) समीपवर्ती रिहायशी परिसरों का वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है। डी.डी.ए. इन खाली दुकानों को यथा सम्भव बार-बार नीलामी में रखने और साथ ही पात्र श्रेणियों को आवंटित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है।

(घ) सम्पदा निदेशालय की खाली दुकानों की न्यूनतम लायसेंस फीस और न्यूनतम निर्धारित कीमत अनुलग्नक में दी गयी हैं।

एन.डी.एम.सी. ने बताया है कि उनकी दुकानें ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्तियों को खुली निविदा आधार पर आवंटित की जाती हैं निर्माण लागत के आधार पर न्यूनतम आरक्षित कीमत लायसेंस फीस निर्धारित की जाती है जो दुकान दर दुकान अलग-अलग होती है।

एम.सी.डी. ने बताया है कि उनकी दुकाने 5 वर्ष की अवधि के लिए माकिस लायसेंस फीस आधार पर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करके आवंटित की जाती है।

डी.डी.ए. द्वारा निर्मित दुकानें को उनके द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पात्र आरक्षित श्रेणियों को नीलामी/निविदाओं के द्वारा बेचा जाता है और आवंटित किया जाता है। जब भी ये दुकाने बिक्री के लिए तैयार होती है इनकी आरक्षित कीमतों को अद्यतन बनाया जाता है।

(ङ) सम्पदा निदेशालय, एम.सी.डी. तथा डी.डी.ए. में खाली पड़ी दुकानों को न्यूनतम लायसेंस फीस/आरक्षित कीमत पर बेरोजगार युवकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किराए पर देने की ऐसी कोई नीति नहीं है।

विवरण-I

संपदा निदेशालय

क्र.सं.	दुकान सं०	इलाका	खाली करने की तारीख	न्यूनतम लाइसेंस शुल्क	न्यूनतम बरोबर मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्टाल नं० 3	लोधी रोड़ परिसर केन्द्र-II	नया निर्माण	448/- रुपये	2240/-रुपये	इसकी निविदा दी गयी थी लेकिन किसी ने आवदेन नहीं किया। यह फिर से निविदा दिये जाने की प्रक्रियाधीन है।
2.	फ्लैट सं० 1 से 10	-वही-	-वही-	51/-रुपये	निर्णय होना है	इसकी निविदा दी जायेगी।
3.	स्टाल सं० 1 और 9	बाबा खड़ग सिंह मार्ग	-वही-	591/-रुपये	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
4.	फ्लैट 1 से 7	बाबा खड़ग सिंह मार्ग	नया निर्माण	111/- रुपये	निर्माण होना है	इसकी निविदा दी जाएगी
5.	फ्लैट से0 2 एस-IX	आर.के. पुरम	1.2.92	572/-रुपये	-वही-	खाली होने पर ये दुकानें भूमि तथा विकास कार्यालय को 1979 की नीति के अनुसार बोली के लिए दी गयी थी। लेकिन उनके द्वारा दुकानों को बोली लगवा कर नहीं दिया जा सका। अब ये दुकानें निविदा हेतु संपदा निदेशालय द्वारा लेली गयी हैं। दुकान सं0 15 कमला मार्किट के संबंध में न्यूनतम लाईसेंस शुल्क और सभी चार दुकानों की न्यूनतम धरोहर राशि अभी निर्धारित की जानी है।
6.	न.0 57	कस्तूरबा नगर मार्किट	22.10.90	352/-रुपये	-वही-	
7.	सं0 193	आई.एस.ए. सब्जी मार्किट	24.7.95	552/- रुपये	-वही-	
8.	नं0 15	कमला मार्किट	21.4.82	-	-	

नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में खाली दुकानों की सूची

क्र. सं.	दुकान सं0/इलाका	खाली पड़ी है	कारण
1	2	3	4
1.	1, सफदर हाशमी मार्ग	31.7.1996	इन दुकानों का आवंटन "थरेजा न्यायकि समिति" के आदेशों के तहत रोक दिया गया है जो प्रमाणित फेरी वालों/अनधिवासियों के पुनर्वास के कार्य की देखभाल कर रही है।
2.	2, -वही-	31.7.1996	
3.	4, -वही-	10.11.1994	
4.	5, -वही-	10.11.1994	
5.	खोखा सं0 10, पालिका पार्किंग	16.07.1995	कुछ विवाद होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका। दुबारा निविदा की जा रही है।
6.	12-वी जनपथ	17.8.1996	कुछ जांच के कारण आवंटन रोक दिया गया है।
7.	110, मोइन सिंह पैलेस	28.9.1995	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने के कारण आंवटन रोक दिया गया है।
8.	एम-50, पालिका भवन	12/96	मामला आवंटन की प्रक्रिया में है।
9.	1, सामु0 विपणन केन्द्र मार्किट, तिलक लेन	30.11.1996	निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। और आवंटनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
10.	के-15, पालिका पार्किंग	6.12.1995	निविदिाएं पुनः आमंत्रित की गयी हैं और आवंटनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
11.	24, शहीद भगत सिंह, प्लेस परिसर	24.10.96	निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं और आवंटनों का अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
12.	60, -वही-	15.5.95	निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं और आवंटन प्रक्रियाधीन हैं।
13.	3, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग	30.10.1996	-वही-
14.	21, सा.वि.के. मार्किट, नेताजी नगर	7.2.1997	-वही-
15.	57, शहीद भगत सिंह पैलेस	15.5.95	निविदाएं पुनः आमंत्रित की गयी हैं और 21.5.97 को खोली जानी हैं।
16.	58, शहीद भगत सिंह पैलेस	15.5.95	-वही-

1	2	3	4
17.	59, शहीद भगत सिंह पैलेस	15.5.1995	निविदाएं पुनः आमंत्रित की गयी हैं और 21.5.97 को खोली जानी हैं।
18.	72, -वही-	15.5.1995	-वही-
19.	31, लोकनायक भवन	6.6.96	-वही-
20.	एम-24, पालिका भवन	20.2.96	-वही-
21.	के-3, पालिका पार्किंग	6.12.1995	-वही-
22.	4, सी.एस.सी. मार्किट, तिलक लेन	28.11.95	-वही-
23.	13, पालिका पार्किंग	24.11.1995	-वही-
24.	8, वी.के. आश्रम मार्ग	16.2.96	-वही-

आवंटन हेतु आर.पी. कक्ष में खाली पड़ी दुकानों की सूची

क्रम सं.	दुकानों की कुल संख्या	दुकानों का आकार	क्षेत्र/इलाका	तिथि से खाली पड़ी हैं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	1	7"x6"	हरीनगर	17.7.1995	21.8.95 व 29.12.95 को इस दुकान की निविदा की गयी और निविदा के दौरान कोई उपयुक्त धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसकी फीस 18.12.96 को निविदा दी गयी मामला प्रक्रियाधीन है।
2.	13	8"x10"प्रत्येक	एस.पी. मुखर्जी मार्ग, दिल्ली	11.1.96	16.5.96 और 11.9.95 को निविदाएं आमंत्रित की गयी लेकिन निविदा के दौरान कोई पर्याप्त राशि का प्रस्ताव नहीं आया था। इसकी फिर से 26.3.97 को निविदा दी गयी, मामला प्रक्रियाधीन है।
3.	11	17"x9"प्रत्येक	मॉडल टाऊन म्यूनिसिपल कालोनी	1992 से	कथित दुकान की 25.9.96 और 18.12.96 को निविदा की गयी लेकिन निविदा के दौरान कोई पर्याप्त राशि का प्रस्ताव नहीं आया। इनकी फिर से 23.3.97 को निविदा की गयी मामला प्रक्रियाधीन हैं।
4.	6	9"x15"प्रत्येक	निगम कालोनी, सीलमपुर	1992 से	उपर्युक्त क्रम सं0 3 की तरह
5.	13	5x2.5 एम.	तितारपुर के निकट पैदलपार पथ (पश्चिम की ओर)	1994 से	इसकी 1.12.95 को निविदा आमंत्रित की गयी थी लेकिन कोई पर्याप्त राशि निविदा के दौरान नहीं मिली। 26.3.95 को पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है। मामला प्रक्रियाधीन है।
6.	1	5मी0x2.5 मी0	तितारपुर के पास पैदल पारपथ (पूर्व की ओर)	1994 से	उपर्युकत क्रम सं0 की तरह
7.	5	56x43 वर्ग मी. प्रत्येक	संजय गांधी परिवहन नगर	1994 से	इनकी 9.5.94, 1.10.94, 1.2.95, 8.6.95, 8.9.95

1	2	3	4	5	6
	3	37x63 वर्ग मी. प्रत्येक	संजय गांधी परिवहन नगर	1994 से	26.3.96, 16.5.96, 18.5.96 तथा 10.9.96 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थी लेकिन प्रत्येक बार कोई पर्याप्त धनराशि का प्रस्ताव नहीं आया। पुनः 23.3.97 की निविदा आमंत्रित की गयी और मामला प्रक्रियाधीन है।
8.	1 1 1 1	1596.78 वर्ग मी. 1352.62 वर्ग मी. 653.84 वर्ग मी. 433.45 वर्ग मी.	निगम मार्किट, गफ्फार मार्किट के निकट, करोल बाग, नई दिल्ली	1994 से	इनकी 7.10.94, 1.2.95 और 8.6.95 को निविदा आंमत्रित की गयी थी लेकिन निविदा के दौरान कोई उपयुक्त राशि का प्रस्ताव नहीं आया। पुनः 24.4.97 को निविदा की गयी है और मामला प्रक्रियाधीन है।
9.	2	29x18	-वही-	इनका कब्जा दि.न.नि. के बागवानी विभाग द्वारा ले लिया गया है।	24.4.97 को निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं और मामला प्रक्रियाधीन हैं।

विवरण-II

दिल्ली विकास प्राधिकरण

30.4.97 तक खाली/अनांबटित पड़ी दुकानों/निर्मित परिसंपति की सूची

क्र.सं.	बाजार का नाम	खाली पड़ी दुकानों की संख्या	कब से खाली पड़ी है
1	2	3	4
1.	पार्केट केसी-1, बोडेला में मिनी विपणन केन्द्र	1	10.8.87
2.	मिनि विपणन केन्द्र, पाकेट एसी-1, बोडेला	1	-वही-
3.	स्थानीय विपणन केन्द्र, पश्चिम पुरी, ए-1	3	29.4.87
4.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, यमुना विहार, बी-3	1	1.9.87
5.	स्थानीय विपणन केन्द्र, भटनागर सीएचबीएस जोन-ई-8सेई-12	-	-
6.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पीतमपुरा, पॉकेट क्यू(यू)	1	1.4.87
7.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, दिलशाद गॉर्डन, पॉकेट-एच	-	-
8.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, आर.के.पुरम सैक्टर-6	-	-
9.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, त्रिलोकपुरी जी.एम. कॉम्पलेक्स, मयूर विहार, पॉकेट-1, स्कीम नं0 557	-	-
10.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सुखदेव विहार	2	3.12.87
11.	डी.डी.ए. बिल्डिंग, राजेन्द्र पैलेस, व्यापार केन्द्र	-	-
12.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, प्रीतमपुरा पाकेट के.(यू.)	2	9.5.68
13.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पीतमपुरा, पॉकेट-एस(डी)	1	25.4.88
14.	वाणिज्यिक परिसर सिद्धार्थ इन्क्लेव	-	-

1	2	3	4
15.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सरस्वती विहार ब्लॉक-ए	2	23.8.88
16.	प्लाट नं0 4 और 7, मायापुरी, फेज-II, पर 3 मंजिली दुकानों/कार्यालय	-	-
17.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, से0-3, रोहिणी	40	27.7.88
18.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पश्चिम पुरी, ब्लाक-ए, जनता मकान	2	6.6.88
19.	विपणन केन्द्र, झंडेवाला	-	-
20.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, से0 10, रोहिणी	2	27.7.88
21.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, एशिया खेलगांव परिसर	1	13.12.88
22.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-बी, सरिता विहार	4	23.3.89
23.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-के.एल.	4	-वही-
24.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, बदरपुर	1	-वही-
25.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-बी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन	4	16.3.89
26.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, जिलियाना, सीएचबीएस	8	22.9.89
27.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सरिता विहार, पॉकेट नं0 जी	2	5.4.89
28.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, आर.बी.आई. कालोनी पश्चिमपुरी	2	10.7.89
29.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-ए, सरिता विहार	-	-
30.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सरिता विहार, पॉकेट-सी, सैक्टर-1	-	-
31.	स्थानीय विपणन केन्द्र, पॉकेट-7, लोरेंस रोड़	6	8.11.89
32.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, योजना आयोग, सीएसबीजी (योजना विहार)	3	30.11.89
33.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 7, सै0-जी-8, वसंत कुंज	2	7.4.89
34.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, एस.एफ.एस. सलदुलजाब, साकेत के सामने	2	2.5.89
35.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 1, से0-4, रोहिणी	24	24.4.89
36.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 1, से0 7, रोहिणी	19	16.10.89
37.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 3, सैक्टर-11, रोहिणी	1	11.4.89
38.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 5, से0 7, रोहिणी	15	31.5.89
39.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 3, से.-4, रोहिणी	21	24.4.89
40.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं. 2, से. 5, रोहिणी	15	21.4.89
41.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकैट-IV, मयूर विहार, फेस-I	01	30.5.89
42.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, लाडोसराय	02	23.5.89
43.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, अलकनंदा, पॉकेट ए एण्ड बी	02	-वही-

1	2	3	4
44.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पश्चिमपुरी, ए-3	03	22.12.89
45.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सैक्टर-7 एवं 8, रोहिणी	01	19.1.89
46.	डी.डी.ए. बिल्डिंग राजेन्द्र प्लेस व्यापार केन्द्र	–	–
47.	डी.डी.ए. बिल्डिंग, भीकाजी कामा व्यापार केन्द्र	03	20.6.89
48.	सामुदायिक व्यापार केन्द्र सं0 2, से. 11, रोहिणी	09	23.1.89
49.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 4, सैक्टर-11, रोहिणी	02	16.1.89
50.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सैक्टर-सी-9, वसंतकुंज	01	22.9.89
51.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सैक्टर-सी-8, वसंतकुंज	02	–
52.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं. 5, पाकेट-आर(यू) पीतमपुरा	–	–
53.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, विजयमंडल एंकलेव	05	22.9.89
54.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं. 5, सैक्टर-5, रोहिणी	37	-वही-
55.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं. 4, सैक्टर-5, रोहिणी	09	-वही-
56.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पुष्पांजली एंकलेव, पीतमपुरा, ब्लाक-बी	02	-वही-
57.	स्थानीय विपणन केन्द्र, ब्लॉक-बी-2, पश्चिमपुरी	02	-वही-
58.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, लोकविहार, ब्लॉक-ए	03	-वही-
59.	स्थानीय विपणन केन्द्र, नंदनगरी	63	-वही-
60.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, वसंतकुज, सैक्टर-डी-1	03	-वही-
61.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं03, सैक्टर-5, रोहिणी	27	-वही-
62.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-10, सैक्टर-बी-10 वसंतकुंज	–	–
63.	केओस्क-4, कालकाजी एक्सटेंशन	–	–
64.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पश्चिमपुरी, ब्लाक ए-5	–	–
65.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, दिलशाद गार्डन, पॉकेट-जे एण्ड एम	03	22.9.89
66.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सी-1, वसंतकुज	–	–
67.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पश्चिमपुरी, जी-17/ग्रुप-13-1140, एस.एफ.एस. मकान	02	22.9.89
68.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पश्चिमपुरी पॉकेट बीजी-6, 1092, जनता मकानों के पास	10	-वही-
69.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सुन्दर विहार	09	7.2.90
70.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-4, सरिता विहार	02	13.11.89
71.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, त्रिलोकपुरी, पॉकेट-ए, झील के उत्तर में	–	–
72.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, शालीमार बाग, ब्लाक-डी, पॉकेट यू एंड बी	02	16.11.89

1	2	3	4
73.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं06, सैक्टर-7, रोहिणी	24	16.11.89
74.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 3, सैक्टर-7, रोहिणी	10	-वही-
75.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, विकासपुरी, ब्लाक-डी, डेसू बिजली उपक्रम केन्द्र के नजदीक	05	-वही-
76.	4, मंजिला कार्यालय भवन, मायापुरी, पेज-11	-	-
77.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पीतमपुरा, पॉकेट बी.(यू.)	04	8.2.90
78.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पीतमपुरा, पॉकेज-जे.(डी.)	04	22.2.89
79.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 1, सैक्टर-6, रोहिणी	13	7.12.89
80.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, ए-2, पश्चिम विहार	-	-
81.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं04, पटपड़गंज	-	-
82.	परीरागढ़ी में हरिजनों और भूमिहीन लोगों के लिए जनता हाउस में सामुदायिक विपणन केन्द्र,	4	15.2.90
83.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, लोनी रोड़, के पूर्व में, पॉकेट-सी	2	-वही-
84.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, आदर्श नगर, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, साईट नं0 2	2	-वही-
85.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, आदर्श नगर, पंजाबी बाग एक्ट. साइट नं01	2	-वही-
86.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, ए.जी.सी.आर. एनक्लेव नं. 66	-	-
87.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, नं0 12, सैक्टर-3, रोहिणी	11	23.1.90
88.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, 6, सैक्टर-सी-8, वसंतकुंज	2	-वही-
89.	सामुदायिक विपणन केन्द्र नं0 1, सैक्टर-8, रोहिणी	14	-वही-
90.	सामुदायिक विपणन केन्द्र नं0 11, सैक्टर नं0 3, रोहिणी	07	-वही-
91.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, दिल्ली स्कूल टीचर, सीएचवीएस स्कीम नं0 672	05	-वही-
92.	सामुदायिक विपणन केन्द्र नं0 1, सैक्टर-3, रोहिणी	18	5.10.89
93.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, ब्लाक-ए, आनदं विहार	02	6.4.90
94.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-बी, आनंद विहार, निकट रेलवे बोर्ड सी.एच.बी.एस.	02	-वही-
95.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-जी.एच.-8/जी-17, पश्चिमपुरी-688, एल.आई.जी. हाउस	04	-वही-
96.	स्थानीय विपणन केन्द्र, शालीमार पॉकेट-बी (ए)	12	-वही-
97.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 1, कोंडली-घरोली परिसर, सैक्टर-8, स्कीम नं0 5003	01	-वही-
98.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, नंदनगरी पॉकेट-एफ, स्कीम नं0 1248	04	-वही-
99.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सैक्टर-4, रोहिणी	14	20.4.90
100.	सामुदायिक विपणन केन्द्र नं0 2, दिल्ली टीचर्स सोसायटी, सी.एच.बी.एस. स्कीम नं0 673	06	-वही-
101.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-1, दिलशाद गॉर्डन	05	-वही-

1	2	3	4
102.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पुष्पांजलि एन्क्लेव, पीतमपुरा, ब्लाक-डी	04	11.5.90
103.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पश्चिमपुरी ब्लाक-ए-4, नजदीक सी.आई.ई.ई., कर्मचारी सीएचवीस	04	-वही-
104.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-जी.एच.-13/जी-17, 1117, एस.एफ.एस. हाउस सर्किट नं0 1,	06	25.5.90
105.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पीतमपुरा, पॉकेट-एफ.(डी.)	2	25.5.90
106.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, एच.(यू.), पीतमपुरा	2	-वही-
107.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सैक्टर-सी-9, बसंतकुज	2	-वही-
108.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, दिलशाद गॉर्डन पॉकेट-ए	4	-वही-
109.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, 1200 मकान पॉकेट-जी.एच.-14/जी.-17, पश्चिमपुरी, साईट-11	3	19.6.90
110.	सामुदायिक विपणन केंद्र, बसंतकुंज, सैक्टर-बी-1	शून्य	-
111.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-सी (टी), पीतमपुरा	6	27.7.90
112.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सै-बी, पॉकेट-1, बसंतकुंज (दो मंजिला ब्लॉक)	2	30.7.90
113.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकट-2, सैक्टर-डी, बसंतकुंज	3	9.8.90
114.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, एस.एफ.एस., वजीरपुर, फेज-4	4	23.7.90
115.	विपणन केन्द्र सं04, सैक्टर-7, रोहिणी	17	3.8.90
116.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट ''ए'' (पी) पीतमपुरा	01	-वही-
117.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0-4, सैक्टर-डी, बसंतकुंज	03	21.9.90
118.	स्थानीय विपणन केन्द्र, ब्लाक-ई, विकासपुरी	11	3.1.91
119.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, 288, एसएफएस, भारत सरकार मुद्रणालय के सामने, मायापुरी	02	21.1.91
120.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, शालीमार बाग, ब्लॉक ''बी'' पॉकेट-11	07	15.10.91
121.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, शालीमार बाग, ब्लाक-बी (एस)	15	-वही-
122.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, ब्लाक-सी, जिला पार्क के निकट, विकासपुरी	02	11.2.91
123.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, 384, एल.आई.जी. हाउस, ए-1/बी, पश्चिम विहार	06	4.3.92
124.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, ए-9, कालकाजी एक्सटेंशन	-	-
125.	सामुदायिक विपणन केन्द्र नं0 2, जोन-ई-13, पटपड़गंज	-	-
126.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, ब्लाक-बी, (एफ) शालीमार बाग	01	5.3.92
127.	सामुदायिक विपणन केन्द्र नं0 1, जोन-ई-13, पटपड़गंज	-	-
128.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, अशोक विहार, फेज-4, पॉकेट-बी एंड सी	02	17.3.92
129.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, नंदनगरी, पौ.ई	05	-वही-
130.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पीएमवी, सीएचवीएस, जोन-ई-8 एंड 13	08	-वही-

1	2	3	4
131.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 7, पॉकेट-8, सैक्टर-सी, वसंतकुंज (दो मंजिले भवन)	02	17.3.92
132.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, जागृति एन्कलेव	09	20.3.92
133.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सैनिक विहार, एच.4/5, (आशिंक) पीतमपुरा	10	30.4.92
134.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सैक्टर-वी, पॉकेट-8, और 9, वसंतकुंज	-	-
135.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पीतमपुरा पॉकेट -के ''डी''	3	30.4.92
136.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सी.एच.-10, जी-17, पश्चिम विहार	-	-
137.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, (पी), पीतमपुरा	20	24.6.92
138.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, 1200 एम.आई.जी. मकान, पश्चिमपुरी, साईट	06	30.4.92
139.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, पॉकेट-टी (पी) पीतमपुरा	08	24.6.92
140.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, रोहतक रोड़	04	27.5.92
141.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, राजधानी एंकलेव, पीतमपुरा	10	27.7.92
142.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सर्वहितकारी कालोनी, ईस्ट ऑफ कैलाश	-	-
143.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, गुलाबी बाग	02	25.8.92
144.	प्लाट सं0 22, न्यू राजेन्द्र नगर, पुनर्वास मंत्रालय की भूमि पर समुदायिक विपणन केन्द्र	01	25.8.92
145.	लारेंस रोड़ पॉकेट बी-4, में सामुदायिक विपणन केन्द्र,	04	11.8.92
146.	पुल प्रहलादपुर मे सामुदायिक विपणन केन्द्र	02	20.7.92
147.	शालीमार बाग, ब्लाक-सी पॉकेट-सी, में सामुदायिक विपणन केन्द्र,	16	26.9.92
148.	गोपालपुर में सामुदायिक विपणन केन्द्र	15	26.9.92
149.	पश्चिमीपुरी स्थल सं0 2 के हिन्दुस्तान सी.एच.बी.एस. में सामुदायिक विपणन केन्द्र	7	1.10.92
150.	शालीमार बाग पॉकेट-बी (टी) में सामुदायिक विपणन केन्द्र	2	11.11.92
151.	साईकिल मार्किट फेज-II, झण्डेवालन (अनारकली बाजार)	2	12.11.92
152.	शालीमार बाग ए (डी) में स्थानीय विपणन केन्द्र	14	16.11.92
153.	त्रिलोकपुरी मयूर विहार के पश्चिमी पॉकेट-I के पीछे स्थानीय विपणन केन्द्र	1	13.11.92
154.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 2, ब्लाक-बी, सैक्टर-18, रोहिणी	17	27.11.92
155.	जफराबाद पॉकेट-ए, मे सामुदायिक विपणन केन्द्र	10	3.12.92
156.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 2, सेक्टर-9, रोहिणी	02	25.9.92
157.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 8, सेक्टर-3, रोहिणी	22	30.11.92
158.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 2, सेक्टर-6, रोहिणी	11	7.12.92
159.	भीरोची पश्चिम विहार में सामुदायिक विपणन केन्द्र	19	14.12.92

1	2	3	4
160.	पश्चिम विहार स्थल सं0 1, के.पॉकेट जी.एच.-5, और 7 सी.में 17 सी. में सामुदायिक विपणन केन्द्र	18	23.12.92
161.	झिलमिल फेज-11, पॉकेट (ए) में सामुदायिक विपणन केन्द्र	07	23.12.92
162.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 2, कोण्डली घरौली कम्पलैक्स	05	23.12.92
163.	पश्चिम विहार स्थल नं0 2, पॉकेट जी.एच. 5 और 7/जी-17, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	17	7.1.93
164.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 9, सैक्टर-15, रोहिणी	23	4.1.93
165.	दिलशाद गार्डन पॉकेट-डी, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	03	1.1.93
166.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 6, सैक्टर-16, रोहिणी	16	28.1.93
167.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 1, कोण्डली घरौली कम्पलैक्स, सेक्टर-ए	12	14.1.93
168.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 1, ब्लाक-ए, सेक्टर-16, रोहिणी	17	20.1.93
169.	प्रीत विहार, ब्लाक-सी, में सामुदायिक विपणन केन्द्र,	-	-
170.	दयानन्द विहार क्षेत्र 9, 10, और 11 में सामुदायिक विपणन केन्द्र,	03	12.3.93
171.	समाज दीपावली पीतमपुरा यू.पी. में सामुदायिक विपणन केन्द्र	03	-वही-
172.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 3, सेक्टर-11, रोहिणी	32	-वही-
173.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 12, ब्लाक-डी, सेक्टर-16, रोहिणी	29	1.3.93
174.	पीतमपुरा पॉकेट एम. (डी.) में सामुदायिक विपणन केन्द्र	02	15.3.93
175.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 9, सेक्टर-7, रोहिणी	36	26.3.93
176.	पीतमपुरा पॉकेट डब्ल्यू (एफ) में सामुदायिक विपणन केन्द्र	04	31.3.93
177.	मोतिया खान में सामुदायिक विपणन केन्द्र	02	-वही-
178.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 5, सेक्टर-11, रोहिणी	20	-वही-
179.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 1, ब्लाक-ए, सैक्टर-17, रोहिणी	28	-वही-
180.	पुष्पाजंली एन्कलेव (टी) में सामुदायिक विपणन केन्द्र	05	-वही-
181.	सरिता विहार पॉकेट-II, प्लाट सं0 5,10 और 11 में सामुदायिक विपणन/स्थानीय विपणन केन्द्र	05	14.5.93
182.	अशोक विहार फेज-III, एम.सी.डी. इंजीनियरिंग सोसायटी के निकट सामुदायिक विपणन केन्द्र	03	12.4.93
183.	जे.जे. कालोनी मंगोलपुरी में स्थानीय विपणन केन्द्र	13	2.11.93
184.	शेख सराय फेज-I में सामुदायिक केन्द्र,	शून्य	-
185.	कालका जी के स्थल सं0 42 (पुनर्वास मंत्रालय) की भूमि पर स्थानीय विपणन केन्द्र	09	24.12.93
186.	कालका जी स्थल सं0 37 और 38 पुनर्वास मंत्रालय की भूमि पर स्थानीय विपणन केन्द्र	01	-वही-
187.	वसंत कुंज सेक्टर-सी, पॉकेट-9, स्थानीय विपणन केन्द,	-	-
188.	सरिता विहार पॉकेट डी. और ए. में सामुदायिक विपणन केन्द्र,	05	22.12.93

1	2	3	4
189.	कम्यूनिटी कम स्टाक हाउसिंग कम्पलैक्स, बेर सराय	03	31.12.93
190.	ज्वाला हेड़ी पश्चिम विहार में 11 दुकाने	02	23.12.93
191.	पश्चिमपुरी जी.एच.4/जी-17, में सामुदायिक विपणन केन्द	10	17.1.94
192.	राजीनोर प्लेस में प्लाट सं0 18 और 20 के बीच में 761.50 स्तर पर दूकानें	-	-
193.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 9, सेक्टर-13, रोहिणी	18	28.12.93
194.	विकास पुरी ब्लाक एच. में स्थानीय विपणन केन्द्र	16	-वही-
195.	पश्चिमपुरी ब्लाक, ए-4,त्र एस.बी. मिल्स के पास सामुदायिक विपणन केन्द्र	05	13.1.94
196.	इस्तसाल के ब्लाक ''सी'' में सामुदायिक विपणन केन्द्र	17	17.1.94
197.	पश्चिमपुरी में पॉकेट-सी, एच-9, ब्लाक एन में स्थानीय विपणन केन्द्र	20	11.1.94
198.	मयूर विहार पॉकेट-ई में सामुदायिक विपणन केन्द्र	07	-वही-
199.	सैनी एन्कलेव में सामुदायिक विपणन केन्द्र	15	17.1.94
200.	ब्लाक ए-6, सी.ए. के पास पश्चिमपुरी के पीछे सामुदायिक विपणन केन्द्र	08	-वही-
201.	बोडेला जी.एच.एस. फेज-II, में ग्लैक्सी सोसायटी पास सामुदायिक विपणन केन्द्र	09	15.12.93
202.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, सं0 7, सेक्टर-16, रोहिणी	30	3.2.94
203.	जहांगीरपुरी में 656, एल.आई.जी. आवास में सामुदायिक विपणन केन्द्र	19	11.1.94
204.	शास्त्री पार्क में सामुदायिक विपणन केन्द्र	27	25.2.94
205.	कोण्डली घरौती कम्पलैक्स सैक्टर-बी में सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 4	15	-वही-
206.	बिन्दापुर पॉकेट-4, में सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 4	20	19.1094
207.	इस्तसाल ब्लाक-बी, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	15	17.1.94
208.	नरेला सेक्टर-ए-9, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	20	23.1.94
209.	शालीमार बाग, ब्लाक पी.(आर.) में सामुदायिक विपणन केन्द्र	0:	-वही-
210.	राजेन्द्र प्लेस प्लाट सं0 9,13,14 और 15 में निर्मित औद्योगिक यूनिट/औद्योगिक विपणन केन्द्र	02	24.1.94
211.	पश्चिम विहार पॉकेट बी.जी.-3/बी.जी.-5, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	10	31.3.94
212.	पश्चिम विहार, ए-6, में स्थानीय विपणन केन्द्र	65	29.12.93
213.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 13, सेक्टर-16, रोहिणी	40	19.1.94
214.	जनकपुरी प्लाट सं0 32 से 57 ब्लाक-सी में सामुदायिक विपणन केन्द्र	34	23.1.94
215.	पश्चिम पुरी स्थल सं0 1 में हिन्दुस्तान सी.एच.बी.एस. में सामुदायिक विपणन केन्द्र	02	25.3.94
216.	नारायणा, ब्लाक-11 में स्थानीय विपणन केन्द्र	-	-
217.	कोटी नगर प्लाट सं. 12 और 13 में स्थानीय विपणन केन्द्र	-	-

1	2	3	4
218.	दिलशाद गार्डन पॉकेट ''डी'' में सामुदायकि विपणन केन्द्र	02	23.6.94
219.	राजौरी गार्डन जी.-8, क्षेत्र के प्लाट सं0 8,9,10 में दुकाने	96	24.1.94
220.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 3, दिल्ली स्कूल टीचर्स सी.एच.बी.एस. (सूरजमल विहार)	18	6.5.94
221.	पश्चिमपुरी-ए-4, यूनिवर्सिटी सोसायटी के पास सामुदायिक विपणन केन्द्र	05	-वही-
222.	मादीपुर के 356, एस.आई.एस. आवास मकानों पर सामुदायिक विपणन केन्द्र	06	7.6.94
223.	प्रशांत विहार, ब्लाक-डी, सेक्टर-14, में स्थानीय विपणन केन्द्र	09	2.6.94
224.	सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 9, सैक्टर-16, रोहिणी	16	17.6.94
225.	सरिता विहार पॉकेट डी. और ई. में स्थानीय विपणन केन्द्र	04	24.6.94
226.	जनकपुरी में सेवा औद्योगिक केन्द्र	04 चौथा तल	25.10.86
227.	स्थानीय विपणन केन्द्र सं. 10, सेक्टर-16, रोहिणी	15	12.5.94
228.	जनकपुरी पॉकेट 11-2, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	07	29.6.94
229.	शालीमार बाग, ब्लाक-बी, पॉकेट-सी में सामुदायिक विपणन केन्द्र	20	1.8.94
230.	तिलक नगर, सब्जी मंण्डी में दुकाने	-	[illegible]
231.	पीतमपुरा ब्लाक ''बी'' (डी) में सामुदायिक विपणन केन्द्र	02	19.8.94
232.	विकासपुरी ब्लाक ''जे'' में स्थानीय विपणन केन्द्र	-	-
233.	विकासपुरी, ब्लाक ''जे'' में स्थानीय विपणन केन्द्र	15	23.9.94
234.	विकासपुरी ब्लाक ''सी'' में स्थानीय विपणन केन्द्र	04	16.9.94
235.	संदेश विहार में पीतमपुरा में सामुदायिक विपणन केन्द्र	05	28.11.94
236.	हरगोविन्द इन्कलेव में सामुदायिक विपणन केन्द्र	-	-
237.	लोनी रोड़ पूर्व, पॉकट-बी, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	10	20.1.95
238.	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के निकट मुनिरका एस.एस.एस. में सामुदायिक विपणन केन्द्र	01	10.1.86
239.	प्रीति विहार ब्लाक ''बी'' में सामुदायिक विपणन केन्द्र सं0 3	05	28.3.85
240.	पीतमपुरा रोहित में स्थानीय विपणन केन्द्र	15	10.2.95
241.	सराय सरत गांव मंगलापुरी में सामुदायिक विपणन केन्द्र	10	16.3.95
242.	पीतमपुरा, पॉकेट-एल (यू) में स्थानीय विपणन केन्द्र	25	24.7.95
243.	सामुदायिक विपणन केन्द्र, कोण्डली धरौली, सेक्टर-बी	06	26.4.95
244.	इड्सन लिंग किंगस्वे कैम्प में सामुदायिक विपणन केन्द्र	08	30.8.95
245.	नरेला (4) सेक्टर-ए-10, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	17	20.11.95
246.	कोइट एन्कलेव पीतमपुरा में सामुदायिक विपणन केन्द्र	11	30.11.95

1	2	3	4
247.	प्रीत विहार ब्लाक ई में सामुदायिक विपणन केन्द्र	03	19.12.95
248.	पश्चिम विहार-जी-17 में (मीरा बाग) जनता सी.एच.आर.एस. में सामुदायिक विपणन केन्द्र	13	20.12.95
249.	रक्षा विकास फेज-I विकासपुरी में सामुदायिक विपणन केन्द्र	04	25.1.96
250.	यमुना विहार ब्लाक-सी में स्थानीय विपणन केन्द्र	11	27.2.96
251.	प्रशांत विहार ब्लाक-डी, में स्थानीय विपणन केन्द्र	17	11.3.96
252.	आजादपुर में कार्यालय एवं विपणन दुकानें	-	-
253.	सम्राट एन्कलेज में स्थानीय विपणन केन्द्र	70	9.5.94
254.	ढल्लुपुरा/विल्ला में जागृति जी.एच.एस. के पास सामुदायिक विपणन केन्द्र	37	18.7.96
255.	नरेला स्थल सं0 सेक्टर-ए-10, में सामुदायिक विपणन केन्द्र	17	14.8.96
256.	यमुना विहार में ब्लाक सी. और बी. में स्थानीय विपणन केन्द्र	12	14.8.96
257.	लारेंस रोड ब्लाक-बी-IV में स्थानीय विणन केन्द्र	74	25.10.96
258.	विकास पुरी पॉकेट डी.जी.-II 624, एम.आई.जी. आवास में सामुदायिक विपणन केन्द्र	23	28.10.96
259.	राणा प्रताप बाग के पास मैन गुप्ता कालोनी में सामुदायिक विपणन केन्द्र	07	28.10.96
260.	राजधानी सी.एफ. 1035 (प्रीत विहार) योजना सं0 5026/76 के पास सामुदायिक विपणन केन्द्र	12	1.11.96
261.	पीतमपुरा वाई.(पी.) में सामुदायिक विपणन केन्द्र	23	15.11.96
262.	द्वारका फेज-I, सेक्टर-19, पॉकेट-बी के एक मंजिला इमारत के ब्लाक में सामुदायिक विपणन केन्द्र	09	6.1.97
263.	राजेन्द्र प्लेस (जिला केन्द्र) फ्लैग मार्किट	07	11.3.97
	कोग	**2337**	

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारीगण

5139. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियत्रंण वाले विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों-सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों से आशुलिपिकों और चपरासियों आदि सहित अनेक अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से अपने यहां तैनात किया है और ये अधिकारीगण एक दशक से भी अधिक समय से कई संवेदनशील अनुभागों और इन अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रभारी अधिकारियों के अधीन कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी बिना किसी स्थानान्तरण के काफी लम्बे समय से निरंतर एक ही संवेदनशील स्थान पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे अनुभागों से जल्दी-जल्दी इन अधिकारियों को नहीं बदलने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाएगी।

आंध्र प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति

5140. डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय राज्य में बिजली की वास्तविक मांग ओर आपूर्ति कितनी है;

(ग) राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने राज्य सरकार से कृषि क्षेत्र के लिए बिजली पर राज सहायता को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आंध्र प्रदेश में बिजली की आपूर्ति में कब तक सुधार आने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है :

	उर्जा (मि.यू.निवल)	व्यस्ततमकालीन (मे. वा. निवल)	
आवश्यकता	40240	व्यस्ततमकालीन मांग	5940
उपलब्धता	31359	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	4540
कमी	8881	कमी	1400
%	22.1	%	23.6

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कोई भी विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं हैं।

(च) पूर्वी क्षेत्र से विद्युत अंतरण की व्यवस्था करके (150 मे.वा.) विद्यमान स्टेशनों में उत्पादन अधिकतम करके, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करके, पारेषण एवं वितरण हानियां कम करके तथा उचित भार प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण उपाय करके आंध्र प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अवर सचिव के पद पर पदोन्नत अनुभाग अधिकारी

5141. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 से आज तक के दौरान कितने अनुभाग अधिकारी अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किये गये तथा इन पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये निर्धारित कोटा में से इन वर्गों के कितने अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नतियां दी गई है; और

(ख) अवर सचिव के पद पर पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु कौन-कौन से पात्रता मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे कितने अनुभाग अधिकारी ये मानदण्ड पूरा करते हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) सीधी भर्ती के पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में लम्बे समय से चल रही मुकदमेबाजी के कारण 1986 की चयन सूची के बाद, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिवों के ग्रेड में नियमित आधार पर पदोन्नतियों के लिए कोई चयन सूची तैयार नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप, वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड से केवल तदर्थ पदोन्नतियाँ ही की गई थी। पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा 8 वर्ष है। तथापि, अनुदेशों के अनुसार, ऐसी पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए हुई रिक्तियों की संख्या से यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कम रहते हैं तो वरिष्ठता सूची में अपेक्षित सीमा तक नीचे जाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अधिकारियों को लिया जाता है; परन्तु भरी जाने वाली रिक्तियों की 5 गुणा संख्या तक ही जाया जा सकता है। तदनुसार, 924 अनुभाग अधिकारी, जिनमें 162 अनुसूचित जाति तथा 20 अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सम्मिलित हैं, 4.12.1991 से विभिन्न अवसरों पर अखिल सचिवालय आधार पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किये गये हैं।

आयकर कार्यालय पटना

5142. श्री राम नाईक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्राधिकारी जांच स्कंध के कार्यालय को पटना स्थित राजस्व भवन परिसर में स्थानांतरित करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) जांच अधिकरियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन अधिकारियों द्वारा किन मामलों की जांच की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) चूंकि पटना में स्थित वर्तमान जांच स्कंध एक किराये के परिसर में कार्य कर रहा है अतः विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यालय स्थान प्राप्त करने की दृष्टि से इस स्कंध को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) चूंकि आयकर विभाग को कर की चोरी की शिकायतों की जांच करने और तलाशियां लेने का कार्य सौंपा गया है, अतः विभिन्न आयकर कार्यालयों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बिहार सरकार से अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने पटना स्थित केन्द्रीय राजस्व भवन और जांच स्कंध के कार्यालय के बाहर एक मोबाइल पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की है।

अतिक्रमण को हटाया जाना

5143. श्री राम सागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप-राज्यपाल ने विशेष कार्य बल को सरकारी भूमि से अतिक्रमण और अवैध निर्माण को पूरी तरह से साफ कर देने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे भूमि-माफिया का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है, जिसने निर्दोष लोगों को सरकारी और ग्राम सभा की भूमि बेची है;

(ग) क्या स्थानीय स्वशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों का पता लगाने को कोई प्रस्ताव हैं, जिन्होंने सरकारी और ग्राम सभा की भूमि पर निर्माण की अनुमति दी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उप-राज्यपाल दिल्ली द्वारा विशेष रूप से अतिक्रमणों और सार्वजनिक भूमि के अवैध निपटान, सम्पत्तियों से दखलदारों को बलपूर्वक हटाने तथा इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत और भ्रष्टाचार संबंधित अपराधों की जाँच हेतु विशेष कार्यदल का गठन किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार विशेष कार्यदल ने सरकारी भूमि की अवैध बिक्री और उस पर बने अवैध निर्माण से संबंधित मामलों की जांच का कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि विशेष कार्यदल द्वारा उन भ्रष्ट कर्मचारियों की मिली भगत और उनके उस मामले की जांच की जायेगी जिन्होंने सरकारी और ग्राम सभा की भूमि पर निर्माण की अनुमति दी थी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

धन अंतरण संबंधी कानून

5144. श्री एस. रमना : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन अंतरण संबंधी कानून का राष्ट्रमण्डल मॉडल कानून की तर्ज पर प्रारूप बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रमण्डल मॉडल आधारित ऐसे कानून से क्या लाभ होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) अनुचित ढंग से धन कमाने संबंधी सभी पहलुओं की जांच करने तथा इस समस्या से निपटने के लिए यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त कानून सुझाने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी, जिसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, भातीय रिजर्व बैंक और आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। उक्त समिति द्वारा मंत्रालय को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

तेल अन्वेषण

5145. श्री बी.एल. शंकर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तेल अन्वेषण में शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश के भारतीय तेल उद्योग और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हाँ। सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में नई अन्वेषण लाइसेंसिग नीति की घोषणा की है। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

- वर्तमान बोली दौरों के अलावा अन्वेषण रकबों की मुक्त रूप से उपलब्धता।

- आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड अन्य निजी क्षेत्र कंपनियों के साथ प्रतियोगितात्मक आधार पर अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करेंगी।

- आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड को निजी कंपनियों के लिए उपलब्ध राजकोषीय और ठेका शर्तों के समान शर्तें उपलब्ध कराकर उन्हें समान स्तर का कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना।

- गहरे समुद्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं।

- ठेकेदारों को घरेलू बाजार में कच्चे तेल और गैस के विपणन की स्वतंत्रता।

चूंकि आयल एंड नेचुरल कार्पोरेशन और आयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोई राजकीय भागीदारी अनिवार्य नहीं है। इसलिए विदेशी कंपनियां बोली देने और अपने आप प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र होंगी। नई नीति से अन्वेषण एवं विकास पर निवेश में वृद्धि होगी तथा अद्यतन प्रबंधकीय और प्रोद्योगिकीय प्रयोग भी शुरू होंगे। दीर्घावधि में इससे देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि होगी ओर तेल भण्डारों में भी बढ़ोत्तरी होगी जिसके फलस्वरूप कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर विदेशी मुद्रा के व्यय में बचत करने में सहायता मिलेगी।

मध्य प्रदेश के नीमच स्थित अल्कोलायड फैक्ट्री

5146. डॉ॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के नीमच स्थित अल्कोलायड फैक्ट्री में उत्पादन कार्य दो पालियों (शिफ्टों) में हो रहा है;

(ख) क्या मांग को पूरा करने के लिए इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का लगातार अनुरोध किया जा रहा है;

(ग) क्या इस फैक्ट्री में निर्मित उत्पाद से काफी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) देश में कोडीन फॉस्फेट एवं अन्य आधारभूत अल्कोलायडस की घरेलू मांग में सतत् वृद्धि होती रही है। नीमच प्लांट की सीमित उत्पादन क्षमता के कारण पूर्ति में आई कमी को बाहर से कोडीन फॉस्फेट का आयात करके पूरा किया जा रहा हैं विदेशी मुद्रा की बचत गाजीपुर एवं नीमच स्थित दो अल्कोलायड्स प्लांटों द्वारा कोडीन फॉस्फेट के एक सीमा तक उत्पादन द्वारा ही की जा रही है।

(घ) सरकार अल्कोलायड प्लांटों को ऐसी निगमित इकाई में परिवर्तन करने की संभावना को तलाश की रही है जो कि तकनीक के उन्नयन में और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने आदि के मामलों में अधिक स्वायत्तता और व्यापक शक्तियाँ रखती हैं।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

5147. कुमारी उमा भारती :
डॉ॰ रामविलास वेदान्ती :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 में विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति निराशाजनक रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हाँ, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालचारी): (क) से (ङ) विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा मानीटरिंग के दौरान अन्य घटक जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब, अवसंरचनात्मक एवं अन्य सहायक कार्यों के विलंब, पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति समेत सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब आदि के अतिरिक्त निधियों की कमी होना मुख्य बाधा पाई गयी है।

विद्युत परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सूक्ष्मता से प्रगति की निगरानी करते हैं और जहां भी आवश्यक हो; संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाकर यथा समय सहायता प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

इटली के व्यापारी का प्रत्यर्पण

5148. श्री पी. कोदंड रमैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोफोर्स दलाली मामले में संलिप्त इटली के व्यापारी ओक्टेविया क्वात्रोच्चि को प्रत्यर्पित करने की कोई राजनयिक कार्यवाही शुरू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या भारत और मलेशिया के बीच राष्ट्रमंडल प्रत्यर्पण योजना के होते हुए भी इटली के व्यापारी की गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित करने में मलेशिया सरकार विफल हो गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) 1.2.97 से 18.2.97 तक सी.बी. आई. अधिकारियों के एक दल ने मलेशिया का दौरा किया तथा विधिक औपचारिकताओं, प्रक्रियाओं एवं साक्ष्यकारी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए राजनयिक माध्यमों के जरिए संबंद्ध मलेशियाई प्राधिकारियों से संपर्क किया ताकि मलेशियाई प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यावर्त्तन अनुरोध पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि इस संबंध में और सामग्री एकत्र करने के उपरान्त ही कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि भारत और विदेशों में जांच कार्य चल रहा है और विभिन्न देशों में जांच के लिए कुछ प्रार्थना पत्र भेजे जा चुके हैं/भेजे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रकुल प्रत्यावर्तन योजना सिर्फ अनुशंसात्मक प्रकृति की है और बाध्यकारी नहीं है। देशों के साथ प्रत्यावर्तन संधियां या तो एक द्विपक्षीय प्रत्यवर्तन संधि पर आधारित है अथवा एक व्यवस्था पर। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यावर्तन के लिए मलेशिया के साथ भारत की न तो कोई प्रत्यावर्तन संधि है और न ही कोई व्यवस्था।

(ङ) तथापि, मलेशियाई प्राधिकारियों ने भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा का संकेत दिया है कि बशर्ते कि मलेशियाई कानूनों के अंतर्गत आने वाली विधिक औपचारिकताओं, प्रक्रियाओं और साक्ष्यकारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

5149. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों के 10 हजार रुपये तक ऋण माफ करने की घोषणा की है और क्या कुछ राज्यों में इसे कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) बैंकों द्वारा बिहार के गिरिडिह, कोडरमा और हजारीबाग के किसानों से कुर्की द्वारा और ब्याज 4-5 गुना बढ़ाकर ऋण वसूल करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों के किसानों के ऋण माफ करने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से सरकार मूल-धन को तीन-चार किश्तों में वसूल करेगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हाँ। वर्ष 1990 में भारत सरकार ने "कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990" नामक एक ऋण राहत योजना की घोषणा की थी जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे किसानों, भूमिहीनों श्रमिकों, कारीगरों, और जुलाहों द्वारा लिए गए ऋण जो 02 अक्टूबर 1989 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संचित देय की वापसी अदायगी करने में असमर्थ थे, प्रति उधारकर्त्ता के अधिकतम, 10,000 रुपऐ के अध्यधीन बट्टे खाते डाल दिए गए थे। इसी प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा सहकारी बैंकों के उधारकर्त्ताओं के लिए योजनाएं शुरू की गई थीं जिन मामले में भारत सरकार ने दी गई ऋण राहत का 50 प्रतिशत भार वहन किया था। असम व जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां यह योजना 30 जून 1991 में समाप्त हुई थी शेष सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में यह योजना 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई थी। दावों का अंतिम निपटान कर दिया गया था तथा योजना की अवधि 31 मार्च, 1995 मान ली गई थी।

(ख) ऋण संस्थाओं द्वारा कृषि ऋण सहित ऋणों और अग्रिमों की वसूली एक अनवरत प्रक्रिया है। ऐसे ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां तत्कालीन नियमों व शर्तों तथा विधि के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं।

(ग) से (ङ) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 एकमुश्त कार्यक्रम था। ऐसे कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रफ ओप्येलेमिक ब्लैंक्स का आयात

5150. श्री ई. अहमद
डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क आयुक्त-I ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट नए सीमा शुल्क भवन के निकट दृष्टिकोण दूर करने हेतु एककों के लिए रफ आप्येल्पिक ब्लैंक्स (आर.ओ. बी.) की क्लीयरेंस को आयातकों द्वारा जुलाई/अक्टूबर, 1996 में भरी गई बिल की प्रविष्टियों के आधार पर रोक दिया है तथा अब यह मामला एस.आई.आई.बी. नया सीमा शुल्क भवन की जांच

के अधीन है क्योंकि माल के इन खेपों का बीजक बहुत ही कम बनाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे आयातकों तथा उनसे प्रेषित माल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आयातकों को मार्च, 1997 में कम मूल्य का बीजक बनाकर माल लादने और उसके पश्चात बढ़ी हुई कीमतों पर सीमा शुल्क लेने और इस प्रकार स्वयं को 'फेरा' कानूनों तथा सी.बी.आई. और विक्रय कर की जांचों से बचाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो इस आयात घोटाले को आयात पश्चात जांच के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिकारियों को न सौंपने के क्या कारण हैं जिसमें आयातकों ने करोड़ों रुपऐ का सीमा शुल्क और विक्रय कर बचाया है; और

(ङ) दोषी सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि इन आयातकों ने अग्रिम जमानत ले रखी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) मैसर्स ऐन्टरप्राइजिस ट्रेडिंग कंपनी, नई दिल्ली ने दिनांक 15.10.96 के आगम पत्र संख्या 152932 द्वारा 21.35 लाख रुपए और मैसर्स इंडियन ऑपटिब्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ने दिनांक 4.10.96 के आगम पत्र सं0 109497 द्वारा 6.50 लाख रुपए मूल्य की रफ आप्थैल्मिक ब्लैंक्स की दो खेपों का आयात किया है।

(ग) से (ङ) मैसर्स इन्टरप्राजिस ट्रेडिंग कंपनी को दिल्ली में 10.3.1997 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मैसर्स इंडियन आप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी करने के लिए कारण बताओ नोटिस तैयार किया जा रहा है। पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए आयातों की जांच-पड़ताल जारी है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन और बिक्री कर के तहत और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक स्वतंत्र अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाती है और किन्ही अन्य एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद अलग-अलग एजेंसियों किसी अन्य कानून के तहत कार्रवाई करती हैं। सीमा शुल्क द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने का आशय ऐसी किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल को रोकना नहीं है।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त कार्य दल

5151. श्री जी.ए. चरण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने दिल्ली में वार्ता के दौरान केवल द्विपक्षीय हित के एक अथवा अनेक मुद्दों को निपटाने के लिए संयुक्त कार्य दल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो अन्य मुद्दे कौन-से हैं जिन पर समझौता हुआ है;

(ग) क्या भारत ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की भर्त्सना को नकारते हुये जम्मू कश्मीर के विधान सभा चुनाव करा दिये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या अन्य वार्ता के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह बातचीत उन मुद्दों पर कोई अन्तिम समझौता किए बिना समाप्त हो गई जिनके संबंध में विचार-विमर्श हुआ था।

(ग) हमने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन और उसके द्वारा उकसाये गए अप्रत्यक्ष युद्ध के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने जम्मू तथा कश्मीर में संसदीय तथा विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने और लोकतंत्र प्रक्रिया की बहाली का उल्लेख किया तथा पाकिस्तान से अनुरोध किया कि वह वह सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने में संयम बरते।

(घ) और (ङ) इस बात पर सहमति हुई कि परस्पर सहमत तारीखों को दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत जारी रखी जाएगी।

बाल श्रमिक

5152. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की सिफारिशों के अंतर्गत देश में मार्च, 1997 तक बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु कुल कितनी मार्गदर्शी परियोजनाओं की स्थापना की गई है;

(ख) महाराष्ट्र में ऐसी कितनी और कहां-कहां पर बाल परियोजनाएं स्थापित की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के वित्त-पोषण और इन पर नियंत्रण के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) बाल श्रम के उन्मूलन संबंधी अं.श्र.सं. के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन बाल श्रम संबंधी कुल 120 कार्रवाई कार्यक्रमों और 69 छोटे कार्यक्रमों को वित्तपोषित किया गया है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के भिन्न-भिन्न चरणों में हैं। महाराष्ट्र में आई.पी.ई.सी. कार्रवाई कार्यक्रमों और उनके स्थलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आई.पी.ई.सी. के अधीन मंजूर की गई परियोजनाओं का, विस्तृत वित्तीय और प्रबोधन प्रक्रिया के अनुसार अं.श्र.सं. - आई.पी.ई.सी. द्वारा प्रबोधन किया जा रहा है। जिसमें आई.पी.ई.सी. द्वारा विकसित एक तिमाही रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल है। शुरूआती अदायगी और करार को हस्ताक्षरित करने के बाद, बाद की अदायगियां तिमाही रिपोर्टों की प्राप्ति और उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद की जाती है। अन्तिम अदायगी संतोषजनक कार्यान्वयन और अन्तिम रिपोर्ट की प्राप्ति पर ही की जाती है। कार्यक्रम के समग्र प्रबोधन का दायित्व राष्ट्रीय संचालन समिति का है जिसके अध्यक्ष श्रम सचिव हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में आई.पी.सी. कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	महाराष्ट्र में कार्यान्वयन एजेन्सी	आई.पी.ई.सी. कार्यक्रम का नाम और स्थल
1.	अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस	व्यवसाय संघ कार्यकर्ताओं को सजग करना और बाल श्रमिकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना (महाराष्ट्र लक्ष्यित राज्यों में से एक है)
2.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	दक्षिण पश्चिम भारत के 12 क्षेत्रों में कर्मकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ना (महाराष्ट्र लक्ष्यित राज्यों में से एक है)
3.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	गैर-सरकारी संगठनों के लिए आई.पी.ई.सी. कार्रवाई कार्यक्रमों के प्रबंधन, मूल्यांकन और प्रसारण के संबंध में उत्तर-पश्चिम राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों के लिए बम्बई में कार्यशाला आयोजित की गई थी। (महाराष्ट्र लक्ष्यित राज्यों में से एक है)
4.	एकता और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए युवा, बंबई	बाल श्रम के विरूद्ध अभियान (महाराष्ट्र लक्ष्यित राज्यों में से एक है)
5.	स्नेहांकित, पुणे	पुणे, महाराष्ट्र में बाल श्रमिकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण
6.	भारतीय व्यवसाय संघ केन्द्र	छः खतरनाक और गैर-खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सामान्य रूप से संघ के सदस्यों, कर्मकारों और जनता को समर्थन प्रदान करना। (महाराष्ट्र लक्ष्यित राज्यों में से एक है)
7.	ठेकेदार कामगार संघ, पुणे	महाराष्ट्र के पुणे जिले में बीड़ी उद्योग में बाल श्रम के संबंध में संघ के सदस्यों को सजग करना।
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केन्द्र	नागपुर के बाल कर्मकारों को शिक्षा और कौशल प्रदान करना।
9.	भारतीय राष्ट्रीय व्यवसाय संघ कांग्रेस	इंटक में बाल श्रम सैल (महाराष्ट्र लक्ष्यित राज्यों में से एक है)
10.	अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन	खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को समाप्त करने के संबंध में नियोक्ता और कर्मकार संगठनों को उत्प्रेरित और सजग करने के लिए कार्यक्रम (महाराष्ट्र लक्ष्यित राज्यों में से एक है)
11.	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, बंबई	चुनिंदा उद्योगों में कार्य कर रहे बालकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य के खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना (राजस्थान और उत्तर प्रदेश)

महाराष्ट्र में आई.पी.ई.सी. के छोटे कार्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	महाराष्ट्र में कार्यान्वयन एजेंसी	आई.पी.ई.सी. कार्यक्रम का नाम और स्थान
1.	एकता और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए युवा बाल श्रम के विरुद्ध अभियान, बंबई	मद्रास में आयोजित राष्ट्रीय बाल श्रमिक सम्मेलन का आंशिक वित्त पोषण
2.	सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए संस्थान, शैक्षिक उत्थान, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	कोल्हापुर में आयोजित महिलाओं और बाल श्रमिकों के माता-पिता के लिये अभिमुखीकरण।
3.	श्रम और जनजातीय कल्याण संस्था बुल्दाना, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र के बुल्दाना जिले में बाल श्रम पर कार्यशाला
4.	इंटक-महाराष्ट्र क्षेत्रीय सैल, बंबई	बाल श्रमिकों के माता-पिता को अपने बालकों के काम पर भेजने के बारे में सलाहकारी कार्यशाला
5.	महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, बंबई	आई.पी.ई.सी. के प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान प्रशिक्षित निरीक्षकों द्वारा किए गए कुछ निरीक्षण के मामलों के पूर्ववृत्त को जानना।
6.	महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ, पुणे	महाराष्ट्र के संगली जिले में भा.म.सं. व्यवसाय संघों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला
7.	महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ, पुणे	महाराष्ट्र के पुणे जिले में भा.म.सं. व्यवसाय संघों के कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला
8.	महाराष्ट्र राज्य बीड़ी कामगार संघ, पुणे	महाराष्ट्र के नासिक/अहमदनगर जिले में भा.म.सं. व्यवसाय संघों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला

[हिन्दी]

जन सुविधाओं के लिए विदेशी सहायता

5153. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली और जापान की सरकारें पर्यावरण को बेहतर बनाने और रोजगार प्रदान करने हेतु जन सुविधाओं में सुधार के लिए धनराशि देने की इच्छुक हैं, और उन्होंने इस बार इस संबंध में परियोजना प्रतिवेदन मांगे हैं, लेकिन नगर निगमों के प्रशासन ने संबंधित योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है जिसके परिणामस्वरूप उनसे अधिकांश योजनाएं वापस ली जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु) : (क) इस प्रकार का कोई विशेष मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगला देश को सहायता

5154. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश ने अपनी विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा बंगला देश को अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) इस संबंध में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत सरकार अन्य कितने और किन-किन देशों को उनकी विद्युत परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान कर रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) बंगला देश सरकार राजशाही पावर डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना चरण-2 का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा 1991 में स्वीकृत किए गए 30 करोड़ रुपये के ऋण के द्वारा कर रही है। हाल ही में हुई संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के दौरान बंगलादेश के पक्ष में उल्लेख किया है कि राजशाही पावर डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना-2 को पूरा करने के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपये की अनुपूरक आवश्यकता थी।

(ङ) भारत सरकार तीन राष्ट्रों नामशः बंगलादेश, नेपाल तथा भूटान की विद्युत परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध करा रही है।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

5155. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री एल. रमना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना के बाद उसको कितने मामले सौंपे गए हैं;

(ख) इस बोर्ड ने 31 मार्च, 1997 तक कुल कितने मामलों को निपटाया;

(ग) कितने मामलों में ऋण उद्योगों को चालू करने के और बंद करने की सिफारिश की गई; और

(घ) कितने मामलों में खोलने की सिफारिशों को सरकार ने माना है और इस काम के लिए कितने मामलों को नामंजूर किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि मई 1987 में इसके प्रारम्भ से दिनांक 31.3.1997 तक उसके पास 1899 संदर्भ पंजीकृत किए गऐ थे।

(ख) दिनांक 31.3.1997 तक बाइफर द्वारा 1540 मामले निपटाए गये थे।

(ग) इस अवधि के दौरान रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए 594 पुनर्वास योजनाएं (औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय सहित) मंजूर की गई थी। बाइफर ने संबंधित उच्च न्यायालयों से 514 मामलों में परिसमापन की सिफारिश की थी।

(घ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष अनुबन्ध) अधिनियम, 1985 (सीका) के प्रावधानों के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनियों, जिनमें सरकारी क्षेत्र की ऐसी कंपनियां शामिल हैं, को बाइफर का सौपा जाना अपेक्षित हैं। ताकि ऐसी कंपनियों के संबंध में आवश्यक उपचारात्मक एवं अन्य उपाय किए जा सके। जहां बाइफर द्वारा सीका की धारा 17(2) एवं 18(4) के तहत रुग्ण औद्योगिक कंपनी को पुनः अर्थक्षम बनाने की योजना मंजूर की जानी है, वहां सरकारी अभिकरणों सहित सभी संबंधित अभिकरणों से मंजूर योजना की शर्तों के अनुसार सुविधाएं देने की अपेक्षा की जाती है।

रिक्त पद

5156. श्री राम नाईक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आयकर उपायुक्त के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है और अधिकारियों की नियुक्ति कब तक की जायेगी;

(ग) क्या अधिकारी बिहार में इन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के अनिच्छुक हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस अनिच्छा के कारणों का पता लगाया है; और

(ङ) बिहार में अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने के लिए कोन से प्रयास किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) इस समय बिहार क्षेत्र में उप-आयकर आयुक्तों के पांच पद रिक्त पड़े हुए हैं।

(ख) से (ङ) बिहार क्षेत्र में उप-आयकर आयुक्तों के रिक्त पड़े पदों को वार्षिक सामान्य स्थानान्तरणों के दौरान और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर भरा जाना है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में स्टाफ कार का प्रयोग

5157. श्री वी. प्रदीप देव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों को उनके घर से कार्यालय लाने और वापिस घर छोड़ने संबंधी भारत सरकार के निर्देश कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भी लागू होते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुछ अधिकारी भी स्टाफ कार का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, जो इसके पात्र नहीं हैं;

(घ) क्या कुछ अधिकारियों द्वारा स्टाफ कार को अनधिकृत रूप से प्रयोग करने के लिए निर्देशों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है;

(ङ) क्या अनधिकृत प्रयोग के मामले में कोई वसूलियां की गई हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। तथापि, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ कार का उपयोग किए जाने के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का क.रा.बी. निगम द्वारा सामान्यतया पालन किया जाता है। तदनुसार, क.रा.बी. निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को घर से कार्यालय तक लाने और घर वापिस पहुंचाने के लिए निर्धारित दरों पर स्टाफ मुहैया करवायी जा रही है। जब कभी आवश्यक होता है, तब अन्य अधिकारियों को भी अपने सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए स्टाफ कारें मुहैया करवायी जा रही है। क.रा.बी.निगम द्वारा स्टाफ कार का अनुधिकृत रूप से उपयोग किए जाने की किसी घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे पास उन सदस्यों की सूची है जिन्होंने पहले ही नोटिस दे दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सर, हमने प्रिविलेज का नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : आप जीरो आवर में उठाते हैं इसलिए जीरो आवर को भी यहां रेगुलेट किया गया है। मैं आपको चांस दे दूंगा।

श्री नीतीश कुमार : रूल के हिसाब से क्वश्चन आवर के तुरंत बाद प्रिविलेज के मामले को सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है। इसलिए आपसे आज्ञा चाह रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या आपने प्रिविलेज का नोटिस दिया है?

श्री नीतिश कुमार : जी, हाँ कल नोटिस दिया है। स्पीकर साहब से मिले भी हैं और उन्होंने आज के बारे में कहा है। प्रिविलेज के मामले के पहले पेपर ले नहीं किया जा सकता, यह रूल साफ है। इसमें क्वश्चन आवर के तुरंत बाद कोई दूसरा आईटम लेने से पहले प्रिविलेज का मामला लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. वासमुंशी (हावड़ा) : मैंने भूत-पूर्व महासचिव के विरुद्ध प्रिविलेज के उल्लंघन के संबंध में नोटिस दिया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं भूत-पूर्व महासचिव से इसके बारे में पूछताछ कर रहा हूँ, जिनका वक्तव्य संसद और संसदविदों के लिए अपमानजनक था। मैंने पिछले सत्र में ही काफी पहले प्रिविलेज नोटिस दिया था। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह भूतपूर्व महासचिव श्री सुभाष सी. कश्यप से इस मामले में पूछ-ताछ कर रहे हैं और वे सभी को इसकी सूचना दे देंगे। तीन महीने पहले ही बीत गए हैं। श्री कश्यप भी शहर में मौजूद हैं। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होनें समग्र संसद सदस्यों का अपमान किया है। उन्होंने सभापति तथा सभापटल कक्ष में कार्यरत सभी लोगों का अपमान किया है। यह ठीक बात नहीं है। और वह प्रत्येक दिन आराम से गुजार रहे हैं। यह क्या है क्या हम किसी को नहीं पकड़ सकते? क्या हम इतने दुर्बल हैं? संसद को स्वयं इस मामले को देखना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, मैंने भी अटार्नी जनरल के विरोध में प्रिविलेज दिया है। उन्होंने सारे सदन की अवमानना की है, इसलिए मैंने अटार्नी जनरल के बारे में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज 29 तारीख को दिया है लेकिन अब तक मौका नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे कार्य शुरू करने दीजिए। सर्वप्रथम सभापटल पर पत्र रखे जाएं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, रूल के मुताबिक प्रिविलेज का मामला सबसे पहले लेना चाहिए। पेपर ले करने से पहले यह होना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी तो शुरू कर दिया है।

श्री नीतीश कुमार : हमारा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। प्रिविलेज का मामला हाउस में रेज करने के लिए क्वश्चन आवर के तुरंत

बाद दूसरे किसी भी आईटम के पहले उसे लिया जाएगा, यह हमारा रूल कहता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया वह भाग पढ़े।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : ये जो कह रहे हैं वह रूल के मुताबिक है लेकिन सदन का यह रवैया है कि पेपर ले कर दिया जाए फिर प्रिविलेज मोशन उठाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं उनसे सहमत हूँ।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अटल जी ने कह दिया है तो ठीक है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं तथा उन पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट :

(एक) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर, कश्मीर।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1860/97]

(दो) नादिया ग्रामीण बैंक, क्रिशनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1861/97]

(तीन) भागलपुर बंका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1862/97]

(चार) सागर ग्रामीण बैंक, कलकत्ता।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1863/97]

(पांच) हडोटी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1864/97]

(छः) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1865/97]

(सात) गौर ग्रामीण बैंक, मालदा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1866/97]

(आठ) मयूराक्शी ग्रामीण बैंक, सूरी

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1867/97]

(नौ) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1868/97]

(दस) सुबनसिरी गांओलिया बैंक, उत्तरी, लखीमपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1869/97]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1997, जो 11 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.ओ.184 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1870/97]

(3) धन-कर अधिनिमय, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अंतर्गत धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 1997, जो 5 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 169 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1871/97]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस. वेणुगोपालाचारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1872/97]

(दो) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1873/97]

बीकोलॉरी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) बीकोलॉरी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीकोलॉरी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1874/97]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1875/97]

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1876/97]

(तीन) भारत पेट्रोलियम कारपोर्रेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1877/97]

(चार) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1878/97]

(पांच) बाल्मेर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1879/97]

(छह) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1880/97]

(सात) भारतीय गैस प्राधिकारण लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1881/97]

(आठ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1882/97]

(नौ) आईबीपी कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1883/97]

(4) संविदा क्षेत्र जिसकी पहचान ब्लाक सीवाई-ओएस/2 के रूप में की गई है, के संबंध में भारत सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और वालको, एनर्जी, आईएनसी, हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड, टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1884/97]

(5) संविदा क्षेत्र जिसकी पहचान ब्लाक सीबी-ओएस/1 के रूप में की गई है, के संबंध में भारत सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और वालको

एनर्जी, आईएनसी, टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड, हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1885/97]

(6) संविदा क्षेत्र जिसकी पहचान ब्लाक बीबी-ओएस/5 के रूप में की गई है, के संबंध में भारत सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और इस्सार ऑयल लिमिटेड के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1886/97]

(7) संविदा क्षेत्र जिसकी पहचान ब्लाक आरजे-ओएन-90/4 के रूप में की गई है, के संबंध में भारत सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड और इस्सार ऑयल लिमिटेड के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1887/97]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1888/97]

(3) आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड तथा शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1889/97]

भारतीय जीवन बीमा निगम नियम, 1997

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय) नियम, 1997 जो 14 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 77 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1890/97]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) योजना, 1997 जो 14 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 108 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) योजना, 1997 जो 25 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 145 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1891/97]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (संशोधन) नियम, 1997, जो 25 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 229 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1892/97]

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आय-कर (पांचना संशोधन) नियम, 1997, जो मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 224 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)!

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1893/97]

अपराह्न 12.05 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.05½ बजे

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) कतिपय आश्वासनों को छोड़ने संबंधी अनुरोधों पर दूसरा प्रतिवेदन।

(2) पुरूलिया में हथियार गिराए जाने के सम्बन्ध में आश्वासनों के क्रियान्वयन पर तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैंने कल ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। स्पीकर साहब से हमने मुलाकात भी की थी। उन्होंने आज उठाने की इजाजत दी थी कि आप उठाइएगा। इसके सम्बन्ध में मामला यह है कि एक मई का लोक सभा बुलेटिन पार्ट टू, उसका नम्बर 1128 है, इसमें आया है;

[अनुवाद]

"संख्या 1128 **श्री नीतीश कुमार की गिरफ्तारी और रिहाई**

अध्यक्ष, लोक सभा को सम्बोधित दिनांक 30 अप्रैल, 1997 को निम्नलिखित सूचना मजिस्ट्रेट, पटना, बिहार से 1 मई, 1997 को प्राप्त हुई थी।

श्री नीतीश कुमार, लोक सभा सदस्य को शान्ति भंग होने की आंशका से पटना, बिहार के जोनल आफीसर तथा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 151 के तहत 28 अप्रैल, 1997 को गिरफ्तार किया गया था।

उन्हें उसी दिन व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया गया था।"

[हिन्दी]

यह बुलेटिन है। सभापति महोदय, दो बिन्दुओं पर हमारा" विशेषाधिकार हनन का नोटिस है।

[अनुवाद]

यह सदस्य की गिरफ्तारी उसे निरुद्ध करने आदि और रिहाई के सम्बन्ध में अध्यक्ष को सूचना देने के बारे में है। नियम 229 में स्पष्ट रूप से कहा गया है जिसे मैं उद्धृत करता हूँ:

"जब कोई सदस्य किसी आपराधिक आरोप या किसी दंडापराध के लिए बन्दी किया जायेगा उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरूद्ध किया जाये तो, यथास्थिति, दंड देने वाला न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तृतीय अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र मे, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोष सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा।"

[हिन्दी]

यहां साफ है कि तुरन्त सूचित किया जाए और यहां देखा जाये, उन्होंने खुद कहा है कि 28 अप्रैल को मुझको गिरफ्तार किया और इसकी सूचना डिस्ट्रिक्टर मजिस्ट्रेट, पटना ने 30 अप्रैल को वहां से भेजी है, जो यहां एक मई को मिली। इम्मीडिएट का मतलब होता है, उसी दिन या 24 घंटे के अन्दर, इम्मीडिएट का मतलब यह नहीं होता है कि तीन दिन के बाद सूचना जाय। एक तो यह मामला है।.....*(व्यवधान)* इसका मतलब होता है घंटा, दो घंटा, तीन घंटा। बिहार तो दुनिया का, देश का अंग है। उससे बाहर कैसे हो सकता है, इम्मीडिएट शब्द का अर्थ बदल नहीं सकता है।

दूसरा पाइंट है, इसमें एक असत्य बात कही गई है।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है, "उन्हें उसी दिन पर्सनल बांड पर छोड़ दिया गया था।"

[हिन्दी]

मैंने कोई पर्सनल बॉण्ड नहीं दिया और किसी का कोई पर्सनल बॉण्ड नहीं हुआ। यह बात सही है कि मेरी तरफ से दूसरा तो कोई पर्सनली बॉण्ड नहीं दे सकता। मैंने कोई पर्सनल बॉण्ड नहीं दिया।

घटना यह थी कि हम सब लोग, जो सी.बी.आई. ने चारा घोटाले के मामले में घोषणा की कि हम चार्जशीट करेंगे और उस सिलसिले में हम लोग एक जुलूस निकालकर 28 अप्रैल को पटना में सड़कों पर निकले और डाक बंगला क्रासिंग पर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने पूछा, किस आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं, बस कहा गया कि गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके वहां से दो फर्लांग की दूरी पर.....*(व्यवधान)* एक मिनट में मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। दो फर्लांग की दूरी पर कोतवाली थाने में रखा गया था। हमने वहां कहा कि क्यों रखा है, ढाई घंटे के बाद जब हम लोगों ने कहा कि जब कोई कारण नहीं है तो हम लोग बाहर निकलते हैं तो वहां के जो दूसरे अधिकारी थाने में मौजूद थे, हाथ जोड़कर हम लोगों के सामने खड़े हो गये कि हम लोगों की नौकरी का सवाल है। अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आधे घंटे और रोककर रखो। हमने देखा कि यह छोटा अधिकारी है, हम लोग रुक गये कि ठीक है जब यह आदमी कह रहा है कि इसकी नौकरी न चली जाये तो हम लोग रुक गये। आधे घंटे के बाद उसने कहा कि आप सब लोग रिहा हैं। और थाने से निकल कर हम लोग अपने-अपने घर गए। यहां आकर बुलेटिन में देखा कि मुझे पर्सनल बांड पर छोड़ा गया है। कहां है पर्सनल बांड, यह इंटेशन मैलिशियस है, यह हमें डिफेम करने के लिए है। यह गलत सूचना दी गई है, सदन को गुमराह किया गया है। 'कोल एंड शकधर' में साफ लिखा है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। यह हाउस के बेनिफिट के लिए है, मुझे एक मिनट की इजाजत दे दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री जी से टिप्पणी करने के लिए पहले ही 6.5.1997 को सरकारी तौर पर अनुरोध किया जा चुका है। इसलिए आपको ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसमें गृह मंत्रालय का कोई सवाल नहीं है। 'कोल एण्ड शकधर' के फोर्थ एडीशन में पेज नं0 246 में साफ लिखा है।

[अनुवाद]

झूठे, जॉली या मनगढ़त दस्तावेज सभा को या इसकी समितियों को प्रस्तुत करने के बारे में। मैं उद्धृत करता हूँ:

> "किसी भी सभा या उसकी समिति को धोखा देने के उद्देश्य से झूठे, जाली और मनगढ़त दस्तावेज प्रस्तुत करना विशेषाधिकार हनन है और सभा की अवमानना है।"

यह साफ है, मैंने कोई पर्सनल बांड नहीं दिया। इसमें गृह मंत्रालय क्या कमेंट देगा। अगर मैंने पर्सनल बांड दिया है तो मैं अभी इसी वक्त सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देकर चला जाऊंगा। इससे बढ़कर कोई और असत्य बात नहीं हो सकती। यह मुझे डिफेम करने के लिए, जलील करने के लिए और हाउस को गुमराह करने के लिए कुछ बदमिजाज अधिकारियों ने कहा है। जिलाधीश ने सूचना भेजी, तीन दिन के बाद भेजी, यह कंटेम्प्ट आफ हाउस है। यह रूल के मुताबिक है और विशेषाधिकार का साफ केस बनता है। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर आगे कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, आप जानते है कि ऐसे मामलों में हम सदैव सरकारी बात की पुष्टि करते हैं और तभी हम लोग कार्यवाही करते हैं। तदनुसार, अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को पहले ही माननीय गृहमंत्री को टिप्पणियों के लिए उन्हें भेज दिया है। उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने पर हम आगे कार्यवाही करेंगे। हम अभी ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब हमें दूसरी मद- "शून्य काल" लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसमें क्या आफिशियल वर्जन है। यह सिम्पल है। यह सूचना गलत है या सही है.....*(व्यवधान)* जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने पर्सनल बॉण्ड फर्नीश किया ही नहीं।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं मामले के तथ्यों के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो स्वयं अत्यंत क्षुब्धकारक हैं। मैं केवल इस मामले के तथ्यों के बारे में कह रहा हूँ - इस सभा के

सदस्य के विशेषाधिकार से सम्बन्धित तथ्य - प्रथम, निरोध करने के बारे में देर से जानकारी देने से उत्पन्न विशेषाधिकार और दूसरे, जानकारी जो तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए, यह जानबूझकर सभा को गुमराह करना है।

अब, मुझे डर है कि आपका यह सुझाव है कि यह मामला माननीय गृह मंत्री जो को भेज दिया गया है, तथ्यहीन है। माननीय गृह मंत्री तब सामने आते हैं जब सरकार को यह बताना होता है कि क्या वह ऐसा नहीं कर सका है या कुछ ओर कर दिया है। इस मामलें में यह मुद्दा केवल विशेषाधिकार का है और इसमें माननीय सदस्य, यह सभा और पीठाधिकारी शामिल हैं। इस मामलें में केवल दो विकल्प खुले हैं - या तो सभा को विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति को भेजे बगैर इस पर अभी निर्णय लेना चाहिए अथवा इसे विशेषाधिकार समिति को भेजना चाहिए।

प्रथम मामले में, यह सभा इस मामले पर विचार कर सकती है। यह नियमानुसार है। परन्तु, यदि आप यह महसूस करते हैं और यदि माननीय सदस्य यह महसस करते हैं कि सदन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले को तुरन्त विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिए माननीय गृह मंत्री जी को नहीं। माननीय गृह मंत्री जी कहीं भी इसमें नहीं आते हैं। केवल दो विकल्प खुले हैं - या तो सभा इस मामले पर विचार करे और तुरन्त मामले को निपटाए या इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो कुछ कहा गया है यह कोढ़ पर खाज जैसा है।

[हिन्दी]

जानबूझकर इस प्रकार का एक मैसेज आता है। जिलाधीश से जानबूझकर इस सदन को गुमराह करने की बात होती है। सदस्य खड़े होकर बता रहे हैं कि पर्सनल बांड देकर नहीं आए। यह असत्य बात है जो जिलाधीश ने भेजी है। उसके बाद हम राज्य सरकार से पूछेंगे, चूंकि, गृह मंत्री यहाँ बैठकर रिपोर्ट नहीं देंगे, वह उस जिलाधीश से या उस प्रदेश के गृह मंत्री से, मैं नहीं जानता कि उनका क्या नाम है, उनसे पूछेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ इन्साफ होगा। अगर सदन को इस पर विचार करने में परेशानी हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप उचित समझें, तो इसी क्षण इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दें। यह सदन की इज्जत का, सदन के मान-सम्मान का सवाल है। यह कोई व्यक्ति की बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक-ठीक इसका उपसंहार किया है जैसा कि वह सामान्यता करते हैं - दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा देर से सूचना देने का है। यदि सूचना देर से दी जाती है तो हम तत्काल कार्यवाही कर सकते हैं और इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। यदि यह सही है कि यदि उन्हें किसी दिन गिरफ्तार किया गया और अध्यक्ष को पहुंचने वाली सूचना में देरी हो गई, तो यह तत्काल निन्दा किए जाने योग्य है यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि वह यह बात जोर देकर कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मुचलके (पर्सनल बॉण्ड) के बारे में कुछ कहा गया है। वह असत्य है। अब मेरे विचार में गृह मंत्रालय को मामला भेजने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि उनकी स्वीकारोक्ति सही है, तो उसे दण्ड मिलना चाहिए.....*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को तत्काल भेज दिया जाना चाहिए। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आप अनिश्चय की स्थिति में हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी को मामला भेजा जा सकता है।.... ..*(व्यवधान)* यह ठीक है कि वह पीठासीन अधिकारी हैं। परन्तु उन्होनें जीवन में कई बातें स्वीकार की हैं।.....*(व्यवधान)* इस मामले को तुरन्त भेजे जाने की आवश्यकता है। सभा और सभा के सदस्यों की गरिमा को बनाए रखने के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को अवश्य भेजा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : तथ्य इस सभा के सामने हैं। और मैं जानता हूँ कि इस सभा को प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन नहीं होगा कि विशेषाधिकार हनन हुआ है अथवा नहीं क्योंकि हम श्री नीतीश कुमार द्वारा यहां किए गए निवेदन पर विश्वास कर सकते हैं।

इसमें दो तथ्य हैं। पहला है सूचना देरे से भेजी गई और दूसरा है कि उन्होंने कोई व्यक्तिगत मुचलका (बाण्ड) नहीं भरा। हम इन दो तथ्यों पर भरोसा कर सकते हैं। परन्तु सामान्यतया, इस सभा द्वारा अपनायी जाने वाली प्रथा यह है। हम किसी की बात सुने बिना उसे दंडित नहीं करते। यदि यह गरिमायुक्त सभा, यह संसद बिना किसी की बात सुने उसे दण्ड देती है। मेरे विचार में यह ठीक नहीं होगा। इसलिए, सामान्यतया हमारे द्वारा इस मामले में अपनायी जानी वाली प्रक्रिया यह है कि जब सूचना दी जाती है तो यह उस व्यक्ति को भेजी जाती है जिसके विरुद्ध सूचना दी गई है और हम जानकारी मांगते हैं। सामान्यता, हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्हें अपने किए पर खेद हैं। व्यक्त किए गए "खेद" को कभी-कभी स्वीकार कर लिया जाता है। और कभी नहीं। मेरी

राय, में यदि सूचना दी गई है, यदि इसे गृह मंत्री जी को भेजा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि इसे राज्य सरकार को भेजा गया है और राज्य सरकार के जरिए यह उस अधिकारी के पास जाएगी जिसने इस सभा को सूचित नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था। अब, यदि अधिकारी खेद प्रकट करता है और क्षमा चाहता है तो यह श्री नीतीश कुमार, यह सभा और पीठासीन अधिकारी खेद को स्वीकार कर सकते हैं। यदि वह ऐसा समझते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है और अधिकारी को सभा के कटघरे में बुलाया जाए और दण्डित किया जाए - यदि ऐसा इस सभा द्वारा निर्णय लिया जाता है - तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। परन्तु मेरा दृढ़ मानना है कि न्यायपालिका या संसद या किसी अन्य निकाय को, जो किसी के बारे में निर्णय देने जा रहा हो, बिना किसी को सुने उसके बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेरा विश्वास है कि ठीक प्रकार से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना इस सभा की गरिमा के अनुरूप होगा। मेरे मन में कोई संशय नहीं है और मैं श्री नीतीश कुमार को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह शत-प्रतिशत ठीक है और अंततः विजय उनकी ही होगी। परन्तु इस सभा को संबंधित अधिकारी की बात सुने बगैर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। अन्यथा, यह गलत होगा। इसे सभा पर निर्णय के लिए छोड़ दिया जाए। .....*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह कह रहा हूँ कि इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए.....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, वह हमारे माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास ले जाने का यह अर्थ नहीं है कि कार्यवाही की गई है। वह विलम्ब के बारे में खेद प्रकट कर सकता है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाइए। अब हमें श्री शरद पवार की बात भी सुननी चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : यहां माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कोई मुचलका (बाण्ड) नहीं दिया है। और इस सभा को गलत सूचना दी गई है कि उन्हें बाण्ड पर निर्युक्त किया गया है। मेरे विचार में यह स्पष्ट मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें। विशेषाधिकार समिति निश्चित रूप से सम्बन्धित अधिकारी को नोटिस भेजेगी। समिति उन्हें एक अवसर देगी। जो कुछ वह कहना चाहते हैं उन्हें कहने का अवसर दिया जायेगा। इसमें कोई सीधी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। किन्तु जब माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से यह कह रहे कि उन्होनें कोई मुचलका नहीं दिया है और यदि सभा को अन्यथा सूचित किया गया है तो मेरे विचार से यह एक उपयुक्त मामला है। हमें इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति को भेज देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है कि मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी घटना से भुक्तभोगी हूँ। मैं इस सदन से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब-जब भी ऐसी घटनाएं संसद सदस्यों के साथ होती हैं तो वे रिपोर्ट मंगाने के लिए चली जाती हैं। एक घटना मेरे साथ घटी थी। जब सब के सामने अहमदाबाद के चौराहे पर मुझे एक पुलिस आफ़िसर ने मारा। उस समय शिवराज पाटिल जी इस चेयर पर थे। जब वह घटना घटी तो मैंने यहां इस मुद्दे को उठाया था। उस वक्त रिपोर्ट मंगवाई गई और मंगवाने में यह हुआ, वहां से रिपोर्ट ऐसी आई कि ऐसी घटना घटी ही नहीं है।

[अनुवाद]

उस पुलिस अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारने के कारण मुझे बायें कान से सुनाई देना बन्द हो गया है। हमने एक रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट सरकार से आई थी। यह एक राजनैतिक रिपोर्ट थी कि इस प्रकार की घटना कभी हुई ही नहीं। इसलिए में अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की घटना अथवा इस प्रकार की कोई बात होने पर, इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए जहां संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति क्यों नहीं हुई है।

[हिन्दी]

जब ऐसी घटना घटती है तो उसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए। उस आफीसर को उस तरफ पूरा का पूरा बचाव का मौका मिलेगा। मगर रिपोर्ट मंगाने की बात ठीक नहीं है। इसलिए मैं नीतिश कुमार की मांग का समर्थन करता हूँ।.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, नीतीश कुमार जी के बारे में अच्छा हुआ या बुरा हुआ लेकिन इंटीमेट हुआ है। हमारे यहां यह हुआ था, जब 25 तारीख को हम गिरफ्तार हुए तो दो घंटे बाद रिलीज किया और इंटीमेट भी नहीं किया। ... ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : सभापति महोदय, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का मामला बड़ा संवेदनशील है। संसद सदस्यों को जिस प्रकार की परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है उसमें कई बार ऐसी परिस्थिति आती है। इसलिए उनके लिए विशेष प्रकार के अधिकार उनके संरक्षण के बारे में नियत किए गए हैं और उन अधिकारियों के संरक्षक आप हैं, चेयर हैं, गृहमंत्री जी या कोई सरकार उन

अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और अधिकार भी नहीं रखती। जब इस प्रकार का केटेगोरीकल स्टेटमेंट किया गया है तो श्रीमन् यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस मामले में निर्णय लेकर तत्काल विशेषाधिकार समिति को भेजना कोई दंडित करना नहीं है, कोई फैसला लेना नहीं है, केवल जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना है और यह निर्णय आपको लेना है। इस मामले में गृह मंत्री जी या सरकार कहीं बीच में नहीं आती। इन अधिकारों के संरक्षण आप है, गृह मंत्री जी नहीं, सरकार नही है। इसमें इतनी बहस की आवश्यकता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जितना कहा वह सुन कर ही आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इसमें आपको तत्काल निर्णय लेकर विशेषाधिकार समिति को भेजना है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : सभापति महोदय, इस मामले में सारा सदन एक राय का है। नीतीश जी ने मामले को इस तरह से उठाया है, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने जो कहा वह असत्य है वह लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि न केवल उन्होंने जो कहा उसमें सत्यता है, उनकी भावना को भी गहरी चोट पहुंची है। यह हो सकता है कि किसी कारण से दो दिन की देरी हो गई हो लेकिन पर्सनल बॉण्ड उन्होंने दिया है।

पर्सनल बॉण्ड उन्होंने दिया है, इस बात में तो कोई गलती नहीं हो सकती है और उन्होंने नहीं दिया है। तो यह उनको अपमानित करने के लिए कहा गया है। माननीय शिवराज पाटिल जी ने सदन की परम्परा को बताया। वह अपनी जगह पर है। लेकिन यह भी सही है कि कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सदन को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। अगर पहली बात में कोई लापरवाही की बात हो तो दूसरी बात सीधे-सीधे माननीय सदस्य को अपमानित करने के लिए कही गयी है। इसलिए आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करके इसे सीधे विशेषाधिकार समिति को भेज देना चाहिए।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मुझे खेद है, मैं दूसरी सभा में था। मैंने न तो रिपोर्ट पर हुई चर्चा सुनी और न ही श्री नीतीश कुमार का वक्तव्य सुना। मैं इसके बारे में अब अन्य सदस्यों से सुन रहा हूँ। मैंने जो कुछ सुना है वह यह है कि पुलिस की रिपोर्ट में साफ-साफ विरोधाभास है।

सभापति महोदय : सचिवालय को सूचना देरी से दी गयी। यह यहां दो दिन बाद पहुंची। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत मुचलके के बारे में जो जिक्र किया गया है, यह दिया ही नहीं गया है। ये दो बातें हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दो दिन का विलम्ब होने के अलावा उन्होंने व्यक्तिगत मुचलका देने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। जबकि पुलिस कहती है कि उन्होंने व्यक्तिगत मुचलका दिया था।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष ने इस मामले को टिप्पणियों के लिए आपके पास भेजा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मेरी टिप्पणी यह है कि यदि ये दो बातें इसमें शामिल हैं तो मेरे विचार से इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए.....*(व्यवधान)*

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : मैं कुछ कहना चाहता हूँ.....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, इस मुद्दे पर चर्चा करने हेतु अब कोई प्रश्न नहीं है। जब माननीय अध्यक्ष ने माननीय गृह मंत्री को टिप्पणी हेतु इस मामले को भेजा था और माननीय मंत्री सभा के दृष्टिकोण से एकमत हैं। तथा यह कहा है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए, तो इस मामले पर वहीं निर्णय होना चाहिए.....*(व्यवधान)*

कर्नल राव राम सिंह : महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस विचार पर मेरे विचार भिन्न है। माननीय सदस्य का अपमान किया गया है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट विवरण दिया है। इस प्रकार हम स्वयं अपने अधिकार कम कर रहे हैं। श्री हरिन पाठक ने कहा कि जब उनका अपमान किया गया तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। अब फिर आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज रहे हैं।

महोदय, मेरे विचार से सभा इस बात पर सहमत है कि हमें अभी निर्णय लेना चाहिए और उस अधिकारी को बुलाना चाहिए .....*(व्यवधान)*। हमें उस अधिकारी को यहां बुलाना चाहिए। अन्यथा हम भी अपने सदस्यों के विशेषाधिकार को अपमानित करेंगे।.....*(व्यवधान)* श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। क्या हम उनके द्वारा कही गयी बात पर सन्देह कर रहे हैं? विशेषाधिकार समिति और क्या जांच पड़ताल करेगी? हमें अपने साथी सदस्य पर विश्वास करना चाहिए। हमें उस अधिकारी को बुलाना चाहिए और उससे पूछ-ताछ करनी चाहिए।.....*(व्यवधान)* मेरा यही विचार है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : एकपक्षीय बात करके सजा दे देंगे, नेचुरल जस्टिस नहीं देंगे।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, चूंकि अभी आपको इस विषय पर निर्णय लेना है, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता

हूँ कि इस सभा में भूत-पूर्व महासचिव, लोक सभा और श्री सुभाष कश्यप के आचरण और वक्तव्य से संबंधित एक अति गम्भीर मामला उठाया गया था। मैंने यह विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। माननीय अध्यक्ष .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कोई अलग नहीं है। आम लोगों को और पूरे हाउस को गाली दी है, आप क्या अलग-अलग केस की बात करते हैं। हरेक केस के बारे में मैं कहता हूँ। इसके बारे में तो हम सहमत हैं। आप पहले सुनिए, इस बारे में डिस्क्रीमिनेट मत कीजिए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपको यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष ने यह वचन दिया था कि वह श्री कश्यप से वास्तविकताओं का पता लगायेंगे और सभा को इसकी सूचना देंगे कि क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जायेगा अथवा नहीं। मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले पर अतिशीघ्र अर्थात् इस सभा के अन्त तक निर्णय किया जाना चाहिए क्योंकि यह मामला अभी भी चल रहा है तथा लोग संसद का मजाक उड़ा रहे हैं। यह उचित नहीं है। मैं तो कहूंगा कि यह इस सत्र के समाप्त होने से पहले कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने अध्यक्ष और सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष के संसद सदस्यों की जिस भाषा में भर्त्सना की है उसे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। यदि हम अब भी चुप रहे और कुछ न किया गया तो मुझे बहुत दुःख होगा। कर्नल राव सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकार की बात कर रहे थे परन्तु इस सज्जन पुरुष ने पूरे संसद की भर्त्सना की है।

सभापति महोदय : हमें यह पता करना चाहिए कि क्या टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं अथवा नहीं, यदि प्राप्त नहीं हुई हैं तो कार्यवाही करनी पड़ेगी।

.....*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज वा० चव्हाण (कराड़) : महोदय, आप अपनी व्यवस्था दें, हम इस पर कितनी देर चर्चा करते रहेंगे?

सभापति महोदय : यदि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने की बात है तो किसी व्यक्ति को प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा और यह प्रस्ताव सभा को स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री नीतीश कुमार : तब तो मुझे प्रस्ताव पढ़ना पड़ेगा।

श्री जसवंत सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"जिला मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा श्री नीतीश कुमार, संसद सदस्य की 28 अप्रैल, 1997 को पटना, बिहार में गिरफ्तारी की सूचना भेजने में हुए कथित विलंब और इस संबंध में लोक सभा अध्यक्ष को तथ्यात्मक दृष्टि से गलत सूचना देने संबंधी मामला, जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए विशेषाधिकार, समिति को सौंपा जाएं।"

श्री राम नाईक : मैं इसका समर्थन करता हूँ।..... *(व्यवधान)* मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस तरह से बात न करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनिए।.....*(व्यवधान)* यह कैसा जस्टिस है? एक दलित महिला पर अत्याचार हो रहा है तो क्या हम अपनी बात नहीं कहेंगे? हमरा राइट है या नहीं? आप महिलाओं की बात करते हैं लेकिन एक दलित महिला पर अत्याचार होता है.....*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए जब मैं खड़ा हूँ, तो आप इस तरह से खड़े नहीं हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आप दलितों की बात करते हैं लेकिन एक पक्ष की बात सुने बिना दूसरे को सजा दे रहे हैं। आप इतना तो सुन लीजिए कि क्या बात है और क्या सच्चाई है? आप सच्चाई की जानकारी लीजिए और उसके बाद जो निर्णय लेना है, लीजिए लेकिन रिपोर्ट मांग लीजिए। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, इसकी जानकारी लेनी होगी और तब निर्णय लेना होगा। आप इसे प्रिवलेज कमेटी में ले जाइए और उन्हें जो दंड देना हो, दीजिए। अगर सजा होगी तो वे सभा भुगतने के लिए तैयार हैं लेकिन दलित और अबला नारी के साथ इस तरह इनजस्टिस न किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा रहा है। संबंधित अधिकारी अथवा अन्य कोई इसके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, हमने रिपोर्ट मांगी है। बिना रिपोर्ट मांगे आप इसे रैफर कर रहे हैं। वह प्रिवलेज कमेटी में कभी भी रेफर किया जा सकता है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी, नहीं। सभा की यही राय है

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह एक ऐसा गम्भीर मामला है।

.....*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

सभापति महोदय : वह कुछ भी नहीं कह रहे हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : यदि कोई धीमी आवाज भी है तो इसे भी सुना जाना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए कह दिया है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी नहीं जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने उनसे कहा है यदि उन्हें कुछ कहना है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, हम आपसे न्याय की मांग कर रहे है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको अगर कुछ कहना है तो कहिए।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने के बजाय.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उनको बोलने के लिए कहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, जिस घटना के विषय में चर्चा हो रही है।.....*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, आपने अभी इस मामले को प्रिवलेज कमेटी में भेजने का निर्णय लिया है।.... ....*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : अभी निर्णय नहीं किया है।.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप बैठ जाईये। जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो आप इस तरह से खड़े नहीं हो सकते हैं, मुझे उनको सुनने दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आम सभा में किसी को बोलने नहीं देते हैं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको कुछ कहना है तो कहिए।

श्री राम कृपाल यादव : मेरा निवेदन यह है कि अगर किसी माननीय सदस्य की इज्जत पर, प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए तो हम यह नहीं कहते कि आप एक्शन न लें, लेकिन आप जिस के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं और जिस कलैक्टर और पदाधिकारी.....*(व्यवधान)* मेरा बात तो सुनिए।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं यही कह रहा हूँ कि निश्चितत्तौर पर सब पहलुओं से देखना चाहिये और नेचुरल जस्टिस देना चाहिये। उनकी बात को सुने बिना अगर आप कोई निर्णय ले लेगें तो जस्टिस नहीं होगा।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इनकी बात तो सुन लीजिये।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं तो चाहूंगा कि केन्द्र के गृह मंत्रालय के माध्यम से पूरी रिपोर्ट ले लें कि सच्चाई क्या है। उसके बाद जैसा आता है, तब आप वहां निर्णय लेने में सक्षम होंगे। राजबाला वर्मा बहुत डायनैमिक अफसर है, दलित महिला है। हम दलित और महिलाओं की बात करते हैं लेकिन उसके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि पूर्वाग्रह से ग्रसित उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो न्याय नहीं होगा।

सभापति महोदय, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और निश्चित तौर पर यह सोचें कि वह महिला बिलकुल निर्दोष है।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हो सकता है कि कोई रिपोर्ट देने में खामी हो गई हो या उससे कोई गलत निर्णय हो गया हो। यह सच्चाई है या नहीं, इस बात की जानकारी कर लें और उसके बाद ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बिना किसी दूसरे पक्ष की बात को सुने हुये निर्णय लेना नेचुरल जस्टिस नहीं होगा। इसलिये एक पक्ष की बात कहना ठीक नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय श्री शिवराज पाटिल ने जिन बातों को यहां रखने का काम किया है, जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसलिये आप निश्चित तौर पर छान-बीन करके कोई निर्णय करते तो ज्यादा न्यायोचित होगा। यही मेरा निवेदन है कि आप सारी स्थिति की जानकारी मंगा लें और उसके बाद ही कार्यवाही करें तो हम लोगों को मान्य होगा।

सभापति महोदय : जैसा कि श्री शिवराज पाटिल ने कहा कि यह हाउस की परम्परा है कि जिस विषय में विशेषाधिकार के मामले का उल्लंघन होता है, उस बारे में पहले कमेंट्स पूछे जाते रहे हैं। जब मैंने गृह मंत्री जी से कमेंट्स के बारे में पूछा था तो उन्होंने खुद कहा था कि सीधे विशेषाधिकार कमेटी में रख दिया जाये। यह तो किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। सदन इस विषय में.....

एक माननीय सदस्य : निर्णय तो आपको लेना है।

सभापति महोदय : यह निर्णय तो ले रहे हैं कि मामला विशेषाधिकार का है.....

श्री राम कृपाल यादव : यह तो आपके विवेक का मामला है। सदन की और मंत्री जी की बात सुनते हैं मगर निर्णय तो आपको करना है।

सभापति महोदय : आप मेरी बात तो सुनिये.....

श्री राम कृपाल यादव : वह तो मैं सुन रहा हूँ। मुझे न्याय चाहिये।

सभापति महोदय : हाउस के सारे नेतागणों की यह ओपीनियन है कि यह मैटर विशेषाधिकार समिति में जाने का बनता है। मामला वहां सौपना, यह किसी को पनिशमैंट नहीं देना है। उनके पास सारे सबूत होंगे, वे पेश करेंगे। अगर दंडित करने का हुआ तो दुबारा मामला इधर हाउस में आयेगा। इसलिये श्री जसवंत सिंह ने जो मोशन मूव किया है और श्री शरद पवार ने सैकंडेड किया है, मैं उसे हाउस के सामने ओपीनियन और वोट के लिये रख रहा हूँ।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि :

जिला मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा श्री नीतिश कुमार संसद सदस्य की 28 अप्रैल, 1997 को पटना, बिहार में गिरफ्तारी की सूचना भेजने में हुए कथित विलम्ब और इस संबंध में लोक सभा अध्यक्ष को तथ्यात्मक दृष्टि से गलत सूचना देने संबंधी मामला जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, अरीफ का सवाल नहीं, सवाल का बड़ा सवाल है जिसे मैं आज आपके सामने रखता हूँ।

सभापति महोदय, दिनांक 4, 6, 7 मई के हिन्दी दैनिक 'जनसत्ता' के मुख्य पृष्ठ और सम्पादकीय पृष्ठ पर विभिन्न शीर्षकों से खबरें छपी हैं। खबर यह है कि श्री गुजराल, प्रधानमंत्री ने पिछले शुक्रवार को स्टार टी.वी. पर एक साक्षात्कार के दौरान यह कहा कि अमरीकी सैनिक विमानों को भारतीय हवाई अड्डों से खाड़ी युद्ध के दौरान ईंधन भरने की अनुमति दी गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा था कि ईंधन भरने की इजाजत मैंने दी थी। इन खबरों से संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। सच में इजाजत किसने दी थी, देश की जनता यह जानना चाहेगी। आखिर यह बेमौसम की शहनाई क्यों बज रही है? इस शहनाई-वादन के पीछे रहस्य क्या है? इस सवाल को लेकर 22 फरवरी, 1991 को इस सदन में बड़ी गरमागरम बहस हुई थी और स्थगन प्रस्ताव आया था श्री ए.के. राय ने इस सदन में प्रस्ताव रखा था कि रीफ्यूलिंग करने के लिए अमेरिका युद्धक विमान को हमारे हवाई अड्डे पर ईंधन देने की इजाजत किसने दी थी? सी.पी.आई., सी.पी.एम. तथा कांग्रेस के लोगों ने जबर्दस्त हंगामा करके चन्द्रशेखर जी पर हमला किया। सी.पी.एम. सबसे आगे थी, लेकिन सबसे भारी हमला गुजराल साहब का था। गुजराल साहब ने हमला करके जो कहा, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप ऐसे ही बोलते जाएंगे? यह जीरो अवर है। आपके भाषण का टाइम नहीं है। जीरो आवर में आपको संक्षेप में अपनी बात रखनी होती है।

श्री लालमुनी चौबे : मैं उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने स्टार टी.वी. पर ब्यान दिया कि मैंने ही युद्धक विमान को भारतीय हवाई अड्डे पर ईंधन देने की इजाजत दी थी, लेकिन जब उन्होंने इस सदन में स्थगन प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया था तो 22 फरवरी, 1991 को इस सदन में उनके भाषण के दूसरे पैराग्राफ की अंतिम लाइन है :

[अनुवाद]

''परन्तु जहां तक हमारा संबंध है मैंने आपसे सिर्फ यह कह सकता हूँ कि तेल भरने संबंधी अनुरोध हमारे पास आया था

कि जिसे हमने जो कारण पहले बता चुके हैं की वजह से अस्वीकृत कर दिया है।''

[हिन्दी]

अगर उसमें कहा है कि हमने इजाजत नहीं दी थी कि और आज स्टार टी.वी. पर कहते हैं कि मैंने इजाजत दी थी तो क्या भारत अमेरिका की चापलूसी पर उतर आया है? अब हम चापलूसी करेंगे? यह इस देश के स्वाभिमान का सवाल है क्योंकि अब तक हमारी राजनीति तटस्थता की रही है, चापलूसी की नहीं रही। कल से विदेश नीति पर बातें चल रही हैं कि हमारी अपनी विदेश नीति है और गुजराल जी ने यहां तक कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम से ही पैदा हुई थी और नेहरू जी ने इसे पूरा आयाम दिया था। प्रधानमंत्री जी ने पहले बयान में कहा कि मैंने इजाजत नहीं दी थी, रेजेक्ट किया था और स्टार टी.वी. पर कहते हैं कि मैंने इजाजत दी थी। चन्द्रशेखर जी कहते है कि मैंने ही इजाजत दी थी। दोनों में एक की बात ही सच हो सकती है। चन्द्रशेखर जी की बात या गुजराल साहब की बात। इसलिए सच क्या है ....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : सभापति जी, पिछले कई दिनों से यह विवाद चर्चा में है और मुझसे बहुत से पत्रकारों ने और बहुत से मित्रों ने पूछा है। मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है क्योंकि सारा देश और सारी दुनिया वास्तविकता को जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ज्यादा बारीकी से जानते हैं, गहराई से जानते हैं और आपके नेता लोग और ज्यादा गहराई से जानते हैं।

सभापति जी, मैं इतना ही कहूंगा कि उस समय जो इजाजत दी गई थी, उसका श्रेय मुझे लेना है। वह इस देश की सरकार ने दी थी। किस व्यक्ति ने दी थी, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जिन मित्रों ने उस समय इतना गंभीर आरोप लगाया था और मेरे बारे में क्या-क्या बातें कही थी, हमारे कम्युनिस्ट मित्रों से खास तौर से मैं कहना चाहूंगा और कांग्रेस के मित्रों से कि उनकी वाणी सात दिन से चुप क्यों हैं, मौन क्यों है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर वह वक्तव्य सही है, तो गुजराल जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। उन दिनों उन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया था, ये बातें समझ में नहीं आती है। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि बदलते हुए समय के साथ मैं अपने वक्तव्यों को नहीं बदलता। जो मैंने तब कहा था, अब कह रहा हूँ और मैंने तब भी सही कहा था और आज भी सही कहा है। दूसरे लोग अपने बारे में सोचें, अपने हृदय में झांककर देखें। अब भी वे कुछ बोल सकें, अगर उनकी वाणी मौन न हो गई हो, तो शायद अपनी आत्मा के साथ वे थोड़ा न्याय करेंगे।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मुझे खेद है कि 1990 के खाड़ी संकट के सन्दर्भ में एक टी.वी. साक्षात्कार में मेरे द्वारा की गई टिप्पणी से कुछ गलतफहमी पैदा हुई है। जहां तक भारत का संबंध है खाड़ी युद्ध के इस सम्पूर्ण संकट के ऐतिहासिक रूप से दो भाग थे।

जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तो वी.पी. सिंह की सरकार थी और मैं उसका विदेश मंत्री था। आक्रमण का समर्थन न करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के साथ, तालमेल बनाए रखा, साथ-ही-साथ समूचा देश कुवैत में फंसे लगभग 1,70,000 लोगों और ईराक में फंसे करीब 30,000 लोगों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर बेहद चिन्तित था।

सभा को याद होगा कि उस समय भारत में लोगों को वहां से निकालने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था। अब वह गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज है। चूंकि हमें संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का समर्थन किया था। इसलिए उस समय भारत से यह अनुमति देने का अनुरोध किया गया है कि वह वायुयानों को अपने क्षेत्र से होकर जाने दें, वह संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों का एक अंग था। जब तक खाड़ी युद्ध वास्तव में शुरू हुआ और भारत के ऊपर से हवाई-जहाज उड़ने की अनुमति दी गयी दिल्ली में सरकार बदल गयी और श्री चन्द्रशेखर, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ नयी सरकार के प्रधानमंत्री बन गए। मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि हवाई जहाजों में तेल भरने की अनुमति उस सरकार से मांगी गयी थी अथवा उस सरकार द्वारा अनुमति दी गयी थी।

कुछ समय पहले, एक दूरदर्शन प्रश्न का उत्तर देते समय, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भ्रांति उत्पन्न हो गयी थी जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ और खेद के साथ मैं स्वीकार करता हूँ कि इसका गलत अर्थ निकला। श्री वी.पी. सिंह सरकार की अवधि के दौरान तेल भरने की कोई अनुमति नहीं मांगी गयी थी अथवा दी गयी थी।

श्री पी.आर. दासमुंशी : सभापति महोदय, शून्य काल के दौरान मुझे समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं औद्योगिक परिदृश्य के बारे में कुछ बातें बताऊंगा।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उद्योग मंत्री और माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत की राष्ट्रीय वस्त्र यूनिटों के कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। क्योंकि बजटीय सहायता बन्द कर दी गयी है। एन.जी.एम.सी. संकट का सामना कर रही है। क्योंकि पैकेज की स्वीकृति नहीं दी गयी है। जूट कर्मचारी फैक्ट्रियों के सामने शोर मचा रहे हैं। रेमिग्टन रेन्ड, जो एक जानी-मानी फैक्ट्री है, श्रम भंग के हस्तक्षेप के बावजूद कर्मचारियों को अभी

तक कोई मजदूरी नहीं मिली है और यूनिट खोली नहीं गयी है। मेटल बॉक्स फैक्ट्री में बी.आई.एफ.आर. की टिप्पणियों के बावजूद मुम्बई और कलकत्ता में कर्मचारी शोर मचा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे है। दुर्गापुर की एम.ए.एम.सी. और कलकत्ता की शा वौलेस कम्पनी भी इसी प्रकार के संकट का सामना कर रही हैं क्योंकि शा वौलेस के प्रबंधक निदेशक, मनु छाबड़िया एम्पायर को लूट रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मुसाबनी की हिन्दुस्तान कॉपर यूनिट भी इसी प्रकार के संकट का सामना कर रही है।

अतः मैं माननीय वित्त और श्रम मंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें। एन.टी.सी. कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर बजटीय सहायता उपलब्ध कराकर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, जूट मिल निगम के पैकेज को स्वीकृत दी जानी चाहिए तथा रेमिंग्टन रेन्ड (हावड़ा), मेटल बाक्स, कलकत्ता और मुम्बई, एम.ए.एम.सी. (दुर्गापुर), एन.जे.एम.सी. (कलकत्ता), शा वैलेस (कलकत्ता) हिन्दुस्तान कॉपर मैटलस (मुस्बनी) और राष्ट्रीय वस्त्र मिल निगम (समग्र भारत) के मामले में एक बार फिर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूँ। वैसे तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अनगिनत अत्याचार हो रहे हैं तथा सांसदों पर भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक विशेष बात और हो रही है कि गत महीने में मेरे ही क्षेत्र देपालपुर में कलाली के एक छोटे बच्चे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के बाद वहां के अनुसूचित जाति के लोगों ने केवल चक्का जाम किया था चूंकि उनके बच्चे की मृत्यु हुई थी और वे कलाली बंद करने की मांग करने लगे। इस बात को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों को पुलिस पकड़कर ले जाती है और रात भर उन पर अत्याचार होते हैं महिलाएं जब उनका खाना पहुंचाने जाती हैं तो महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, गाली-गलौज होती हैं।

सभापति महोदय, जो बात में कहने जा रही हूँ, वह यह है कि जो अत्याचार करने वाला पुलिस अधिकारी है उसे छः महीने के लिए एक्सटेंशन मिल जाती है। वहां केवल इन्क्वायरी का नाटक होता है। लोगों ने शपथपत्र भी भरकर दिया है कि हां हमारे साथ इस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

सभापति महोदय, इसके पंद्रह-बीस दिन बाद फिर मेरे ही क्षेत्र में दूसरी जगह बरलई में एक दूसरी घटना घटती है। एक अकेला पुलिस वाला चोर को पकड़ने अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जाता है। वह वहां चोर को पकड़ने के नाम पर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है। लोगों को पीटा जाता है, महिलाओं को भी पीटा जाता है। ऐसा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को एक्सटेंशन दी जा रही है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई न कोई कार्रवाई की जाए और अनुसूचित जाति की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए।

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : सभापति महोदय, यह अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अत्याचार का मामला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए बनायी गयी प्राथमिक स्वास्थ्य योजना केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक धूम-धाम से शुरू की गयी थी। किन्तु यह विस्मयकारक मामला है कि इसके कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में कई हजार सामुदायिक स्वास्थ्य गाइड और प्रशिक्षित दाईयों - को 50 रुपये प्रति माह की दर से बहुत कम भुगतान किया जा रहा है, जो कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में विद्यमान मूल्य वृद्धि को देखते हुए लगभग एक दिन की पारिश्रमिक के बराबर है। अकुशल कर्मकारों को भी न्यूनतम मजदूरी ही दी जा रही है। किन्तु कर्मचारियों की यह श्रेणी की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। इसलिए मैं यह मांग करता हूँ कि इन कर्मचारियों जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोगी सेवाएं कर रहे हैं, कि मजदूरों को केन्द्रीय सहायता देकर उपयुक्त रूप से और उचित प्रकार से बढ़ाया जाए ताकि वे कम से कम अपने आपको जीवित रख सकें।

श्री टी. गोविन्दन (केसरगोड़ा) : सभापति महोदय, एक दिन हमने हेप्पोटिटिस-बी के जीवाणु प्रभाव के बारे में चर्चा की थी। अब मैं भारत के खतरनाक क्षयरोग के फैलने के बारे में भारत सरकार और दूसरे स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस समय क्षय रोग से 1.4 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं। आज, दिल्ली में, दो लाख से अधिक लोग क्षयरोग से प्रभावित हैं। किन्तु भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय यह दावा कर रहे हैं कि इस रोग की रोकथाम कर दी गयी है। तथा इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। यह असत्य है।

पिछले तीस वर्षों से भारत और विदेशों में चिकित्सा विज्ञान और दवाइयों में विकास और सुधार तेजी से हुआ है। इन परिस्थितियों में अपने पुराने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने और इस प्रयोजन हेतु नया और वैज्ञानिक तरीका विकसित

करने का यह उचित समय है। अतः मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस भयानक रोग की रोकथाम करने और इसके उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठायें।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के मण्डला जिले से इसी सदन के अनुसूचित जाति के सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज कई दिनों से मंडला में धरने पर बैठे हैं। श्री कुलस्ते ने मंडला के सर्किट हाउस में अपने ठहरने का रिजर्वेशन स्लिप भेजकर करवाया और वे वहां जाकर ठहर गए, लेकिन जब दिन भर के दौरे के बाद वे शाम को वापस वहां आए, तो उनको सरर्किट हाउस में रुकने नहीं दिया गया। एस.डी.एम. ने उनको वहां रुकने नहीं दिया जबकि सर्किट हाउस के चारों सूट खाली पड़े थे। उनको अपमानित करके वहां से बाहर निकाल दिया गया।

सभापति जी, कुछ बदमिजाज अधिकारी सांसदों का सरे आम अपमान कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का सांसद समझकर उनका अपमान किया गया है।.....*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में आमतौर पर यह हो रहा है। अनुसूचित जाति के सांसदों को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। इसलिए वे पिछले आठ दिन से हजारों आदिवासियों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्पूर्ण घटना की जांच की जाये और एक अनुसूचित जाति के सांसद का अपमान करने वाले अधिकारी को दंडित करने की कार्यवाही की जाये।

कुवंर सर्वराज सिंह (आंवला) : सभापति जी, मैं दो-तीन दिन से नोटिस दे रहा हूँ लेकिन मुझे बोलने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नाम लिस्ट में है तो मैं आपको बुलाऊंगा।

कुंवर सर्वराज सिंह : मेरा नाम लिस्ट में है।

सभापति महोदय : ठीक है। इधर आने से क्या होगा।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप मुझे धमका रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : सभापति जी, मैंने आपको नोटिस दिया है कि हम हिन्दुस्तान में इतना शोर मचाते हैं कि हमें निरक्षरता को दूर करना चाहिए, जो बिना-पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाई की ओर ले जाना चाहिए। हमने इसके लिए बहुत सारी क्लासिस भी खोली हैं। बहुत सारे स्कूलों को हमने प्रमीशन दी है लेकिन आज हालत यह है कि स्कूलों की फीस एक हजार रुपये से लेकर पन्द्रह सौ रुपये तक कर दी गयी है। उनके ऊपर कोई पाबंन्दी नहीं है। जब हम स्कूलों को जमीन देते हैं तो उन पर इस बात की पाबन्दी लगाते हैं कि उसमें 20 प्रतिशत गरीब बच्चे पढ़ेगें जिनसे फीस नहीं ली जायेगी या उनकी फीस माफ कर दी जायेगी। लेकिन आज हालत यह है कि उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता। उनको तंग किया जाता है, उनको फेल कर दिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस प्रथा को रोका जाना चाहिए और इसके लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए जिससे उन पर पाबन्दी लगाई जा सके।

सभापति महोदय : आप जो रेज कर रहे हैं वह तो स्टेट सब्जैक्ट है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैंने आपको नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : नोटिस तो दिया मगर यह स्टेट सब्जैक्ट है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मेरा एक नोटिस यह भी था कि यहां इंडस्ट्री बंद होने की वजह से एक गरीब आदमी ने अपने ऊपर आग लगा ली क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। मुझे मालूम नहीं कि आपने कौन सा सब्जैक्ट मेरे लिए चुना है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सूची के अनुसार चल रहा हूँ। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। इस तरीके से आप समय बर्बाद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, मैंने रेल के संबंध में नोटिस दिया है। मेरा यह कहना है कि अभी जब इस सदन में रेलवे बजट पर बहस हो रही थी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि जहां रेल देखने के लिए लोग आते थे कि रेल कैसी होती है वहां भी अब रेल पंहुच रही है लेकिन जहां पर पहले रेल थी वहां रेल खत्म हो गयी है। मेरे माता-पिता, मेरे पुत्र व मैंने भी उस रेल को देखा था। लेकिन हमारे प्रपौत्र को वह रेल देखने को नहीं मिली। फतवा से इस्लामपुर तक छोटी (नैरोगैज) रेल लाइन थी जो कि सैकड़ों बरस (अंग्रेजों के समय)

से थी। वह ब्रिटिश कम्पनी द्वारा चलाई जा रही थी लेकिन राष्ट्रीयकरण करके उसे रेलवे लाइन को खत्म कर दिया गया। मैं इसके बारे में कई वर्षों से सवाल उठा रहा हूँ। इससे उस एरिया के लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तथा किसानों को बहुत सारी आर्थिक हानियां उठानी पड़ती हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि वहां पर जो पुरानी रेलवे लाइन थी उसको नयी रेलवे (ब्रौड गैज) लाइन में बदलकर बोधगया तक किया जाये। इसके साथ रेल के अंदर बहुत सी.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने जिस सबजैक्ट का नोटिस दिया है, उस सबजैक्ट पर आप नहीं बोल रहे हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमने रेल के संबंध में ही नोटिस दिया है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने किसी और सबजैक्ट का नोटिस दिया है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमने रेल के संबंध में ही नोटिस दिया है। हमने यह भी नोटिस दिया है कि रेल में बहुत सी गड़बड़िया हो रही हैं।.....*(व्यवधान)* उन गाड़ियों के संबंध में नोटिस दिया गया था। .....*(व्यवधान)* और वही यह नोटिस है।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : सभापति जी, मैं आका ध्यान 39 वर्ष पहले दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित गुरू रविदास मंदिर की ओर दिलाना चाहता हूँ। 45 वर्ष पहले यह मंदिर बना था और 1.3.59 को उस समय के रेल मंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने इसका उद्घाटन किया था। मैं आपका और सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आज डी.डी.ए. ने उस मंदिर की क्या हालत बना रखी है ? 45 वर्ष पुराने मंदिर जिसकी पुरी सीमायें बंधी हुई थी, डी.डी.ए. ने बकायदा चारो तरफ इसकी सीमायें बांधकर अपनी चारदीवारी कर ली थी।

अपराह्न 01.00 बजे

लेकिन आज डी.डी.ए. उस मंदिर को गिरा रही है और उस मंदिर के बीच में जितनी आबादी हमारे दलित और हरिजन भाइयों की है, उन सबको गिरा रही है जिससे वहां पर इतना ज्यादा रोष व्याप्त है कि बताना कठिन है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह एक तरफ तो अपने आपको दलित और हरिजन का मसीहा कहती है और दूसरी तरफ उनकी यह हालत बनाई हुई है। वहां की सारी आबादी गिराई जा रही है। वहां गुरू रविदास के नाम से पूरा रोड़ बना हुआ है। और उस रोड़ के नाम पर वह मंदिर है। मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसा निर्देश दें कि यह सरकार उस कार्यवाही को तुंरत रुकवाए।

जैना जी का ध्यान इधर नहीं है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे ध्यान दे रहे हैं।

श्री अशोक प्रधान : इस कार्यवाही को तुरंत रुकवाया जाए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज वा० चव्हाण : मैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूँ जिसका कि देश के युवक सामना कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अति प्रतिष्ठापूर्ण संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस महीने की 3 और 4 तारीख को हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इतिहास में पहली बार प्रश्नपत्र खुल गया था। यह अत्यन्त स्तब्ध करने वाला मामला है केवल यही एक संस्थागत है जिसे बहुत विश्वास मिला हुआ है - न केवल भारत में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से। यदि प्रश्न पत्र खुल जाता है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की साख भारत और अंतर्राष्ट्रीय रूप से गिर जायेगी. .....*(व्यवधान)*। परीक्षा नियन्त्रक ने पहले ही जांच का आदेश दे दिया है। मैं माननीय मंत्री जो यहां मौजूद हैं, से अनुरोध करता हूँ कि वे वह वक्तव्य दें कि असलियत में क्या हुआ था। यह स्तब्ध करने वाली बात है कि बिहार और लखनऊ में प्रश्न पत्र खुल गए थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं अनुरोध करता हूँ कि निजी कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच की जाए। वे इन गरिमामय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश हेतु भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आन्तरिक जांच नहीं की जानी चाहिए जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो के माध्यम से से जांच करायी जाना चाहिए तथा प्रश्नपत्रों के खुलने को रोका जाना चाहिए और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अपनी उच्च साख को बनाये रखना चाहिए.....*(व्यवधान)*। महोदय, माननीय मंत्री यहां है। उन्हें इस पर वक्तव्य देना चाहिए। यह एक बहुत गंभीर मामला है।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है। इस पर माननीय मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

डॉ॰ रामचन्द्र डोम (वीरभूम) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया था। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने औऱ समीक लहिरी ने नोटिस दिए थे। आप केवल यह कह सकते हैं कि आप अपने आपको श्री चव्हाण के साथ सम्बद्ध कर रहे हैं।

श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण : महोदय, माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

सभापति महोदय : दो माननीय सदस्य आपके साथ सम्बद्ध हो रहे हैं।

श्री समीक लहरी (डायमंड हार्बर) : महोदय, यह बहुत आघात पहुंचाने वाला है। कोचिंग संस्थानों और संबंधित प्राधिकरणों के बीच बहुत खराब गठजोड़ हैं।.....*(व्यवधान)* मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इसे रोकने के लिए इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच करें।

सभापति महोदय : आप यह कह सकते हैं कि आप श्री चव्हाण का समर्थन कर रहे हैं। यही काफी है।

डॉ॰ रामचन्द्र डोम : महोदय, दोषी पाये जाने वाले लोगों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या आप माननीय मंत्री का वक्तव्य सुनना चाहते हैं अथवा नहीं।

डॉ॰ रामचन्द्र डोम : जी हाँ, हम माननीय मंत्री का वक्तव्य सुनना चाहते हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : महोदय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इतिहास में पहली बार गणित के प्रश्नपत्र के खुल जाने की सूचना मिली थी। इस मामले के नोटिस में आने के तत्काल बाद, एक तात्कालिक बैठक बुलाई गयी थी और सरकार ने जुलाई में परीक्षण पुनः कराने का पहले ही निर्णय ले लिया है। न केवल यह सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है और इस मामले को जांच के लिए आसूचना ब्यूरो सहित केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है.....*(व्यवधान)*। यह बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। इन संस्थानों की साख और ख्याति को बनाये रखा जायेगा। बताये गए पहले अवसर को दोहराया नहीं जायेगा और सभी सावधानियां बरती जायेंगी। इस संबंध में मैं भी सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ।

श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण : महोदय, इसने विद्यार्थियों के माता-पिता को अनचहा कष्ट पहुँचाया है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): सभापति जी, मैं एक बहुत ही गम्भीर मसले पर इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

आप सब जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में हैं, मैन लैंड से 1500 कि.मी. दूर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पी.डी.एस. सप्लाई के लिए राशन की दुकान से, फेयर प्राइस शाप्स से जो सामान चावल और गेहूं सप्लाई किया जाता है, पिछले साल 1996-97 के लिए चावल का 30 हजार टन एलोकेशन था और गेहूं के लिए नौ हजार टन एलोकेशन था। उसके बाद इस साल में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उनके लिए दस किलो करके चावल वितरण करेंगे, जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे लोग रहते हैं। उस हिसाब से आज उस द्वीप समूह की जो आबादी है वह आबादी 3.5 लाख के ऊपर है। उस हिसाब से चावल और गेहूं के एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस वर्ष 1997-98 के लिए जो एलोकेशन किया गया है, उसमें चावल का एलोकेशन 30 हजार टन से घटाकर 12 हजार टन किया गया और गेहूं का एलोकेशन नौ हजार टन से घटाकर तीन हजार टन किया गया है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। आप सब जानते हैं कि समुद्र के बीच में द्वीप समूह स्थित हैं, मानसून का समय है, बारिश के समय में जहां सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, समय पर नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया है कि उस द्वीपसमूह के लोगों को भूखा मरने के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से मुख्य सचिव ने, सचिव ने, उपराज्यपाल ने, सभी ने भारत सरकार के समक्ष इस बात को रखा है कि वहां के द्वीपवासियों को बचाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में चावल का और गेहूं का आवंटन होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार की इस नीति से आज हमको, अभी हमारे सैक्रेटरी बात करके गये हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। भारत सरकार ने यह मान रखा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ग्रेन्स के मामले में सैल्फ सफीशिंएट है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि जो चावल पैदा होता है, वह सारा लोकल कंजम्पशन में लग जाता है। लोकल कंजम्पशन के बाद में एक हजार टन भी सरप्लस नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जेना जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके सरकार की तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण और एश्योरेंस दे दें कि आइन्दा गेहूं और चावल के आवंटन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई कमी नहीं होगी।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को केवल यह आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं इस मामले को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री की जानकारी में लाऊंगा और ये देखने के लिए कार्यवाही की जायेगी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई समस्या उत्पन्न न हो।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, मैं दिल्ली में इसी महीने की पांच और छह तारीख की घटनाओं का, ईस्ट

दिल्ली में जो विस्फोट हुए हैं और 14 लोग मारे गये हैं, उल्लेख करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ दिल्ली के अन्दर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन जब से यूनाईटिड फ्रंट सरकार आई है, वह ऐसा.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था केन्द्र के पास हैं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह तो केन्द्र सरकार के जिम्मे है, आपको इतनी भी जानकारी नहीं है ? दिल्ली पुलिस केन्द्रीय सरकार के अधीन है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : ये आंकड़े दिये गये कि हर 16 घंटे में एक मर्डर और एक रेप होता है, यह दिल्ली का रिकार्ड है। वीमेन कमीशन की रिपोर्ट आई है। जिसमें यह कहा गया है कि

[अनुवाद]

दिल्ली में महिलाओं के प्रति सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गये हैं। अभी ये सरकारी आंकड़े हैं कि इसी साल में जनवरी से लेकर फरवरी के दो महीनों में 64 मर्डर हुए हैं और फरवरी के बाद अब तक लगभग हर दिन कोई न कोई घटना हमारे सामने आ रही है। यहां तक कि ऐसी-ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि एक मई को मंजदूरों का डिमोस्ट्रेशन था और पुलिस साथ थी और उसके होते हुए एक मजदूर ने अपने आपको पूरी तरह से जला डाला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये घटनाएं ऐसे हो रही हैं, जिससे लगता है पुलिस और गृह मंत्रालय बिलकुल हैल्पलैस हो गया है। अगर राजधानी में ला एण्ड आर्डर ऐसा है, लालैस कैपिटल हम बना रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय इस पर बयान दे कि कितने ऐसे अपराध हो रहे और क्या एक्शन लिया जा रहा है। अगर केन्द्र इस जिम्मेदारी को नहीं सम्भाल सकती तो ला एंड आर्डर का मामला दिल्ली सरकार के सुपुर्द कर दे ताकि सरकार उनकी जिम्मेदारी ठहरा सके।

सभापति महोदय : विजय गोयल जी आपका और शर्मा जी का एक ही ममला है। आप इतना ही कह दें कि हम एसोसिएट करते हैं।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति जी, जिस समय में हाथ खड़ा कर रहा था मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मुझे एक सांसद ने कहा कि दिल्ली में बम विस्फोट का मामला महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहां तो रोज बम विस्फोट होते है। पांच तारीख को कैलाश नगर में रात को साढ़े नौ बजे एक मारूति वैन में बम विस्फोट हुआ, जिसमें कई व्यक्ति मारे गए। कैलाश नगर की जगह कोई दूसरा स्थान भी हो सकता था और रात के साढ़े नौ बजे भी बम विस्फोट होना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहां तो दिन-दहाड़े भी बम विस्फोट हो सकता है। मारूति वैन की जगह कोई दूसरा वाहन हो सकता था। यह बम विस्फोट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इससे लगता है कि उससे दो भाई और तीन कर्मचारी आन द स्पाट मार गए, एक लड़की जो कि पड़ोस की दुकान पर बैठी थी। वह भी आन द स्पाट मारी गई। एक महिला जो थोड़ी दूर पर जा रही थी, वह भी आन द स्पाट मारी गई। कितने लोग घायल हुए, इसकी संख्या मैं नहीं बता सकता। बम विस्फोट के धमाके से आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र में जिस तरह से खिड़कियां टूटी और कितने किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी, गृहमंत्री जी कह सकते हैं कि इतना बड़ा विस्फोट था तो सिर्फ 11 लोग केसे मरे। पुलिस कहती कि इसमें आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। कल सदन में इस बात की चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री या सरकार के अन्य किसी भी व्यक्ति ने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी।

सभापति महोदय : आपका सेम इश्यू है, अब बैठ जाएं, आपने काफी कह दिया है।

[अनुवाद]

उन्होंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। अब आपको यह कहना होगा, "मैं उनके तर्क का समर्थन करता हूँ।"

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मेरी बात सुन लीजिए। 26 फरवरी 1997 को संसद में अतारांकित प्रश्न संख्या 498 के जवाब में बताया था कि दिल्ली में तीन बम विस्फोट हुए हैं। वही प्रश्न जब हमारी पार्टी के सदस्य द्रोण जी ने तारांकित प्रश्न के रूप में 6 मई 1997 को पूछा तो बताया कि तीन नहीं उनकी संख्या पांच थी। सरकार बम विस्फोटों को कितनी गम्भीरता से ले रही है, इसका पता इस बात से चलता है। इस सरकार में चाहे जनता दल हो, डी.एम.के. हो या अन्य कोई पार्टी हो, चूंकि उनकी यहां कोई नुमांइदगी नहीं है इसलिए दिल्ली में बम विस्फोटों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है।

सभापति महोदय : अब खत्म करें।

श्री विजय गोयल : मैं खत्म कर रहा हूँ। बड़ा गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय : मैं जानता हूँ। भारत सरकार से क्या मांग है यह बता दें।

श्री विजय गोयल : मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने वहां बीस-बीस हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस क्षेत्र में जाएं और एक-एक लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा करें। इसके साथ ही पूरे प्रकरण के ऊपर एक श्वेत पत्र जारी किए जाए कि पिछले सालों के अंदर जितने भी यहां बम विस्फोट हुए हैं, उन पर क्या कार्यवाही हुई है ? क्या वे रसायन बम थे या दूसरे बम थे, उसके बारे में बताया जाए। सरकार आतंकवादियों का किस प्रकार से सामना करेगी, इस पर यहा चर्चा की जाए। इसके लिए आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें। आपने खुद कहा है कि मैं आपसे सहमत हूँ इसलिए आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : माननीय सभापति महोदय, केरल, तिरूवन्तपुरम के महालेखाकार (एकाउन्ट जनरल) के कार्यालय में सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्वाइण्ट ऐम्शन काउन्सिल के तत्वावधान में संघर्ष चल रहा है। वे दयनीय सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 1.4.1997 से कम्प्यूटर बायकाट कर दिया है और 7.4.1997 से नियम के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया है। महालेखाकार के कार्यालय में कर्मचारियों के सभी संगठनों के भूख हड़ताल पर चले जाने के कारण आन्दोलन एक नये चरण में पहुंच गया है।

महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मुद्दा है। महालेखाकार के कार्यालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य ठप्प हो गया है। सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। अपनी समस्याओं के हल के लिए कर्मचारी संगठनों द्वारा भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय के साथ-साथ महालेखाकार को कई अभ्यावेदन दिए गए थे। उसका मुख्य मुद्दा दयनीय सेवा शर्तें है। पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है। ठहराव आ गया है। सेवा में ठहराव से महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों में आक्रोश है। वर्ष 1984 में भर्ती तथा पद सृजित किए जाने पर लगाए गए प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप और भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक द्वारा अपनाए गए विभिन्न अन्य अवैज्ञानिक उपायों के कारण कर्मचारियों पर कार्य का बोझ कई गुना बढ़ रहा है। इन वर्षों में पदोन्नति के अवसर समाप्त हो गए हैं।

महोदय, यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। मैं माननीय वित्त मंत्री तथा भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे तत्काल कदम उठाएं ताकि कर्मचारियों की समस्याओं को दूर किया जा सके। कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ समुचित चर्चा की जानी चाहिए। ताकि यह मुद्दा हल हो सके। केरल के लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पेंशनभोगी और अन्य व्यक्ति जो महालेखाकार के कार्यालय के नियमित संपर्क में हैं अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार में सविनय अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों की समस्याओं को हल करें।

श्री वी.वी. राघवन : सभापति महोदय, इस मुद्दे पर वर्ष 1992 में एक अखिल भारतीय समझौता हुआ था और वह समझौता क्रियान्वित किया जाना चाहिए। 12 वर्ष बीत चुके हैं, ठहराव के मुद्दे को स्वीकार किया गया था और आधे कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वह 1992 में हुए समझौते को क्रियान्वित क्यों नहीं कर रही है। पिछले एक माह से "नियम के अनुसार कार्य" चल रहा है। अब, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी चल रही है। स्थिति बिगड़ रही है और पूरे केरल में महालेखाकार कार्यालय के सभी कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं ?

श्री वी.वी. राघवन : केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और 1992 में हुए समझौते को क्रियान्वित करे। मेरी यह मांग है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, कुछ स्थान पर अभी ओले पड़ गए थे। ओले पड़ने के कारण किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। भारत सरकार ने एक पैसा भी अभी तक नहीं दिया और राजस्थान सरकार बराबर मदद कर रही है। इसलिए ओले पड़ने के कारण जिन किसानों के मकानों और उनकी खेती का नुकसान हो गया है, मेरा निवेदन है कि भारत सरकार उनको मुआवजा दें। मुआवजे की राशि इतनी कम होती है कि किसान लेता नहीं है। एफ.सी.आई. का गेहूँ कोटा में पड़ा सड़ रहा है और सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसी प्रकार से राजस्थान और हरियाणा में किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार मुआवजे की राशि बढ़ाए, कोटा से गेहूं को उठाए और भारत सरकार उन किसानों को मुआवजा दे जिनका खेती को ओले पड़ने के कारण नुकसान हो गया है।.....*(व्यवधान)*

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर की बात उठाना चाहती हूँ। यह मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था। मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की अत्यंत भीषण समस्या है। वहां गर्मी के मौसम में हैंडपंप में पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है और वहां पर टैंकरों से पानी बांटा जाता है। चौबीस घंटे में एक बार शाम को वहां पानी बांटा जाता है और ऐसे नाप-नापकर बांटा जाता है जैसे तेल और घी बेचा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जैसे हर जगह पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तो वहां के लोगों के साथ अन्याय न किया जाए और वहां की जनता को भी पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। जो वहां से नहरे बांधकर रखी हैं, वहां से इलाहाबाद की जनता के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया

जाता है। जब वहां सूखा पड़ गया था तो वहां की सरकार और वहां के अधिकारी उगाही तो कर रहे हैं लेकिन सूखा पीड़ितों को जो मुआवजा दिया जना चाहिए, वह मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि सूखा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए ओर उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रही हूँ। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों के मन की बात भी बोल रही हूँ।.... ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उनकी बात में बाधा डाल रहे हैं। वह कुछ कहना चाहती हैं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : सभापति जी, इस सदन में बार-बार यह चर्चा होती है कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए। उसके लिए हम लोग आरक्षण की बातें भी करते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए हम लोग विचार करें कि राजनीति में जो महिलाएं आने की हिम्मत करती है उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर उनके साथ ऐसा दुर्व्यहार किया जाता रहा तो कितनी महिलाएं राजनीति में आने की हिम्मत कर सकेंगी।

सभापति महोदय, बिहार में जो महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार होता आ रहा है। मेरे साथ खुद जनवरी माह में घटना घटी थी। मुझे थप्पड़ों से मारा गया था और मुझे गलत अपराध में जेल में बंद कर दिया गया था। अभी हाल ही में जो तीन तारीख को बिहार बंद हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी की महिलाओं के साथ इतना बेहूदा व्यवहार किया गया, समता पार्टी की कंचन बाला, मधु और भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारी महिलाओं को आंचल खींचा गया, उनका हाथ पकड़ कर ऐंटा गया। उनको पटक कर जेल में बिठाया गया। हमारे बिहार विधानसभा में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक, चन्द्रमुखी देवी हैं। वह जब बंद कराने को निकली तो उनका हाथ पकड़ कर ऐंठ दिया गया, उनका आंचल पकड़ कर खींचा गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खादी ग्रामोद्योग की दुकान में घुस कर अपनी प्रतिष्ठा बचाई। जब उनके पति उनको बचाने के लिए आगे बढ़े तो उनका हाथ तोड़ दिया गया, चूंकि पति ने पत्नी को बचाने की चेष्टा की इसलिए उनका हाथ तोड़ दिया गया। उनकी कार पर पैट्रोल छिड़क कर आग लगाने की चेष्टा की गई।

सभापति महोदय, अगर राजनीति में महिलाएं आती हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यहार किया जाएगा तो कितनी महिलाओं की आने की हिम्मत होगी और कितने पति तथा उनके घर वाले उनको घर से बाहर जाने की परमिशन देंगें। अगर वे राजनीति में आती हैं तो उनकी कोई प्रतिष्ठा, कोई मान-मर्यादा नहीं है, क्या सदन का ऐसा विचार है ? यदि ऐसा विचार नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री कहां चले गए मेरा उनसे कहना है कि उनको कम से कम स्त्रियों पर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है, उसका जवाब देना चाहिए। आप राजनीति में सहभागिता बढ़ाने की बात करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कीजिए कि महिलाएं आएं और जो घटना घटी है उसकी भारत सरकार के गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट यहां सदन को दी जाए।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह गुजारिश करती हूँ, मैं बार-बार आपसे अर्ज करती हूँ कि एक महिला के अपमान के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ था। बिहार में रोज-रोज कई महिलाएं अपमानित हो रही हैं। वहां महाभारत से भी बड़ी कोई घटना हो सकती है। इसलिए कृपा करके गृह मंत्री जी को निर्देश दिया जाए कि इस घटना के बारे में सदन में बयान दें और चन्द्रमुखी देवी, विधायिका के साथ जो घोर अपराध निन्दनीयकृत किया गया है उसकी सदन भर्त्सना करे, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ।.... ....*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : सभापति जी, यह बड़ा गंभीर मामला है, इसके बारे में सरकार बयान दे। ...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, कोई निर्देश तो दिया जाए। कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर, उनके अपमान को लेकर सदन में बहस तो कराई जाए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस पर ध्यान दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जस्टिस गुमानमल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, हमें बोलने का समय नहीं मिला है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके आसपास में कितने लोगों को बोलने का मौका मिला है, आपको मालूम है। आप बैठ जाइए, आपको चांस मिलेगा।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप निन्दा मत कीजिए। कम से कम आपसे मैं यह आशा नहीं करता हूँ। आप न्यायाधीश है। मुझे समय का पूरा-पूरा बंटवारा करना है। मैंने ऐसा दृष्टिकोण कभी नहीं अपनाया।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : सभापति महोदय, उड़ीसा के पश्चिमी इलाके में लगातार अकाल हो रहा है। इसके बारे में संसद में कई बार चर्चा हुई है फिर भी आज तक यहां की समस्या का हल नहीं हो पाया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पीने के पानी की न्यूनतम आवश्यकता है, ऐसे अकालग्रस्त बहुचर्चित जिलों के लिए भी पीने के पानी की उपलब्धि नहीं हो पाई है।

सभापति महोदय, लगातार अकाल के कारण वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। जितने ट्यूबवेल्स की आवश्यकता है उतने ट्यूबवेल्स नहीं हो पाये हैं। इस बीच सौ से भी ज्यादा जानवर गाय, बैल आदि अकेले कालाहांडी जिले में मर गए हैं और हजारों जानवर बीमारी से ग्रस्त हैं। किसान जानवरों को पीने का पानी न दे पाने के कारण हजारो जानवरों को आंध प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपने जिले से बाहर हर रोज बेच रहे है।

पानी न होने के कारण हजारों की संख्या में लोग तरह-तरह की बीमारियों से मारे जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उड़ीसा के सबसे पिछड़े इलाके में क्या पीने के पानी का सवाल हल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कालाहांडी, नोपड़ा, बलांगगीर, पदमपुर, सोनपुर, बोध जो अकालग्रस्त जिले हैं वहां हर जिले को 1500 ट्यूबवैल दिए जाएं और जो म्यूनिसिपैलिटी इलाका है वहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किन्जाराप्पू येरानायडु): ठीक है। मैं इस समस्या को देखूंगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : चेयरमैन साहब, केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं के जो दाम दिए गए हैं उसमें किसानों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि जिस दिन गेहूं की फसल खेती में थी उस वक्त गेहूं का दाम 800 रुपये प्रति क्विंटल था और जिस दिन गेहूं किसान के घर आया उस दिन दाम 415 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। किसान को 60 रुपये बोनस दिया गया जोकि बहुत कम है। किसान परेशान और निराश हैं। और आंदोलन कर रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री जी पंजाब गये और उनको हमने आंकड़े दिए और बताया कि जो कृषि देश की रीढ़ मानी जाती है वह अब घाटे में जा रही है, इसलिए कृषि के बारे में एक विस्तृत पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिससे कृषि लाभकारी हो सके। आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है। कृषि मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें कहा गया है कि सरकार जो 415 रुपये और 60 रुपये बोनस देती है वह सरकार को जाकर 785 रुपये पड़ता है। उसमें स्टोरेज, ट्रांस्पोर्टेशन, हैंडलिंग के खर्चे उसने जोड़ दिए। जो घपले होते हैं वह भी सरकार ने किसान पर डाल दिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ और वह यह है कि कृषि मंत्री जी आंकड़े बहुत गलत देते हैं। किसानों और सांसदों को गुमराह करने के लिए उन्होंने सब सांसदों को एक पत्र लिखा है। उसमें लिखा है कि :

[अनुवाद]

> "लुधियाना से चेन्नई को गेहूं के परिवहन तथा आस्ट्रेलिया से चेन्नई को इसके आयात करने के व्यय आंकड़े के विश्लेषण से यह पाया गया है कि दोनों की लागत लगभग बराबार अर्थात् 720 रुपये प्रति क्विंटल है।"

[हिन्दी]

यह सब गलत है। आप सब जानते हैं कि लुधियाना से ट्रांसपोर्ट करने पर तो 45-50 रुपये प्रति क्विंटल पड़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कीमतें विदेशों के किसानों को दी जाती हैं वही हमारे किसानों को दी जाएं।

कुंवर सर्वराज सिंह : उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार जब से आई है तब से वहां कानून और व्यवस्था खत्म हो गयी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों की चुन-चुनकर हत्याएं की जा रही हैं। यह सारी हत्याएं दिन-दहाड़े की गयी हैं। आज उत्तर प्रदेश में तीन कारोबार चल रहे हैं। पहला लॉटरी, दूसरा तबादला और तीसरा हरिजन उत्पीड़न के नाम पर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति यह है कि गठबंधन सरकार में जो .....*(व्यवधान)** बैठे हैं उनके इशारे से अधिकारी काम कर रहे हैं। जिनके ऊपर 38-38, 40-40 मुकदमें हैं उन लोगों को भी बंद नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह शब्द वापस लेना होगा और इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति जी, उत्तर प्रदेश में इस सरकार के आने के बाद छात्र समस्या बढ़ी है, किसानों का उत्पीड़न हुआ है और उनका आलू सड़ रहा है। जिन छात्रों ने बनारस में शपथ ली उनको दिन-दहाड़े मार दिया गया। इटावा में बैंक अध्यक्ष की हत्या हुई, मैनपुरी में हत्याएं हुई हैं और साम्प्रदायिक सौहार्द इस सरकार के आने के बाद खराब हुआ है। गाजियाबाद में साम्प्रदायिक तनाव हुआ, मथुरा में तनाव हुआ .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको मालूम है कि लॉ एंड आर्डर स्टेट सब्जैक्ट है।

कुंवर सर्वराज सिंह : मैं इसे यहां इसलिए उठाना चाहता हूँ कि यह वहां की सरकार के बस में नहीं है। केवल सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके राज्य सरकार को भंग करना चाहिए और वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहां की दलित महिलाओं के साथ सरकारी कार्यालयों में बलात्कार किए गए है। उनकी प्रतापगढ़ में हत्या की गई। वहां पर एक तरीके से साजिश रची जा रही है। मेरी बात सुनना जरूरी है। यहां विभिन्न विषयों पर रोज बहस होती है लेकिन उत्तर प्रदेश पर कोई बहस नहीं होती। उत्तर प्रदेश के डी.एम. अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि अमुक लाटरी चलेगी और अमुक नहीं चलेगी। इस काम में वहां के सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं। बरेली में तीन लोगों की हत्या हुई लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज भी वहां अदालते बंद है। मैनपुरी में .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको मालूम होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जैक्ट है और आप इसे यहां नहीं उठा सकते।

कुंवर सर्वराज सिंह : वहां की स्थिति बहुत गम्भीर है। .....*(व्यवधान)*

श्री बूज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उत्तर प्रदेश की सरकार राजनैतिक दुश्मनी से और मनमाने तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ गलत मुकदमें चला रही है।

श्री रामसागर : प्रतापगढ़ जनपद में शीला सरोज नामक दलित महिला के साथ डी.एम. कार्यालय के अन्दर वहां के कर्मचारियों ने बलात्कार किया।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लिस्ट में आपका नाम भी नहीं था लेकिन आपने जो कहना था, कह दिया।

.....*(व्यवधान)*

श्री रामसागर : वहां दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। वहां की मुख्यमंत्री के क्षेत्र में परसों तीन दलित छात्राओं के साथ बलात्कार किया गया है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामसागर ने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

डॉ॰ असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, शून्य काल में अपनी बात कहने के लिए मैंने भी सूचना दी है।

सभापति महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूँ।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? आप मेरी इजाजत के बगैर इसे उठा रहे हैं इसलिए यह रिकार्ड में नहीं जा रहा।

.....*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप जो चाहे खड़े होकर कहते रहेंगे।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जम्मू, राजौरी, पुंछ ये तीन जिले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो समय बर्बाद होगा। आप आराम से बैठिए। अगर यह जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं उधर बैठने वालों को चांस दे दूंगा। अगर आप ऐसे समय बर्बाद करेंगे तो आपको बोलने का चांस नहीं मिलेगा और मैं हाउस एडजर्न करके खाना खाने चला जाऊंगा।

श्री मंगत राम शर्मा : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुंछ से लेकर साम्बा तक साढ़े तीन सौ कि.मी. लम्बा बार्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। वहां जब भी फसल कटाई का समय आता है तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में किसान न फसल काट पाते हैं और न ही उसे बो पाते हैं। वे आराम की जिन्दगी बसर नहीं कर पाते। इस हाउस में मैंने और जम्मू-कश्मीर के बाकी सांसदों ने भी कई दफा इस मामलों को उठाया कि पाकिस्तान की तरफ से समय-समय पर जो फायरिंग होती है, उससे जान-माल को नुकसान होता है। इससे कई लोग और मवेशी जख्मी

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हो चुके हैं। भारत सरकार इसे रोकने के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठा रही है।

अभी कारगिल के बारे में इन्होंने असरदार कदम उठाया। उनसे बातचीत भी हुई और जवाब भी दिया है। अब वहां पर फायरिंग बंद हो गई है लेकिन जम्मू इलाके में भारत सरकार क्या करती है, मुझे समझ में नहीं आता। वहां पर दूसरे तरीके से क्यों डील किया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेज को हुक्म दे कि जहां कहीं भी फायरिंग हो, उसका मुंह-तोड़ जवाब दिया जाये ताकि वहां का आम आदमी चैन से जिन्दगी बसर कर सके, फसल आराम से बो सके और फिर काट भी ले।

सभापति महोदय, जम्मू बार्डर पर जो फैंसिंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान रुकावट डाल रहा है। वह चाहता है कि फैंसिंग न हो। पंजाब और राजस्थान में फैंसिंग होने से काफी हद तक आराम है। हम चाहते हैं कि इसी तरह जम्मू बार्डर पर भी फैंसिंग हो ताकि पाकिस्तान कोई दखलअंदाजी न कर सके और लोगों को आराम पहुंचे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जम्मू बार्डर पर फैंसिंग की जाये ताकि हम लोगों को आराम पहुंचे।

श्री विजय अन्नाजी मुडे (वर्धा) : सभापति महोदय, विदर्भ क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। रिजर्व बैंक वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नहीं दे रहा है। इस कारण को-आपरेटिव्स बैंक को पैसा नहीं मिल रहा है। आज ही यवतमाल और वर्धा जिलों के किसानों के स्टेटमेंट पढ़ने को मिले। मैंने पिछले साल भी प्रश्न को उठाया था। मैंने रिजर्व बैंक के मैनेजर से नागपुर फोन से बात की, वर्धा के स्टेट बैंक के मैनेजर से बात की है कि डिस्टिक्ट सैंटर को एक करोड़ का करेंसी दें लेकिन उन्होंने तीन करोड़ का चैक दिया और केवल 25 लाख रुपये का करेंसी दिया। महाराष्ट्र के किसान एकाधिकार खरीदी योजना के तहत तंग आ गये हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है। जब 5000 रुपये मांगते हैं तो 500 रुपये दिये जाते हैं और जब 20000 रुपये मांगते हैं तो 2000 रुपये दिये जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह प्राब्लम क्यों पैदा हो रही है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक नागपुर और स्टेट बैंक, वर्धा के पास करेंसी क्यों नहीं है। आज हजारों-लाखों किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, उत्तरांचल राज्य के निर्माण के संबंध में पिछले आठ महीनों से मांग की जाती रही है। उसके बाद यह कहा गया कि जब तक उत्तर प्रदेश निधान सभा से प्रस्ताव पारित होकर नहीं आ जाता, तब तक इसके संबंध में कुछ नहीं हो सकता। यह बहुत ही खेद का विषय है कि मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अभी इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या केन्द्रीय सरकार इसी सत्र में उत्तरांचल राज्य के निर्माण के संबंधी विधेयक लायेगी। मैं मुजफ्फरनगर या खटीमा कांड में नहीं जाना चाहता हूँ परन्तु यह सदन उत्तरांचल राज्य के निर्माण के लिये पूरी तरह से सहमत है और सारा देश भी सहमत है। केन्द्र सरकार किसी प्रकार से मामले में टालमटोल कर इस मामले को लटकाना चाहेगी तो क्षेत्र में अशान्ति हो सकती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि पहले तो सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आना चाहिये था लेकिन वह बाहर कह रही है कि राज्य बनाने जा रही है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी ओर से कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट आना चाहिये कि उत्तरांचल राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक इसी सत्र में लाया जायेगा। इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति शीघ्र ली जाये ताकि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24.4.97 को पारित प्रस्ताव के अनुसार उत्तरांचल राज्य की स्थापना की जा सके।

[अनुवाद]

डॉ॰ असीम बाला : मैं बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहती हूँ। बत्तीस साल से भी पहले बंगलादेश, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, से भारत आने वाले लगभग 66 शरणार्थी परिवारों को करनाल, हरियाणा के शरणार्थी महिला आश्रम में रखा गया था। उनमें सभी महिलाएं और उनके बच्चे हैं। वे बहुत कठिन जीवन गुजार रहे हैं। सरकार ने उनका स्थायी पुनर्वास करने का आश्वासन दिया था। उन्हें कुछ आग्रह राशि मिलती थी। परन्तु वह भी बन्द कर दी गई है।

उसे भी बन्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बिजली, जल और अन्य नागरिक प्रसव सुविधाएं बन्द कर दी है। वे अपने जीवन में अत्यन्त कठिन दौर से गुजर रहे हैं उनमें से अधिकांश पिछड़े समुदाय के हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह उनका स्थायी पुनर्वास करे ताकि वे स्थायी रूप से बस सकें।

श्री कोडी कुन्नील सुरेश (लड्डू) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।

केरल में अनुसूचित जाति के 15 से भी अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति होती है। राज्य सरकार द्वारा एक माह पूर्व संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। मामला अभी भी सं.लो. सेवा आयोग के समक्ष लम्बित है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सं.लो. सेवा आयोग अनावश्यक ही कुछ स्पष्टीकरण तथा और जानकारी मांग रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि कार्मिक मंत्रालय तत्काल इस मामले की जांच करे। इन अधिकारियों की पदोन्नति हेतु तुरन्त कदम उठाए और आगे विलम्ब न होने दे।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है।

प्रश्न यह कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग है या नहीं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चीन के दूतावास में वीजा के लिए आवेदन पत्र दिया कि वह चीन में जाकर वहां के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा वहां से उत्तर आया कि आपको वीजा नहीं दिया जा सकता। कारण दिया गया कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और अरुणाचल चीन का अविभाज्य अंग है, इसलिए उसके लिए वीजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह हमारे राष्ट्र की सार्वभौमिकता का प्रश्न है, प्रभुत्व का प्रश्न है। मेजर शैतान सिंह और हजारों लोगों ने बलिदान किया *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी कृपया इस पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रधान मंत्री जी को यह बताएं कि चीनी दूतावास ने अरुणाचल को भारत का नहीं, बल्कि चीन का अविभाज्य अंग बताया है। इसका कांट्राडिक्शन किया जाए और घोषणा की जाए कि इस प्रकार गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार चीन का दूतावास भारत में कर रहा है और अरुणाचल के मुख्यमंत्री को जो पत्र दिया गया, उनको यहां प्रस्तुत किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और यह घोषणा की जाए कि अरुणाचल भारत का अविभाज्य अंग है *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : आप डायरेक्शन दीजिए हम सरकार से उत्तर चाहते हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम तो मानते हैं कि अरूणाचल हमारे देश का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन से हमारी दोस्ती के संबंध भी बढ़ रह हैं, चीन से समझौता हो रहा है सीमा पर शांति रखने का और हमारी सेनाओं को भी पीछे हटाया जा रहा है और चीन भी कह रहा है कि हम भी सेना पीछे हटाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन के येन्नान प्राप्त के अंतर्गत कुम्बिंग नाम के शहर के अंदर बायो-डायवर्सिटी पर एक कॉन्फ्रेन्स हुई थी और उसमें निर्णय किया गया कि जहां-जहां ट्रांस-बार्डर एरियाज हैं जैसे पहले रशिया-चाईना में हुआ, तो वहां के लोगों को इस बायो-डायवर्सिटी कानफ्रेन्स में आमंत्रित किया गया। इसी आधार पर अरूणाचल के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के लिए अमेरिका के मैकआर्थर फाउंडेशन और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने तय किया और चीनी अकादमी ने इनको निमंत्रण भेजा और कहा कि आप चीनी दूतावास में वीजा के लिए एप्लाई कर दीजिए, लेकिन अफसोस की बात है कि जब चीन सरकार को इस बात का पता लगा तो उन्होंने चीनी दूतावास को कहा कि इनको वीजा नहीं दिया जाए क्योंकि अरुणाचल चीन का अंग है।

सभापति महोदय : आप भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह वर्मा : मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति स्पष्ट की जाए। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यह प्रदेश देश के पूर्वोत्तर में हिमालय पर हमारी महत्त्वपूर्ण सीमा रेखा है। मैं चाहता हूँ कि चीन इसको मान्यता प्रदान करे। *....(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सर, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री किंजारपू येरानायडू): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सूचित कर दूंगा।

[हिन्दी]

डॉ॰ रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में खोड़ा कालोनी के तीन हजार से अधिक लोगों ने दूरभाष के लिए पंजीयन कराया था। दो साल से अधिक बीत गये हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दूरभाष की सुविधा नहीं दी गई है। इसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। मैंने वहां के जनरल मैनेजर, टेलीफोन से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995-96 में हमने केन्द्र सरकार के पास दस हजार टेलीफोन लाइन नोएडा एक्सचेंज में

लगाने का एक प्रस्ताव पास करके भेजा है। लेकिन केन्द्र सरकार ने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि तीन-तीन, चार-चार हजार लोग टेलीफोन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसलिए यहां पर दस हजार लाइनों का एक्सचेंज बनने को केन्द्र सरकार जल्दी मंजूरी दे, जिससे कि लोगों को टेलीफोन मिल सके और उनका रोष भी खत्म हो सके।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बहुत ही गंभीर मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पंजाब इलेक्शन के वक्त हमारे डोडा जिले से सिक्युरिटी फोर्सेज की 30 कम्पनियां हटाई गई थी और वे कम्पनियां आज तक वापस नहीं आई हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि आज से चार दिन पहले तीन व्यक्ति देसा गांव से किडनेप हुए थे, कल ही उन तीनों व्यक्तियों की गोलियों से छलनी लाशें वहां पर मिली हैं। माननीय होम मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि जो फोर्सेज उन्होंने वहां से हटाई हैं वह तुरंत वहां पर भेजें। इसका नतीजा यह हो रहा है कि सारा डोडा जिला वर्चुअली इस समय मिलिटेन्ट् से घिरा हुआ है। वहां पर फॉरेन मिशनरीज इतनी अधिक मात्रा में आई हुई हैं कि लोगों का चलना-फिरना तक मुश्किल हो गया है। ये तीनों व्यक्ति किसान थे, लकड़ी लेने के लिए आये थे और उनको किडनेप कर लिया गया। कल ही उनकी लाशें सड़क पर पड़ी हुई मिली हैं। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि एक तो जब से वहां पर नई सरकार आई है तब से वहां पर विलेज डिफेंस कमेटी बनाना बंद कर दिया गया है, लोगों को हथियार देना बंद कर दिया गया है और उसी के साथ-साथ जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं, उनको वहां पर किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। आप अंदाजा लगाइये कि पहाड़ों पर 14 हजार फीट की बुलन्दी पर जो लोग घरो में बैठे हुए हैं, वे वहां पर नहीं टिक सकते हैं और सरकार की जो आर्मी है वह सड़क पर है। तो मैं तीन बातें निवेदन करना चाहता हूँ एक तो जो कम्पनियां पंजाब इलेक्शन के समय वहां से हटाई गई थीं उनको तुरंत वहां पर वापस भेजा जाए। दूसरा यह कि वहां पर विलेज कमेटी बनाई जाएं और इन कमेटीज को वहां पर बाकायदा रीम्यूनरेशन दिया जाए और उनको वहीं पर हथियार मुहैया किए जायें, जिससे कि वे वहां पर ठीक से काम कर सकें।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं एक ज्वलंत समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सारे देश में आज से कुछ साल पहले छोटी रेजगारी की समस्या थी। पांच पैसे, दस पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्के तो गायब हो गये हैं। लेकिन आज नोटों की समस्या पैदा हो गई है। एक रुपया, दो रुपया और पांच रुपये के नोट आज कहीं नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो फटे-टूटे और सड़े-गले नोट मिलते हैं। इसके कारण लोगों ने अपनी करेन्सी बना ली है और बाजार में गत्ते और कागज की दूसरी करेन्सी बनाकर लोग उसको काम में ले रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कृपा करके छोटे नोटों का जो प्रचलन सरकार ने बंद कर दिया है उसको तुरंत चालू किया जाए और मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सरकार ने कई सिक्के ऐसे चलाये हैं जिनसे बहुत गड़बड़ होती है। पांच रुपये का सिक्का अठन्नी के बराबर है, दो रुपये का सिक्का एक रुपये के बराबर है, जिसकी वजह से गलती होने के कारण लोगों की लुटाई हो रही है। अतः इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय सभापति महोदय, हम पूरे हिन्दुस्तान में शहीद नेता और आज़ाद हिन्द फौज के नेता श्री सुभाष चन्द्र बोस की जन्मशताब्दी मनाते रहे हैं। उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते है जब 1923 में अंडमान निकोबार द्वीपों का जब कारोबार संभाला था, तब इसका नाम "शहीद" और "स्वराज" द्वीप रखा था, लेकिन हमारे आजाद होने के बाद इन द्वीपों का नाम आज तक उनके सुझाव के अनुसार नहीं रखा गया है। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि सुभाष चन्द्र बोस की जन्मशताब्दी वर्ष में उन दोनो द्वीपों का नाम "शहीद" और "स्वराज" रखें। मेरा अनुरोध है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को पर्यटन स्थल के रूप में इतनी अच्छी तरह से विकसित किया जाए ताकि हमारे देश के लोगों और विदेशों से आने वाले लोगों को इन द्वीपों के बारे में ऐसी जानकारी मिले जिससे इन द्वीपों के प्रति देखने की उत्सुकता जागे और वे इन द्वीपों की यात्रा करें जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले और दोनों द्वीपों में सुभाष बाबू की पूर्ण कद की प्रतिमा लगाई जाए।

[अनुवाद]

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा-पश्चिम) : महोदय, त्रिपुरा को सप्लाई के लिए अनाज के मासिक आवंटन कोटे को कम करके 4000 मी. टन करने का भारत सरकार का हाल ही का निर्णय अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूर्व, सरकार ने मासिक कोटे के रूप में 16000 मी. टन खाद्यान्न का आवंटन किया था। परन्तु हाल ही के निर्णय से त्रिपुरा के लोगों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। त्रिपुरा को भारतीय खाद्य निगम की पर्याप्त सुविधाओं की कमी और रेलवे के अपर्याप्त वैगनों के कारण कभी भी 13000 मी. टन खाद्यान्न भी नहीं मिलता है। अब जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए, भारत सरकार को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आधी दर पर खाद्यान्न सप्लाई करने चाहिए और कार्य के लिए पारिश्रमिक के भाग के रूप में ई.ए.एस. और बी.एम.एन.एस. में प्रावधान करना चाहिए। राज्य सरकार ने प्रतिमाह 28,400 मी. टन खाद्यान्न की आपूर्ति की मांग की है।

सभापति महोदय : सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। क्या आप यह कह रहे हैं ?

श्री बादल चौधरी : यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि पूरा कोटा पाने में आने वाली बाधाओं को शीघ्रातिशीघ्र दूर किए जाने की आवश्यकता है और पूर्व प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर संघों को दिए गए आश्वासनों के प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन के लिए 28,400 मी. टन खाद्यान्न की बड़ी मांग को पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि असिंचित क्षेत्रों में किसानों की माली हालत सुधारने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए 100 प्रतिशत अनुदान सिंचाई के साधनों के लिए दिया जाए। सिंचाई के लिए खेतों में ट्यूबवैल लगाने, विद्युतीकरण करने के लिए शतप्रतिशत अनुदान दिया जाए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि भारत के असिंचित क्षेत्रों के किसानों के पास सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उनकी रबी एवं खरीफ की फसल धान, चना, तीवटा, कोटो, अल्सी, मटर, गन्ना, धनिया, मूंगफली बार-बार सूखा पड़ने के कारण चौपट हो जाती है जिसके कारण किसानों की हालत दिनोंदिन दयनीय होता जा रही है। किसान कर्ज से दबता जा रहा है जिससे वे गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार पूरे हिन्दुस्तान के कृषकों को देने की घोषणा करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.55 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.55 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.06 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 3.06 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन* हुए]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

15 अप्रैल, 1997 को हज के दौरान मीना में आग की दुर्घटना में भारतीय हाजियों की हुई मृत्यु और घायल हुए व्यक्ति

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : महोदय, मैं 15 अप्रैल, 1997 को सऊदी अरब के मीना में लगे आग में भारत से गए हज यात्रियों की दुखद मौत पर इस महान सभा के माननीय सदस्यों की गहरी चिन्ता को समझता हूँ। आग के कारण हमारे हज यात्रियों को हुई जानमाल की क्षति से सम्पूर्ण राष्ट्र को सदमा पहुंचा तथा अत्यन्त दुख हुआ। मैं सरकार की ओर से मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों के प्रति समवेदना तथा घायल हुए व्यक्तियों और अभी तक लापता व्यक्तियों के सम्बन्धियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

जैसा कि इस सभा के माननीय सदस्य अवगत हैं। भारत के भारी संख्या में यात्री प्रत्येक वर्ष हज करते हैं। लगभग 81,000 भारतीयों ने इस वर्ष हज में भाग लिया। इनमें से 53,664 व्यक्ति केन्द्रीय हज समिति के जरिए आए। शेष लगभग 27,000 व्यक्ति भारत से टूर आपरेटरों के जरिए या अन्य देशों से आए या वे सऊदी अरब के निवासी हैं। इस वर्ष सभी देशों से हज करने वाले यात्रियों की कुल संख्या लगभग दो मिलियन से कुछ कम है।

15 अप्रैल को लगभग 11.30 बजे स्थानीय समय (अन्तर्राष्ट्रीय मानक समय 2.00 बजे) मक्का के समीप मीना में एक यात्री शिविर में आग लग गई थी। वह बहुत तेजी से फैली जिसमें अनेक यात्री मारे गए तथा अन्य अनेक घायल हुए। जब आग लगी तब मीना में ठहरे दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावास की सरकारी टीमों ने यात्रियों की सुरक्षित क्षेत्रों में शान्तिपूर्व निकासी के लिए तत्काल कार्यवाही की। समय पर कार्यवाही होने से कुछ जानें बचाई गई और घायलों को बचाया गया था। तथापि, भारतीय तीर्थयात्रियों के शिविर आग के मूल स्थान के निकट थे और आग के रास्ते पर थे तथा तेज हवाओं के साथ-साथ स्थानीय निर्मित भवनों की आकृतियों के कारण आग को बहुत तेजी से फैलने से बहुत से शिविर नष्ट हो गए और कुछ तीर्थयात्रियों को मरने और घायल होने से बचाया नहीं जा सका।

आज की स्थिति के अनुसार, कुल 119 मृतक भारतीय नागरिकों की पहचान की गई है और 111 तीर्थयात्री लापता बताए गए हैं। इसके अलावा 148 तीर्थयात्रियों का सऊदी अरब के सरकारी अस्पतालों में जले का इलाज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 265 व्यक्ति आग या उसके कारण घायल हुए थे। इन 172 व्यक्तियों का मक्का में भारतीय चिकित्सा मिशन द्वारा इलाज किया जा रहा है। इलाज के बाद बहुत से घायल व्यक्तियों को छुट्टी दे दी गई है और उनमें से कुछ व्यक्ति केन्द्रीय हज समिति द्वारा प्रबंध किए

गए हज चार्टर शेड्यूल्ड के अनुसार अपनी निर्धारित उड़ानों से या निजी टूट आपरेटरों द्वारा किए गए प्रबंध से भारत वापिस आ गए हैं। अन्य तीर्थयात्री इन दो प्रबन्धों में से एक के अंतर्गत उड़ानों से वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तीर्थयात्री सऊदी अरब में भारतीय चिकित्सा मिशन की निरन्तर देख-रेख में हैं और उनकी सभी आवश्यक चिकित्सीय देख-भाल की जा रही है। हज चार्टर उड़ानें तीर्थयात्रियों को वापस लाने की यात्रा 22 मई, 1997 तक पूरी होगी। प्रत्येक उड़ान में आने वाले घायल तीर्थयात्रियों की अग्रिम सूचना जेद्दाह में स्थित एयर इंडिया के कार्यालय द्वारा दे दे जाती हैं, ताकि दिल्ली आगमन पर और साथ ही अन्य स्थानों पर तुरन्त चिकित्सीय सहायता दी जा सके और उन्हें आवश्यकतानुसार अस्पताल या क्लिनिक ले जाया जा सके। वापिस आने वाले घायल यात्रियों की देखभाल एम.ई.ए., एयर इंडिया और आप्रवास तथा कस्टम प्राधिकारियों के सहयोग से संबंधित राज्यों की हज समितियों द्वारा की जा रही है। मृतकों की पहचान और गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

प्रारम्भ में मृतकों, घायलों और लापता व्यक्तियों के ब्यौरे संबंधी सूचना प्राप्त करना बहुत कठिन था, क्योंकि आग लगने के समय हज कार्यक्रम चरम सीमा पर था और विभिन्न देशों से सब मिलाकर लगभग 20 लाख लोग मीना शिविरों के बाहर इकट्ठे हुए थे। इस स्थिति में हमारे तीर्थयात्रियों की पहचान और तुरन्त गणना करना संभव नहीं था। यह तभी संभव हुआ, जब तीर्थयात्री मीना में, शिविरों में 17 अप्रैल को पुनः इक्ट्ठा हुए। तब दूतावास के अधिकारियों और वाणिज्य दूतावास ने शिविरों का सर्वेक्षण किया और लापता व्यक्तियों की एक अस्थाई सूची तैयार की। अस्पतालों का दौरा कर के वहां इलाज करा रहे घायलों की नयी सूची तैयार की गई। इसके साथ ही सऊदी प्राधिकारियों के पर्यवेक्षणाधीन मुर्दाघरों में रखी लाशों की भी लगातार पहचान की गई। तथापि, यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सी लाशों की पहचान करना मुश्किल था। हज की समाप्ति पर 19 अप्रैल की शाम को मक्का के हमारे तीर्थयात्रियों की वापसी के बाद गुमशुदा व्यक्तियों की एक और सही सूची तैयार की गई। यह हमारे तीर्थयात्रियों को आवंटित सभी आवासीय एककों का हमारे अधिकारियों के दलों द्वारा किए गए विधिवत् दौरों के माध्यम से और अलग-अलग व्यक्तियों की गणना और पहचान से किया गया था। ताजा आंकड़ों के आधार पर अभी तक गणना न किए गए व्यक्तियों की संख्या 111 है।

आग लगने के तत्काल बाद नई दिल्ली, मुम्बई, रियाद और मक्का में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए और तीर्थयात्रियों के बारे में प्राप्त सूचनाओं को भारत में उनके निकट रिश्तेदारों के उपलब्ध होने पर उन्हें तुरंत सूचित किया गया है। पहचाने गए मृतक तीर्थयात्रियों के अलावा इलाज करा रहे घायलों के नाम को अधिसूचनाओं, प्रचार माध्यमों और राज्य हज समितियों के माध्यम से शीघ्र और निरन्तर उपलब्ध कराया गया। यह कार्य अभी भी चल रहा है।

सरकार के द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर सऊदी अरब में हमारे मिशन और वाणिज्य दुतावास ने तत्काल सभी संभव सहायता और बेसहारों, घायलों, उनके परिवारों और खोए हुए व्यक्तियों के दोस्तों को वित्तीय सहित राहत दी। 15 अप्रैल को रात को 5000 से अधिक तीर्थयात्रियों को खाद्य सामग्री और पेयजल का प्रबंध किया गया था। बाद में निम्नलिखित व्यापक कार्य नियमित रूप से किए गए:

1. खोए हुए व्यक्तियों/मृतकों के संबंधियों के साथ मीना के निकट शवगृह में मृतकों की पहचान हेतु जाना।

2. घायल हुए भारतीयों के संबंध में स्थिति का पता लगाने हेतु भारतीय चिकित्सा मिशन द्वारा मक्का और मीना में सभी अस्पतालों का प्रतिदिन दौरा करना।

3. मक्का में मुख्य भारतीय औषधालय में जले हुए व्यक्तियों की मरहम-पट्टी हेतु विशेष कक्ष की स्थापना।

4. घायलों के इलाज हेतु मक्का में सभी नौ शाखा औषधालयों का प्रबंध करना।

5. भारतीय तीर्थयात्री कल्याण संघ, जेद्दाह जो कि प्रवासी भारतीयों की स्वैच्छिक संस्था है, के माध्यम से जिन भवनों में भारतीय तीर्थयात्री ठहरे हुए थे, वहां भारतीय चिकित्सा मिशन के डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन दौरा करना।

भारत सरकार ने घोटालों और बेहसहारा लोगों के निकट संबंधियों को सहायता देने और राहत प्रदान करने हेतु बहुत से कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधियों को एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने और घायलों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है। वर्तमान में सऊदी अरब में इलाज करवा रहे प्रत्येक घायल तीर्थयात्रियों को 10,000 रुपये की सहायता दी गई है। जो तर्थयात्री आग के कारण कार्य करने में स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं उनमें से प्रत्येक को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने उन घायल तीर्थयात्रियों को जो चिकित्सीय रूप से यात्रा करने के लिए सही पाए जाते हैं, उन्हें विशेष चार्टर्ड उड़ान द्वारा भारत वापिस लाने का प्रस्ताव किया है। तथापि, उन्होंने तीर्थयात्री हज चार्टर शेड्यूल के अनुसार अनुबंधित उड़ान से वापसी हेतु अपनी बारी के आने तक मक्का में ठहरने को वरीयता दी। सरकार ने बेसहारा मृतक तीर्थ-यात्रियों के शवों को भारत में निःशुल्क लाने का भी प्रस्ताव किया है। मृतक तीर्थयात्रियों के निकट संबंधियों ने सूचित किया है कि वे धार्मिक कारणों से शवों को मक्का में ही दफनाना चाहत हैं। जिनके यात्रा दस्तावेज आग में जल गए हैं, उनके दस्तावेज शीघ्रता से और निःशुल्क पुनः जारी किए जा रहे हैं।

जेद्दाह में सी.जी.आई. ने घायलों में निर्धन तीर्थयात्रियों को नगद रुपये और कपड़े दिए। भारत सरकार द्वार जेद्दाह में घायलों के उपचार में काम करने वाली सामग्री अर्थात् पट्टी, रुई और मलहम वायुयान से भेजी गई थी।

जेद्दाह में भारतीय समुदाय की उदारता, प्रभावी सहायता और राहत के प्रयासों की प्रशंसा करूंगा।

उक्त सहायता उपायों के कार्यान्वयन हेतु विदेश मंत्रालय के हज प्रकोष्ठ के कार्य ढांचे में विशेष प्रबंध किया गया है। राहत के वितरण हेतु भुगतान की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। प्रधानमंत्री ने उन उपायों के कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु श्री सी. एम. इब्राहिम और श्री मोहम्मद मकबूल डार की दो सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति गठित की है।

तीन संसद सदस्यों और एक पूर्व संसद सदस्य सहित चार सदस्यीय एक दल ने 25 अप्रेल से 1 मई तक भारतीय तीर्थयात्रियों के कल्याण के बारे में पूछताछ करने विशेषकर घायलों और उनके निकट संबंधियों, खोए हुए तीर्थयात्रियों के संबंध में पूरी स्थिति का जायजा लेने के साथ-साथ राहत उपायों की जानकारी देने हेतु सऊदी अरब का दौरा किया। दल के सदस्यों ने अस्पतालों में जाकर घायल व्यक्तियों से मुलाकात की और अधिसंख्य तीर्थयात्रियों से मिले। उन्होंने साउथ एशिया मौसासा के चैयरमैन से भी विचार-विमर्श किया। दल ने सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि इस समय निजी टूर ऑपरेटरों को सरकार या केन्द्रीय हज समिति को तीर्थयात्रियों का विवरण, जो हज हेतु सऊदी अरब के लिए अपने प्रबंध से यात्रा कर रहे हैं, सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है भारत से कुल 81,000 हज तीर्थयात्रियों में से लगभग 27,000 इस श्रेणी में आते हैं। इन तीर्थ यात्रियों के बारे में सूचना की कमी से मृतकों की पहचान के साथ-साथ लापता हुए व्यक्तियों को स्थान की पहचान में भी बाधा आई है। सऊदी अरब में हमारा दूतावास और जेद्दाह में हमारा वाणिज्य दूतावास सऊदी प्राधिकारियों से इन तीर्थयात्रियों के नाम प्राप्त करने के सभी प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ ब्यौरा उपलब्ध है अर्थात् कुछ ऑपरेटर एजेंसियों के नाम और प्रत्येक द्वारा ले जाए गए तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या। भविष्य हेतु सरकार निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा प्रबंध करके यात्रा कर रहे हज तीर्थ यात्रियों साथ ही उनके कार्यों का अग्रिम ब्यौरा प्राप्त करने इस कमी को पूरा करने के उपायों पर विचार कर रही है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि लापता व्यक्तियों को ढूंढने, मृतकों की पहचान करने और घायलों की देख-भाल करने के हमारे सभी कार्यों में हज प्रबंध के लिए जिम्मेदार सऊदी अरब के संबंधित अधिकारियों से हमें पूरा सहयोग मिला। सऊदी अस्पतालों में हमारे घायल तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा और देख-भाल की तीर्थयात्रियों के साथ-साथ सऊदी अरब के दौरे पर गई टीम ने प्रशंसा की।

आग से हताहत लोगो को क्षतिपूर्ति के प्रश्न के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की दुःखद घटनाओं में क्षतिपूर्ति देना सऊदी अरब सरकार का कार्य नहीं है। चूंकि सरकार को मीना आग पीड़ितों को तुरंत राहत देने की आवश्यकता की चिंता थी, उपर्युक्त तुरंत राहत उपाय किए गए हैं। हम ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से अनिवार्य बीमा की व्यवस्था जैसे दीर्घकालीन उपायों पर विचार कर रहे हैं।

मीना आग दुर्घटना में भारतीय तीर्थयात्रियों की दुःखद मृत्यु के बारे में जेद्दा में भारतीय महावाणिज्यदूत के बारे में 24 अप्रैल के समाचार पत्रों में कुछ विचार छपे हैं। इस मामले की भलीभांति जांच की गई है और यह निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक दरवान के आचरण के बारे में कुछ घायल लोगों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ये विचार व्यक्त किए गए हैं। इस आधार पर कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। 25 अप्रैल से 1 मई तक सऊदी अरब गए दल ने अग्निकांड से प्रभावित स्थल का दौरा किया गया तथा तीर्थयात्रियों से बातचीत की और वे इस विचार से सहमत हैं।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार सभी भारतीय हजयात्रियों की सुरक्षित वापसी तथा सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों के क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान रख रही है।

माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि मीना में आकस्मिक आग लगने और इसका तात्कालिक प्रभाव पूरी तरह से अप्रत्याशित है। हम इस घटना का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जा सकें।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : लापता व्यक्तियों हेतु आप क्या कर रहे हैं ? क्या सरकार उनको ढूंढने के लिए कोई कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब इतने विस्तृत स्टेटमेंट के बाद क्या पूछेंगे ?

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : लगभग 111 व्यक्ति लापते थे, क्या सरकार इन लापता व्यक्तियों का पता लगाने हेतु कोई कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : लिख दिया है, अब इससे अधिक क्या होगा।

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : कार्यवाही की जा रही है।

अपराह्न 3.14 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश की सागर झील से गाद निकालने संबंधी केन्द्रीय योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, सागर की पहचान जिस ऐतिहासिक तालाब से होती है वह अमूल्य धरोहर जो लगभग 400 एकड़ में फैला था, अब समुचित रख-रखाव के अभाव एवम् अतिक्रमण के कारण सिकुड़ता जा रहा है। तालाब की सफाई के लिए प्रदेश एवम् केन्द्रीय सरकार द्वारा कई बार योजनाएं बनाई गई है, लेकिन तालाब सफाई का कार्य नहीं हो सका। तालाब में गंदगी एवम् काफी सिल्ट एकत्रित हो गई है। यदि समय रहते तालाब की सफाई नहीं की गई तो इस विशाल तालाब का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तालाब का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि नागरिकों में एवम् तालाब में जाने वाले जानवरों में कोई गम्भीर रोग कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है।

अतः केन्द्र सरकार के द्वारा सागार तालाब सफाई कार्य को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य शीघ्र कराया जाना चाहिए जिससे कि सागर की पेयजल समस्या का निदान भी निकल सके एवम् सागर एक पर्यटक स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बना सके।

(दो) बिहार के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री आर.एल.पी. वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, कोडरमा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 1980-84 के बीच निम्नलिखित 9 पॉवर स्टेशनों के द्वारा विद्युतीकरण गांवों को बिजली की आपूर्ति आश्वस्त करने के दृष्टिकोण से तत्कालीन भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष ने स्वीकृति प्रदान कर राशि भी आवंटित की थी। वे स्थान निम्न हैं - गिरिडीह जिला के अंतर्गत - (1) खडगडीह (75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है) (2) द्वारपहरी (3) सरिया (50 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है) (4) गाण्डे (प्लांट आंशिक पूर्ण) (5) विरनी (प्रारम्भ नहीं) कोडरमा जिला के अंतर्गत (6) जयनगर (80 प्रतिशत पूर्ण) (7) मरकच्चों (कार्य प्रारम्भ नहीं) (8) बरकठा (9) सतगांवा। अतः ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त पॉवर सब स्टेशनों के मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई थी, उसका ब्यौरा दें तथा अनियमितताओं की जांच कराई जाए और अधूरे कार्य को दिसम्बर, 1997 तक पूरा कराया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) उड़ीसा के ढेंकानाल में ब्राह्मणी नदी के ऊपर बाजी राउत सेतु का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : मद्रास-गोडिया, देव गांव, कपिलवास तथा ढेंकानाल को जोड़ने वाली नीलकंठपुर भुवन सड़क पर ब्राह्मणी नदी के ऊपर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण में अत्यधिक विलंब हुआ है। इन परियोजनाओं को 1994 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका नामकरण एक महान स्वतंत्रता सेनानी - 13 वर्षीय नाविक बाजी राउत के नाम पर किया गया है। जो सन् 1938 में नीलकंठ पुर गांव में हुई पुलिस गोलाबारी में मारे गए थे और जिन्हें प्रसिद्ध उड़िया कृषि तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सांची राउतरे ने अमर कर दिया है। लोगों, विशेष रूप से छोटे तथा मझौले किसानों को वहां पर पुल के अभाव में परिवहन की कमी की वजह से अपनी उपज का वितरण करने में काफी कठिनाइयां आती हैं। इस क्षेत्र में 6 इस्पात सयंत्र इस इस आशा से लगाये जा रहे हैं कि शीघ्र ही इस पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जिला मुख्यालय ढेंकानाल को जोड़ने के अतिरिक्त यह पुल श्रद्धालुओं को भगवान चन्द्रशेखर के प्रसिद्ध पवित्र मंदिर की यात्रा करने के लिए भी सीधा रास्ता प्रदान करेगा। अतः यह पुल अर्द्ध विकसित तथा पिछड़े लेकिन प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाले क्षेत्र में रह रहे अधिकांश लोगों के लिए प्रगति, सामाजिक शक्ति तथा सामाजिक गतिशीलता प्रदान करेगा। यदि यह पुल जिसका नामकरण बाजीराव के नाम पर किया गया है ऐसे वर्ष में मनाया जाता है जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का 50वां साल मना रहा हो तो यह उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए उपयुक्त स्मारक होगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल ब्राह्मणी नदी के ऊपर बाजीराउत सेतु का निर्माण बिना किसी विलम्ब के पूरा करें।

(चार) तमिलनाडु विशेषरूप से कन्याकुमारी जिले के हथकरघा बुनकरों की शिकायतों पर विचार किये जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नगरकोइल) : तमिलनाडु विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले के हथकरघा बुनकरों को प्राथमिक सोसाइटियों में हथकरघा कपड़ों के इकट्ठा होने, यार्न की आपूर्ति में विलंब होने तथा सरकार द्वारा समय पर छूट का भुगतान न करने के कारण काफी कठिनाइयां हो रही हैं, उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई से जो पारिश्रमिक मिलता है वह बहुत कम है इसलिए उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है कि वे बुनाई पर निर्भर न रहें। वे बेरोजगार और गरीब हो गए हैं तथा दूसरे क्षेत्रों में रोजगार ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इकट्ठा हो गए स्टाकों का निपटान करने, छूटों का तुरन्त भुगतान करने, यार्न की समय पर आपूर्ति करने, उनकी अन्य शिकायतों का निपटारा करने, उनकी

आजीविका के लिए निर्भर रहने योग्य व्यवसाय के रूप में बुनाई का कार्य जारी रखवाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(पांच) देश के रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटरीकृत किये जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण (कराड़) : शिक्षित युवकों का बेरोजगार होना देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जबकि देश के तीव्र औद्योगिकीकरण के बिना पूर्ण रोजगार संभव नहीं है। तो जो भी थोड़ी सी नौकरियां उपलब्ध होती हैं वे रोजगार कार्यालयों की वर्तमान स्थिति, इनमें पारदर्शिता की कमी के कारण तथा वहां होने वाला विलंब युवाओं में काफी निराशा पैदा करता है। इन कार्यालयों के तत्काल आधुनिकीकरण तथा बड़े तहसील मुख्यालयों में भी और कार्यालय खोलने की आवश्यकता है। ये कार्यालय पूर्णतया कम्पयूटरीकृत होने चाहिए और वे सभी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के नेटवर्क पर एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें कैरियर परामर्श कौशल संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे।

(छः) पश्चिमी उड़ीसा के सूखा-प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

श्री भक्त चरण दास (कालाहांड़ी) : सभापति महोदय, पश्चिम उड़ीसा के कालांहाडी, नौपाड़ा, बोलनगीर, सोनपुर तथा बौध जिलों में लगातार सूखा पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप किसान वहां से पलायन कर रहे हैं। अपनी घरेलू वस्तुएं और मवेशियों को जीवित रहने के लिए बेच रहे हैं। किसान अगली खरीफ की फसल बोने की स्थिति में नहीं हैं। बैंक उन्हें बीज, खाद इत्यादि के लिए ऋण नहीं दे रहे हैं। जीवित रहने के किसी साधन के बिना इन सूखा प्रभावित जिलों की समूची आबादी काफी कष्ट उठा रही है। जब आंध्र प्रदेश में भीषण तूफान से नारियल की फसल नष्ट हो गई थी तो भारत सरकार ने फसल की उस क्षति को गंभीरता से लिया था और लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया था। लेकिन उड़ीसा के गरीब किसानों को कोई सहायता नहीं दी गई। जब तक किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए पर्याप्त मुआवजा तथा खरीफ की अगली फसलों के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है तब तक हजारों किसानों और उनके परिवारों का जीवन नहीं बचाया जा सकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम उड़ीसा के लम्बे समय से सूखा प्रभावित जिलों के बेसहारा किसानों का मामला उठाए और प्राधिकारियों को यह निर्देश दे कि वह बीज, खाद की खरीद के लिए तथा फसल की हानि आदि के लिए मुआवजे हेतु किसानों को पर्याप्त निधियां स्वीकृत करें।

(सात) सुन्दरबन क्षेत्र में बाघों की नवीनतम गणना करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जय नगर) : सभापति महोदय, प० बंगाल में सुन्दरबन, रायल बंगाल टाईगर का ऐतिहासिक आवास है। प० बंगाल सरकार ने सुन्दरबन में बाघों की नवीनतम गणना के बारे में सन्देह व्यक्त किया है। तथा सुझाव दिया है कि विशेषज्ञों की मदद से सुन्दरबन डेल्टा क्षेत्रों में बाघों की सही संख्या को जानने के लिए अधिक वैज्ञानिक तरीका शुरू किया जाए। पुनर्गठित वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने पाया है कि राज्य में शिकार करने की नवीनतम दर में तेजी से कमी आई है। सतर्कता पहले की भांति की जानी चाहिए। सुन्दर बन में बाघों की नवीनतम गणना शुरू करने की मांग भी की गई। साथ ही इस वर्ष से हाथियों की गणना की गई है। बोर्ड ने यह भी सुझाव दिया है कि धान के खेतों, घरों तथा चाय के बागानों को बचाने के लिए उत्तर तथा दक्षिण बंगाल कोरिडोरों में हाथियों द्वारा किया जा रहा नुकसान तथा दृढ़त्वचीय प्राणियों के आक्रमण को रोकने हेतु व्यवहारिक कदम उठाएं।

वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की टिप्पणियों का पूर्णतया समर्थन करते हुए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुन्दरबन में बाघों की नए सिरे से गणना करने के लिए राज्य बोर्ड को कुछ विशेषज्ञ आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान कराए तथा हाथियों की चोरी को रोके।.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.24 बजे

वित्त विधेयक 1997-98

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब वित विधेयक, 1997 को लेगी। विधेयक के सभी तीनों चरणों हेतु आठ घन्टे का समय आबंटित किया गया है। यदि सभा की सहमति हो तो हम पांच घन्टे सामान्य चर्चा कर सकते हैं। दो घन्टे खंड-वार विचार के लिए तथा एक घंटा तृतीय पठन हेतु है। क्या सदस्य इससे सहमत हैं?

कई माननीय सदस्य : जी हाँ।

सभापति महोदय : श्री चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष, 1997-98 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, इस सभा में 28 फरवरी, 1997 को वर्ष 1997-98 के लिए बजट पेश करना बहुत ही बड़ी बात है। जो बीत गया वह बीत गया, अर्थव्यवस्था स्वयं इस बात की द्योतक है।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वह नए उत्साह, विश्वास और आशा के साथ भविष्य की ओर देखें।

यह बजट संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित था तथा बजट के विस्तृत उद्देश्य वही हैं जो संयुक्त मोर्चा के जुलाई, 1996 में प्रस्तुत पहले बजट में थे उनमें से जिनको प्राथमिकता दी गई वह हैं राजकोषीय मामलों में सतर्कता बरतना, मुद्रास्फीति नियन्त्रण तथा वृहत्त आर्थिक स्थायित्व प्रदान करना। कृषि उद्योगों तथा सेवाओं का वृहत आधार पर विस्तार करके रोजगारों का सृजन करना सुनिश्चित करना, गरीबों की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करके तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक न्यूनतम सेवाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करना। विशेषकर बुनियादी क्षेत्रों में बचत तथा निवेश में वृद्धि करके तथा मानव का विकास करने के लिए विशेष प्रयास करके।

जब 69 दिन पहले संसद में बजट प्रस्तुत किया गया था तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारत में तथा विदेश में दोनों जगह बहुत बढ़ावा दिया था। राजनैतिक अनिश्चितता के बावजूद 2 माह में असाधारण आर्थिक उपलब्ध हुई है। मैं कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालता हूँ।

28 फरवरी, 1997 को विदेशी मुद्रा भंडार 19.7 बिलियन+यू. एस. डालर था जो बढ़कर 6 मई, 1997 को 22.7 बिलियन डालर हो गया। यह वृद्धि 300 मिलियन डालर प्रति सप्ताह की दर से है।

फरवरी, 1997 के अंतिम सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 7.78 प्रतिशत थी जो घटकर 19 अप्रैल, 1997 के सप्ताह के अंत में 6.54 प्रतिशत हो गई। संयुक्त मोर्चा सरकार की पूरे कार्य काल में मुद्रास्फीति एक अंक में रही तथा यह सप्ताह 100वां सप्ताह है। यह वहीं बनी रही है। वर्ष 1996-97 में मुद्रास्फीति औसतन 6.3 प्रतिशत थी जो कि पिछले वर्ष में 7.6 प्रतिशत की औसतन मुद्रास्फीति से काफी कम है।

पिछले नौ महीनों के दौरान रुपया जनसाधारण रूप से डालर के सामने स्थिर रहा है। डालर का मूल्य लगभग 35.80 रुपये के आगे-पीछे ही रहा है।

फरवरी, 1997 में गेहूं का दिल्ली के खुले बाजार में मूल्य, 730 रुपये प्रति कुंतल था, जो मई के शुरू के दिनों में कम होकर 510-525 रुपये प्रति कुंतल पर नीचे आ गया है। गेहूं की खरीद भी बढ़ रही है तथा खाद्य मंत्रालय आशा करता है कि यह पिछले वर्ष के 8 मिलियन टन से और बढ़ेगी।

खाद्य उत्पादन का समाचार भी ठीक है तथा वर्ष 1996-97 में 192 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान है।

15 अप्रैल, 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से चली आ रही ऋण नीति से हटकर एक नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऋण विकास में आने वाले नौकरशाही अवरोधों को हटाना, घरेलू ऋण तथा विदेशी विनिमय बाजारों के बीच के अन्तराल को कम करना, नीति के साधन के रूप में बैंक दर में संशोधन करना, तथा ब्याज दर में कटौती को बढ़ाना जो बात पहले ही चल रही हैं।

फरवरी, 1997 में मुम्बई स्टाक एक्सचेंज के सेंसक्स के मुताबिक स्टॉक मार्किट मूल्य का औसत लगभग 3450 के आसपास रहा। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सेनसेक्स तेजी से बढ़ा और राजनैतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद यह पिछले दो महीनों में 3700-3800 से काफी अधिक बना रहा।

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनसे इस बात का पता चलता है कि नवम्बर और दिसम्बर, 1996 के महीनों में औद्योगिक विकास में मंदी आई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1996 की अवधि में समग्र औद्योगिक विकास 8.3 प्रतिशत था और निर्माण क्षेत्र में 10.1 प्रतिशत विकास हुआ। तब भी हमारा उद्देश्य अधिक लक्ष्य निर्धारण का होना चाहिए। उद्योग में कम से कम 12 प्रतिशत की दर से विकास हो सकता है और होना भी चाहिए। वर्तमान मंदी के कारण विकासोन्मुख निवेशोन्मुख बजट की अत्यन्त आवश्यकता थी जैसा कि 28 फरवरी 1997 को प्रस्तुत किया गाया था। मुझे विश्वास है कि यह बजट नयी ऋण नीति के साथ आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा और औद्योगिक विकास तथा विस्तार की नीति पुनः प्राप्त करने के लिए सही टॉनिक का कार्य करेगा। मैं उद्योगों से निवेश करने का आग्रह करता हूँ। निवेश करने के लिए पूंजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर निधियों में वृद्धि करने का यही समय है। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूँ कि मैं उद्योगों में निवेश प्रवृत्ति की निरन्तर पुनरीक्षा करता रहूंगा तथा यदि निवेश में तेजी लाने की आवश्यकता होगी तो और कदम उठाने के लिए तैयार रहूंगा।

आज हमारी अर्थव्यवस्था उत्पादन और रोजगार में तीव्र वृद्धि मे आने वाली वास्तविक बाधा मुख्य क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, पेट्रोलियम, दूर-संचार, सड़कों और पत्तनों में अत्यधिक विनियमत और अन्य वित्तपोषित आधारभूत क्षेवों में है। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा बजट से पूर्व तथा बजट में इन क्षेत्रों में दिए गए अनेक प्रयासों को गिनाना नहीं चाहता। हमारा यह कहना पर्याप्त होगा कि हमारी सरकार धीरे-धीरे परन्तु निश्चितरूप से उन बाधाओं को दूर कर रही है जिनसे तेल, दूरसंचार, सड़कों और पत्तनों आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश तथा प्रौद्योगिकी का प्रवाह रुक गया है। तथापि मैं विद्युत क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ।

[श्री पी. चिदम्बरम]

1992-97 की आठवीं योजना अवधि में विद्युत क्षेत्र का कार्य निष्पादन अच्छा नहीं रहा। 30,538 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक क्षमता वृद्धि लगभग 18,000 मेगावाट थी। क्षमता वृद्धि के लिए नौवीं योजना लक्ष्य 38,000 मेगावाट है। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु संसाधन जुटाये जाने हैं।

वर्ष 1996-97 में विद्युत क्षेत्र में 9 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में योजनागत निवेश के लिए संशोधित अनुमान 5,508 करोड़ रुपये था जिसमें से 2,068 करोड़ रुपए बजटीय सहायता थी। इन नौ उद्यमों के लिए 1997-98 योजनागत परिव्यय 6818 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जिसके लिए मैंने प्रारम्भ में 2,320 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता उपलब्ध करायी थी।

फरवरी में बजट प्रस्तुत किए जाने के लिए विद्युत क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने के विचार से मैंने विद्युत मंत्रालय के साथ व्यापक चर्चा की थी। इस चर्चा के आधार पर दो नये प्रयासों की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इन प्रयासों से 1997-98 केन्द्रीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता में लगभग 900 करोड़ तक वृद्धि हो जायेगी।

सर्वप्रथम, राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम, पूर्वोत्तर विद्युत निगम, टिहरी विद्युत निगम और दामोदर घाटी निगम की चुनिन्दा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय योजना हेतु बजटीय सहायता के रूप में वर्ष के दौरान 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी। दूसरी बात यह है कि राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा चलाये जा रहे विद्यमान विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु वित्त पोषण के लिए विद्युत वित्त निगम को वर्ष 1997-98 में बजटीय सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

आज जिन दो प्रयासों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, उनसे अगले 2-3 वर्षों में लगभग 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता और बढ़ जायेगी।

सभापति महोदय, अब मैं इस बजट की कर नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। नब्बे के दशक के अनुभव से यह स्पष्ट रूप से पता चला है कि निम्न कर दरों को व्यापक कर आधार और अधिक प्रभावी कर प्रशासन से जोड़ने वाली नीति से आर्थिक उत्पादकता और राजस्व एकत्र करने के संबंध में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दिशा में इस बजट में एक और जोरदार कदम उठाया गया है। हमारे कर प्रस्तावों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम एशियाई देशों के उच्च आर्थिक निष्पादन के साथ प्रतियोगिता कर सकें।

किंतु, दूसरी ओर निम्न कर नीति है, जिसकी प्रायः उपेक्षा की जाती है। यह उन लोगों को अधिक आय देता है, जो अपनी उच्च बचतों और निवेश के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों की क्षमता दिखाते हैं। मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि भारत में घर परिवार वाले सबसे अच्छे बचतकर्ता हैं और उनकी बचत दरें आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद का औसतन लगभग 19 प्रतिशत है।

प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में 1997-97 के दौरान नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की प्रत्याशित वृद्धि की तरह लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। वार्षिक वृद्धि पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष उच्च रही है। तो भी मैं पूरे वर्ष राजस्व कार्यनिष्पादन पर अधिक ध्यान देने की इच्छा रखता हूँ और मैं बजट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाने सुनिश्चित करूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं बजट भाषण वर्षों से सरकार की कतिपय नीति की शुरूआत करने का एक माध्यम बन गया है। मेरा बजट भाषण भी अपवाद नहीं था। सभी राजनैतिक दलों के नेता जो मुझसे मिले थे, उन्होनें बहुत से नीतिगत प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त किये थे। विशेषकर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नए पूंजी निवेशों हेतु बजटीय सहायता विनिवेश को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सुधार का साधन बनाया जाना, रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार, लघु उद्योग क्षेत्र को अनारक्षित बनाया जाना तथा बीमा क्षेत्र का पुनर्गठन।

कई मामले हैं जिन पर मुझे और साथ ही संबंधित मेरे सहयोगी मंत्रियों को वाद-विवाद के दौरान और साथ ही अन्य अवसरों पर सरकारी दृष्टिकोण रखने का अवसर प्राप्त होगा। जहां तक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नए पूंजी निवेश का संबंध है मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1997-98 में सार्वजनिक क्षेत्रों में 63,309.52 करोड़ रुपये की योजना पूंजी निवेश होने का अनुमान है। इसमें से 4,829.94 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में और 2,771.21 करोड़ रुपये ऋण के रूप में बजटीय सहायता होगी। ये पूंजी निवेश व्यापक हैं और हम इसके लिए भारत के लोगों के प्रति ऋणी हैं जिनका धन हम कर के रूप में या उधार लेते हैं उसके पूंजीनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अच्छे परिणाम दिखाते हैं।

रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के संबंध में मैं सदन को पहले ही आश्वस्त कर चुका हूँ कि उन सभी पुनरुद्धार योग्य रुग्ण उद्योगों को जिनके लिए पुनरुद्धार हेतु धन उपलब्ध कराया जाएगा, जहां जिनके लिए पुनरुद्धार योजना को औद्योगिक एवं वित्त पुनर्गठन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। विनिवेश पर सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम की नीतियों का पालन कर रही है। बीमा क्षेत्र के लिए, बीमा विनियमन प्राधिकरण को संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करने हेतु सदन के समक्ष एक विधेयक लाया जायेगा और उस पर वाद-विवाद करने का अवसर प्राप्त होगा। कर दायरे को बढ़ाने के लिए एक संगत

नीति बनाई गई है। इस प्रयोजनार्थ, प्रत्यक्ष करों को मैं पहले ही आयकर की धारा 139 में संशोधन का प्रस्ताव कर चुका हूँ, ताकि महानगरों में रहने वालों पर कर का दायित्व आए, जो अपनी आयकर रिटर्न भरने हेतु निर्धारित चार आर्थिक मानदंडों में से दो के अंतर्गत आते हैं।

फुटकर व्यापारियों के लिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक नई अनुमानित आय योजना का भी प्रस्ताव किया गया है। बजट भाषण से मेरे द्वारा घोषित की गई स्वैच्छिक आय योजना से बड़ी संख्या में नए करदाता बनने की संभावना है। मैं भी आयकर विभाग में कंप्यूट्रीकरण बढ़ाने और विधायी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का इच्छुक हूँ।

मैंने अपने बजट प्रस्तावों में, अप्रत्यक्ष करों का करभार बढ़ाने और कर संग्रहण में सुधार हेतु बहुत से उपायों का जिक्र किया था, जिनमें ऐसी वस्तुओं, जिनमें उत्पाद शुल्कों की चोरी की जा सकती है की उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाना। अधिकतम फुटकर मूल्य के दायरे में आने वाली कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर फुटकर विक्रय मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना, अनेक वस्तुओं पर शुल्क में पूरी छूट को वापस लेना तथा कई वस्तुओं पर नाममात्र का उत्पाद शुल्क लगाना, अनेक सेवाओं को कर दायरे में लाया जाना और अनेक वस्तुओं पर सीमा तथा उत्पाद शुल्क कम करना, आदि विधायी उपाय शामिल हैं।

मुझे विश्वास है कि उक्त उपायों से उद्योग का विकास होगा, कर वसूली में सुधार होगा और राजस्व बढ़ेगा।

मैं सदन को अपने इस संकल्प से यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो कर दायरे में होना चाहिए वह उससे बाहर नहीं रहे।

महोदय, पिछले कुछ दिनों में मैंने मुख्य राजनैतिक दलों से विस्तृत परामर्श और उपयोगी चर्चा की है। मुझे बताया गया है कि यह नवीनीकरण है और मुझे विश्वास है कि बजट के बाद परामर्श करना न केवल स्वीकार्य परम्परा होगी, बल्कि बजट बनाने की प्रक्रिया में मतैक्य भी बढ़ेगा। कांग्रेस-आई, वाम मोर्चा के घटक दलों और भारतीय जनता पार्टी ने परामर्श के दौरान मेरे बहुत से प्रस्तावों का समर्थन किया है। किसी भी रूप में उन्होंने बहुत से प्रस्तावों का विरोध नहीं किया। उन्होंने कई मान्य सुझाव भी दिए। कई माननीय सदस्य भी मुझे मिले हैं और उन्होंने अपने उपयोगी सुझाव दिये हैं। मैं उन सभी का हार्दिक रूप से आभारी हूँ। जिन्होंने अपने आपको बजट बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से सम्मिलित किया है।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी राजनैतिक दलों के कुछ सुझाव एक जैसे थे। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसे सुझावों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हुआ। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि तीनों समूहों में से प्रत्येक ने अनन्य सुझाव भी दिए। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हूँ कि इनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कराने में मैं सक्षम हुआ हूँ। काश, मैं कुछ और कर सकता, किंतु मुझे राजस्व के महत्त्वपूर्ण हित को ध्यान में रखना पड़ता है।

महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों से संबद्ध खण्डों में परिवर्तनों के प्रस्ताव पर आता हूँ। विधेयक के खंड-3 में अन्य बातों के अतिरिक्त किसी विमान संचालन द्वारा किसी विदेशी पट्टाकर्ता को पट्टा किराये के रूप में आय देय राशि पर कर मुक्ति वापस लेता हूँ। यह कल्पना की जा रही है कि यह इंडियन एयर लाइन्स विशेषकर एयर इंडिया सहित एयर लाइन्स कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उनमें और विदेशी पट्टाकर्त्ताओं के बीच वर्तमान समझौते उक्त आयकर छूट को ध्यान में रख कर किये गये हैं। मैं इस शिकायत को कुछ वाजिब मानता हूँ और केवल 1.4.1997 को या उसके बाद हुए समझौते पर छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। 1.4.1997 को या उसके बाद हुए समझौतों के अंतर्गत लीज धन पर किये गये भुगतान पर कर में छूट मिलेगी।

विधेयक का खंड-5, घरेलू वैज्ञानिक अनुसंधान पर कम्पनी द्वारा उठाए गए पूंजीगत व्यय पर अधिभार कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है। राजस्व व्यय के साथ-साथ पूंजी पर ऐसी अधिभारित कटौती की अनुमति देने का इरादा है। तथापि, वित्त विधेयक में इस पर सही प्रकाश नहीं डाला गया था। अतः मैं यह और कुछ अन्य प्रारूपण गलतियों को ठीक करने का प्रस्ताव करता हूँ।

विधेयक का खंड 6 दूरसंचार सेवाओं के संचालन करने हेतु लाइसेंस प्राप्ति के लिए शुल्क के रूप में किया गया व्यय के ऋण परिशोध की अनुमति देता है। यह लाभ आगे चलकर 1 अप्रैल, 1998 से प्रभावी होने की अनुमति देता है। तथापि, प्राप्त अभ्यावेदनों में अनुरोध किया गया है कि उक्त लाभ 1 अप्रैल 1996 से प्रभावी किया जाना चाहिए जो कि वित्तीय वर्ष की शुरूआत है जबकि पहला टेलीकॉम लाइसेंस जारी किया गया था। इन अभ्यावेदनों में कुछ वाजिब बात कही गई हैं। अतः मैं तिथि को बदल कर 1 अप्रैल, 1996 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

विधेयक का खंड 14 में संभाव्य आधार पर खुदरा व्यापार की प्राप्ति और गणना लाभ हेतु विशेष प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि किसी फर्म की लाभ गणना आयकर अधिनियम की धारा 40 (ख) में निर्धारित सीमा के अनुसार वेतन और भागीदारों को लाभ ब्याज के भुगतान को निकालने के बाद की जानी चाहिए। यह भी निवेदन किया गया है कि यदि कोई करदाता संभाव्य आधार पर आय नहीं बताता है, तो उसके लेखा और लेखा परीक्षा के रख-रखाव की आवश्यकता पर्याप्त है और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सोच-विचार के बाद मैं इन दोनों मांगों को स्वीकार करता हूँ और, तदनुसार उचित संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ।

[श्री पी. चिदम्बरम]

विधेयक के खंड 25, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा - 80-1क में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। उसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों में खनिज तेल के उत्पादन हेतु कर में छूट देने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। किसी पहाड़ी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र या तीर्थाटन स्थान पर स्थित होटलों के कर में छूट देने हेतु मैं व्यापार घोषणा की तिथि 1 अप्रैल 1998 से बदलकर 1 अप्रैल, 1997 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

विधेयक का खंड 30 टेलीकॉम क्षेत्र में जैसा कि अन्य ढांचागत क्षेत्रों में उपलब्ध है, निवेश हेतु अतिरिक्त कर छूट का लाभ बढ़ाने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 88(2)(सोलह) में संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ। यह निवेदन किया गया था कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए बॉंडों और शेयरों को भी इस लाभ हेतु पात्र माना जाना चाहिए। यह गलती बिना किसी इरादे के हुई थी और अब ठीक की जा रही है।

खंड 37 में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के आयकर अधिनियम की धारा 115 जे.ए. में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि जो भी लाभ किसी भी माल अथवा वस्तु के निर्यात से अर्जित होता है तथा जिस पर ''मैट'' के सीमा क्षेत्रों में धारा 80 एच. एच.ई. लागू होती है, उसे अलग रखा जा सके। मैं सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभ को शामिल न करने का प्रस्ताव करता हूँ। जो कि आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.ई. के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

विधेयक का खंड 38 जो मैट को आगे ले जाने हेतु एक तंत्र का प्रावधान करने का प्रस्ताव है, के लिए कतिपय स्पष्टीकरण संशोधनों की आवश्यकता है जिनका प्रस्ताव किया गया है।

विधेयक का खंड 40 घरेलू कम्पनियों को वितरित लाभों पर अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (3) को समाप्त करने के लिए एक संशोधन सहित आवश्यक स्पष्टीकरण संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

विधेयक का अध्याय चार स्वैच्छिक आय और धन की घोषणा योजना 1997 प्रस्तुत करता है। कसी भी राजनैतिक दल ने, जो मुझसे मिला, इस योजना का विरोध नहीं किया। इस योजना के प्रावधानों पर विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि केवल आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ही घोषणा करने की अनुमति दी जाए। अतः इस योजना का नाम बदलकर स्वैच्छिक आय घोषणा योजना 1997 करने का प्रस्ताव किया है। तथापि पिछली अवधि हेतु धन कर के भुगतान की कोई देयता यदि ऐसी घोषित आय से उत्पन्न होती है, नहीं होगी और धन कर की देयता केवल भविष्य से लागू होगी।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से पहले वर्ष में आभूषणों में निवेश को कोई घोषणा करता है, तो घोषणा राशि की गणना के उद्देश्य हेतु आभूषणों का बाजार मूल्य 1 अप्रैल, 1987 के बाजार मूल्य के आधार पर माना जाएगा। कुछ अन्य छोटे और अनुवर्ती संशोधन भी हैं, जो स्वतः स्पष्ट हैं और मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा।

28 फरवरी, को प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में मैंने सीमा शुल्क की अधिकतम दर 50 प्रतिशत में कटौती करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था। मैंने रसायन और पूंजी सामान पर भी सीमा शुल्क में कटौती करने का प्रस्ताव किया था। इनके अतिरिक्त, मैंने कोयला और कोक तथा कुछ अन्य सामानों पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया था।

उत्पाद शुल्क में, मैंने शुल्क दरों को और युक्तिसंगत बनाने और कर ढांचा बढ़ाने के कुछ प्रस्ताव किए थे। मैंने कर ढांचे में नई सेवाओं को सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव किया था। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत ही उपयोगी सुझाव किए हैं। इसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। उनकी इच्छाओं के अनुरूप मैंने सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से संबंधित अपने बजट प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है।

पूंजीगत माल पर सीमा शुल्क कम करने संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। परियोजना आयात पर 20 प्रतिशत तथा और दो प्रतिशत की दर की भांति उसी दर से सीमा शुल्क आकर्षित होता है। इसके अलावा एक अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी. के नाम से विख्यात) भी होगा जो घरेलू उत्पादित मशीनों पर उत्पाद शुल्क के बराबर होगा। केवल एक अपवाद रखा गया है जो निम्नलिखित चार क्षेत्रों के लिए हैं। पहले, उर्वरक उद्योग को अनेक वर्षों से सीमा शुल्क और सी.वी.डी. दोनों से छूट प्रदान की गई है। मैंने अपने बजट प्रस्तावों में इनमें कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं किया है। दूसरे, विद्युत उत्पादन क्षेत्र, सी.वी.डी. का भार डाले बिना, दो प्रतिशत विशेष सीमा-शुल्क के अतिरिक्त 20 प्रतिशत शुल्क लेना जारी रहेगा। मैंने इस संबंध में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है।

तीसरे, अपने बजट भाषण में, मैंने प्रस्ताव किया था कि, रिफाइनरियों को उर्वरक क्षेत्र की भांति ही 9वीं योजना अवधि के दौरान पूंजीगत माल के आयात पर शुल्क में रियायत दी जाये। वास्तव में मैंने ऐसा किया है कि रिफाईनरियों से संबंधित जो भी पूंजीगत माल सामान्यतया देश में उत्पादित नहीं होता है उन पर कोई भी सीमा शुल्क आगे न लगाया जाय। यह लाभ मात्र नौंवी योजना अवधि तक ही सीमित होगा। जहां तक रिफाईनरी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत माल की आपूर्ति के लिए घरेलू उत्पादकों का संबंध है उन्हें नियत दर्जे का लाभ मिलेगा। चौथे, दूरसंचार क्षेत्र में देश के अन्दर उत्पादित न होने वाले पूंजीगत माल के संबंध में उन पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क तथा दो प्रतिशत विशेष सीमा शुल्क लगेगा। परन्तु उन्हें दो वर्षों तक सी.वी.डी.

से मुक्त रखा जायेगा अतः आप देखेंगे कि पूंजीगत माल क्षेत्र में कराधान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है।

मशीन औजारों के घरेलू उत्पादकों की मांग पर मैं सी.एन.सी. प्रणाली पर सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उत्प्रेरक परिवर्तन तथा उनके पुर्जों के आयात पर 5 प्रतिशत न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। मैं उत्प्रेरक परिवर्तकों अथवा उनके पुर्जों को भारत में उत्पादित करने के लिए अपेक्षित विशिष्ट कच्चे माल पर रियायती दर से शुल्क लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

इस्पात उद्योग को आगे राहत देने के लिए मैं फेरो निकल पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उपयोगकर्त्ता उद्योगों की मांग पर मैं कुछ और मामलों में सीमा शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। ग्लास सैल्स तथा रंगीन पिक्चर ट्यूब को बनाने में प्रयुक्त सामग्री लिथार्ज पर शुल्क 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं एपिक्लोरोहाईड्रिन पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कार्बनब्लेक फीड स्टाक पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तथा मेडिकल सिरिन्ज और नीडिल के उत्पादन के लिए विशिष्ट कच्चे माल पर 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

घरेलू उत्पादों को समान अवसर देने के लिए खून तथा उसके संघटकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के बैगों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क से संबंधित छूट वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वदेशी दृष्टिकोण की वजह से, मैं चमड़ा उद्योग द्वारा रियायती दर से आयातित की जाने वाली अधिकृत वस्तुओं की सूची से सिलाई करने वाली सुईयों को अलग करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अपने बजट प्रस्तावों में, मैंने बादामों पर यथामूल्य आधार पर सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था, मुझे बताया गया है कि इससे मूल्यांकन तथा कर बचाने में समस्यायें पैदा होंगी। मैं बादामों पर विशिष्ट शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। छिलके वाले बादाम पर सीमा शुल्क 55 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से तथा गिरी पर यह 100 रुपये की दर से होगा।

माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मुझे छातों पर सीमाशुल्क वापस लेने के लिए राजी कर लिया गया है।

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : क्या यह केरल के लिए है।

श्री पी. चिदम्बरम : और बंगाल भी। मैं छत में लगने वाली टायलों से सीमा शुल्क वापस लेने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

श्री ए.सी. जोस : यह भी ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं सिलिकान पर 13 प्रतिशत से 8 प्रतिशत सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथा इस मद के आयात पर अतिरिक्त सीमाशुल्क से जो छूट दी जाती है। उसे वापस लेता हूँ।

मैं गैर-मादक पेय पर आधारित फल के जूस पर सीमाशुल्क में 18 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक कमी लाने का प्रस्ताव करता हूँ फिर भी इस शुल्क को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से गैर मादक पेय पर आधारित फ्रूट पल्प में 8 प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ, दोनों पर एक ही दर से शुल्क लगेगा।

सब्जियों, फलों, गिरीदार फलों आदि को तैयार करने के लिए 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की छूट संबंधी कुछ आशंकाएं उठाई गई हैं। 30 लाख रुपये तक की सामान्य लघु उद्योग छूट, लघु उत्पादकों का ध्यान रखेगी। मोटवेट सुविधा भी उपबन्ध होगी इसलिए कुल शुल्क बहुत कम होगा। कुछ समय पूर्व अधिसूचना जारी करने के अतिरिक्त सोया-उत्पादों, पापड़, नमकीन जैसे कि भुजियां और छाबेना तथा कई तरह के मिश्रणों जैसे कि इडली, वड़ा, डोसा, जलेबी तथा गुलाब जामुन मिश्रणों यहां तक कि मिठाईयों तथा हल्के नाश्तों में पहले से ही छूट है। अतः इस पर किसी प्रकार की आशंका करने की आवश्यकता नहीं है।

एल्युमिनियम क्षेत्र जो बर्तनों के उत्पादन के काम में लगा है पर काफी वर्षों से उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है। चालू बजट में मैंने इसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति मी. टन कर दिया है। दूसरे उद्देश्यों के लिए एल्युमिनियम क्षेत्र से 15 प्रतिशत की दर से यथामूल्य पर कुछ वर्षों से उत्पाद शुल्क लिया जाता है। मुझे बहुत सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस दोहरे कर ढांचे से एल्युमिनियम क्षेत्र के लघु उत्पादकों के लिए व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अतः सभी एल्युमिनियम क्षेत्रों से 2500 रुपये प्रति मी० टन की एक समान दर से उत्पाद शुल्क लेने का प्रस्ताव करता हूँ। एल्युमिनियम क्षेत्रों के उत्पादकों के लिए चक्रवृद्धि कर उगाही स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। इसमें क्या-क्या हो सकता है वह सब देखा जा रहा है।

अपने बजट प्रस्तावों में मैंने पाइल फैब्रिक्स के लिए लघु छूट के लाभ को वापस लिया है असंशोधित मोटे सूती कपड़े के लिए इस छूट के लाभ को बनाये रखने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे फैब्रिक्स का उत्पादन करने वाले बहुत सारे लघु करधा मालिकों को लाभ होगा।

मैं कृत्रिम सिलाई धागों पर उत्पाद शुल्क में 18 से 15 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

[श्री पी. चिदम्बरम]

मैंने ऐसे स्विचों, प्लगों आदि पर उत्पाद शुल्क 18 से 13 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव किया है जो हाथ से चलने वाली मशीनों से निर्मित होते हैं।

अपने बजट प्रस्तावों में मैं सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले तौलियों, बच्चों के नैपकिनों तथा इसी तरह के स्वच्छता के लिए प्रयुक्त होने वाले मदों में उत्पाद शुल्क में 13 प्रतिशत कमी की थी। मैं इन मदों पर आगे 8 प्रतिशत शुल्क की कटौती का प्रस्ताव करता हूँ।

आदरणीय श्री ज्योति बसु के कहने पर मैं मशीनीकृत क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली माचिसों पर 50 माचिसों वाले प्रत्येक एक सौ डिब्बों पर शुल्क में 3 रुपये से 2.70 रुपये तक कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अनेक माननीय सदस्यों ने मुझसे ट्रेड रबड़ पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के प्रभाव के बारे में कहा था। मैं लघु उत्पादकों द्वारा उत्पादित ट्रेड रबड़ पर उत्पाद शुल्क को बजट पूर्व 15 प्रतिशत के स्तर पर वापस लाने का प्रस्ताव करता हूँ। उनके लिए वर्ष 1995 से लागू विशेष योजना जारी रहेगी।

प्रो० पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : प्राकृतिक रबड़ द्वारा निर्मित फोम पर उत्पाद शुल्क में छूट के बारे में क्या किया है? ....*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : 150 हजार रुपये की एक विशेष योजना है। वह योजना जारी....*(व्यवधान)* मैं उसी बात पर आ रहा हूँ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि पेपर तथा पेपरबोर्ड के उत्पादन में प्रयोग होने वाली अपारम्परिक कच्ची सामग्री के लिए और अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कराया जाए। मैं, गैर-पारम्परिक कच्ची सामग्री के उपयोग पर 10,000 मीट्रिक टन की मौजूदा सीमा की तुलना में एक वित्तीय वर्ष में 15000 मी. टन तक शुल्क में 5 प्रतिशत की रियायत का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूँ।.....*(व्यवधान)* सभी लघु तथा मध्यम दर्जे की पेपर मिलें इस सीमा के अन्तर्गत कवर हो जायेंगी।

मैं समुद्री जहाजों, नावों, माल जहाजों आदि में भी उत्पाद शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ इसमें लकड़ी के जलयान, मछलियों के लिए नाव आदि शामिल है।

कुछ माननीय सदस्यों ने लघु उद्योग यूनिटों के लिए उत्पाद शुल्क को सरलीकृत करने की योजना, जिसकी घोष्णा मैंने बजट प्रस्तुत करते समय की थी के संबंध में आंशका व्यक्त की है। इस परिपेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूँगा कि 27 लाख से अधिक पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों में से मात्र 47,000 यूनिट उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत आती हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे द्वारा घोषित की गई योजना आसान है तथा इससे लघु उद्योग इकाइयों को जटिल उत्पाद प्रक्रियाओं तथा औपचारिकताओं से छुटकारा मिलेगा। तथापि मुझे यह बताया गया है कि 'मोडवेट' युक्त बजट-पूर्व सुविधा तथा रियायती दर पर उत्पाद शुल्क देने संबंधी सुविधा एक विकल्प के रूप में लघु उद्योग यूनिटों के लिए उपलब्ध होंगी। मैं बताना चाहूंगा कि अब तक दो योजनाएं थी और मुझे बताया गया कि 25000 से अधिक यूनिटों ने एक योजना तथा बाकी ने दूसरी योजना का लाभ उठाया। इसलिए इस स्थिति में किसी योजना की घोषणा करना संभव नहीं है जोकि बजट भाषण में मेरे द्वारा घोषित की गई एक योजना की मुख्य विकल्प योजना होगी फिर भी लघु उद्योग क्षेत्र से सलाह करने के पश्चात, मैं जल्दी ही लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक योजना घोषित करूंगा जिसके अंतर्गत लघु उद्योग यूनिटें, रियायती उत्पाद-शुल्क अदा करते हुए भी मौडवेट का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी। इस समय के लिए, मैंने जो योजना घोषित की हैं और जो एक अप्रैल, 1997 से लागू हुई है, लगातार जारी रहेगी।

सभा को ध्यान होगा कि मैंने अपने पिछले बजट में पेट्रोलियम-उत्पादों पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क ढांचे में कुछ संशोधन किए थे इसमें कुछ पेट्रोलियम उत्पादों पर 10 से 15 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में वृद्धि शामिल थी जो कि निर्धारित मूल्यों के अनुरूप होगी तथा जो मोटवेट योजना में शामिल है। उसी समय मैंने घोषणा की थी कि इन संशोधनों के परिणामस्वरूप निर्धारित मूल्यों की दरों में कोई परिर्वतन नहीं होगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुल्क की राशि में वृद्धि तेल पूल खाते द्वारा वहन की जाएगी, फिर भी मुझे बताया गया है कि कुछ 'मोटवेटेबल' पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोकर्त्ता 15 प्रतिशत की दर से 'मोडवेट' ऋण ले रहे हैं। यद्यपि उन पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है। तार्किक रूप से, उपयोकर्त्ताओं को 10 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क की सीमा तक ऋण दिया जाना चाहिए। तदनुसार, मैंने मोडवेट नियमों में दिनांक 3 मई, 1997 की अधिसूचना सं० जी.एस.आर. 240 (ई) के द्वारा संशोधन किया है। वित्त विधेयक की इस अधिसूचना में 23 जुलाई, 1996 से पूर्ववर्ती प्रभाव देने हेतु सरकारी संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ।

कई माननीय सदस्यों तथा उद्योग संघों ने सेवा कर के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं। यह सत्य है कि बहुत सारी नई सेवाएं कर ढांचे के अन्तर्गत आ गई हैं जैसा कि इस वास्तविकता से लगता है कि सेवा क्षेत्र से हमारा सकल घरेलू उत्पाद 42 प्रतिशत है तथापि वित्त विधेयक जो कि कानून बनने जा रहा है। उसके कानून बनते ही तुरन्त कर लगाने का मेरा इरादा नहीं है। हर एक मामले में संबंधित उद्योगों को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन देने का एक अवसर दिया जाएगा कि उससे किस तरह से कर एकत्र किया जाएगा और छूट, यदि कोई दी जाती है तो कैसे दी जाए। तत्पश्चात् नियम बनाए जायेंगे। नियम बनाए जाने पर भावी तिथि से कर उगाहा जाएगा इसलिए, इस स्थिति में किसी को आशंका करने की आवश्यकता नहीं है।

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्कों के बारे में उपरोक्त प्रस्तावित परिवर्तनों से एक पूरे वर्ष में सीमा शुल्क पर 55 करोड़ रुपये के लगभग तथा उत्पाद शुल्क पर 56 करोड़ रुपये के लगभग कुल राजस्व की हानि जुड़ी है।

उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में किए गए परिवर्तनों से जुड़ी अधिसूचनाओं की प्रति, बाद में सभा पटल पर रखी जाएगी।

प्रो॰ पी.जे. कुरियन : रबड़ मिल्क तथा लेटेक्स जिनका हम उत्पादन करते हैं का कोई खरीददार नहीं है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वाद-विवाद होगा, कृपया आप अपनी सीट पर बैठें। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें। शेष वाद-विवाद के दौरान इन सभी मुद्दों को उठा सकते हैं। आप उन्हें कैसे मजबूर कर सकते हैं ?

.....*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया आप वाद-विवाद में भाग लें।

सभापति महोदय : आप इन सभी मुद्दों को वाद-विवाद के दौरान उठाएं। आप कृपया अपनी सीट पर बैठें।

....(व्यवधान)

प्रो॰ पी.जे. कुरियन : उन्हें कम से कम यह कहना चाहिए कि वह इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर मुझे दो बार घोषणाएं करते हुए प्रसन्नता है।

जलियांवाला बाग स्थित राष्ट्रीय स्मारक का अनुरक्षण तथा उसके आगे विकास तथा रख-रखाव के लिए अपेक्षित धनराशि माननीय प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, अमृतसर के लिए 2.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है।

दूसरे 15 अगस्त, 1997 से हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। खादी पर सामान्यतया छूट दी जाती है और वर्ष में कुछ निश्चित थोड़ी अवधि के दौरान विशेष छूट दी जाती है। तथापि 50वीं वर्षगांठ को मनाने के उपलक्ष्य में खादी पर 15 अगस्त, 1997 से 14 अगस्त 1998 तक पूरे वर्ष भर 15 प्रतिशत की विशेष छूट रहेगी।

अपराह्न 4.00 बजे

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक, 1997 की सभा से सिफारिश करता हूँ और मैं माननीय सदस्यों से इसका दिल से समर्थन करने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"कि वित्त वर्ष 1997-98 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी।

प्रो॰ पी.जे. कुरियन : सभापति महोदय, यह केरल के 10 लाख रबड़ उत्पादकों, जो सभी सीमान्त किसान हैं की मांग है कि प्राकृतिक रबड़ से बने फोम पर उत्पाद शुल्क कम किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप डिबेट में अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों और वीरता पुरस्कार (गैलेन्ट्री अवार्ड) विजेताओं, जिन्होंने 1947 का कश्मीर युद्ध लड़ा था, के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था।

प्रो॰ पी.जे. कुरियन : महोदय, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए और हमारे लिए कुछ करना चाहिए।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, यह स्वतंत्रता का 50वां वर्ष है और हम भूतपूर्व सैनिकों और जान की बाजी लगा देने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं का सम्मान नहीं करना चाहते। वित्त मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब सिर्फ श्री जोशी जी की ही बात दर्ज होगी।

[अनुवाद]

आप ये सभी बातें वाद-विवाद के दौरान कह सकते हैं यह तरीका नहीं है। वाद-विवाद शुरू हो चुका है। यह एक से एक की चर्चा नहीं है जहां आप कुछ पूछेंगे और वह उसका उत्तर देंगे। यह प्रश्न काल नहीं है।

प्रो॰ पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं कहां जाऊं ? मैं वित्त मंत्री जी से अनेक बार मिल चुका हूँ। मैं उनसे कम से कम 4-5 बार मिला हूँ और मैंने उन्हें सारी बात बताई हैं। यह 10 लाख रबड़ उत्पादकों की मांग है। कृत्रिम रूप से बनाए गए फोन पर आयात शुल्क प्रतिवर्ष कम कर दिया जाता है और अब किसानों द्वारा प्राकृतिक रबर से फोम बनाया जाता है तो इस हेतु उत्पाद शुल्क में कमी नहीं की जाती है। इसलिए, हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर

सकते। रबड़ मिल्क जिसका हम उत्पादन करते हैं, का कोई खरीदार नहीं हैं। और हमारे द्वारा उत्पादित लेटेक्स का भी कोई खरीददार नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, क्या वाद-विवाद इसी प्रकार होगा? हजारों अभ्यावेदन आते हैं।

प्रो॰ पी. जे. कुरियन : मैं यह सब किससे कहूं। मैं उनसे तीन या चार बार मिल चुका हूँ।

सभापति महोदय : फिर भी, आप अब बैठ जाइए।

प्रो॰ पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नहीं जा सकता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख से भी अधिक रबड़ उत्पादक हैं और उनमें से केरल में 10 लाख उत्पादक हैं।

सभापति महोदय : आपको शिकायत वित्त मंत्री से है और आप श्री जोशी जी को रोक रहे हैं।

प्रो॰ पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं इस रवैये का विरोध करता हूँ। इस तरह वह बड़े उद्योगपतियों की सहायता कर रह हैं। वह रिलायन्स इण्डस्ट्रीज की सहायता कर रहे हैं क्योंकि रिलायन्स पालीयूरेथीन का आयात करता है जो प्राकृतिक रबड़ से प्रतिस्पर्धात्मक है। मैं यह आरोप वित्त मंत्री पर लगाता हूँ। मैं उनसे तीन या चार बार मिल चुका हूँ। मैंने उन्हें हर बात बता दी है। उन्होंने इतनी घोषणा क्यों की? मैं उन पर आरोप लगाता हूँ। वह बड़े उद्योगपतियों का पक्ष ले रहे हैं। उनके मन में रबर उत्पादकों की कोई चिन्ता नहीं है।

सभापति महोदय : आप इस प्रकार नहीं कर सकते।

प्रो॰ पी. जे. कुरियन : मैं विरोध में बहिष्कार करता हूँ।

अपराह्न 4.02 बजे

(तत्पश्चात प्रो॰ पी. जे. कुरियन सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आप अपने भाषण के दौरान इन बातों का जिक्र कीजिए।

श्री के.पी. सिंह देव : मुझे भाषण के लिए मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी पार्टी की तरफ से बोलने वाले 14 स्पीकर हैं। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ।

[अनुवाद]

महोदय, उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था।

श्री पी. चिदम्बरम : आप वाद-विवाद में बोलिए।

श्री के.पी. सिंह देव : मुझे आशा है कि आप उत्तर देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : आप प्रो॰ कुरियन से अलग हैं।

[हिन्दी]

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : सभापति जी, वित्त मंत्री जी का भाषण मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना।

अपराह्न 4.04 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए]*

उन्होंने जो अपने बजट प्रावधानों और उसके बाद वित्तीय विधेयक में कुछ संशोधन और कुछ छूट देने की भी घोषणा की, उनको भी मैंने सुना लेकिन मझे बहुत आश्चर्य है कि इन्होंने जिन 6-7 बातों का शुरू में उल्लेख किया था यह बजट और यह वित्त विधेयक यूनाइटेड फ्रंट के कॉमन मीनिमम प्रोग्राम की जो मूलभूत अवधारणायें हैं उनका समर्थन करता है और उनकी दिशा में है, इसमें फिसकल प्रूडेन्स, इनफ्लेशन कंट्रोल, इम्पलयामैंट जनरेशन, इम्प्रूवमैंट इन एग्रीकल्चर, पावर्टी ऐलीवेशन, सेविंग्स, ह्यूमन डेवलपमैंट आदि इन सब बातों को ध्यान रखा गया है। लेकिन यह सारा वित्त विधेयक देखने के बाद और बजट के प्रावधानों को देखने के बाद मैं नहीं समझता कि इनमें से एक भी बात इस विधेयक में लागू होती है या वित्त विधेयक द्वारा इसका प्रस्थापन किया जा सकता है। कोई भी वित्त विधेयक बजट के प्रावधानों को साकार रूप देता है। अर्थव्यवस्था का और अर्थ प्रबंधन की दिशा को निर्धारित करता है और यह बताता है कि हम राष्ट्र के संसाधनों का और राजस्व का किस प्रकार से समाहरण करेंगे, किस प्रकार से उपयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसके हित में उपयोग करेंगे। किसको हम राजस्व एकत्र करेंगे कि और समाज के, राष्ट्र के किन क्षेत्रों के लिए उस राजस्व का उपयोग करेंगे, यह इस वित्त विधेयक के द्वारा इस दिशा का हमें पता लगना चाहिए था। लेकिन मुझे देखकर बहुत दुख है कि इस वित्त विधेयक से यह पता लगता है कि यह भारतीय उद्योगों के व्यापक हित में नहीं है। यह लघु उद्योगों का पोषण नहीं करता बल्कि उनका शोषण करता है और उनके ऊपर गहरा आघात करता है। अभी-अभी उसका नमूना हमने देखा कि किस तरह से केरल के लघु और कुटीर उद्योगों में काम करने वाले रबर उद्योग से संबंधित लोगों पर विपत्ति है, कठिनाई है। यही इस बात का सबूत है कि आपका यह वित्त विधेयक सामान्य लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का पोषक नहीं है, उनके हितों पर आघात करता है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया बगैर सच्चाई जाने हुए प्रो॰ कुरियन के तर्क को स्वीकार न कीजिए। मैं उनका जवाब दे सकता था। परन्तु नम्रता के कारण मैंने जवाब नहीं दिया।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं उनके तर्क स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उसका हवाला दे रहा हूँ जो वह कह रहे थे।

श्री पी. चिदम्बरम : ऐसा नहीं है कि उनकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको उत्तर दे दिया है। मैंने सदस्य (सीमा शुल्क) और सदस्य (बजट) से मिलने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। सरकार के सामान्य नियमों के विपरीत फाइल उनको दिखाई जा रही है। फिर भी यदि प्रो॰ कुरियन मूल तथ्यों को नहीं समझते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी मामले के लिए वह मुझे आधी रात को फोन करते हैं, वह मुझे सुबह 5.00 बजे फोन करते हैं। मैं उद्योग के लिए कार्य करने का उन पर आरोप लगा सकता हूँ परन्तु मैं इसके लिए उन पर आरोप लगाना नहीं चाहता।

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ जब वह यहां उपस्थित थे तब आपको यह कहना चाहिए था।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं कहना नहीं चाहता था परन्तु श्री जोशी उनके तर्क को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे किसी कार्य से उन्हें दुख हुआ है।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उन पर कोई भी आरोप लगाना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह वाद-विवाद में भाग लें और मैं वाद-विवाद का उत्तर दूंगा। मेरे प्रति अनुचित भाषा इस्तेमाल करने का क्या तुक है।

[हिन्दी]

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : लेकिन मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा जिससे सिद्ध होगा कि यह वित्त विधेयक लघु और कुटीर उद्योगों के हक में नहीं है, भारतीय उद्योग और उद्यमियों के हित में नहीं है। इस वित्त विधेयक के प्रावधानों से रोजगार वृद्धि के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह इम्प्लायमैंट जनरेशन में मदद नहीं करता। इससे कृषि को भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वित्त विधेयक और इस बजट में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले 36 प्रतिशत लोगों के हित में कोई व्यवहारिक बात, उपयोगी बात नहीं की गई। दलित, कुचले, पीड़ित, बेरोजगार इंसान, गांवों में जहां समय बिल्कुल स्तब्ध हो गया है, जहां लोगों के मुख पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जिनकी आखों में निराशा है, उसके बारे में भी बस बजट और वित्त विधेयक में कोई ठोस बात नहीं की गई है। एक तरह से यह वित्त विधेयक "इम्पोर्ट फ्रैंडली" है, यह आयात की मदद करता है और कुछ बड़े उद्योगों और उनके बनाए सामानों को भले ही लाभ पहुंचाता हो। ऐसा लगता है कि यह विदेशी निर्माताओं के लिए स्वर्ग का द्वारा खोलता है और शायद इसलिए भी खोलता है कि जब हमारे वित्त मंत्री विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करते हैं तो उनको अक्सर बताते हैं कि हिन्दुस्तान में आइए, यहीं मुनाफा है, यहीं बाजार है, यहां पर आइए और व्यापार कीजिए। यह वित्त विधेयक भारत को एक माननीय समाज के रूप में नहीं, सांस्कृतिक समाज के रूप में नहीं, पुराने राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि एक आधुनिक विदेशी निर्माताओं के बाजार के रूप में प्रस्तुत करता है। कोई वित्त विधेयक किसी देश के मूल प्रारूप को, मूल चरित्र को बदलकर उसे एक राष्ट्र और एक सांस्कृतिक इकाई के बजाए बाजार की इकाई के रूप में परिवर्तित करे, यह कहां तक किसी वित्त विधेयक का दृष्टिकोण और दर्शन होना चाहिए, यह इस देश को गहराई से विचार करना है। मैं समझता हूँ कि वित्त विधेयक और बजट को एक राष्ट्र के मूल जीवन दर्शन के साथ मेल खाते हुए होना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस और निराशा के साथ कहना पड़ता है कि भारत की राष्ट्रीय धारा, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय आकांक्षाओं और मूल दर्शन से इसका कोई मेल नहीं खाता और सबसे बड़ी बात तो यह कि यह आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ भी ज्यादातर मेल नहीं खाता।

आपने अपने भाषण में बताया कि पिछली बार आपने बजट के घाटे को 4.5 प्रतिशत तक नियंत्रित कर लिया था। लेकिन यह एक छलावा है, असली घाटा 4.5 प्रतिशत से अधिक था। आपको याद होगा कि अपने पिछले बजट में 5,000 करोड़, जो पे कमीशन की संस्तुति होने वाली थी, उससे बढ़ने वाली तनख्वाह के लिए नियोजित किया था। यह जी.पी.डी. का लगभग 5 प्रतिशत होता है। फिर खर्च की साइड में आपने 9,500 करोड़ रुपये बचाए, लगभग 10,000 करोड़ रुपये बचाए। मैंने और मेरे मित्र श्री निर्मल कांति चटर्जी यहां बैठे हुए हैं, इस मामलों को कई मंत्रालयों के साथ बातचीत करते हुए पूछा कि इन सेविंग्स का मतलब क्या है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में पैरे के बाद पैरे इस बात के थे कि विभिन्न मंत्रालयों में बचत हुई, सेविंग हुई। अब जब मैं इसको गौर से देखता हूँ तो पता लगता है कि आपने फर्टिलाइजर में, शिक्षा में, पेट्रोलियम में, पावर में, रूरल डवलपमेंट में, रूरल एम्पयालमेंट में वाटर रिसोर्सेज में, एटोमिक एनर्जी में 1996-97 के जो बजट एस्टीमेट्स थे, उनके अनुसार खर्च नहीं किया, उससे कम खर्च किया। फर्टिलाइजर में 2670 करोड़ के बदले 2171 करोड़ खर्च हुआ। एजुकेशन में 3888 के स्थान पर 2574 करोड़ खर्च हुआ। पेट्रोलियम में 13526 करोड़ के बदले 11403 करोड़ खर्च हुआ। पावर में 6790 करोड़ का एस्टीमेट था और 5661 करोड़ रुपया खर्च हुआ। रूरल डवलपमेंट में 2195 करोड़ खर्च का एस्टीमेट था और 1798 करोड़ रुपया खर्च हुआ। रूरल एम्पलायमेंट में 6437 करोड़ रुपये का प्रावधान था, सिर्फ 5977 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वाटर रिसोर्सेज में 1267 करोड़ का प्रावधान था, केवल 831 करोड़ रुपये खर्च हुए। एटोमिक एनर्जी में 1138 करोड़ का प्रावधान था, 1064 करोड़ रुपये का आपने इस प्रकार से खर्चा किया और यह कुल मिलाकर आप देखेंगे कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया आपने इस तरह से बचाया है। 87 हजार करोड़ रुपये का जो आपका एक्सपेंडीचर का अनुमान था, उसमें से 10 हजार करोड़ रुपये बचा लिये और

[डॉ0 मुरली मनोहर जोशी]

यह आप देखेंगे कि इस तरह से यह 0.9 परसेंट जी.डी.पी. का है। तो 0.9 परसेंट और 0.5 परसेंट जोड़ लें तो 1.4 परसेंट घाटा छिपाया था। पिछले साल पांच परसेंट घाटा था, इसको जोड़ लीजिए तो 6.4 परसेंट बजटरी डैफीसिट था, 4.5 परसेंट नहीं था।

आप बजट के आंकड़ो को भी ठीक ढंग से पेश करें और देश को यह बतायें कि आखिर जो बजट का एस्टीमेट है, जो बजट से आप व्यवस्था करते हैं, वह खर्च क्यों नहीं होता। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप बजट में जान-बूझकर कुछ ज्यादा बढ़ाते हैं और फिर खर्चा कम करते हैं और फिर दुनिया को यह दिखाते हैं कि हमने सेविंग्स कर ली, हमने बजटरी डैफिसिट को कम कर दिया। बजटरी डैफीसिट का नियंत्रित करने का यह तरीका और बजट के घाटे को कम करने का किसी भी रूप में आर्थिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, भले ही आप आंकड़ों के जाल से वर्ल्ड बैंक को या आई.एम.एफ. को यह बता दें कि आपने अपना डैफीसिट कम किया है लेकिन असलियत तो यह है कि अगर आप रूरल एम्पलायमेंट में कम खर्च करेंगे, तो अगर आप ऊर्जा के क्षेत्र में कम खर्च करेंगे, अगर आप एजुकेशन में एक तिहाई से कम खर्च करेंगे तो आप बताएं कौन सा देश का विकास कर रहे हैं, आप कौन सा घाटा ठीक कर रहे हैं। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार इन तमाम कार्यक्रमों में, जो पावर्टी एलीविएशन के हैं, जो गरीबी उन्मूलन के हैं, जो देश के विकास के हैं, जो ऊर्जा के निर्माण के हैं, जो मनुष्यों को शिक्षित करने के हैं, जो ग्रामों के लोगों को रोजगार देने के हैं, उन तमाम कामों पर खर्चा कम करते हैं और उसके बाद आप यह कहते हैं कि हमने बजट के घाटे को नियंत्रित कर दिया। मैं समझता हूँ कि यह एप्रोच जनता के साथ मजाक है। यह इस देश के सामान्य विकास के साथ मजाक है। यह इस देश की दिशा और दर्शन के साथ मजाक है। यह एक बहुत ही अनहोनी सी बात की जा रही है और सारे देश को यह समझाया जा रहा है कि हमारा बजटीय घाटा कम है, क्योंकि हमने इन-इन मदों पर खर्चा कम किया है।

आपने इन्फ्लेशन की बात कही है। मैं नहीं समझता कि आप किस तरह से मुद्रा विस्तार को रोकेंगे। इस साल के बजट में 16,000 करोड़ रुपया आपने मोनेटाइजेशन के लिए रखा है। इसका मतलब है कि 16,000 करोड़ रुपये के आप नोट छापेंगे। अभी ऑयल पूल घाटे के बारे में आप बात कर रहे हैं, वह भी 20,000 करोड़ रुपये के लगभग है। जब भी ये कीमतें बढ़ेंगी, इस सब का कुल कितना परिणाम होगा, यह इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आज चिन्ता का विषय हो गया है। 36,000 करोड़ या 40,000 करोड़ का मुद्रा विस्तार क्या इस देश की अर्थव्यवस्था सहन कर सकती है? बार-बार हमको कहा जा रहा है कि हमारा इन्फ्लेशन का इंडैक्स कम है। इस इन्फ्लेशन इन्डैक्स का निर्धारण आप कैसे करते हैं? बाजार में जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, वह तो सस्ती मिलती नहीं। आप कुछ खास ऐसी चीजों को, जिनका वेटेज आपने बढ़ाया हुआ है, जिनको आपने होलसेल प्राइस इंडैक्स निकालने के लिए, इंडैक्स में जिसको वेटेज में बढ़ाया हुआ है, उन चीजों के दामों के आधार पर आप कह देते हैं कि इन्फ्लेशन का इंडैक्स कम हो गया, लेकिन जब गेहूं का दाम बढ़ता है, जब चीनी का दाम बढ़ता है, जब कपड़े का दाम बढ़ता है, जब बिजली का दाम बढ़ता है और आम आदमी का बजट गड़बड़ा जाता है। सरकार जब स्वयं अपने कर्मचारियों के लिए हर साल, हर कुछ महीने के बाद डियरनैस एलाउंस की मात्रा में वृद्धि करती है तो मैं नहीं समझ पाता कि आप किस इन्फ्लेशन के नियंत्रण की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन में पहले तो इसके इंडैक्स को ठीक करने के लिए, इसका वेटेज ठीक हो। यह पता तो लगे कि आप किन चीजों के किस दर के उपयोग में, किस स्टैण्डर्ड के उपयोग में इन्फ्लेशन को तय करेंगे। उसमें फूड प्रोडक्ट्स का क्या भाग होगा, उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का क्या भाग होगा। हिन्दुस्तान के सारे लोग मोटरें नहीं खरीदते, हिन्दुस्तान के सारे लोग स्कूटर नहीं खरीदते, हिन्दुस्तान के तमाम लोग ऐसी चीजें नहीं खरीदते, जिनके आधार पर आप होलसेल प्राइस इंडैक्स का निर्धारण कर रहे हैं।

आम आदमी और गरीब आदमी के जीवन के लिए जिन चीजों से, जो उसकी रोजमर्रा की चीजें हैं, उनसे आप जब तक इस मंहगाई की दर को निर्धारित नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह सामान्य रूप में सात परसेंट और आठ परसेंट इन्फ्लेशन की बात न करें। मुझे आशंका है कि इस साल यह इन्फ्लेशन 10 से 12 प्रतिशत तक जायेगी, इससे कम नहीं जायेगी, भले ही आंकड़ों में आज जो कुछ भी करते रहें, व्यवहार में यह नहीं है।

अब आपने बहुत बड़ी मात्रा में इस देश के अन्दर विदेशी पूंजी के आयात के लिए सुविधा दी है। आपने इस बार 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक पोर्टफोलियो इन्वैस्टमेंट में सुविधाएं दी हैं। अब साथ ही साथ जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, आपने जो गवर्नमेंट डेट है, सरकारी ऋण है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एलाऊ किया है, अब वे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि आपने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि जिससे विदेशी आपरेटर्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़े-बड़े महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लेंगे। उससे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपने इस वर्ष लगभग 19 बिलियन डालर्स की विदेशी पूंजी इस देश में आयेगी, ऐसा एस्टीमेट किया है। एक्सटर्नल कामर्शियल बोरोइंग्स लगभग छह बिलियन डालर्स हैं, फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट लगभग चार बिलियन डालर्स के, वालेंटरी डिस्कलोजर्स में आपका यह अनुमान है, यह कहा है कि दो बिलियन डालर्स के करीब धन आयेगा और पोर्टफोलियो इन्वैस्टमेंट में करीब सात बिलियन डालर आयेगा। अब अगर एक साथ इतना रुपया, 19-20 बिलियन डालर हिन्दुस्तान में आ जाये तो क्या हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से सह सकेगी, चल सकेगी?

अब जो कुछ स्थिति है, उसमें भी मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में बहुत बड़े हिस्सों पर विदेशियों का कब्जा है। सोफ्ट ड्रिंक्स उनके हाथ में है। सारा आटोमोबाइल सैक्टर अब उनके हाथ में चला गया है और अभी तक कल-पुर्जे जो हमारे देश के लोग बनाते थे, आपने जिस ढंग से कस्टम्स ड्यूटीज घटाई हैं, आटोमोबाइल के सारे कल-पुर्जे विदेशों से आयेंगे, क्योंकि वे सस्ते हो जायेंगे। भारत में उनको कोई नहीं बनायेगा। सारी मोटरगाड़ियां विदेशी कम्पनियां बना रही हैं। उनका अधिकांश जो कुछ निर्माण हो रहा है, वह विदेशी हिस्सों से हो रहा है और अब तक जो कुछ कल-पुर्जे यहां बनते थे, उनको भी आपने बन्द कर दिया, सारी आटोमोबाइल इंडस्ट्री उनके हाथ में चली गई है। धीरे-धीरे इन्फार्मेशन सैक्टर भी सारा उन्हीं के हाथ में जा रहा है और जितने भी सैल्यूलर्स और जितने भी टेलीफोन के सारे संयंत्र हैं, इसके ऊपर भी उनका कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। स्टॉक मार्केट्स भी उनके हाथ में जा रहा है और अगर यह फॉरेन डेट्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी, हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट् डेट्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके हाथ में चले गये तो ऐसा लगता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने पूरे तौर पर विदेशियों के हाथ में इस वित्त विधेयक के द्वारा और बजट के द्वारा भेजे जाने का पूरा इन्तजाम कर दिया है। मैं नहीं समझता कि आप भारतीयों के प्रतिनिधियों के रूप में वित्त मंत्रालय देख रहे हैं या विदेशी निर्माताओं के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं।

मैं यह भी नहीं समझ सकता कि हमारे दोस्त निर्मल चटर्जी इसका समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं? क्या वे तमाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी पूंजीपतियों का आधिपत्य का समर्थन कर रहे हैं? क्या वे इन बजटीय प्रावधानों के हक में हैं? मैं जो तमाम समर्थक दल हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, जनता दल के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, वे राज्य सभा में बहुत से मेरे मित्र थे, जो बराबर इन प्रावधानों का विरोध करते चले आ रहे थे और अब तो कैबिनेट में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पिछले साल तक बराबर इन प्रावधानों का विरोध करते आ रहे थे। मैं नहीं समझ पाता कि उनकी कौन सी मजबूरी है। क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर दखने के लिए आप विदेशी पूंजीपतियों को इस देश में बुलाना पसन्द करेंगें, क्या आपकी एप्रोच यह है? क्या जनता दल की एप्रोच यह है कि भले ही सारे देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशियों का कब्जा हो जाये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन में न आने पाये, क्या यह आपका विचार है? .....*(व्यवधान)* राम कृपाल जी, ये बहुत गहरे मसले हैं, इस पर आप कृपा हस्तक्षेप न करें। ये पटना के गावों में फर्जी लाइसेंस देने-दिलाने से सम्बन्धित मसले नहीं हैं। ये बड़े गहरे मसले हैं, इनको सुनें और समझें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : पटना में फर्जी लाइसेंस दिये जाते हैं? गलत बातें क्यों बता रहे हैं, सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : चारा तो इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : कृपा करके बैठिये।

वित्त मंत्री जी, गरीबी उन्मूलन के विषय में आपने बहुत कुछ कहा। कुल मिलाकर बजट में गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के जो प्रावधान थे, वे 9096 करोड़ रुपये के थे। इस देश में 36 करोड़ गरीब हैं तो इस तरह से 253 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष गरीबी उन्मूलन पर खर्च हुए। यानि 70 पैसा प्रति दिन प्रति व्यक्ति की गरीबी उन्मूलन के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। एक रुपया भी आपने नहीं रखा। 70 पैसे में आप किस आदमी की गरीबी दूर कर सकते हैं?

मैंने गरीबी उन्मूलन योजनाओं का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही संसद के सामने आने वाली है। इसलिए मैं उस पर आज विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप इस मामले में कम्पट्रॉलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सारी गरीबी उन्मूलन योजनाएं कुछ विशेष अफसरों, कुछ विशेष ठेकेदारों और कुछ विशेष जनप्रतिनिधियों के हाथ में जा रही हैं, गरीबों के हाथ में नहीं जा रही है।.....*(व्यवधान)* 60 पैसे भी जा सकते हैं, 65 पैसे भी जा सकते हैं।

मैंने कई राज्यों में देखा है कि गरीबी उन्मूलन योजना में कोई मस्टर रोल नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन आदमी गरीब है और किस को उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसे भी राज्य हैं जहां हमने वहां के अधिकारियों से पूछा कि यह मस्टर रोल ठीक है तो उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमें आंकड़े दिए गए हैं कि अगर मिनीमम वेज 25 रुपये है, अगर 500 लाख रुपयों का 25 भाग करके जितने दिन आए कह दिया कि उनके इतने मैनडेज प्रोड्यूस हुए। जब कम्ट्रॉलर एंड ऑडिटर जनरल ने निरीक्षण किया तो पता लगा कि उसका एक तिहाई हिस्सा भी पैदा नहीं हुआ है। फाल्स फिगर्स दिए गए हैं।

[अनुवाद]

झूठे आंकड़े तैयार किए गए हैं।

[हिन्दी]

इस तरह से नोशलन निर्माण करके दिखाया गया है। हमने जाकर कई स्थानों को चैक किया तो पता चला कि वहां एक भी मैनडेज नहीं हुआ। जो आदमी मस्टर रोल में दिखाए गए थे, वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इसलिए जिस ढंग से आप यह करवा रहे हैं। उससे गरीबी उन्मूलन के बारे में आपने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी जो कहा है, उसके आधार पर कह सकते

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

हैं कि इन सारी योजनाओं का आपको पुनरीक्षण करना चाहिए। ये ठीक से संचालित हों, ये आम आदमी के पास पहुंच सकें, उसको वाकई इनका लाभ मिल सके, यह देखने की जरूरत है। निर्मल दा के राज्य में भी इन योजनाओं के बारे में कुछ हो रहा है, उसका परीक्षण करें। एक-दो राज्यों को छोड़कर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इन चीजों के बारे में ध्यान दिया गया हो। इसलिए आपके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जिन चीजों की तरफ आपने महत्व दिया है, वे पूरी नहीं होती।

आप कहते हैं कि कृषि पर ध्यान दिया है। कृषि उत्पादन घट रहा है। आप खुद कहते हैं कि हम आयात करेंगे। आपके कृषि मंत्री कहते हैं कि अनाज आयात करेंगे। अनाज की पैदावार बढ़ी नहीं है। आपको पता होगा, होना भी चाहिए, कि 200 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इस देश में टोटल फूड सप्लाई कर रहे हैं। जो 1860 में अंग्रेजों ने यह कहा था :

[अनुवाद]

"अकाल की स्थितियों से निपटना अत्यन्त आवश्यक है।"

[हिन्दी]

अगर 200 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इस देश में उपज हो फूड प्रोडक्ट्स की, तो सिर्फ यह अकाल के दुष्काल से बचने के लिए पर्याप्त है, इससे अधिक कुछ नहीं है। 192 मिलियन टन उत्पादन है, 96 करोड़ की जनसंख्या की बात कही जाती है, तो सिर्फ वही 200 कि.ग्रा. अनाज प्रति व्यक्ति वर्ष हिस्से आता है।

[अनुवाद]

आप अकाल की स्थिति के कगार पर खड़े हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा की हालत आपको मालूम है। मध्य प्रदेश में फूड रायट्स हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पावर राइट्स हुए हैं। आप किस कृषि की बात कह रहे हैं, आप किस हिंदुस्तान के किसान की बात कर रहे हैं? आज हिन्दुस्तान में अनाज का आयात हो रहा है और आपके आयात की मात्रा हर साल बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल आपने दो मिलियन टन की बात कही थी। अब पांच-छः मिलियन टन की बात रोज ही सुनते हैं। मुझे खतरा है कि साल बीतते-बीतते आप 10-15 मिलियन टन अनाज आयात करेंगे। कुछ विशेषज्ञों की राय में शायद आप 25 मिलियन टन अनाज आयात करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यह किसलिए है? हिंदुस्तान का किसान है, यह उसकी दशा है, उसकी तरफ आपका क्या ध्यान जा रहा है, उसके लिए आपने क्या किया है? इस विधेयक के अंदर किसान के बारे में, इस बजट का पूरा अध्ययन करने के बाद, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो कराधान की व्यवस्था है, उसमें भी कहीं किसानों के बारे में, कृषि के बारे में आपने ध्यान दिया हो, मुझे नजर नहीं आया। उल्टे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर तमाम टैक्स लगाकर, एक्साइज ड्यूटी लगाकर जो कुछ किसान के उत्पादन का थोड़ा-बहुत बाजार मिल रहा था, उसको भी रोकने की कोशिश की है। मैं नहीं मानता कृषि के लिए इस बजट में या इस वित्त विधेयक में किसानों के लिए कोई उचित प्रावधान किया गया है।

आज आजादी के पचास वर्षों के बाद भी हिन्दुस्तान में जनता को पेट भर भोजन नहीं है। 1991 में प्रति व्यक्ति 511 ग्राम अन्न उपलब्ध था। आज 450 ग्राम उपलब्ध है। इन 6 वर्षों में अनाज की अपलब्धता प्रति व्यक्ति 66 ग्राम हो गई है। यह बिलो न्यूट्रीशन है। दुनिया की जो न्यूट्रिटिव डायट्स हैं, अगर आप उनका अध्ययन करें तो हिन्दुस्तान नीचे है। पाकिस्तान और नेपाल भी हमसे आगे हैं। श्रीलंका भी हमसे आगे है। यह कृषि की हालत आपने बनाई है। इसके बारे में और विस्तार से क्या कहूं? लेकिन मैं आपको बहुत सामान्य रूप से विनम्र चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने कृषि और विद्युत उत्पादन के बारे में ध्यान नहीं दिया तो इस देश में अन्न और बिजली का संकट पैदा हो जाएगा तथा उपद्रव और दंगे होने की आशंकाएं हैं।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि 18000 मेगावाट के करीब आठवीं पंचवर्षीय योजना का भी बैकलॉग विद्युत उत्पादन में अभी पड़ा हुआ है। उसका क्या करेंगे? नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य आपने अपने भाषण के अंदर बताया है, उसका कैसे मेल होगा? यह मैं नहीं समझ पाया हूं। आपने बताया है कि 38000 मेगावट का लक्ष्य आपके पास है और वह जो 18000 मेगावाट आठवीं पंचवर्षीय योजना का बाकी रह गया है, उसका क्या होगा? अगर उसको देखें तो यह 56000 मेगावाट का फर्क रहेगा। 38000 मेगावाट का लक्ष्य आप नौवीं पंचवर्षीय योजना में रख रहे हैं, अगर इसमें वह 18000 मेगावाट भी शामिल है, तब तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य केवल 20000 मेगावाट होगा। लेकिन अगर इसमें 38000 मेगावाट शामिल नहीं है तो कुल मिलाकर हमारे पास 56000 मेगावाट की कमी होगी। उसे आप कैसे पूरा करेंगे? कौन विदेशी उसके लिए धन देगा? क्या विदेशों से भी आप धन लाकर इसे पूरा कर सकते हैं? इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आप ऊर्जा के क्षेत्र में इस देश को अकालग्रस्त कब तक रखना चाहेंगे? आपका कराधान, आपकी कर व्यवस्था, आपका बजटीय प्रबंधन इस मामले में बहुत निराशाजनक है और मैं नहीं समझता कि आप किसी भी प्रकार से इस देश की आर्थिक प्रगति के लिए, उद्योगों और कृषि में प्रगति के लिए कुछ काम कर रहे हैं।

अब मैं तट कर, उत्पाद कर और आपने जो आय कर के बारे में व्यवस्थाएं की हैं, उनके संबंध में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने कुछ सुझाव तो स्वीकार किए हैं जो हमने भी आपके सामने रखे थे और अन्य लोगों ने

भी आपके सामने रखे थे। लेकिन उसमें दो-तीन सुझावों के छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बड़े भारी परिणाम हों। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन आपने फिर भी कुछ सहानुभूति, संवेदनशीलता दिखाई है। आप इतने हार्टलैस नहीं हैं जितने हार्टलैस हमारे गृह मंत्री जी हैं। आपके दिल में भी थोड़ा-थोड़ा स्पंदन होता है। थोड़ी-थोड़ी धड़कन होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके दिल की धड़कन और बढ़े। गरीब की बात सुनकर, आम आदमी की बात सुनकर आपके दिल में भी स्पंदन होना चाहिए। उसके लिए आपके दिल में भी दर्द होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थोड़ा सा कॉस्मैटिक अर्थात् ऊपरी संशोधनों को ही स्वीकार करके यह साबित करने की कोशिश करें कि आपने बहुत बड़े सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। आपने कुछ सुझाव जरूर स्वीकार किए हैं, उसके लिए मैं समय आने पर उन सुझावों के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त करूंगा और जहां पर मैं सहमत हूँ, बताऊंगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप केवल अधिकारियों के साथ ही सहानुभूति न रखें। भले ही प्रोफेसर कुरियन ने एक विशेष संदर्भ में बात कही होगी। फिर भी इस देश का निर्माण केवल कुछ बड़े उद्योगपति या बड़े कारखानों के मालिक या विदेशी पूंजी ही नहीं करती, बल्कि इस देश का निर्माण 96 करोड़ जनता करती है। इस देश का निर्माण यहां के साधन करते हैं, यहां के नौजवान करते हैं, यहां के मजदूर और किसान करते हैं। बजट और उसकी सारी व्यवस्था का ध्यान उस तरफ भी होना चाहिए। इस बजट को देखकर मुझे बड़ी निराशा लगती है। अब आपने कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है। इम्पोर्ट ड्यूटी को आपने 50 प्रतिशत से चालीस प्रतिशत किया है और बहुत से आईटम्स में चालीस प्रतिशत से तीस प्रतिशत किया है। तट कर घटाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि आप विश्व व्यापार संघ के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन होने के लिए तट कर हटाने की जो प्रक्रियाएं करनी हैं, वह आप कर रहे हैं। लेकिन जिस रफ्तार से वे प्रक्रियाएं होनी चाहिए थी, आप उससे ज्यादा तेज रफ्तार से चल रहे हैं इतनी तेज दौड़ मत लगाइए। दौड़ना तो जरूर है। कुछ साल बाद तक 2004 तक तो हमें बहुत सी चीजों में घटा देना है। कुछ क्षेत्रों में तट कर शायद शून्य तक जाना पड़ेगा। लेकिन जो उसके लिए समय है, उसके लिए जो अभी हमारे पास गुंजाइश है, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते?

अगर आज हमसे अपेक्षा की जाती है कि 40 प्रतिशत हमारा तट कर होना चाहिए तो आप एक दम घटा कर 30 प्रतिशत कर देते हैं। यह आप किस से अच्छे बच्चे होने की शाबाशी लेना चाहते हैं? आपको कौन कहेगा कि एक अच्छे लड़के हैं, आपने यह कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से अच्छे बच्चे होने की शाबाशी लेने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी उस दिशा में तेजी से दौड़ दिखा रहे हैं और कहना चाहते हैं कि देखो, यहां तक मुझे पहुंचना चाहिए था। मुझे डबल परमोशन मिल गया, मैं इस क्लास में सातवीं से आठवीं में नहीं बल्कि मैं इस क्लास में एक कदम छलांग लगा कर दसवीं तक पहुंच रहा हूँ क्योंकि मैंने तट कर में इतनी घटोतरी की है, जो शायद और लोगों में अपेक्षित नहीं थी, जिसको मैंने कर दिया। अब तो पुराने वित्त मंत्री जी भी इन बातों के बारे में संशकित हो रहे हैं। वह भी मुंह खोल रहे हैं। वैसे उनके साथ तो यह है कि वह पहले भी कुछ कहा करते थे, फिर वित्त मंत्री हुए तो कुछ और कहने लगे, अब नहीं हैं तो कुछ और कह रहे हैं लेकिन फिर भी वह आपके दल के वित्तीय प्रमुख हैं। आपकी बहुत सी नीतियां उनसे मेल खाती हैं। लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वह भी आपकी बहुत सी नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। आपकी तमाम बातों के बारे में वह भी धीरे-धीरे मुंह खोल रहे हैं।..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सरकार में और सरकार से बाहर रहने पर नजरिया बदल जाता है।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप जब उनका समर्थन कर रहे हैं तो आप उनकी कुछ बातों का भी समर्थन कर रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैंने आपके वित्त मंत्री को बोलते हुए सुना है और अब आपको सुन रहा हूँ। इसलिए, मुझे पता है कि सरकार में रहने से और सरकार के बाहर होने पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : भाजपा के वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने बजट पेश किया होता तो वह गरीब-उन्मुख, आम आदमी उन्मुख और भारत-उन्मुख बजट होता। जब यह अवसर दुबारा आएगा तो हम ऐसा बजट प्रस्तुत करेंगे जो इस देश की आशाओं को पूरा करेगा। बहुत शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब हम बजट पेश करेंगे और बजट विशुद्ध भारतीय बजट होगा।.....*(व्यवधान)* खैर जो भी हो।

[हिन्दी]

आपने कस्टम ड्यूटीस में काफी ह्रास किया है लेकिन आपने एक्साइज ड्यूटी में आठ हजार करोड़ की आमदनी ज्यादा बढ़ाई है। मेरे विचार से जिस तरह से कस्टम ड्यूटी घटती है। इसी अनुपात में एक्साईज ड्यूटी में भी कर घट जाना चाहिए, नहीं तो भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धा में कठिनाई होगी। आज बहुत से उद्योग हैं जिनको काफी कठिनाई पैदा हो गई है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया है कि अनेक उद्योग मुम्बई में आज दम तोड़ रहे हैं और उनके सामने बहुत सी कठिनाईयां आ गई हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें यह जो सूचना उन्होंने दी है इसमें कितना दम है। लेकिन वे कहते हैं कि आज बड़ौदा रेयोन का सामान नहीं बिक रहा है। नोसिल, जो पीवीसी बनाती है उसको यह बनीं बेच पा रहे हैं। पीआईएल,

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

जो पोलिया ओलफिंस बनाते हैं वह लगभग बंद पड़े हैं। ग्रेसिम, इनको मनी मार्केट से पैसा नहीं मिला है और जय कार्पोरेशन नांदेड़ में बंद होने के कगार पर है।....*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : ये चार ही कम्पनियां हैं .....*(व्यवधान)*

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : ये कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उनकी इनवेंटरी बढ़ गई है। सामान नहीं बचे सके। ..... *(व्यवधान)* वह कुछ दिनों से इस चिन्ता में हैं कि उनकी इनवेंटरी बढ़ रही है, उनके सामने मार्केट नहीं है। विदेशी माल जो आ रहा है उसने इनको पीछे धकेल दिया।.....*(व्यवधान)* यह प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना यह है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हमारे लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। अगर यह सच है तो मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसकी जांच करें और देखें कि भारत के कौन-कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनके सामने ये कठिनाइयां आ गई हैं। वह सिक इंडस्ट्रीस को रिवाइव करने की बात तो करते हैं मगर चलती-फिरती इंडस्ट्रीज को क्यों सिक कर रहे हैं ? आप अगर इंडस्ट्री को चलने दें, भारत के उद्योगों को चलने दें, भारतीय संसाधन और भारतीय तौर-तरीकों से चलने दें तो फिर उन्हें सिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बी.आई. एफ.आर. आप बंद कर सकेंगे। इस बता की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान के उद्योगों को चलने देना चाहिए और उन्हें विदेशी माल के डम्पिंग से परेशान नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या मैं डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी को यह सूचित कर सकता हूँ कि यह एक तथ्य है कि निवेश दर माल सूची करने से ही बढ़ सकती है पूंजी के निर्माण से नहीं। यह यथार्थ में रुग्णता का संकेत है, वृद्धि का नहीं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : इंडस्ट्री कभी सिक नहीं होती है।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : न ब्यूरोक्रेट कभी सिक होता है न इंडस्ट्री कभी सिक होती है। यह बात बिल्कुल ठीक है। मुश्किल यह है कि ऐसे ही सारे वित्त प्रबंधन का आप समर्थन करते हैं। आपके इस तटकर को घटाने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो हुआ है वह दवाइयों के क्षेत्र में हुआ है। दवा उद्योग के बहुत से लोगों ने यह बताया है कि बहुत से बल्क ड्रग्स पर आपने तटकर घटा दिया है। इसलिए हिंदुस्तान बल्क ड्रग्स बनाने की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और अगर उनका पूरा उपयोग नहीं होगा तो वे बंद हो जाएंगे। आज चाइनीज़ बल्क-ड्रग्स हिंदुस्तान के बाजार में आ गये हैं इसलिए हमारे निर्माताओं को कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं। आप अपनी तट कर व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखें कि वह तमाम तैयार माल जो भारत के उद्यमी तैयार करते हैं वह किसी भी हालत में विदेशी तैयार माल पर तटकर के घटाने से नॉन-वायबल, नॉन कम्पटीटिव न हो जाए। अगर ऐसा होगा तो तट कर को हटाने का एकमात्र परिणाम विदेशी सामान आने के अलावा कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल हाउसिज के स्थान पर बिजनेस हाउसिज हो जाएंगे, केवल कमीशन एजेंट्स ही रह जाएंगे। यह उद्यमियों और उद्योगपतियों का देश नहीं रह जाएगा। इसलिए तैयार माल, कच्चा माल और मध्यवर्ती कम्पोनेंट्स वगैरह के बीच में एक ड्यूटी डिफरेंशल रहना चाहिए। कच्चे माल पर तटकर सबसे कम होना चाहिए और जो कम्पोनेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा और फिनिश गुड्स के ऊपर सबसे ज्यादा तटकर होना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है। आगर आपको हिंदुस्तान के उद्यमियों को बचाना है तो आपको इस बात को ध्यान में रखना ही होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप कहीं तटकर घटाते हैं तो कृपा करके एक्साइज ड्यूटी भी उसी अनुपात में घटाएं ताकि हिंदुस्तान के उद्यमियों के लिए एक बराबरी का मैदान उन्हें मिलता रहे, समान धरती पर खड़े होकर वे उनसे टक्कर ले सकें। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है।

हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की कठिनाई जो थी उसके बारे में आपके मंत्रालय की कृपा से वर्ल्ड-बैंक और आई.एम.एफ. को यह सूचना मिल गयी कि अब देश में बी.ओ.पी. क्राइसिज नहीं है कॉमर्स इंडस्ट्री तो इस देश की कहती है कि हम बी.ओ.पी. क्राइसिज से अभी तक ग्रस्त हैं पर हमारे देश का वित्त मंत्रालय कहता है कि हमारे यहां कोई बी.ओ.पी. क्राइसिज नहीं हैं। अब अगर यह बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिज नहीं है तो अभी तक जो बहुत से आपको प्रोटेक्टिव प्रॉविजन मिल थे वे अब नहीं मिलेंगे। इसलिए अब आपके ऊपर दबाव है कि क्वान्टिटिव रेस्ट्रिक्शन आप तमाम कन्जयूमर्स ड्यूरेबल्स में भी हटा लें। आपके टैक्सटाइल में कोटा रहेगा लेकिन विदेशियों में तैयार कपड़े को आने से आप नहीं रोक सकेंगे। आपको यह रेस्ट्रिक्शन हटाने पड़ेंगे। आप टैरीफ बैरियर्स भी हटाते हैं तथा दूसरी तरफ नॉन टैरीफ बैरियर्स भी हटाते हैं और यह सब केवल विदेशियों को लाभ पहुंचाने के लिए। अगर टैरीफ बैरियर्स हटा था तो नॉन टैरीफ बैरियर्स को तो आप बचाकर रख सकते थे, वह तो आपके हाथ में एक हथियार रह सकता था। उस पर तो आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। हमें यह नहीं करना है, हमें अपने देश के उद्योगों को नष्ट नहीं करना है। कपड़ा उद्योग से अगर क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रक्शन हट गये तो हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो जाएंगे।-मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि इस नीति पर आप पुनः विचार करें। यह नीति ठीक नहीं है। आपने एक्साइज के लिए एक बात कही है। सैक्शन 4(ए) द्वारा आपने अनेबलिंग प्रॉविजन लगाया है। उसकी संवैधानिकता के बारे में मुझे कहना है कि आप मैक्सिमम रिटेल

प्राइस पर एक्साई ड्यूटी लगाने चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह संविधान के विरुद्ध है। प्राइस के ऊपर टैक्स तो सेल-टैक्स है। किसी चीज को आप किसी कीमत पर बेच रहे हैं और उसके ऊपर अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो यह सेल-टैक्स है। उसे लगाने के लिए राज्य सरकारें भी हकदार हैं। उनके पास हक कि वे बहुत सारी चीजों पर सेल-टैक्स लगा सकती हैं। जब आप एम.आर. पी. पर एक्साइज लगाते हैं बिक्री के मूल्य पर एक्साइज लगाते हैं तो आप दो काम कर रहे हैं। एक तो आप एक्साइज की परिभाषा को बदल रहे हैं और दूसरा उत्पादक के उत्पादन के ऊपर जो कर लगना चाहिए उसे आप बिक्री के ऊपर लगा रहे हैं।

आप बिक्री को भी डीम्ड मैन्यूफैक्चर मान रहे हैं। अगर आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बारे में संदेह और शंकाएं हैं तो उत्पादन और बिक्री के दामों मे जो बहुत बड़ा अन्तर है, आप उसको दूर करने के रास्ते निकाल सकते हैं। आप वे रास्ते निकालिए। कोई नहीं चाहेगा कि एक्स फैक्ट्री प्राइस की जो कीमत होती है, उससे 10-20 गुना दाम पर उपभोक्ता के पास वह चीज पहुंचे। मैं कभी भी उसका समर्थन नहीं करूंगा। आप निश्चित दाम फिक्स कीजिए और कहिए कि मैन्यूफैक्चर प्राइस और सेल्स प्राइस में एक और डेढ़ या एक से दो या एक से तीन से अधिक का अन्तर नहीं होगा। कहीं कुछ तो फिक्स कीजिए। आप दूसरी तरफ एक्साइज को सेल्स टैक्स के बराबर करना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति और दर्शन ठीक नहीं है। यह फिलॉसिफिक्ली और कॉस्टीट्यूशनली भी गलत है। एक्साइज को एक्साइज रहने दीजिए। तर्क यह दिया जाता है कि दुनिया में ऐसा हो रहा है। दुनिया में बहुत सी बातें हो रही हैं। दुनिया के किसी देश में 36 करोड़ लोग गरीब नहीं हैं। दुनियां में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन की आबदी 96 करोड़ है। दुनियां में चिदम्बरम साहब जैसे वित्त मंत्री नहीं है। यह ठीक बात है कि हम दुनिया से पीछे नहीं चलना चाहते हैं। हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मैं तो इस राय का हूं कि हम दुनियां से दो कदम आगे चलेंगे लेकिन दुनिया के पीछे नहीं चलेंगे। हर मामले में यह कहना कि दुनियां में यह हो रहा है, लिहाजा हम इसे करेंगे, मैं इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं। आप अपने देश की जनसंख्या और जनता व उद्यमियों की आवश्यकताओं, व्यवस्थाओं को देखते हुए, संविधान को देखते हुए कराधान करें। मुझे इसमें बहुत संदेह है कि अगर आप एक्साइज ड्यूटी को एम. आर.पी. से लिंक करेंगे तो आदलत में उसे चुनौती मिलेगी। यह अंसवैधानिक होगा और यह मामला लटकता रहेगा।

आप टैक्स का आधार बढ़ाएं। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से पूरी तरह सहमत है कि देश में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। मैंने भी इसका अध्ययन किया है। आप एनफोर्समैंट डायरेक्ट्रेट और इनकम टैक्स विभाग के लोगों से यह काम करवा सकते हैं। आज इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के पास सुविधाएं ही नहीं हैं। आप उन्हें सैलरीड सेक्शन के इनकम टैक्स फॉर्म्स को देखने के लिए फंसाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा वे कुछ नहीं कर पाते। आज हिन्दुस्तान में सवा करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। उनमें से 80-85 लाख सैलरीड क्लास है। अगर इतनी ही संख्या में आपके कर्मचारी उलझे रहेंगे तो कभी भी टैक्स रेट बढ़ नहीं सकता। आप इनकम टैक्स डिपार्टमैंट और एक्साइज डिपार्टमैंट की व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि आज करोड़ों रुपऐ की एक्साइज ड्यूटी एरियर्स में है। प्रोविजनल असैसमैंट ऑफ टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए एरियर्स में दिए गए।

[अनुवाद]

इसमें मिलीभगत है? उत्पाद शुल्क विभाग और सीमा मुल्क विभाग द्वारा वित्तीय समायोजन किया जाता है।

[हिन्दी]

हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि एक-एक कस्टम हाउस के अन्दर 500-500 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स हुए हैं। आदेश दिया गया है कि इन अधिकारियों को ठीक किया जाए लेकिन दो-दो साल तक उन अधिकारियों को ठीक नहीं किया गया। पता नहीं उन्हें कौन बचा रहा है? आज आप छोटे व्यापारियों, खोमचा लगाने वालों, छोटा शामियाना लगाने वालों और टैक्सी चलाने वालों पर एक्साइज लगाना चाहते हैं लेकिन आप पहले अपने उन अफसरों, कर्मचारियों को ठीक करिए जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घपले किए हैं, जो तमाम खाते कॉल बुक्स में पड़े हैं और जिन्हें मल्टी नैशनल कम्पनियों ने, बड़े-बड़े उद्यमियों ने छुपा कर रखा है। आप केवल सी.ए.जी. की रिपोर्ट पढ़ लें। इससे पता चल जाएगा कि किस तरह हजारों करोड़ रुपए एक्साइज डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एरियर्स के पड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं उन्हें वसूल करते? अगर आप उन्हें वसूल कर लेंगे तो जनता को विश्वास हो जाएगा कि सरकार ईमानदारी से टैक्स वसूल करना चाहती है और टैक्स सरकारी खजाने में पहुंचना चाहिए।

एक्साइज डिपार्टमैंट के बारे में हमारा अनुभव यह है कि वह सबसे अधिक भ्रष्टाचार बढ़ाता है। इसके जहां कहीं हाथ पहुंचते हैं, वहां भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। आप मेहरबानी करके एक्साइज इंस्पैक्टर्स द्वारा हैरेस करने का, संत्रास पहुंचाने का कोई भी प्रावधान न करें। जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमैंट, एक्साइज डिपार्टमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। टैक्स बेस बढ़ाने में वहां सबसे बड़ी बाधाएं हैं, मैं उन्हें समय आने पर बताऊंगा क्योंकि मैं उन्हें यहां कह नहीं सकता। मैं बताऊंगा कि किस तरह अफसरों के खिलाफ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, मंत्रियों ने आदेश दिए, लेकिन वे आदेश दो-दो साल तक बिना पारित किए पड़े रहे।

आपके बड़े-बड़े लोगों और अधिकारियों ने उन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया है। मैं आज कह नहीं सकता कि

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

काफी कहने के बावजूद भी उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही होगी या नहीं, कब होगी? आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अगर उसको ठीक करेंगे तो कस्टम और एक्साईज से बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि मिल सकेगी? इससे लाभ होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप स्वयं विधयेक की गरिमा के लिये सीरियस हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो व्यवस्थायें आप वित्त विधेयक में करते हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही टैक्स लगना चाहिये? मैं यह जनना चाहूँगा कि क्या यह उचित है? मैं सदन से जानना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार ने वित्त विधेयक में कुछ टैक्स स्ट्रक्चर प्रस्तावित किया। सदन सत्र में है। 11 अप्रैल को जिस दिन यह सरकार गिरी, उस दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और ड्यूटी में संशोधन किया जाता है। क्या यह उचित है, क्या यह संभव है?

[अनुवाद]

दिनांक 11 अप्रैल, 1997 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 19/97 की एक प्रति।

[हिन्दी]

क्या इस तरह से वित्त विधेयक की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा रखी जायेगी? क्या यह सदन का अपमान नहीं है। क्या कांस्टीट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोपरायटी है कि आप चेंज कर रहे हैं।

[अनुवाद]

क्रम संख्या 115 और 116 तथा उसमें प्रविष्टियों की तालिका में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

मैं इसके विस्तार में नहीं पड़ना चाहता, लम्बा है लेकिन आप यह देखें कि यह क्यों बदला? इसे सदन में लाया जा सकता था और आप संशोधन दे सकते थे जैसा कि आज आप संशोधन लाये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 11 अप्रैल को किसी राय से आदेश हुआ है? क्या यह अधिकारियों ने स्वयं किया है कि अगर स्वयं किया है तो जरूर कहीं न कहीं कनाईवेंस है। किसी को जरूर फाईनेंशियल लाभ पहुंचाने के लिये किया गया है और इस पर साईन राजीव तलवार, अंडर सेक्रेट्री, भारत सरकार के हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निर्देश चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय की सारी फाईल, दस्तावेजों की जानकारी इस सदन में दी जाये कि कैसे किस अधिकारी ने यह किया है, किन कंडीशंस के आधार पर किया है। क्या आप वित्त विधेयक की इस तरह से गरिमा और प्रतिष्ठा रखेंगे? क्या अधिकारी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं? जिस दिन यह सरकार गिर रही थी, मुझे पता नहीं ऐसे कितने नोटिफिकेशन जारी हुये हैं? एक ऐसा नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बारे में जांच की जानी चाहिये कि ऐसे कोई भी सर्कलुर फाईनैंशियल अकामोडेशन के लिये और किस वजह से जारी किये गये हैं अथवा नहीं, यह एक गंभीर प्रश्न है। सभापति महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए वित्त मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि उनको क्या कहना है। इस सदन को अवगत कराया जाये कि इस दस्तावेज के आधार पर जो संशोधन किया गया है, वह तो कम से कम वापस लिया जाये। सदन को यह भी अवगत कराया जाये कि उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही करना चाहेंगे जिसने ऐसा किया है। यदि यह आपके आदेश से हुआ है तो मामला और गंभीर है। फिर किस ने किया और 11 अप्रैल को कैसे हुआ?

सभापति महोदय, आपने छोटे उद्योगों के बारे में कहा है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने छोटे उद्योगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपने आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा मानकर 14 वस्तुओं का डीरिज़र्वेशन कर दिया लेकिन बाकी चीजों का क्या हुआ? इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपको 500 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में छूट उन छोटे उद्योगों को उपलब्ध करनी चाहिये थी जिनका रिज़र्वेशन हटाया है लेकिन आपने नहीं दी। तकनीकी सुधार के लिये रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिये था, वह नहीं किया। तकनीकी सुधार संस्थाओं के लिये आर्थिक सहायता देनी चाहिये थी, वह आपने नहीं दी। पूर्वी एशियाई देशों की तरह छोटे उद्योगों के लिये ट्रैनिंग स्कूल खोलने चाहिये थे, वे नहीं खोले हैं। एक राष्ट्रीय लघु अनुसंधान केन्द्र खोला जाना चाहिये था, वह नहीं खोला। छोटे निर्यातकों की मदद के लिये एक कोष का गठन किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। छोटे उद्योगों को मूल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सरकार को धन उपलब्ध करना था, वह नहीं किया गया। 50 श्रमिकों तक श्रम कानूनों से मुक्ति मिलनी चाहिये, वह नहीं किया गया है। हालत यह है कि आपके आर्थिक सर्वेक्षण और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1993-94 में छोटे उद्योगों का उत्पादन 2 लाख 41 हजार 648 करोड़ रुपये का था।

उन्हें ऋण उपलब्ध था सिर्फ 22,617 करोड़, यानी लगभग नौ प्रतिशत। 1995-96 में उनका उत्पादन बढ़ गया 3,56,213 और ऋण उपलब्ध था 8.9 प्रतिशत। जहां 20 प्रतिशत ऋण की सिफारिश की जा रही है आबिद हुसैन कमेटी की तरफ से, वहां उनको नौ प्रतिशत ऋण दिया जा रहा है। कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आइटम्स को डीरिजर्व कर दें बशर्ते आप ये-ये काम करें। आपने डीरिज़र्व तो कर दिया क्योंकि वह मल्टीनेशनल्स की मदद करता है, क्योंकि वह बड़े घरानों की मदद करता है, क्योंकि उसकी वजह से हिन्दुस्तान के किसी आईसक्रीम निर्माता को आईसक्रीम बनाने की जरूरत नहीं होगी। बिस्कुट बनाने

की जरूरत नहीं होगी। 14 आइटम्स आपने बताई हैं - बिस्कुट, आईसक्रीम, दाल मिल, राइस मिल वगैरह-वगैरह, जिनको आपने डीरिज़र्व किया है। इसमें सब विदेशी आ जाएंगे, सब बड़े लोग आ जाएंगे। तो ये छोटे उद्योग वाले कहां जाएंगे? आपने डीरिजर्वेशन कर दिया है। बाकी जो आठ सुविधाएं उन्होंने दी थी, उसके बारे में बजट चुप है, वित्त विधयेक चुप है। आप उन पर एक्साइज इस तरह से लगा रहे हैं कि लघु उद्योग मारे जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इन छोटे उद्योगों के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं? आप लघु उद्योगों के विरोध में हैं। आप उनका समर्थन और पोषण नहीं चाहते जबकि इस देश में सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक ऐक्सपोर्ट में सहायता इन संस्थानों से मिलती है।

मंत्री जी ने कई और टैक्सेज लगाए हैं। सर्विस टैक्स के बारे में और एम.आर.पी. के बारे में मैंने जिक्र कर दिया। ऐक्साइज के बारे में मैं अवश्य आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपने किया है, हम उससे सहमत नहीं हैं। यह 30 लाख की लिमिट जो आपने लगाई है क्लियरेंस की, यह 1996 में लगी थी। 1986 से 1997 तक 11 साल हो गए हैं। यह 30 लाख की लिमिट बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि आप इसे एक करोड़ कर दें और उसके आगे बाकी संशोधन करें। आपका कहना है कि इसमें से बहुत सारी इकाइयां टैक्स नेट से बाहर हो जाएंगी, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे-जैसे तमाम चीजों में उनका उत्पादन बढ़ेगा, सेल्स टैक्स में और बाकी चीजों में भी सरकार की आमदनी बढ़ेगी। आप उनके हिसाब-किताब की जांच की व्यवस्था करें, इनकम टैक्स के लोगों को चुस्त-दुरुस्त करें, वह उनको ठीक से देखें, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर उत्पादन पर कोई आघात करेंगे तो उससे इस देश को बहुत भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमने सुझाव दिया है कि आप सौ लाख रुपये तक क्यिरलेन्स शून्य ड्यूटी रखें और सौ लाख से दो सौ लाख तक तीन प्रतिशत, दो सौ लाख से तीन सौ लाख तक पांच प्रतिशत और तीन सौ लाख के ऊपर फुल रेट मौडवैट फेसिलिटी के साथ हो।

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को आप बचाइए। ये इस देश में रोजगार, उत्पादन, श्रम, इन सब चीजों का समन्वय करता है। कम पूंजी से काम करता है। बड़े उद्योग बहुत कम लोग लगा सकते हैं और हर बड़ा उद्योगपति पहले छोटा उद्योगपति होता है। एकदम से कोई बड़ा उद्योगपति नहीं बन जाता है और जो बनता है वह इस देश में क्या कर रहा है, उसे हम और आप सब जानते हैं। इसलिए हम और आप इसको देखें।

फूड प्रोसेसिंग के बारे में जो व्यवस्थाएं आपने की हैं, मेरा अनुरोध है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर आप कोई टैक्स न लगाएं, कोई एक्साइज़ न लगाएं। यह प्रतिगामी टैक्स है। कुछ दिन उसे चलने दें, बढ़ने दें। मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लोगों ने जो कहा है, मुझे पता नहीं कि आपने इसका निरीक्षण किया है या नहीं। उन्होंने साफ-साफ हर आइटम के बारे में बताया है कि किस तरह से वे उद्योग नष्ट हो जाएंगे, वे सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी और किसान बरबाद हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो बड़े यांत्रिक कारखाने हैं, उन पर टैक्स लगाएं, लेकिन ऐसी व्यवस्था न करें जिससे छोटे उद्योगों के लिए कठिनाई पैदा हो। आप यह कर सकते हैं कि डेढ़ सौ रुपये या दो सौ रुपये लीटर या कि.ग्रा. से ऊपर के जो निर्माता हैं, उन पर टैक्स लगाएं, उनसे एक्साइज चार्ज करें लेकिन छोटे लागों पर टैक्स न बढ़ने दें। इसके लिए मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा कि इस बारे में ध्यान दें और इस इंडस्ट्री को मरने से बचाइए।

मुझे खुशी है कि आपने सेनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स तथा छाते से एक्साइज ड्यूटी हटा ली, लेकिन अगर सनग्लासेज़ से भी ऐक्साइज ड्यूटी हटा लेंगे तो एक और अच्छा काम आप करेंगे। हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आंख की बीमारियां हैं। दुनिया के आधे अंधे हिन्दुस्तान में रहते हैं और बहुत बड़ी सख्या में हमारे देश में रोहे की बीमारी है। धूल और धूप की वजह से बहुत आंखें खराब होती हैं। अगर आप सनग्लासेज पर लगने वाली ऐक्साइज़ ड्यूटी को वापस ले लेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप उसे विदड्रा कर लीजिए। मुझे खुशी है कि आपने क्ले टाइल्स पर जहां तक मैं समझा हूँ, एक्साइज ड्यूटी हटा ली है। क्या मैं ठीक कहा रहा हूँ?

[अनुवाद]

मेरे विचार में आपने मिट्टी की टाइल्स पर से शुल्क हटा लिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : हाँ।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं इस हेतु आपका आभारी हूँ।

[हिन्दी]

यह आपने अच्छा काम किया है। शायद इस बारे में बजट में अगर गरीब आदमी के लिए कोई काम किया है तो क्ले टाइल्स पर से आपने एक्साइज ड्यूटी हटाकर किया है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : परन्तु उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों पर से शुल्क नहीं वापस लिया है।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : कोई बात नहीं, मैं इस बात पर आ रहा हूँ। .... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कम से कम सेरामिक्स अभी जो हिंदुस्तान का ही आदमी बना रहा है, अगर वह विदेश से आने लगे तो उस पर टैक्स लगाइये।

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

सेरामिक्स टाइल्स हिंदुस्तान में काफी मात्रा में बनता है। लेकिन इसी तरह से आप बुक बाइंडर्स को क्यों भूल गये। आपने एक टैक्स लगाया है।

[अनुवाद]

पुस्तकों के बाहरी कवर आदि के लिए प्रयोग किया जाने वाला गोंद या एमीलेसियस पदार्थ से संलेपित टैक्सटाइल फैब्रिक।

[हिन्दी]

इस पर एट परसेंट और पांच परसेंट की डयूटी है। ये बुक बाइंडर, जिल्दसाज, किताब बांधने वाले कोई मल्टीनेशनल्स नहीं हैं। यह कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है। ये छोटे-छोटे लोग हैं। अब कोई ऐसी तरकीब आप बताये कि बिना एमाइलेशियस सबसटेंस के या बिना चिपकाये या बिना गम के वैक्युम प्रेशर से कपड़ा उसके ऊपर लगा दिया जाए, तब तो बात अलग है। वरना जब भी बुक बांइडिग का काम होगा तो इसमें गम का प्रयोग तो होगा ही किसी न किसी पेस्ट का प्रयोग तो होगा ही। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों की किताबें फटी रहें। क्या आप चाहेंगे कि हमारी किताबों की बाइंडिग ठीक न हो और लड़के जो किताब लेकर जाएं वह थोड़े दिनों में फट जाए। मेरे ख्याल से आपको इस बुक-बांइडिग के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साझेदारी फर्म के ऊपर आपने आयकर के बारे में कुछ थोड़ी सी छूट दी है। उसका मैं स्वागत करूंगा कि आपने उनकी सैलरी और इंटरेस्ट में टैक्स में रिबेट दी है। यह भी आपने किया है कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेट के अलावा उसमें इंकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स भी उनको सहायता पहुंचा सके। यह एक अच्छा कदम है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आपने उनके ऊपर अभी भी जो आयकर की दर रखी है उससे बड़ी विसंगति पैदा होती है। पहले भी वह व्यक्ति के नाते जो इनडिविजुएल पर टैक्स रेट था, वही टैक्स देता रहा है। अब अगर अकेला व्यापारी है तो उसका टैक्स रेट कम है और अगर गलती से वह और उसकी बीवी पार्टनर हो जाएं तो उसका टैक्स ज्यादा है। इसमें तो अगर मिया-बीवी कहीं दोनों पार्टनर हैं तो दोनों अलग-अलग हो जायेंगे। कम से कम ऐसा मत करिये। जिस आमदनी पर एकल व्यापारी इनडिविजुअल आदमी अगर व्यापार कर रहा है तो उसको तीस हजार टैक्स है। गलती से मियां-बीवी या बाप-बेटा मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो 75 हजार रुपये टैक्स है। यह विसंगति है, यह ठीक नहीं है। इसलिए आप इसको रेशनालाइज करें, इसको भी घटायें। यह बात दूसरी है कि अब इस रिबेट के बाद शायद 75 हजार से घटकर वह 50 हजार रह जायेगा। लेकिन तब भी 30 हजार और 50 हजार का डिफरेंस बहुत अधिक है। इस बारे में मैं आपसे मांग करूंगा कि पार्टनरशिप फर्म्स को मरने से बचायें। पार्टनरशिप फर्म्स हिंदुस्तान में ही ज्यादातर मिलती है। चूंकि दुनिया में पार्टनरशिप फर्म्स नहीं है। वहां जापान इनकारपोरेटिड है, अमेरिका इनकारपोरेटिड हैं इसलिए यहां पर भी इंडिया इनकारपोरिटिड होना चाहिए, यह सिद्धांत ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

भारत को भागीदार बने रहने दीजिए। आप स्वयं कह रहे हैं कि भारत की भागदीरी है। आप की सरकार भागीदारी की सरकार है। आप भागीदारों को क्यों नष्ट कर रहे हैं। आपको भागीदारी के रूप में रहना सीखना चाहिए और इसे सुदृढ़ बनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपकी भागीदारी सुदृढ़ बने। आप व्यवसाय में भागीदारी को क्यों खत्म कर रहे हैं? कृपया इसे समाप्त मत कीजिए। भागीदारी के साथ रहना सीखिए। यह कुछ भिन्न हो सकता है कि आपको निर्मलदा के रूप में अत्यंत कठिन भागीदार मिले या श्री संतोष मोहन देव जैसा एक समायोजन न करने वाला भागीदार मिले या हो सकता है किसी अन्य मित्र में कोई लड़ाकू भागीदार मिले। परन्तु तब भी आपको भागीदारी में रहना होगा और सरकार तथा व्यवसाय दोनों में भागीदारी रहने दीजिए। कृपया इतने कठोर मत बनिए। थोड़ा समायोजन करने वाले, उदार और दयालु बनिए।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री को बहुत ही सहृदय होना चाहिए। मैं इस राय का हूँ कि आप टैक्स का आधार जरूर करें, टैक्स वसूल भी करें, लेकिन आप चाकू से काटकर खून न निकालें। आप जोंक की तरह खून निकालें जो खुजली भी देती है और खून भी लेती है। लेकिन आप तो नश्तर लेकर चीर देते हैं, दिल के टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं। आदमी का रक्त प्रवाह हो जाता है। आप उसका आर्टरी काट देते हैं। आप उसकी वेन काट देते हैं नतीजा यह होता है कि वह थोड़े दिन बाद ब्लीड कर देता है। थोड़ा-थोड़ा पीजिए, उसको खुजली देकर खून लीजिए, केजोल ककरे लीजिए, नरमी के साथ लीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह से टैक्स लेंगे तो वह देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने आय कर डिविडैंड के लिए जो व्यवस्था की है, आयकर के प्रावधानों में आपने बहुत छूट दी है, आयकर की दरें घटाई हैं जिससे निजी आयकरदाताओं को काफी राहत मिली है लेकिन जब आप दरें घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए कि वह इक्विटस हो, कहीं ऐसा न हो कि आपकी छूट का लाभ धनिक वर्ग के लोगों को ज्यादा पहुंचे तथा सामान्य आदमी को कम लाभ मिले।

अपराह्न 5.01 बजे

[**श्री पी.एम. सईद** *पीठासीन हुए*]

अब मैं आपके सामने एक छोटी-सी जानकारी रखना चाहता हूँ। वर्तमान बजट के पहले अगर एक आदमी की सालाना इन्कम 60 हजार रुपय थी, उसे 3,000 रुपय टैक्स देना पड़ता था, यानी उसकी डिस्बर्सेबल इन्कम 57 हजार रुपए हुई जबकि बजट पेश होने के बाद, उसे अब 2,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा जिससे उसकी डिस्बर्सेबल इन्कम 58 हजार रुपए हो गई। इस तरह बजट के बाद उसकी इन्क्रीमेंटल डिस्बर्सेबल इन्कम 1.75 परसेंट बढ़ी। दूसरी तरफ जिस आदमी का सालाना इन्कम तीन लाख रुपए थी, प्री-बजट टाइम में उसे 93,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था जबकि बजट के बाद अब उसे 65,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उसकी इन्क्रीमेंटल डिस्बर्सेबल इन्कम 13.5 परसेंट बढ़ गई। इस गैप को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ क्यों एक तरफ 1.75 परसेंट की वृद्धि हुई और दूसरी तरफ 13.5 परसेंट की वृद्धि हुई है। इस बढ़ी हुई इन्कम को अगर आप किसी ढंग से देश के उत्पादन कार्यों में लगा सकें तो मुझे खुशी होगी लेकिन जैसा हमारे नेता वाजपेयी जी ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि ऐसी इन्कम कन्ज्यूमरिज्म को बढ़ाती है, यह इन्कम विदेशी निवेशकों को, विदेशी निर्माताओं को ज्यादा फायदा देगी। मैं चाहता हूँ कि यह बढ़ी हुई इन्कम देश के उत्पादन कार्यों में लगे, लेकिन इस पर आपने कोई विचार नहीं किया।

मैं इस बात से जरूर सहमत हूँ कि आयकर की दरें घटनी चाहिए लेकिन इस बात से चिन्तित हूँ कि घटी दरों से जिन लोगों के पास धन जाएगा, उस धन का उपयोग कैसे होगा - क्या उसका उपयोग देश में इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाएगा, प्रोडक्टिव कार्यों में किया जाएगा या पर्सनल लक्जयूरियस आइटम्स की खरीद के लिए होगा। यही बात डिविडैंड के मामले में भी लागू है। इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया कि बहुत अधिक मात्रा में जिन लोगों को डिविडैंड मिलेगा, वे उसका उपयोग कैसे करेंगे। यह एक सवाल है, जिस पर आपको चिन्तन करना चाहिए। मेरी चिन्ता इसलिए भी है क्योंकि आज जो लाभ मल्टीनेशनल कम्पनियों को हो रहा है, उसके आंकड़े मेरे पास हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं।

अमेरिका ने पिछले दस वर्षों में दुनिया के विभिन्न देशों में जितना इन्वैस्टमैंट किया है, उसका 56 परसेंट प्रोफिट अमेरिका को वापस चला गया है। इसका डिवीजन भी मेरे पास है। अमेरिका ने डैवलप्ड कंट्रीज में जितना इन्वैस्टमेंट किया, उसका 47 परसैंट प्रौफिट उसे वापस मिल चुका है जबकि अंडर-डैवलप्ड कंट्रीज में उसने जितना इन्वैस्टमेंट किया था, उसका 71 परसेंट प्रौफिट उसे वापस गया है। कल जो प्रोफेसर आपसे मिले थे.....*(व्यवधान)* उन्होंने आपको बताया होगा कि कितनी बड़ी मात्रा में अंडर-डैवलप्ड कंट्रीज से इंटरैस्ट डैवलप्ड कंट्रीज को जा रहा है - 1,40,000 डॉलर प्रति मिनट इंटरैस्ट अंडर-डैवलप्ड कंट्रीज से डैवलप्ड कंट्रीज को जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : किन्तु आप लाभांश पर कर की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं?

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं यह कह रहा हूँ कि समस्त ढांचे की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाए कि यह समान रहे।

[हिन्दी]

इसे घटाना चाहिए लेकिन जो ज्यादा आमदनी है, उसका उपयोग देश में प्रोडक्टिव कामों में होना चाहिए, ऐसी प्रोडक्टिव व्यवस्था में होना चाहिए जो इन्वैस्टमेंट तथा सेविंग्स की फ्रेंडली हो। इसे आप घटा सकते हैं लेकिन घटाने के साथ-साथ, इसे सेविंग्स के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़िए। इसीलिए हमने कहा है कि वालेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम से होने वाली आमदनी जब केन्द्रीय सरकार की आमदनी है, उस आमदनी को किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर में, पावर क्षेत्र में, ड्रिंकिग वाटर के क्षेत्र में, रूरल री-कंस्ट्रक्शन में, रोडस पर, गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए, स्लम ड्वैलर्स के लिए मकान बनाने पर लगाइए जिससे इस देश का विकास हो और जैसा आप चाहते हैं कि काला धन यहां वापस आए, खुले रूप से लोगों के पास आए, आपका वह मनोरथ भी सिद्ध होगा।

सभापति महोदय, जिस रूप में हम चाहते हैं, उसकी इन्कम को उधर इनवैस्ट कीजिए। यदि नहीं करेंगे, तो देश का क्या होगा, यह आप देखिए। मुंशी जी आप तो इनका समर्थन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब तो दया कीजिए।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं तो हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं सामान्य तौर पर बहुत कम बोलता हूँ। लेकिन आज यह मसला ऐसा है जिसमें मुझे हिन्दुस्तान के आम आदमी की, हिन्दुस्तान के गरीब आदमी की, हिन्दुस्तान के छोटे आदमी की चिन्ता है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के 15 सदस्य और बोलने वाले हैं, मुझे उनकी चिन्ता है।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : गरीब आदमियों की चिन्ता करने वाले मेरे 15 साथी और हैं, यह खुशी की बात है।

वित्त मंत्री जी से मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बचत को, आम जनता के लिए, आम आदमी के हित के लिए लगाएं। देश आपको याद करेगा। नहीं, तो स्वप्न की तरह, जब सुबह होगा, तो वह देखेगा कि कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कीजिए। स्वप्न लोक में मत रहिए। हमें यथार्थ की दुनिया में रहना है। आप यथार्थ में आइए। आप जमीन पर आइए और आम आदमी की कठिनाई को समझिए।

[अनुवाद]

डॉ॰ देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से वित्त विधेयक, 1997 का समर्थन करता हूँ क्योंकि मेरी पार्टी इस सरकार की समर्थक पार्टियों में से एक है। किन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुझे कुछ आपत्तियां और आलोचना व्यक्त करनी ही होंगी।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्त विधेयक सरकारी राजकोष के राजस्व के स्रोत से संबंधित है। इस सभा को आम बजट पर चर्चा करने का अवसर मिला है जो सामान्यता सामाजिक सेवाओं और कई अनेक योजनाओं के संबंध में व्यय के आंबटन तथा प्राथमिकताओं से संबंधित है। वित्त विधेयक मुख्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व के स्रोत से संबंधित होता है। कराधन की नीति, जिसे वित्त मंत्री ने अब अपनाया है उसे कर सुधारों को जारी रखना, पुष्टि करना और स्वीकार करना है, जिन्हें पूर्व सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। पूर्व-सरकार की कर सुधार नीति उस आर्थिक नीति का एक पहलू है जिसे जून, 1991 में शुरू किया गया था। और इसने जीवन के सभी क्षेत्रों, आर्थिक, औद्योगिक, कृर्षि, सामाजिक सेवा और गरीबी उन्नमूलन उपायों में भी अच्छे परिणाम दिए हैं।

मैं इसके लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ कि 13 राजनैतिक दलों के भिन्न-भिन्न स्वरों से राजनैतिक जीवन में एक नये प्रयोग करके वे यह नयी कर सुधार नीति ला सके हैं; जो संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में से एक मद है। मैं भिन्न-भिन्न स्वर के साथ क्यों कह रहा हूँ, समर्थक दलों में से एक दल - मेरा मतलब वाममोर्चा, सी.पी.आई. (एम) और अन्य वाममोर्चा राजनैतिक दल से है - दो स्वरों में बोलते हैं। जैसा कि पूर्व वित्तमंत्री ने अनेक अवसरों पर जब वे इस सभा में आये, बताया है कि वे उदारीकरण और नयी आर्थिक नीति का विरोध करते हैं; परन्तु जब वे अपने राज्य में गए, तो उन्होंने विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया और ऐसा करना ठीक ही है। उनके नेता विदेशों का दौरा करते हैं; विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु करोड़ों रुपए खर्च करते हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : और फिर भी कुछ नहीं हुआ।

डॉ॰ देवी प्रसाद पाल : फिर भी होता कुछ नहीं। केवल दौरा करने पर काफी खर्च हो गया है। जब वे इस सभा में आते हैं वे नयी आर्थिक नीति का प्रबल विरोध करते हैं।

भिन्न-भिन्न स्वरों के बावजूद वित्तमंत्री नयी कर सुधार नीति लाने और इसे स्वीकार कराने में सक्षम रहे हैं।

जैसा कि डॉ॰ राजा चैल्लैया समिति ने बताया था, कर सुधारों का एक उद्देश्य यह है कि कर दरों में कटौती की जानी चाहिए। कर साधारण होना चाहिए और इसके साथ-साथ कराधान कानून का सख्ती के साथ पालन किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने भी यही नीति अपनायी है। इस नीति पर आकर उन्होंने व्यक्तिगत और निगमित क्षेत्र के लिए भी करों की दरों में कमी की है। निःसंदेह, 65,000 रुपए तक की व्यक्तिगत आय पर अब जो कर लगाया जायेगा वह 10 प्रतिशत होगा। 66,000 रुपये से 1,50,000 रुपए तक 20 प्रतिशत; और 1,50,000 रुपए से अधिक रुपयों पर 30 प्रतिशत होगा। निःसन्देह यह एक स्वागत योग्य उपाय है। यह मध्यम वर्गीय लोगों को और लाखों करदाताओं को भी राहत पहुँचायेगा। जैसा कि उन्होंने ठीक ही बताया है कि 95 मिलियन लोगों के देश में केवल 12 मिलियन लोग कर अदा करते हैं। यह सबसे अधिक आश्चर्यजनक है कि केवल 12,000 ऐसे लोग ही कर अदा करते हैं, जिनकी आय 10 लाख से अधिक है। अतः यदि कर ढांचे को व्यापक बनाया जाना है तो उन लोगों पर अधिक ध्यान देना होगा जिनकी आय बहुत अधिक है, किन्तु उनकी संख्या केवल 12,000 ही है। इसलिए इन कमियों को दूर करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

मैं निगमिता क्षेत्र में करों की दरों को कम करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। 7.5 प्रतिशत अधिभार जिसके लिए पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा भी वायदा किया गया था, अब समाप्त कर दिया गया है। निगमित कर को 40 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया है। निश्चित रूप से यह विकास के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु निगमित क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। किन्तु इसके साथ-साथ वित्त मंत्री ने नियमित क्षेत्र द्वारा वितरित किए जा रहे लाभांश पर 10 प्रतिशत की नयी कर दरें प्रारम्भ की हैं। कम्पनियां अपने कर लाभों में से लाभांश देती हैं। कर लगाने के बाद लाभ वितरण के लिए उपलब्ध होता है। जो कर लाभों अर्थात लाभांशों पर 10 प्रतिशत पुनः कर लगाया गया है। इस तरह यह उसी आय पर दोहरा कराधान है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि वह इस पहलू पर विचार करें। अंततोगत्वा कर की यह दर 35 प्रतिशत नहीं होगी। बल्कि यह 40 प्रतिशत के आस-पास होगी। ऐसा इसलिए है, यदि कम्पनियां अपने लाभ का 50 प्रतिशत लाभांशों के द्वारा बांटती हैं तो कर की दर 10 प्रतिशत ही होगी। इसलिए अततः कर की दर 35 प्रतिशत नहीं होगी। परन्तु यह इससे कुछ अधिक होगी यह 40 प्रतिशत के लगभग आ जाएगी।

वित्त मंत्री ने एक स्पष्टीकरण दिया है कि कम्पनियां प्रायः अपने लाभ की राशि का बड़ा भाग लाभांश के रूप में वितरित करती हैं तथा विकास और निगमित क्षेत्र में निवेश के लिए करती हैं तथा मामूली अथवा नगण्य राशि ही जोड़ती हैं। मैं सोचता हूँ कि यह सही स्पष्टीकरण नहीं है। यदि कम्पनियों की दरें कम हैं तब स्वाभाविकरूप से वे अपने लाभों की अधिक राशि अपने व्यवसाय में और निग-मित क्षेत्र में पुनः निवेश करेंगी।

वित्त मंत्री ने धारा-10 उपधारा 33 के अंतर्गत लाभांश पर भी कर समाप्त कर दिया है। यह अत्यन्त स्वागतयोग्य कदम है। इसे बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इसका कारण यह है कि यदि लाभांश पर कर लगता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एक ही आय पर दो बार कर लगा रहे हैं। आपने पहले ही कम्पनी की आय पर कर लगा चुके हैं और आप कर दाता के पास पहुंची उसी आय पर पुनः कर लगा रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे लाभाशों पर कर से छूट देने पर विचार करें यदि लाभाशों पर कर से छूट दी जाती है तो यू.टी. आई. अथवा म्यूचवल फन्डों द्वारा दिए गए लाभांश को भी यही रियायत दी जानी चाहिए। वस्तुतः विधि के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट द्वारा दी जा रही धनराशि यू.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत लाभांश मानी जाती है। धारा 80 एल के अंतर्गत भी जिसमें आंशिक रूप से छूट दी जाती थी म्यूचवल फन्डों से प्राप्त लाभांश आय म्यूचुअवल फन्ड पर ब्याज तथा यू.टी.आई. से प्राप्त लाभांश को भी एक ही श्रेणी में रखा गया था।

लेकिन अब इस छूट से केवल लांभाश आय तक ही सीमित रहने के परिणामस्वरूप कठिनाइयां पैदा होगी। कम्पनियों के शेयरों से प्राप्त होने वाले लाभांश की अनिश्चितताओं से बचने के लिए मध्यम वर्ग के बहुत से लोग आने धन को म्यूचवल फन्डों अथवा यू.टी.आई. में निवेश करते हैं इसलिए यदि यह छूट उन्हें नहीं दी जाती है तो मेरे विचार से इससे मध्यम वर्ग के लोगों, जिनके लिए वित्त मंत्री इतने चिन्तित हैं के लिए मुश्किलें पैदा होंगी।

निगमित क्षेत्र में जब दस प्रतिशत कर लाभाशों के वितरण पर आधारित है। इसमें परेशानियां पैदा होंगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एक कम्पनी ने 10 लाख रुपये का लाभ लाभांश के रूप में वितरित किया। दूसरी कम्पनी को वह धनराशि लाभांश के रूप में प्राप्त हुई क्योंकि वह शेयर धारक है यदि वह कम्पनी उस आय को दोबारा अपने शेयर धारकों में बाँटती है तो 10 प्रतिशत कर दोबारा लिया जाएगा; और यदि तीसरी कम्पनी अपने शेयरधारकों में इसी लाभांश आय को पुनः बांटती है तो 10 प्रतिशत कर की पुनः उगाही की जाएगी। अतः कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे एक कम्पनी को ही 10 प्रतिशत कर देना पड़े, यदि कोई भी लाभांश किसी दूसरी कम्पनी को दिया जाता है तब उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय ने न्यूनतम वैकल्पिक कर में कतिपय संशोधन किए हैं पिछले वर्ष जब उन्होंने इस न्यूनतम वैकल्पिक कर की शुरूआत की थी, तब मैंने सभा में बोला था तथा सन् 1991 में भी मैंने कहा था कि यह कर समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इससे निगमित क्षेत्र में ढेर सारा निवेश होगा। वित्त मंत्री महोदय ने इसे अब न्यूनतम वैकल्पिक कर की आरंभ करने के कारण मान लिया है। पूरे उद्योग जगत पर इसके हानिकारक प्रभाव संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः जब वित्त मंत्री ने वर्ष 1996-97 के लिए बजट प्रस्तुत किया था, न्यूनतम वैकल्पिक कर के रूप में शून्य कर कम्पनियों पर कर के बावजूद 500 करोड़ रुपये की कमी थी। इसलिए, यह दर्शाता है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के रूप में राजस्व की अधिक वसूली नहीं की जा सकी परन्तु उन्होंने कर ऋण क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ विशेषतायें भी शामिल की हैं जोकि उन्होंने कम्पनियों को दी हैं, जो बाद के वर्षों में लाभ कमायेंगे; तब लाभ पर कर अदा करने तथा न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसे पहले वर्ष अदा किया जा चुका है के बीच का अन्तर कर होगा जिसे दिया जाना है तथा यह पांच वर्षों तक जारी होगा।

कतिपय कठिनाइयाँ हैं जिन्हें मैंने वित्त मंत्री के विचार करने हेतु बताया है। माना कि किसी कम्पनी को किसी दूसरी कम्पनी से मिला दिया जाता है। इन दिनों रुग्ण कम्पनियों को लाभकारी अथवा बड़ी कम्पनी के साथ मिला दिया जाता है। यदि रुग्ण कम्पनी न्यूनतम वैकल्पिक कर अदा कर चुकी हैं और जब विलय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समंजन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि इसका विलय कम्पनी द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है, जिसके साथ इसे मिलाया जा रहा है जिसका अब विलय किया जा चुका है।

धारा 32(ए) उपधारा-6 के अंतर्गत निवेश भर्तों के मामले में इसी तरह का प्रावधान है। यदि किसी कम्पनी को दूसरी कम्पनी के साथ मिला दिया जाता है तो पहले वाली कम्पनी दूसरी कम्पनी को उपलब्ध अविध के लिए निवेश भत्ते को प्राप्त करने की हकदार हो जायेगी। मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री को समस्या के इस पहलू पर गौर करना चाहिए तथा जहां एक कम्पनी को दूसरी कम्पनी के साथ मिला दिया गया हो वहां उचित ढंग से राहत देनी चाहिए।

जहां तक रुग्ण कम्पनियों का संबंध है मुझे कुछ कहना है। वित्त मंत्री ने कतिपय मामलों में न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट दी है। उदाहरण के लिए धारा 80 (एक) (क) जहां बुनियादी उद्योग हैं में उन्होंने छूट दी है और यह ठीक भी है उदाहरणार्थ धारा 80 के अंतर्गत निर्यात से प्राप्त लाभ के मामले में छूट दी गई है। अन्यथा यदि निर्यात उद्योग को 100 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं दिया जाता तो वह बना नहीं रह पायेगा। लेकिन यदि उन्हें अंकित लाभ का 30 प्रतिशत अदा करना है, तब इससे कठिनाई उत्पन्न होगी।

मैं खुश हूँ कि आज वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह सुनिश्चित किया है, कि यह छूट उन सोफ्टवेयर उद्योगों को भी उपलब्ध होगी, जो धारा 80 (एच) (एच) (ई) के तहत कर लाभों को प्राप्त करने के हकदार हैं।

जहां तक रुग्ण उद्योगों का संबंध है इसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कर निर्धारण के पिछले वर्ष जिस दिन से किसी उद्योग को रूग्ण घोषित किया जाता है उस दिन से लेकर जिस मूल्यांकन वर्ष के दौरान उद्योग की रुग्णता समाप्त हो जाती है और यह सुचारू ढंग से काम करने लगता है अर्थात इसकी निवल परिसम्पत्तियों

[डॉ० देवी प्रसाद पाल]

की दायितों में बढ़ोतरी होती है तब तक उस उद्योग को छूट दी जाती है। परन्तु जैसे ही जब भी कोई उद्योग ठीक से चलने लग जाता है तो यह आशा की जाती है कि कोई भी रुग्ण उद्योग इसके अंकित लाभ से 30 प्रतिशत से अधिक लाभ अर्जित नहीं कर सकता।

आमतौर पर यही स्थिति चलती है अतः जैसे ही रुग्ण उद्योग की रूग्णता समाप्त हो जाती है तो धारा 115 (क) लागू हो जाएगी और न्यूनतम वैकल्पिक कर भी लागू होगा और इसे इसके अंकित लाभ के 30% कर का भुगतान करना होगा। मैं कोई परिकल्पित उदाहरण नहीं दे रहा हूँ मेरे पास कई अभ्यावेदन आ रहे हैं और मेरे व्यवसाय में भी मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जब रुग्ण उद्योगों की रुग्णता खत्म हो जाती है और यदि उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करना पड़े तो वह पुनः रुग्ण हो जाते हैं अतः एक स्थिति ऐसी आती है कि जब यह न्यूनतम वैकल्पिक कर इन उद्योगों पर उनकी रुग्णता खत्म होने के दिन से ही लागू कर दिया जाता है तो फिर यह रूग्णता निरंतर चलती रहती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जब से कम्पनी की रुग्णता समाप्त हुई है तबसे कम से कम 2 वर्षों अथवा तीन वर्षों तक यह छूट मिलनी चाहिए अन्यथा उनके लिए लाभप्रद होना संभव नहीं होगा तथा वे पुनः रुग्णता में फंस जाएंगे।

जब वित्त मंत्री ने न्यूनतम वैल्पिक कर को लागू किया था तो कर ऋणों के लागू होने से कम्पनियों को कुछ राहत मिली क्योंकि यदि वे लाभ अर्जित कर रहे हैं तब 'मैट' के कारण कर ऋण 5 वर्षों में समायोजित हो जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कतिपय क्षेत्रों की शुरूआत भी की है जहां वे कर ढांचे में वृद्धि करना चाहते हैं। कर ढांचे में वृद्धि नई योजना के माध्यम से की गई है जिसके अन्तर्गत यदि कोई से भी दो मानदंड पूरे हो जाते हैं तब उन्हें अपनी अनिवार्य कर विवरणिका को जमा कराना होगा तथा जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 में संशोधन किया गया है। टेलीफोन कनैक्शन का होना उनमें से एक मानदंड है अन्य के बारे में, बेशक, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यदि विदेशी यात्रा की गई है तब इससे निश्चित रूप से एक बात उत्पन्न होगी कि वह व्यक्ति आय अर्जित करने वाला है जिसे कर अदा करना है। परन्तु जब हम टेलीफोन कनेक्शन रखने के मानदंडों को लेते हैं मैं वित्त मंत्री को सिर्फ यह याद करा रहा हूँ कि यहां तक कि दिल्ली में ही 12 लाख टेलीफोन हैं और यह एक प्रशासनिक रूप से असंभव कार्य होगा। इस समय वित्त मंत्री इसे महानगरों तक ही सीमित कर रहे हैं जब दिल्ली जैसे शहर में 12 लाख टेलीफोन हैं इसी तरह से मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में भी हैं। इसलिए यह एक प्रशासनिक समस्या होगी। इसमें जो लागत तथा ऊर्जा, विभाग द्वारा खर्च की जायेगी वह मन्त्री महोदय द्वारा अपेक्षित संग्रहित कर से अधिक होगी। अतः कुछ अन्य मानदंड अपनाने चाहिए।

हमारे जैसे देश में, मैं निश्चित रूप से कर ढांचे को बढ़ाने के पक्ष में हूँ, जब हम कुल जनसंख्या से इसकी तुलना करते हैं तो पता चलता है कि कर देने वाले बहुत थोड़े ही लोग हैं। हमारा अपना सर्वेक्षण विभाग है। सर्वेक्षण विभाग घर-घर जाता है, मुझे नहीं पता कि वह उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में क्या सक्षम नहीं हैं जो कर अदा नहीं करते हैं पूरे तन्त्र में कुछ कमियां हैं अथवा मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि वहां भ्रष्टाचार है। हमारा एक पूर्ण सुविधा सम्पन्न सर्वेक्षण विभाग है। सर्वेक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह घर-घर जाएं। यदि वह हर एक के घर जाता है तब उसे न केवल टेलीफोन कनेक्शन बल्कि सभी चीजें मिलेंगी। इसके बावजूद भी, मुझे नहीं पता कि कर दाताओं की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है।

अन्य चीजें सिर्फ जैसे स्वैच्छिक आय घोषणा योजना जिसे माननीय वित्तमंत्री ने शुरू किया है तथा भुगतान किये जाने वाले कर की दर घोषित राशि का 30 प्रतिशत होना चाहिए। स्वैच्छिक आय घोषण योजना के बारे में, मैं सिद्धान्तिक रूप से कुछ कहूंगा।

काले धन की रोकथाम तथा उसके सरलीकरण के लिए जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में वांचु समिति का गठन किया गया था, तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा स्वैच्छिक आय घोषणा योजना पहले भी थी, इसके बावजूद वांचु समिति ने कहा कि घोषणा करने से कोई भी लाभकारी उद्देश्यपूर्ण नहीं हुआ। हमने हमेशा आय संबंधी की गई घोषणा को देखा है। दूसरी तरफ इस प्रकार की घोषणा का सहारा केवल आपातकालीन स्थिति में लिया जा सकता है उदाहरणार्थ युद्ध के पश्चात अथवा संकट के समय। अन्यथा आमतौर पर यदि ये घोषणायें समय-समय पर की जाती हैं तो हमने देखा कि धारक बंध पत्र योजना से प्राप्त राशि के सिवाय हमारी कल्पना के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

अब जबकि अछेरिया समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। वांचु समिति ने सिफारिश की थी कि आमतौर पर बार-बार ऐसी घोषणाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में ईमानदार करदाताओं का कर प्रशासन की दक्षता से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि आप लाभांश दे रहे हैं तथा योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आप कालाबाजारी करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

अछेरिया कमेटी ने यह भी कहा कि इससे अधिक लाभकारी प्रयोजन पूरे नहीं होते हैं क्यों ? क्योंकि हमें स्वेच्छिक घोषणा योजना में महिलाओं तथा नाबालिगों के नाम मिलते हैं वे घोषण करते हैं और इन घोषणाओं का उपयोग परवर्ती अपवंचन के लिये किया जाता है इसलिए अछेरिया समिति ने सिफारिश की है कि इस तरह की बार-बार इन घोषणाओं का सहारा न लिया जाए।

स्वैच्छिक घोषणाओं में एक खास बात है जिससें मैं वित्त मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूँ। हम वर्ष 1997-98 में हैं। स्वैच्छिक घोषणा योजना से पता चलता है कि यदि घोषणा की जाती है तो 31 दिसंबर 1997 की अवधि तक कौन सी तिथि की घोषणा की गई क्योंकि तब उन्हें सरकार को 30 प्रतिशत कर अदा करना होगा तथा जुर्माने अभियोजन और यहां तक कि फेरा के अन्तर्गत कार्यवाही से भी प्रतिरक्षण प्रदान किया जाएगा।

अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ स्वैच्छिक घोषणा उन लोगों के संबंध में की जा सकती है जिन्होंने अभी तक अपनी विवरणी (रिटर्न) जमा नहीं कराई है अथवा जिन्होंने विवरणी में अपनी आय की सही तथा स्पष्ट घोषणा नहीं की है इसलिए एक व्यक्ति जो कि आकलन वर्ष 1997-98 के लिए विवरणी (रिटर्न) जमा कराता है को उसे कर वर्ष 1997 के मौजूदा दर के अनुसार देना होगा क्योंकि यह दर अगले वर्ष 1998-99 में 40 प्रतिशत की दर से होगी तथा यह अगले वर्ष के लिए ही लागू होगी। इस वर्ष एक ईमानदार कर दाता 40 प्रतिशत जमा करेगा परन्तु जिस व्यक्ति ने घोषणा की है उसे केवल 30 प्रतिशत ही जमा करना होगा, मेरी राय में इसकी जांच करने की आवश्यकता है।

अतः मैं वित्त मंत्री से इस पहलू की जांच करने का अनुरोध करूंगा। मैंने इस मामले को देखा है। हमारी चर्चा के दौरान उन्होंने इसका उल्लेख किया है क्योंकि यह एक नयी चीज है, यदि मैं ऐसा कहूँ तो।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सभा को वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व सभी मुख्य राजनैतिक दलों को आमंत्रित करने और उनके साथ चर्चा करने की एक नयी पद्धति प्रारम्भ की है। निश्चित रूप से वित्त मंत्री की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। उन्होंने अनेक सुझावों को स्वीकार अथवा उनके प्रति जवाब दिए किन्तु वर्ष 1997-98 में यदि कोई व्यक्ति आय विवरणी प्रस्तुत करता है क्योंकि वह ऐसा करने हेतु बाध्य है और यदि वह अपनी आय उजागर करता है तो उसका विद्यमान दरों, जो कि 40 प्रतिशत है के अनुसार आकलन किया जायेगा। तीस प्रतिशत की दरें अगले वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 1997-98 से ही लागू होंगी। जिसके लिए आकलन वर्ष 1998-99 है। किन्तु यदि वही व्यक्ति दिसम्बर, 1997 की अवधि के अन्दर अपनी आय घोषित कर देता है तो उसको 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा। काफी विसंगित विद्यमान है। अतः कुछ न कुछ करना होगा। अन्यथा क्या होगा? आप सभी ईमानदार करदाताओं को बेईमान बनने पर विवश कर देंगे। वे इस वर्ष 1997-98 में अपनी वास्तविक आय नहीं बतायेंगे। वे अपनी आय घोषणा में इसे दिखायेंगे इस प्रकार वे 10 प्रतिशत कर की बचत कर लेंगे। जान-बूझ के भी हो सकता है और अनजाने भी हो सकता है। किन्तु वित्त मंत्री के रूप में आप कृपया इस समस्या को देखें।

यदि मैंने ठीक कहा है तो कुछ न कुछ करना होगा ताकि ईमानदार कर दाता बेईमान नहीं बनें। वित्त मंत्री ने सेवा कर भी प्रारम्भ किए थे। निःसन्देह सेवा कर मुख्य भाग होना चाहिए जैसा कि हम आशा करते हैं, कुछ कठिनाइयां हैं; जिनका कि उल्लेख किया गया है। ट्रक आपरेटरों का मामला उनमें से एक है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जहां हमें यह सोचना होगा कि इन लोगों जो सेवा कर रहे हैं; से कर वसूल करना कितना व्यवहारिक होगा। इस क्षेत्र में अक्सर आय छुपा ली जाती है।

आय की घोषणा करने वाली योजना तभी प्रभावी हो सकेगी कि आपकी मशीनरी निश्चित रूप से कुशल और ईमानदार हो। आज कर कानून कर समग्र प्रशासन भ्रष्टाचार द्वारा बिगड़ा हुआ है। आप इस बात को समझेंगे कि प्रशासनिक तन्त्र में सर्वोच्च व्यक्ति भी राज्य में नहीं - हम सभी आरोपों से उन्मुक्त नहीं हैं। मैं एक विशेष मामले के बारे में जानता हूँ, जहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लायी गयी थीं और उनसे कहा गया था कि एक व्यक्ति विशेष सेवानिवृत्त हो रहा है, जिसे एक करोड़ रुपये लेना था। वे इससे सहमत नहीं थे। अतः विशेष लेखा परीक्षक नियुक्त करके उन्हें परेशान किया गया। हमें आज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाना पड़ा, उसके बाद किसी विशेष लेखा परीक्षक के बिना मूल्यांकन अभी भी चल रहा है। यदि आप इस भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते हैं तो अघोषित आय सामने लाने के लिए आपके सभी प्रयास पूर्णतया व्यर्थ हो जायेंगे। अतः भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास किये जाने चाहिए।

राजा चेल्लैया समिति ने बताया कि यदि आप यह पाते हैं कि कोई आय-कर अधिकारी, सीमा-शुल्क अधिकारी अथवा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी बढ़ा-चढ़ा कर मूल्यांकन कर रहा है और कि इस बढ़े चढ़े मूल्यांकन को दो स्तरों पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो उसे स्पष्टीकरण देना होगा कि उसने बढ़ चढ़ा कर मूल्यांकन क्यों किया है। अतः ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि सामान्यतया यह पाया जाता है कि इस प्रकार के बढ़े-चढ़े मूल्यांकन सुस्पष्ट कारणों के लिए किए जाते हैं। तब आपको कोई स्थगन नहीं मिलेगा। अब न्यायालय स्थगन देने में बहुत कठोरता बरतता है। तब क्या होगा? यदि आपकी आय एक लाख रुपए है और आपका मूल्यांकन 20 लाख रुपये के लिए जाता है - अक्सर यह किया जाता है - और यदि इसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो उसे यह स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि उसने बढ़ा-चढ़ा कर मूल्यांकन क्यों किया। यदि वह स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है, तो कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि आप अपने विभाग में भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते हैं तो आपको इस आय घोषणा योजना से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

कृपया आपको यह भी याद रखना होगा कि आय घोषणा योजना आय छुपाने के संबंध में है। आपने कहा कि इस अघोषित आय, जो प्राप्त की जाती है, में से 77.5 प्रतिशत राज्यों को चला

[डॉ० देवी प्रसाद पाल]

जायेगा। यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु तब क्या राज्य आपको सहयोग देंगे? बहुत सा करापवंचन स्टेम्प कर, बिक्री कर आदि मामले में होता है। ये राज्य विषय हैं। तब, राज्यों को भी आपके साथ समान रूप से सहयोग करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि स्टेम्प कर, बिक्री कर आदि में करापवंचन न हो जो कि बहुतायत में व्याप्त है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भी करापवंचन किया जाता है। अतः यदि आय घोषणा योजना को अघोषित आय तक ही सीमित करते हैं, तो इससे आपका समग्र उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों - उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा कहूँ कि माननीय वित्त मंत्री ने अनेक उपाय प्रारम्भ किए हैं जो कि स्वागत योग्य हैं। सीमाशुल्क में उन्होंने आयात शुल्क कम किया है। किन्तु इसमें एक आशंका है और यह उचित भी है कि आयात शुल्क कम करने से हमारे देश में विदेशी सामान आने लग जायेगा।

डॉ० जोशी ने बताया है कि देश में विदेशी निवेश होने का खतरा है। मुझे इसकी बिल्कुल आशंका नहीं है। चीन जैसे देश में भी भारत से कम से कम 15 से 20 गुना अधिक विदेशी निवेश हो रहा है।

अतः यदि चीन अपनी अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को छूट दे सकता है तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि औद्योगिक विकास में तेजी लाने हेतु हम विदेशी निवेश की अनुमति न दें। इस देश में विदेशी निवेश या तो शेयर पूंजी के रूप में या फिर तकनीकी जानकारी और कार्मिकों के रूप में आ सकता है। तकनीकी जानकारी के मामले में, मैं माननीय वित्त मंत्री को एक बात स्मरण कराना चाहता हूँ। अब तक विदेशी मुद्रा विदेशी सरकार अथवा विदेशी उद्यम के पास उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता, वैज्ञानिक जानकारी अथवा तकनीकी ज्ञान के जरिये किसी व्यक्ति विशेष अथवा परामर्शदाता फर्मों द्वारा प्राप्त की जाती थी और वे इतनी ही विदेशी मुद्रा लाते थे जितनी कि कोई औद्योगिक उपक्रम अपने निर्यात से ला सकता था। अब तक, धारा 80 (ओ) के अन्तर्गत परामर्शदात्री सेवाओं से हुई आय पर 50 प्रतिशत छूट दी जाती थी जो विदेशी सरकारों अथवा विदेशी उद्यमों को उपलब्ध थी। दुर्भाग्यवश इस वर्ष में इसे निकाल दिया गया है। धारा 80 (ओ) के अन्तर्गत उन्होंने विदेशी मुद्रा लाने के उद्देश्य से पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कापीराइट और ऐसी अन्य चीजें जो विदेशी सरकार अथवा विदेशी उद्यमों को उपलब्ध हैं, तक ही इसे सीमित रखा है। किन्तु एक वैज्ञानिक अथवा एक तकनीकी परामर्शदाता अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो अपने तकनीकी ज्ञान से विदेशी मुद्रा लाता है, को क्या इस छूट से वंचित किया जाये। आज भारतीय विशेषज्ञता में बहुत अधिक सुधार आया है। हमारे सॉफ्टवेयर उद्योगों में हमारे तकनीकी कार्मिक अथवा हमारे वैज्ञानिक दुनिया में किसी से भी कम नहीं हैं। तब, यदि ये लोग विदेशी सरकारों अथवा विदेशी उद्यमों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराकर देश में विदेशी मुद्रा लाते हैं तो उन्हें इस कर लाभ से क्यों वंचित रखा जाए। इस ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण से यह पता चलता है कि इस मामले में खामियां हैं इन खामियों को दूर किया जा सकता है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि सही व्यक्ति, जिसके पास परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसे वे बाहरी देशों को उपलब्ध कराते हैं तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, को लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यह विसंगति क्यों हैं? मैं इस बात को समझ नहीं सका हूँ।

उत्पाद शुल्क के संबंध में मुझे एक बात का पता लगा है। अनेक प्रकार की वस्तुएं ऐसी हैं जहां निवेश पर शुल्क और अंतिम उत्पाद पर शुल्क समान है। इससे कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। एम. ओ.डी.वी.ए.टी. योजना के अन्तर्गत सामान्यतया योजना यह है कि आदानों पर कम उत्पाद शुल्क लगता है ताकि उन्हें अंतिम उत्पाद पर लगी ड्यूटी से समायोजित किया जा सके। किन्तु ऐसे अनेक मामले हैं जहां निवेशों पर उत्पाद शुल्क और अंतिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क समान है।

मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे अन्य महत्वपूर्ण विसमानता का पता चला है जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 क के अन्तर्गत वित्त मंत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया है। अब उत्पाद शुल्क अधिकतम खुदरा मूल्य के सन्दर्भ में विशेष वस्तुओं पर लगाया जायेगा। उत्पाद शुल्क निर्मित वस्तुओं पर लगाया गया शुल्क है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या संसद को अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है। माननीय वित्त मंत्री स्वयं एक प्रतिष्ठित वकील हैं और इसलिए, वह इस पहलू की जांच करेंगे कि क्या अधिकतम खुदरा मूल्य पर ऐसा शुल्क लगाया जा सकता है। खुदरा मूल्य से मतलब है बेची जाने वाली वस्तुओं का बिक्री मूल्य। खुदरा मूल्य निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए कभी मानदण्ड नहीं हो सकता है। सामान्यतया वस्तुओं का निर्माण उस शुल्क के अन्तर्गत किया जाता है जो मूल्य के हिसाब से लगाया जाता है और जो नियत स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यह एक ऐसा मामला है जहां संवैधानिक कठिनाइयां होने के अलावा यह उत्पाद शुल्क के सिद्धांत के अनुसार भी है, यह उचित नहीं होगा। यह राज्यों के क्षेत्र पर अतिक्रमण करना होगा, खुदरा बिक्री मूल्य पर बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य का है। यह एक ऐसा मामला है जिसकी माननीय वित्त मंत्री को जांच करनी चाहिए।

अब कुल मिलाकर, वित्त विधेयक तैयार कर लिया गया है- यदि मैं ऐसा कहूँ तो - कुछ उपाय, जिन्होंने अनेक क्षेत्रों के लोगों, मध्यम वर्गीय लोगों, निवेश करने वाले लोगों की आशाओं को पूरा किया है और इसलिए उन्हें बधाई देनी होगी।

किन्तु साथ ही जब मैंने पाया कि व्यय को किए प्रकार पूरा किया जाता है, आवंटन की प्राथमिकताओं पर पहले ही चर्चा की गयी है और समय, मुझे इसके विस्तार में जाने की अनुमति नहीं देता है। किन्तु मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उन्होंने गरीबी उन्मूलन योजना, सामाजिक सेवा क्षेत्र आदि के संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं यह कह सकता हूँ कि यदि हम वह राशि देखें जो वर्ष 1995-96 के बजट में पूर्व-कांग्रेस सरकार द्वारा-खर्च अथवा निर्धारित की गयी थी, वित्त मंत्री द्वारा अब निर्धारित की गयी राशि उस राशि से अधिक नहीं है; यह उससे बहुत कम है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भी 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाना था, किन्तु अब 1997-98 के बजट में केवल सात लाख आवासों का निर्माण करना, निर्धारित किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक सेवा कार्यक्रमों चिकित्सा योजनाओं आदि के संबंध में आवंटित की गयी राशि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा आवंटित की गयी राशि से अधिक नहीं है। अतः प्राथमिकताओं के आवंटन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसे बढ़ा हुआ कहा जाए तथा इसके साथ ही, अब 16,000 करोड़ रुपये हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। यह मुद्रा स्फीति पर दबाव कहां तक डालेगा, केवल समय तथा आने वाले महीने ही इसे बतायेंगे। इसके अतिरिक्त, हमें पहले ही तेल के मूल्य की वृद्धि की आशंका है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह बताया गया है कि तेल मूल्य बजट आंकड़ों का एक भाग है। अतः जब हम मुद्रा स्फीति का प्रश्न उठाते हैं, यदि हम तेल मूल्य जो बढ़ गया है को निकाल दें तो यह उचित नहीं है।

महोदय, कुल मिलाकर, वित्त विधेयक निःसंदेह एक अच्छा विधेयक है। पहले बताई गई आपत्तियों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं वित्त मंत्री को उनके द्वारा किए गए इस कठिन कार्य के लिए दोबारा बधाई देता हूँ। उनके द्वारा किया गया यह एक कठिन कार्य है। क्योंकि यह बोझ राजनीतिक दलों द्वारा डाला गया है और प्रत्येक दल अपनी-अपनी बात कह रहा है। कोई कहता है कि बीमा का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए और कोई कुछ अन्य बात कहता है। वे एक स्वर में नहीं बोलते हैं। इसके साथ-साथ वित्त मंत्री ने बीमा के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लाने की साहसिक कार्यवाही की है तथा मुझे आशा है कि यह उन अनेक प्रगतिशील उपायों, जो वह प्रारम्भ करेंगे, के लिए केवल प्रस्तावना ही होगी। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री को उनके द्वारा प्रस्तुत बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, अब जनता दल की बारी है। मैं कल बोलूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम : सभापति महोदय, क्या हम छः बजे के बाद भी बैठ रहे हैं या केवल छः बजे तक?

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार मेरे विचार में, हम सात बजे तक बैठ रहे हैं।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया था कि इस पूरे सप्ताह जब तक वित्त विधेयक पारित नहीं हो जाता, हम सात बजे तक बैठेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : श्री चटर्जी, कृपया आज बोलिए, अन्यथा, हम वाद-विवाद कैसे पूरा करेंगे?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप मेरे बीच में हस्तक्षेप करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने किसी के बीच में भी हस्तक्षेप नहीं किया है। मैं आपके भाषण में हस्तक्षेप करने से बचूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं बजट और वित्त विधेयक में निहित वित्त मंत्री जी के दृष्टिकोण को समझ नहीं सका हूँ। बजट सम्बंधी अपने समापन भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा कि बजट को इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि यह अमीर लोगों या निर्धन लोगों के फायदे में है। इसके लिए उस समय संगत केवल विकास और विकास ही था।

महोदय, हम भी विकास के समर्थक हैं। हम जानते हैं कि विकास के लिए आवश्यक शर्त यह है कि मानव का विकास हो। परन्तु यह समुचित शर्त नहीं है। क्या मैं आपका ध्यान कुछ सामान्य ऐतिहासिक तथ्यों की ओर दिला सकता हूँ। पिछले 500 वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है और भारी विकास हुआ है। अल्प-विकसित देशों में लोगों का विकास हुआ है। आप जानते हैं। परंतु लोग निर्धन हुए हैं। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी प्रति व्यक्ति आय का स्तर अत्यधिक होने के बावजूद 15 प्रति आबादी गरीबों की रेखा से नीचे बताई जाती है। हमें इसे समझना होगा। इसलिए हम महसूस करते हैं कि प्रौद्योगिकी में वृद्धि के बिना, उत्पादन में वृद्धि के बिना विश्व की प्रगति नहीं हो सकती थी। हम यह चाहते थे कि यह विकास इस ढंग से होना चाहिए जिससे समानता आती और न्याय मिलता है। जब तक यह विकास समानता और न्याय के जरिए नहीं होगा तो यह आम जनता के लिए निरर्थक होगा। इसलिए, बजट के प्रति किसी दृष्टिकोण को समझने के प्रयास में किसी को भी इस बजट में शामिल समानता के तत्व पर ध्यान देना होगा।

महोदय, कल ही हमने विनियोग विधेयक में चर्चा की थी और आज भी डा॰ जोशी सहित कई अन्य सदस्यों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि कतिपय क्षेत्रों पर अधिक धन व्यय किए जाने की आवश्यकता है परन्तु अन्य क्षेत्रों की कीमत पर नहीं। परन्तु यह धन आएगा कहां से? हमने जितना धन एकत्र करने का प्रस्ताव किया है उससे कहीं अधिक धन एकत्र करना पड़ेगा और जो प्रस्ताव

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

किया गया है वह अत्यन्त संदेहजनक है। मैं इस बारे में बाद में बोलूंगा। ऐसा किए बगैर हम मांगों को पूरा नहीं कर सकेंगे। यह वायदा किया गया था कि तीन माह पश्चात इसकी पुनरीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री ने पर्याप्त उदार हृदयता से कहा है कि वह और देंगे। यह उन्हें कहीं से प्राप्त करना पड़ता है। बजट भाषण के समय भी मैंने उल्लेख किया था कि विश्व के अग्रणी और विकसित देशों में भी सरकार के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद का 40 से 50 प्रतिशत तक ही खर्च किया जाता है। कृपया देखें कि जिन मुद्दों से श्री जॉन मेजर पराजित हुए उनमें से एक था।

कुमारी ममता बनर्जी : वह आप लोगों के कारण पराजित हुए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह कहती हैं कि श्री जॉन मेजर हमारे कारण पराजित हुए। क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में कदम रखा, इसलिए वह हार गए।

हमारे देश में राज्य और केन्द्र दोनों का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार 30 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करती है। अतः यदि हम कृषि पर और अधिक खर्च करना चाहते हैं यदि हम रेलवे पर और अधिक खर्च करना चाहते हैं, यदि हम सिंचाई पर और अधिक खर्च करना चाहते हैं; विद्युत पर और अधिक खर्च करना चाहते हैं तो हमें हमारे प्रयासों से मिलने वाली राशि से काफी अधिक राशि साकारी कोष से प्राप्त करनी होगी। क्या सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों से धन इकट्ठा कर सकती है? वे किस से इकट्ठा कर सकते हैं? यह कहा जाता है कि देहात और शहरी क्षेत्रों का ध्यान रखने के बाद 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के पास आधुनिक औद्योगिक माल खरीदने की क्षमता नहीं है।

महोदय, सभी आंकड़ों को गलत उद्धृत किया गया है। मैंने कितनी ही बार यह बताया है, किन्तु बार-बार दोहराना हमारी आदत है।

सभापति महोदय : यह आंकड़े हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमारी सूची में व्यक्तिगत आयकरदाता शामिल हैं। जिसकी संख्या 1.20 करोड़ नहीं है। वे मात्र 88 लाख हैं। इन आंकड़ो में वे लोग भी शामिल हैं जो व्यक्तिगत के साथ-साथ निगमित लाभांश के दोहरे कराधान की बात करते हैं। वे भूल जाते हैं कि 1.20 करोड़ में से 88 लाख निजी व्यक्ति हैं और शेष निगम से जुड़े हुए हैं। जो दोहरे कराधान की बात करते हैं वे नहीं चाहते कि हम यह समझें कि वे करों की दृष्टि से वे हमसे भिन्न हैं, और अतः यहां दोहरे कराधान का प्रश्न नहीं है। यदि हम कहते हैं कि ये 88 लाख व्यक्ति जनसंख्या का एक प्रतिशत हैं तो परिवार की दृष्टि में यह एक प्रतिशत से बहुत अधिक होगा। भारत में लगभग 20 करोड़ परिवार हैं और यदि हम अनुमान लगाएं कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति आय अर्जित करता है, तो इसका अर्थ होगा कि कम से कम पांच प्रतिशत परिवारों से कर लिया जा रहा है। यदि हम ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को जोड़ते हैं। हम कह सकते हैं कि उन्हें कर से छूट है। - अन्य 5 प्रतिशत आ सकते हैं। इसलिए दस प्रतिशत परिवार प्रत्यक्ष कर देने के योग्य हैं। आंकड़े दस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। वित्त विधेयक ने उन लोगों को स्पष्ट रूप से राहत देने का कार्य किया है ताकि उन लोगों को, जो सरकारी कोष में योगदान कर सकते थे, कुछ भी नहीं देना पड़े।

हम कर ढांचे की बात करते हैं, डॉ० जोशी यहां नहीं हैं। कतिपय अर्थ में, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को भी कर ढांचे में सम्मिलित किया गया है। वे कर ढांचे में क्यों हैं? जब हम कर ढांचा बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम अप्रत्यक्ष करों की बात नहीं करते, बल्कि वास्तव में हम प्रत्यक्ष करों की बात करते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख है कि, कर ढांचा बढ़ाने के प्रयास में, हमने इतने बड़े छिद्रों वाला ढांचा विकसित किया है कि उसमें से सारी बड़ी मछलियां निकल जायेंगी। इस दृष्टिकोण पर प्रगति-रोधी या प्रगति बाधक के रूप में माना जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। यहां आंकड़े हैं। मैं चकित हूं कि डॉ० जोशी जैसे बुनियादी उसूल वाले व्यक्ति ने इन बातों के बारे में नहीं बताया। मैं उस पर बाद में आऊंगा। उन्होंने केवल यही जानना चाहा था कि सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्यों के संबध में क्या कर रही है।

अब हम प्रस्तावित वृद्धि दर देखेंगे।

अपराह्न 05.54 बजे

[**श्रीमती गीता मुखर्जी** *पीठासीन हुईं*]

सभापति महोदय, आपके जाने से पहले क्या आप सभापति महोदय को यह बताएंगे कि आपने मुझे अपराह्न 7.00 बजे तक बोलने की अनुमति दी है?

यह वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि कर ढांचे के क्रमिक के स्वभाव के संकेतकों में से एक है कि आप अप्रत्यक्ष करों के बजाए प्रत्यक्ष करों से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अपनी प्रकृति में अप्रत्यक्ष कर पश्चगामी हैं। आप अमीर के साथ-साथ गरीब से गरीब व्यक्ति, जो माचिस खरीद रहे हैं, से भी एक माचिस पर दस पैसे का कर लगाएं।

यह पश्चगामी माना जाता है। किंतु प्रत्यक्ष कर क्रमिक है, क्योंकि यह जरा भी आनुपातिक नहीं है और पश्चगामी भी नहीं है। यह माना जाता है कि और कोई भी मना नहीं करता है कि यदि आपकी अच्छी आय है तो आप एक बड़ा अंश अलग कर सकते हैं। उतना ही नहीं जितना कि वह व्यक्ति जिसकी आय कम है इसीलिए प्राथमिकता है - मैं सदन को बता सकता हूं - कि

कार्ल मार्क्स ने भी अपनी पहली ऐतिहासिक पुस्तक, जो ''कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो'' के रूप में जानी जाती है, समाजवादी दौर के दौरान यह सुझाव दिया था कि आयकर होना चाहिए, क्योंकि यह क्रमिक किस्म का कर है। अतः श्री मन मोहन सिंह का यह दावा था कि हम अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों से अधिक धन प्राप्त करने की शुरूआत कर रहे हैं। इस समय क्या प्रस्ताव है? विकास दर हेतु मैंने संशोधित अनुमानों के आंकड़ों को लिया है यद्यपि वे सही नहीं हैं। इनकी बजट अनुमानों से तुलना की जानी चाहिए। तो भी मैं विचार कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष कर, जिस पर मैं बाद में प्रश्न करूंगा, उनके प्रस्ताव के अनुसार 14 प्रतिशत तक बढ़ेगा और अप्रत्यक्ष कर 15 प्रतिशत तक बढ़ेगा। अर्थात् आप अपने संग्रहण को प्रत्यक्ष करों के विपरीत झुका रहे हैं। कौन इसका स्वागत करेगा और कौन उसे एक सपना समझेगा? ये वे लोग हैं जो प्रत्यक्ष कर देते हैं। यह उनका सपना है। वास्तव में जब हमारे प्रतिष्ठित भूतपूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के बजट की सिफारिश करते हैं, जिसे हम पारित करने जा रहे हैं तो इसका कुछ अर्थ है।

लगाए गए करों की सम्पूर्ण दिशा यह है कि प्रत्यक्ष कर कम वसूला जाएगा और अप्रत्यक्ष कर अधिक वसूला जाएगा। यह पहली बात है जो मैं करना चाहता हूँ। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी यह स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि कुल अतिरिक्त वसूली 300 करोड़ रुपये होगी। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष करों सहित 900 करोड़ रुपये पर 600 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष करों की बलि दी जाएगी। इसलिए कुल कर 300 करोड़ रुपय है। यही उनके भाषण का भाग है। हम सभी वित्त विधेयक और बजट में इस दृष्टिकोण का स्वागत कर रहे हैं। किंतु मुझे दुःख है कि मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता।

अब मैं शेष मुद्दों पर आता हूँ। मैंने कहा है कि वसूली और अधिक की जानी चाहिए। वास्तव में अधिक नहीं वसूला जा रहा है। मैंने बजट भाषण के दौरान बताया है कि यह स्पष्ट हैं। हमें यह कहने के लिए कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक वसूली की गयी है क्योंकि, उनके अपने अनुमान के अनुसार यदि जरा भी परिवर्तन नहीं किये गये होते तो भी वसूली 15 प्रतिशत होती। अतः उन्हें यह दिखाने के लिए अनुमान लगाना पड़ता है कि प्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्कों, और उत्पाद करों में कटौती के बावजूद हम वही सब हासिल करेंगे। मैं यह तर्क और इन अनुमानों को समझने में असमर्थ हूँ।

मुझे यह स्पष्ट तौर पर बताने दें कि आपने कहा है कि लाभांश पर कोई कर नहीं होगा। यह अति उत्तम है। अब हम यह कहेंगे कि इस देश में या अन्य देश में, एक ऐसे लोग जिन्होंने वेतन या भत्तों से आय अर्जित की है और दूसरे लोग जिन्होंने लाभांशों आदि से आय अर्जित की है। यह सामान्य विभाजन है। अब क्या आप बता सकते हैं कि वेतन आयोग के अनुसार किए जाने वाले संशोधनों से पहले अब तक एक सरकारी कर्मचारी को वेतन से अधिकतम कितनी राशि मिलती है?

अपराह्न 06.00 बजे

वे केवल 20,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कृपया इसे 12 से गुणा करें। तक यह 2,40,000 रुपये बनता है। आप दस लाख और पांच लाख आय वाले को आयकर दाता मानते है। मैं आपको आंकड़े दूंगा यह सभी अनार्जित लाभांश आय है। जब आप कहते हैं कि आप लाभांश पर कर नहीं लगाएंगे, आपको दस लाख या यहां तक कि पांच लाख से अधिक कर निर्धारण योग्य आय वाला भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने आयकर दाताओं की गणना की है। जिनकी आय दस लाख रुपये से ऊपर है। पुराने आंकड़े सी. एंड ए.जी. रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसका उल्लेख डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी बार-बार कर रहे थे। लगभग 10,000 लोगों की आय दस लाख रुपये से अधिक है। इसका अर्थ होगा कि आप कम से कम 1000 करोड़ रुपये या 2,000 करोड़ रुपये कर के रूप में प्राप्त करते हैं। किंतु आप उन्हें छोड़ देते हैं। और अधिक वसूली के बजाए आप 200 करोड़ रुपये का कर छोड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 36,000 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आय पांच लाख रुपये से अधिक है। ये आंकड़े भी गलत हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि 36,000 ऐसे लोग हैं, जिनकी आय पांच-लाख से अधिक - पांच और दस लाख के मध्य है।

मंत्री महोदय, आप अन्य 3,000 करोड़ रुपये भी छोड़ देते हैं। आपने वचन दिया कि आप रेलवे, कृषि, विद्युत क्षेत्र को अधिक धन देंगे। हमारी सभी मांगें मित्रवत बातचीत में की गई हैं। यह एक तरीका निकाला गया है। यह इस बात का संकेत करता है कि वह इस तरह उत्तर देने जा रहे हैं। मुझे माफ करें, मैं यह बात नहीं मान सकता। वास्तव में वर्तमान स्थिति में यह बड़े ही विनम्र ढंग ''न'' कहना है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। मुझे आंकड़े देखने दें।

मंत्री महोदय, आप कहते हैं कि आयकर की विकास दर पहले ही तरह रहेगी। सबसे पहले, यदि सकल घरेलू उत्पाद अधिक बढ़ता है, तो तब क्या होगा? एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि सी. एंड ए.जी. की रिपोर्ट क्या कहती है, कि पिछले पांच वर्ष की अवधि में क्या हुआ? एक ऐसी स्थिति है जिसे कर वसूली में अधिक उछाल कहा जाता है। यह अधिक उछाल क्या है? निश्चित ही सकल घरेलू उत्पाद में अतिरिक्त वृद्धि कर वसूली में अतिरिक्त वृद्धि हमारी सहायता करता है। किन्तु क्या आप पिछले चार वर्षों की कहानी जानते हैं? सी. एंड ए.जी. रिपोर्ट के अनुसार यह उछाल कम हो रही है। पिछले चार वर्षों में यह 0.6 प्रतिशत से कम हो गया है। मंत्री महोदय आप कहते हैं कि आप अधिक वसूली करेंगे। सभी अनुमान जो आपने आयकर वसूली नियमित शुल्क वसूली के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं वे उद्देश्यों के अनुरूप हैं। संभवतः सबसे पहले मुझे यह भी बताना चाहिए कि आयकरदाताओं

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

की संख्या निश्चय ही उतनी नहीं है। जितनी कि बतायी गई है। वे अपनी विवरणी प्रस्तुत करते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि वे कर का भुगतान करें। हमें शून्य कर कंपनियों का पता था। वे सभी अपनी विवरणियां देते हैं। ऐसी 2,000 या 3,000 या 4,000 कंपनियां हैं। वे आयकर दाताओं की सूची में सम्मिलित हैं। किंतु वे आयकरदाता नहीं हैं। वे विवरणी देने वाले हैं। कई व्यक्ति भी हैं। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो अगले वर्ष मैं कोई कर नहीं दूंगा। मैं विवरणी दूँगा। मुझे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के रूप में सूची में सम्मिलित किया जाएगा। किंतु मैं कोई कर नहीं दूंगा। अतः यह कराधार बढ़ाने का रास्ता नहीं है, जो आप चाहते हैं।

माननीय मंत्री जी का लक्ष्य टेलिफोन मालिकों से कर प्राप्त करने का है। आपका अनुमान लगभग 12 लाख टेलीफोनों का है। किंतु बहुत से टेलिफोन कार्यालयों में हैं। बहुत टेलिफोन पत्नियों के नाम पर हैं। आपके पास संयुक्त कर नहीं है। आपने परिवारों पर कर नहीं लगाया है। हम वह चाहते हैं। जब टेलिफोन पत्नी के नाम हो, तो आप किसे पकड़ेंगे।

यह हो रहा है। पहले ही उछाल 0.06 प्रतिशत थी। यह घट कर 0.03 हो गई और फिर 0.02 तक आ गई। आप क्या वसूलेंगे? अब मैं अन्य बातों पर आता हूँ। मैं **खादी** के बारे में आज की घोषणा का स्वागत करता हूँ। हमने यह अन्य संदर्भ में चाहा था। हमें आज 'व्यय' पर चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह हमारी सामान्य बजट चर्चा का भाग था। आज हमें ससांधन जुटाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। चूंकि उन्होंने संदर्भ दिया था, डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी को उकसाया गया था और वह व्यय पर बोले। अब हम चाहते थे कि राज सहायता होनी चाहिए। किंतु हथकरघा क्षेत्र और खादी पर राज सहायता वर्षों से वही बनी रही है। मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मुद्रस्फीति विद्यमान है। वास्तविक कीमत घट रही है और आंकड़े स्थिर हैं। अब, सौभाग्यवश, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की दलील देकर वह कहते हैं कि **खादी** पर पूरे वर्ष छूट रहेगी। इसका अर्थ है कि यह 50 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। चाहे यह इत्तेफाक से ही हुआ हो .....*(व्यवधान)* यह स्वागत योग्य कदम है अर्थ व्यवस्था को खराब करने के बाद, उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी है।

अब, मैं प्रत्यक्ष कर पर आता हूँ। मैं निश्चितरूप से संपूर्ण सभा से यह मांग करने का अनुरोध करता हूँ कि लाभांश पर कर जरूर लगाना चाहिए। अब डॉ॰ मनमोहन सिंह खेद व्यक्त कर रहे हैं। अनुसंधान संगठन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में देश में शेयरों के मालिकाना पद्धति के बारे में बताया गया है। यह जानी मानी पुस्तक है। शेयर कौन खरीदता है? अधिकतर सरकारी कर्मचारी शेयर खरीदते हैं। अधिकांश शेयर कौन खरीदता है? शेयरों के मालिकों की संख्या लाखों में है, लेकिन लाखों की संख्या में शेयर खरीदने वालों की संख्या कम है। प्रोमोटरों से अनुरोध किया जाता है कि कंपनी खोलने के लिए 25 प्रतिशत शेयर उनके ही होने चाहिए। वे कई बार ये अनिवार्य शर्तें रखते हैं। और ये वे लोग हैं जो कर के दायरे से बच पाते हैं। वस्तुतः उन्हें कोई भी नहीं मिलेगा परन्तु वेतन भोगी उनके इस कर ढांचे में आ जायेंगे।

अप्रत्यक्ष करों को तो भूल जाइये, मैं प्रत्यक्ष करों के बारे में बात कर रहा हूँ आप यह कैसे चाहते हो कि मैं ये शेयर खरीदूं जबकि मैं जानता हूँ कि धनिक वर्ग को सरकार के खाते में थोड़ा सा डालना चाहिए ताकि मातृभूमि का विकास हो सके। मैं चाहता हूँ कि मेरे भा.ज.पा के मित्र इस संबंध में कुछ कहें। बजाय इसके अब मांग आ रही है। मैं समझता हूँ कि डॉ॰ पाल ने मांग की है कि यूनिटों के लाभाशों पर भी कर नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के तथा विश्व के धनी लोग दरिद्र लोगों के विरूद्ध एक हो गये हैं।

मैंने भाजपा नेताओं से यह पता लगाने के लिए बार-बार सम्पर्क किया है कि क्या वे चाहते हैं कि लाभांश से कर हटा लिया जाये। परन्तु वे स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : 30,000 से अधिक गरीब लोग, जिनके पास शेयर हैं तथा जो कर नहीं देते हैं पर अनावश्यक रूप से कर लगाया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास छोटे-छोटे शेयर हैं पहले ही धारा 80 एल है जिसके अंतर्गत 15,000 रुपये की आय कर से मुक्त है। यदि मेरे भाजपा के साथी उनकी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है वे यह मांग करते हैं कि धारा 80 एल की सीमा 25,000 रुपये कर दी जानी चाहिए तथा वे कहते हैं कि 80 एल की राशि बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी जानी चाहिए परन्तु वे ऐसा क्यों चाहते हैं असल में वे इससे लाखों शेयरों के धारकों को बचा लेना चाहते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : ऐसा कंपनी के उन कर्मचारियों की वजह से है जिनके पास शेयर हैं उन पर आवश्यक रूप से कर लगाया जायेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन पर कर क्यों लगाया जाय? उन पर कर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि उनकी कुल आय-कर ढांचे के अन्तर्गत नहीं आएगी तब उन पर कर क्यों लगाया जाये? मैं नहीं जानता कि उन्हें कौन मूर्ख बना रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : धनराशि-वापस लेने की समस्या है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक अलग प्रशासनिक मामला है मेरी यहां पर आपसे सहानुभूति है। समस्या यह है कि ऐसे में हमें कर ढांचे का विस्तार करने का विचार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि

हमारा प्रशासन इसे करने के सक्षम नहीं है। यदि यह व्यवहार्य नहीं तो हम लोक लेखा समिति सहित विभिन्न समितियों की मांग क्यों करते हैं.....

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : इस तर्क का मुख्य रूप से जोर इस बात पर था कि कम्पनी, निगम जो कि लाभांश दे रहे हैं, वहां कर दे रहे हैं। अब यहां पुनः व्यक्तिगत स्तर पर कर लिया जाता है। इससे तो दोहरे कराधान वाली बात आ जाएगी। जिससे बचना चाहिए। वही मुख्य बात है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं जानता हूँ। जब मैं उस बात का जिक्र कर रहा था तो आप यहां नहीं थे। मेरा कथन यह है कि यह दोहरा कराधान नहीं है। मैं आपको आंकड़े देता हूँ। यहां तक कि श्री वाजपेयी जी भी अपने बजट भाषण में गलती कर रहे थे। एक लाख बाईस हजार की धनराशि 88 लाख लोगों में तथा शेष निगमों में विघटित कर दी गई। जब आप इसका योग करते हैं तो आप कहते हैं कि वे अलग-अलग हैं और तब आप कहते हैं कि यह दोहरा कराधान है। क्या यह तर्क सही है ? आयकर के मामले में ये सब भिन्न-भिन्न चीजें हैं अन्यथा आप एक असंभव स्थिति में पहुंच जाएंगे। माना कि आप की बहुत आय है आप आय कर देते हैं। माना कि आप एक ऐसे व्यक्ति को रोजगार देते हैं जो आयकर सीमा में आता है और तो बताइए कि क्या उस पर कर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि उनकी जो भी आय है वह आपकी आमदनी में से जाती है। जिस पर पहले ही कर लगाया जा चुका है। अतः जहां तक समाज की बात है यह बात असंभव लगती है। लेकिन इसे दोहरे कराधान के रूप में नहीं लिया जाता है क्योंकि वे दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं। वास्तव में दोहरे काराधान वाली बात एक ही व्यक्ति के संदर्भ में की जा रही है। अर्थात यदि अपने देश में भी कर देना पड़े और मुझसे विदेश में भी कर लिया जाता है। तो यहां मुझ पर अर्थात एक ही व्यक्ति पर दो बार कर लगाया जा रहा है। इसी तरह यह बात उठी है। देश के धनी लोग यहां बड़ी सावधानी से लोगों को गुमराह करते हैं तथा इस उद्देश्य के लिए दोहरे कराधान का प्रयोग करते हैं। खैर मैं समझता हूँ क्योंकि वह एक समझदार व्यक्ति हैं। वह इसे स्वीकार कर लेंगे।

जहां तक पक्षपात करने की बात है धनी लोगों के बारे में पक्षपात बहुत ही सुस्पष्ट हैं मंत्रालय ने स्वयं करों के सरलीकरण के लिए एक समिति का गठन किया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वित्त मंत्री महोदय ने उनकी सिफारिशों को चुन-चुन कर स्वीकार किया है? चयन की प्रक्रिया को देखिए। उनकी सिफारिशें इस पुस्तक में हैं परिचालित किए गए संशोधनों में यह बताया गया है 10 प्रतिशत पर हम सब लड़ रहे हैं। 40,000 और 70,000 रुपये के बीच इसे 10 प्रतिशत होना चाहिए। वित्त मंत्री इस पर सहमत नहीं हुए हैं, उन्होंने इसे 40,000 से 60,000 रुपये कर दिया है। उन्होंने इसे रद्द कर दिया है तथा उन्होंने इसी रिपोर्ट में इस सिफारिश को निरस्त कर दिया है कि आयकर की अधिकतम दर को 35 प्रतिशत से नीचे नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने इसे भी निरस्त कर दिया है। वह इसे 30 प्रतिशत से भी नीचे ले आए हैं। क्या यह पक्ष पात नहीं दर्शाता है ? यहां तक कि वह कर दाताओं में भी वह निम्न ग्रेड आयकर दाताओं के संदर्भ में समिति से सहमत नहीं है तथा उच्च ग्रेड आयकर दाताओं को अधिक देने के लिए सहमति दे देते हैं यह पक्षपात है जिसे अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुखी बना कर पूरा नहीं किया जा सकता है।

अब मैं दूसरे भाग पर आता हूँ।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में बात कर रहे थे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : डॉ॰ जोशी ने सर्वोत्तम आंकड़े दिए हैं।

मैं उन्हें बधाई देता हूँ, परन्तु एकमात्र समस्या यह है कि यह ठीक है और यदि मैं यह कहूं कि वह अपनी सोच की वजह से अपने दल में भी अलग-थलग पड़ गये हैं तो उन्हें दुख नहीं होगा। .....*(व्यवधान)*

मैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में बात कर रहा हूँ जहां कि 71 प्रतिशत लाभांश जाता है। तथा वे इस पर कोई कर नहीं लगाते हैं उन्हें अपनी कम्पनियों में 71 प्रतिशत लाभांश मिलता है तथा इस पर कोई कर नहीं लगाया जाता है क्योंकि लाभांशों पर से कर वापस ले लिया गया है।

वे किसकी मदद कर रहे हैं ? वे कहते हैं कि वे विकास की तलाश में हैं। मैंने बहुत कहा है कि विकास बहुत सारे तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है परन्तु विकास के लिए उनके द्वारा चुना गया रास्ता गरीबों की कीमत पर अमीरों का भला करता है। यहां तक कि श्री राजा चेलय्या जो कि डॉ॰ मनमोहन सिंह के बहुत नजदीकी थे तथा डॉ॰ मनमोहन सिंह का लाभांश पर कर समाप्त करने का विरोध किया था। क्या वे मंत्रालय में थे, मैं नहीं जनता हूँ कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहा था।

डॉ॰ मनमोहन सिंह, जब वह मंत्री नहीं थे तो वे दक्षिण-दक्षिण सहयोग के पक्षधर थे परन्तु जब वे मंत्री बन गए तो उन्होंने इसका विरोध किया और अब जबकि वह पुनः मंत्री नहीं हैं तो उन्होंने वही पहले वाली बात कही है। मैं श्री जसवंत सिंह की बात भी तुरन्त उद्धृत कर सकता हूँ। जब वह वित्त मंत्री थे तो वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वागत कर रहे थे तथा उन्हें रियायतें दे रहे थे और आज जब वह इस पद पर नहीं हैं तथा डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी इस वाद-विवाद में अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : हम जानना चाहते हैं कि श्री सोमनाथ चटर्जी के बारे में क्या हो रहा है उन्हें अलग-थलग कर दिया गया है आप दल के मामलों के बारे में क्यों बात करते हैं? आप सीधे अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं करते हैं?

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि कोई व्यक्ति पीठासीन है।

श्री राम नाईक : महोदया, वह हर समय केवल हमारी ओर के सदस्यों को सम्बोधित कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं देख रही हूँ कि वह मान गए हैं। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अब हम राजस्व (एमनेस्टी) का प्रश्न लेते हैं। मैं समझता हूँ कि जब मैं बजट पर बोल रहा था वह उपस्थित नहीं थे, मैंने आय कर संग्रह के बारे में इस वर्ष के बहुत ही साधारण आंकड़े बताए थे।

वे सम्रंहण के चार तरीके हैं जिनमें से एक अग्रिम करों के माध्यम से है जो कि एक विशेष दर पर हैं, दूसरे तरीके भी हैं जैसे कि स्व-निर्धारण है। कुल दिलचस्प आंकड़े जो मैंने बताये हैं वह अग्रिम कर संग्रह के बारे में और ये आंकड़े इस वर्ष भी नीचे आ रहे हैं।

मैं खुश हूँ कि डॉ॰ देवी प्रसाद पाल - मुझे सुने बिना, स्वतन्त्र रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

क्या किसी ने अग्रिम कर दिया है। वे 40 प्रतिशत मात्र ही अदा करेंगे। इसलिए एमनेस्टी स्कीम ऐसी योजना है जो कि अधिक काले धन को इकट्ठा करने में सफल होगी। मैंने एक संशोधन परिचालित किया है जिसमें कहा गया है कि यदि उन्हें भुगतान करने के लिए कहा जाए जैसा कि डॉ॰ मनमोहन सिंह कहते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ अपराध किए हैं। ठीक हैं, यदि वे परेशानी में हैं तो उन्हें मान लेना चाहिए। यह तो संयुक्त मोर्चा सरकार को हमारे समर्थन जैसा ही है। संरचना में कुछ भिन्नता हो सकती है जहां वे 60 प्रतिशत अदा कर के 40 प्रतिशत बचाएं। हम उनसे कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त निधियां नहीं हैं और इसलिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है परन्तु हम किस सीमा तक झुकें? क्या हमें इसे स्वयं को विदेशियों के हाथ देने तक झुकना पड़ेगा? वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को नहीं जानते हैं। क्या वे सोचते हैं डी.सी.एम. को दाऊ द्वारा अथवा लैकमे को टाटा द्वारा लेना एक छोटी सी बात है? विश्व में लगभग 30,000 के करीब बहुराष्ट्रीय निगम हैं।

जिनमें से 200 बहु-राष्ट्रीय निगमों का विश्व की अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक अथवा क्लिंटन अथवा लेबर पार्टी नेता श्री टोनी ब्लेयर का क्या तात्पर्य है। ये 200 बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अ.मु.को.के डब्ल्यू.टी.ओ. तथा विश्व बैंक की विचारधारा पर हावी हैं। परन्तु हम जानते हैं कि सदियों से जबसे पूंजीवाद का जन्म हुआ है। शोषण के द्वारा धन कुछ ही लोगों के हाथ में सिमटकर रह गया और उसे हम वापिस लाना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारी कीमत पर था अतः आप छूट देने को तैयार हैं। परन्तु किस सीमा तक हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने दम पर कदम उठा सकते हैं। किन्तु आप आय माफी और लाभांश के लिए क्या कर रहे हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया है?

आज भी माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि यह बचत के लिए प्रेरणादायक है, क्या उनका बजट ऐसा कहता है? हमने सलाह दी है कि आप सार्वजनिक भविष्य निधि में धारा 88 के अंतर्गत 40,000 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं इससे दो लाभ होंगे। लघु बचत से सरकार और बचत सृजित करेंगी और सार्वजनिक भविष्य निधि राज्यों को अंतरित की जा सकेगी। यह विचार मेरे अकेले का ही नहीं है, यह विचार योजना आयोग का भी है कि इस बजट सहित पिछले पांच वर्षों से राज्यों को अनुपातिक रूप से केन्द्र से धन प्राप्त हो रहा है। जो सहायक हो सकता था। आप कर लगा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि यदि आप धारा 80 (1) के अंतर्गत 15,000 रुपये के अलावा सार्वजनिक भविष्य निधि में 40,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको लाभांश पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा "नहीं"। यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे अमीरों को छूट देनी पड़ती है। ताकि देश में विकास हो। यह हमारी समझ से बाहर है। मैं सार्वजनिक भविष्य निधि के आंकड़ों का अध्ययन कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि अनुमानतः कितनी लघु बचतों का प्रावधान किया गया है। 1996-97 हेतु बजट अनुमान 14,000 करोड़ रुपये था। वे कहते हैं कि बचत के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। क्या यह बचत का साधन नहीं है? क्या यह घरेलू बचत नहीं है। संशोधित अनुमान में यह 15,000 करोड़ रुपये था। इस वर्ष हेतु आप किस तरह के आंकड़ों की आशा करते हैं। यह 14,000 करोड़ रुपये नीचे लाया गया है। जिस तरह बचत प्रोत्साहन हेतु प्रावधान किया गया है यह उसका प्रभाव है। सम्पूर्ण बजट उपभोक्तावाद पर आधारित है। मैं इस पर डॉ॰ जोशी से सहमत हूँ। उन्होंने जो आंकड़े नहीं दिए हैं, वे मैं दूंगा।

10 लाख रुपये की आय पर आप नई दरों पर सामान्यतः 1 लाख रुपये बचा सकते हैं। वे यह आंकड़े दे चुके हैं। यह 1 लाख रुपया कहां जाएगा? इससे एक ऑपेल एस्ट्रा या फोर्ड एस्कोर्ट या अन्य नई कार खरीदी जाएगी। इस प्रोत्साहन का प्रभाव उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क प्रभारों पर भी पड़ा है। हम हमेशा उत्पाद शुल्क में कटौती के पक्ष में रहे हैं, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है। हम एक शर्त पर इस के पक्ष में हैं.....*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मेरे दल का एक सदस्य कल या परसों तक नहीं रुक सकता है। अगला नाम उसका है। यदि श्री निर्मल सहयोग दें तो वह आज बोल सकते हैं, अन्यथा उन्हें इसके लिए आधा घंटा और बैठना पड़ेगा।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनका नाम अगला नहीं है। यहां और भी नाम हैं। किंतु श्री निर्मल को संक्षेप में बोलना पड़ेगा। वह पहले ही काफी समय ले चुके हैं.....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पूरा सदन इसका साक्षी है कि अपना भाषण शुरू करने से पहले मैंने यह स्पष्ट किया .....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोंस (इदुक्की) : उस मामले में, आपको आज सभा का समय बढ़ाना होगा.....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको कितना समय चाहिए? .....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : श्री चटर्जी आपको कितना समय चाहिए? कम से कम जितना समय मुझे आवंटित किया गया है, उतना समय तो मुझे दिया जाना चाहिए। महोदया, आपको सभा का समय एक घंटा बढ़ाना चाहिए.....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप कल वक्तव्य क्यों नहीं देते? मैं कल सुबह आपको बोलने का अवसर दे दूंगा।.....*(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : महोदया, भूतपूर्व सभापति और माननीय मंत्री ने उन्हें बोलने हेतु 7 बजे तक समय दिया था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह सभा इसकी साक्षी है..... ..*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : महोदया, कृपया आप समय 7.00 बजे तक बढ़ा दें.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं यह नहीं सोचती कि पांच पीठासीन अधिकारी सभा चला सकते हैं। केवल एक पीठासीन अधिकारी को सभा चलानी होती है, यह कोई भी हो सकता है। अन्यथा हमारा कोई स्थान नहीं रहेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी आपको कितना समय चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अब मैं बैठ सकता हूँ। मैं और पांच अथवा दस मिनट में बैठ सकता हूँ, जैसा भी आप चाहें। किन्तु मैं अपनी बात समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय : आप पहले ही चालीस मिनट ले चुके हैं। इसलिए, मैं यह कह रही हूँ.....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : महोदय, कृपया सभा का समय बढ़ा दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है। मैं सभा के प्रति सहानुभूति पूर्व रवैया अपनाऊंगा। मैं उत्पाद शुल्क के बारे में बात कर रहा था.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी काफी सशक्त हैं। उन्हें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

श्री ए.सी. जोस : महोदया, कृपया कम से कम आधा घंटा समय बढ़ा दें।

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें। उनके वक्तव्य समाप्त करने के बाद ही समय बढ़ाने अथवा न बढ़ाने का प्रश्न उठता है।

श्री ए.सी. जोस : आपको इसे आठ बजे तक बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय : यह आपका प्रस्ताव है। उन्हें पहले अपनी बात समाप्त करने दें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं उत्पाद शुल्क के बारे में बात कर रहा था। आम मानना यह है कि लोगों पर बड़ी मात्रा में उत्पाद शुल्क का प्रतिगामी बोझ नहीं होना चाहिए। तब भी हम अलग हो सकते हैं। हम कहते हैं कि संसाधनों के मामले में आपको उत्पाद शुल्क लगाना होगा। आप वस्तुओं और सामान के बीच भी अन्तर कर सकते हैं। जिससे कि निर्धनों द्वारा खपत किए गए सामान की तुलना में धनी लोगों द्वारा खपत किए गए सामान पर अधिक शुल्क लगेगा। इस भिन्नता को भी सर्वभौम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। क्या इस विशेष मामले में यह किया गया है? मैं आपको पर यह बताऊंगा कि उन सामानों पर शुल्क कर कम दिया गया है जो केवल धनी लोगों के लिए ही बनाये गए होते है। मैं, जो प्रभावी आंकड़े आपको बताऊंगा, उनकी आप प्रशंसा करेंगे। आप देखेंगे कि थोक दवाओं पर शुल्क में 10 से 18 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी गयी है। यह किसके लाभ के लिए है? क्या यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए है जिन्होंने इन इकाईयों को तैयार किया है और यहां लाये हैं। चिकित्सीय ग्रेड की आक्सीजन के लिए उत्पाद शुल्क 5 से 8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। आप सभी ने इस बजट को सपनों वाला बजट कहकर स्वागत किया है। यह किसका स्वप्न है? यह कोई नहीं जानता। प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की स्थिति देखें। इसे 40 से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। क्या आप सोचते हैं कि यह एक उचित बजट है? धनी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामानों पर शुल्क में कमी की गयी है और सभी लोगों की आवश्यकता के सामान जैसे दवाई,

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

पर शुल्क में वृद्धि की गयी है। परफ्यूम, हेयर ऑयल आदि पर इसे कम किया गया है।

श्री पी.डी. थामस (मुक्तुपुजा) : किन्तु मेरे विचारों से आप इस बजट का समर्थन करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, आप उनकी ओर न देखें। आप मेरी ओर देखें। आखिरकार मैं आपकी अपना सहयोगी हूँ।

श्री राम नाईक : महोदया वह बजट की आलोचना कर रहे हैं किन्तु अन्त में वह इस बजट का समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : कुछ भी हो, कुछ मुद्दे हो सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपकी संतुष्टि के लिए मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। क्या यह ठीक है?.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार न करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : देखिए कि उत्पाद शुल्क में कमी कहां की गयी हैं। उन्होने माचिस पर रियायत दी है। यहां एक वास्तविक समस्या है जो लोग तमिलनाडु में बाल श्रमिकों का शोषण करते हैं - वित्त मंत्री का राज्य - शुल्क मुक्त हैं। क्योंकि वे एक दिन में 12 घंटे बाल श्रमिकों का शोषण करते हैं, वे मशीन से बनायी गयी माचिसों के निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। निःसन्देह, अब हमारी दुविधा यह है कि हम कहते हैं कि लघु उद्योगों को सहायता दी जानी चाहिए। विमको कम्पनी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। आपने उस पर शुल्क लगा दिया है। जिसकी वजह से वे वहां शोषित बाल श्रमिकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। किन्तु वह इस बात से सहमत हो गए हैं कि इसे कम किया जाना चाहिए।

फिर, यात्रियों के सामान और चमड़े के सामान पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। आप जूतों और चमड़े के कपड़ों के कम मूल्य के बारे में विचार न करें। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि सर्दी से कांपता हुआ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति क्या चमड़े की जॉकेट खरीदना चाहेगा। अतः यह रियायत है। शुल्क की कमी करने में यही तरीका अपनाया गया है। आरामदायक सामानों पर शुल्क में कमी की गयी है। किन्तु कुछ मामलों में आवश्यक वस्तुओं पर न केवल कमी तो की ही नहीं गयी बल्कि इसमें वृद्धि की गयी है। आप बजट का स्वागत करें। मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता हूँ। छत की टाइलों पर रियायत देना अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। किन्तु उसका सहारा लेकर क्या एक अति निर्धन व्यक्ति भी चमकीली टाइलों का प्रयोग कर सकता है? उन पर भी शुल्क में कमी की गयी है। मैं किताब देख रहा हूँ.....*(व्यवधान)*

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की यह परिभाषा है। केवल चमकदार टाईलों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ही गरीबी की रेखा से नीचे हैं.....*(व्यवधान)* इसे देखिए। उन्होंने जहाजों तथा नौकाओं में रियायत दी है। हमने उस बारे में अभ्यावेदन दिया था। यह अत्यन्त स्वागत योग्य कदम है। वह अत्यन्त खतरनाक चीज थी। जहाज तथा नौकाएं खतरनाक हो सकती हैं। क्यों? मैं आपको बता दूँ कि आयात किए गए जहाजों तथा नौकाओं पर सीमाशुल्क नहीं है। मैं यह बता रहा हूँ कि यह स्वयं में सही बात न देखना है। आयातित जहाजों तथा नौकाओं पर कोई सीमाशुल्क नहीं है। आयातित जहाजों तथा नौकाओं के लिए एक समान अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने घरेलू उत्पादन पर आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगा दिया है। यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। सोभाग्यवश, हमारे अभ्यावेदन के बाद उन्होंने भूल सुधार ली और वह उत्पाद शुल्क वापस ले लिया।

श्री ए. सी. जोस : तब तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं समर्थन तो कर रहा हूँ परन्तु आपकी तरह नहीं।

इस प्रकार, यह दूसरा संकेत है : ''कांच तथा कांच के सामान और रसोई तथा रसोई के सामान शायद कांच के जो संसद सदस्यों के घर की शोभा बनते हैं। क्या वे गरीबी की रेखा से नीचे हैं? इन वस्तुओं पर शुल्क कम कर दिया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : सभी संसद सदस्यों के घरों की बात मत कहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं केवल संकेत दे रहा हूँ ब्यौरा नहीं क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा। वृद्धि की गई है। इसका स्वागत है परन्तु 600 रुपये से अधिक कीमत की घड़ियों पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। एक लाख, दो लाख अथवा तीन लाख की लागत वाली जड़ित कलाई घड़ियों की स्थिति क्या है? आप उन पर अधिक उत्पाद शुल्क क्यों नहीं लगाते हैं? इस तरीके में यह बात है कि धनी लोगों को रियायत देकर ही देश की रक्षा की जा सकेगी।

मैं इस क्षेत्र की बात छोड़ता हूँ। एअरकंडीशनरों पर कमी की गयी है जो कि अनेक संसद सदस्यों की जरूरत है और यह उन लोगों की जरूरत नहीं है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उत्पाद शुल्क में कटौती की गयी है। मैं भी दिल्ली के गर्म मौसम में एअर कंडीशनर का आनन्द लेता हूँ। किन्तु यह

हम ही हैं - वे नहीं हैं जो सड़कों पर रहते हैं - जो इसका उपयोग करेगा। यह देश वास्वत में किसके लिए है? आपको इसका उत्तर देना होगा।

महोदय, हमें अपना ध्यान उत्पाद शुल्क पर केन्द्रित करना चाहिए। इन बैगेंजेस का आर्थिक कार्य क्या है? डॉ॰ जोशी ने यह ठीक ही कहा है सरकार द्वारा संसद के परामर्श के बिना 31 दिसम्बर को विश्व व्यापार संगठन में चोरी छिपे शामिल होने के पश्चात आयात शुल्क की दरों में अधिकाधिक कमी कर रही है। सरकार इस शिकंजे में फसी हुई है। सरकार इस शिंकजे में फंसी हुई है और उसे आयात शुल्क कम करना ही पड़ेगा। भले ही देश को सरंक्षण की आवश्यकता हो। मैं इस तर्क को समझ रहा हूँ अभी मैंने पहले भी कहा कि स्वतंत्रता के समय हमने महसूस किया कि विदेशी पूंजी का मुकाबला करने के लिए और क्योंकि गैर-सरकारी पूंजी कमजोर है, हमें सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता होगी ताकि उत्पादकता के मामले में हम अत्यधिक कुशल हो सकें और आर्थिक क्षेत्र में विश्व से प्रतिस्पर्धा कर सकें यह ठीक है कि बड़े औद्योगिक घरानों के कारण यह देश असफल हुआ है। उन्होंने अधिक उत्पादन करने से इंकार कर दिया है और उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनको दण्डित करने का एक तरीका यह भी है कि आयात शुल्क में हल्की सी बढ़ोतरी कर दी जाए। परन्तु दण्डित करने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें फांसी पर ही लटका दिया जाए। सरकार को उन्हें बगैर नष्ट किए उन्हें एक फलोत्पादक रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। यह दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता है।

सरकार अधिकतम शुल्क 300 प्रतिशत से घटाकर 240 प्रतिशत कर रही है, और फिर उसे कम करके 130 प्रतिशत, फिर 80 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत और अन्तिम वर्ष में इसे घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। परन्तु यह किस के लाभार्थ किया जा रहा है? सरकार इस देश में विदेशी वस्तुओं की भरमार करना चाहती है। विदेशी पूंजी के लिए तो औचित्य है। परन्तु आप यहां विदेशी चीजों की बाढ़ क्यों लाना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ।

मैंने वित्त मंत्री से पूछा था कि हवाई जहाजों में बैगेजों की क्या आर्थिक क्रिया है। इन बैगेजों को बाहर से कौन लाता है जिनकी सीमाशुल्क (कस्टम) में जांच की जाती है। वे अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों द्वारा लाए जाते हैं। ये उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं जिन्हें हवाई जहाजों में यात्रा करने का मौका नहीं मिलता है। आपने इन बैगेजों पर आयात शुल्क घटा दिया है। अब अर्थव्यवस्था के विकास के नाम में हमने एक अभिनव परिवर्तन किया है। उस अभिनव परिवर्तन का स्वागत किया गया है ताकि उसका चुप रहकर प्रत्युत्तर दिया जाये.....*(व्यवधान)*

अब, अगर आप दूरदर्शन देखें तो आप पाएंगे कि हाथियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और उन्हें मारा जा रहा है। यह अत्यन्त घिनावना दृश्य है। इसके बाद कैप्शन दिखाया जाता है जिसमें कहा जाता है "हाथी दांत की खरीद न करके हाथियों को बचाइए"। क्या इस प्रकार हाथियों को बचाया जा सकता है, हाथी दांत की तस्करी को रोककर नहीं? तस्करी इसी संस्कृत के कारण होती है।

स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में वे यह वायदा नहीं कर सकते कि वे उपभोक्तावाद की इस संस्कृति को नहीं अपनाएंगे। हम सभी के लिए खेल खत्म हो चुका है। ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए भारत अत्यन्त महत्वपूर्ण और अत्यन्त प्राचीन देश है। मैं केवल उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में संकेत देना चाहता था। अनेक क्षेत्रों में ऐसा केवल अमीर व्यक्तियों की जेबें भरने और उपभोक्ता केन्द्रित होने के लिए किया गया है।

हमारा प्रस्ताव अत्यन्त साधारण है। इस प्रक्रिया में जल्दी क्यों की जा रही है। इसे एक वर्ष तक लटकाए रखिए अब एक शुल्क आयोग (टैरिफ कमीशन) भी है। उन्हें सभी शुल्कों को पुनरीक्षा करने को कहिए। और उन्हें यह पता लगाने को भी चकहिए कि किस स्तर पर प्रत्येक मद को संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन हो और उत्पादकता के लिए प्रेरित भी किया जा सके। इस पर यहां निर्णय मत लीजिए। मैं विस्त्रत सूची के बारे में कहना नहीं चाहता परन्तु मैं यह अनुरोध करूंगा - हम वाम दलों ने उससे अनुरोध किया है - कि यदि सरकार एक वर्ष तक इंतजाम कर लेगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा।

बाहर के हमारे मालिक हमें समुद्र में नहीं फेंक सकेंगे। उनमें से प्रत्येक को यह भेजिए और उन्हें भी उत्पाद शुल्क का अध्ययन करने दीजिए। उन्हें एक साथ रिपोर्ट करने दीजिए - हम सभी उस चर्चा में भाग लेंगे - और सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के लिए शुल्क की सूची बनाने दीजिए। क्या वे राजी हो जाएंगे? वे मेरे सुझाव को ही नहीं मानेंगे

मैं पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि का उल्लेख अवश्य करूंगा। यह सही है कि अर्थव्यवस्था में घाटा केवल यही नहीं है। तथ्य यह है कि उन्होंने पिछले वर्ष केवल 2000 करोड़ रुपये कम खर्च किए हैं। संशोधित अनुमान केवल 2000 करोड़ रुपये है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने आवश्यक चीजों पर व्यय नहीं किया बल्कि आपके उकसाने पर उन्होंने रक्षा पर अधिक खर्च किया। कतिपय प्राथमिकता क्षेत्रों में उन्होंने बचत की है। शायद हम सभी ने उन्हें मजबूर किया और उन्होंने धनराशि व्यय की। इसलिए, निवल कटौती केवल 2000 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान 2,04,000 करोड़ रुपये का था और संशोधित अनुमान 2,02,000 करोड़ रुपये था। मैंने उस चर्चा में भाग लिया था। उन्होंने विभागों से खर्च न करने को सोच-विचार कर कहा था। आज, आप यदि यह कहते हैं कि वे खर्च नहीं कर सके तो यह सत्य का उपहास होगा और एक ईमानदार मंत्री के योग्य नहीं होगा।

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

इस वर्ष भी यही होगा क्योंकि राजस्व नहीं आएगा। मैंने सीमा शुल्क के आकलन का उल्लेख किया था। उन्होंने 19 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है न केवल यहां बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में। उनके आकलनों के आधार पर कि आयात पर 2 प्रतिशत सामान्य मुल्क है – उन्होंने 1400 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं और 2550 करोड़ रुपये एकत्र करने का उनका अनुमान है – आयात में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि इतना शुल्क एकत्र किया जा सके। उनका प्रथक अनुमान होता है जब वे यह कहते हैं कि पिछले वर्ष विद्यमान दरों के आधार पर उन्होंने इतनी धनराशि एकत्र की, 2550 करोड़ रुपये की कमी होगी और फिर भी वृद्धि 19 प्रतिशत होगी। क्या ये आकलन विश्वास योग्य है?

यदि आप इसे दो अलग तरह से देखें तो आयात की वृद्धि के दो पृथक प्रक्षेपण दिखाई देंगें। वे कैसे चाहते हैं कि मैं इसे मान लूं? हम सीमाशुल्क राजस्व तब तक एकत्र नहीं कर सकते जब तक कि व्यापार सन्तुलन हमारे अत्यन्त प्रतिकूल न हो। मैं जानता हूं उत्तर यह होगा, ''व्यापार संतुलन को कम होने दीजिए। हम अपने अनिवासी भारतीयों के जरिए एकत्र कर लेंगे। और जो भी धन अवैधानिक रूप से बाहर ले जाया गया है वापस लाया जाएगा और व्यापार संतुलन घाटे के लिए दिया जाएगा।'' मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं।

मेरे प्रस्ताव अत्यन्त ठोस हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम कुछ स्तर से अधिक लाभांश पर कर लगाया जाए। उसकी कोई वापसी नहीं होनी चाहिए। वह बचत, वह विस्तार, बचत अवसरों के रूप में होना चाहिए। कारपोरेशन टैक्स के सम्बन्ध में उन्हें अपनी इज्जत रखनी ही होगी। 3 प्रतिशत अधिभार है और उन्हें उसे समाप्त करने दीजिए। यह उनसे लम्बे समय का वादा है। कारपोरेट क्षेत्र को इस प्रकार की कटौती की आशा नहीं थी। वे इतने आश्चर्यचकित हो गए कि वे इस बात पर जोर दे रहे थे। देश में सरकार हो या न हो, कि विधेयक पारित किया जाए। वे इस पर अत्यन्त मोहित हो गए हैं, निःसन्देह हम इसका समर्थन नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार हम 7 बजे तक बैठेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं दो टिप्पणियां और करूंगा तथा उसके बाद बात समाप्त कर दूंगा।

पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में इस पर इस ढंग से सब्सिडी क्यों दी जानी चाहिए। क्या इसका कोई विकल्प नहीं है।

महोदया, खाड़ी देशों में भी पेट्रोलियम की कीमतें कम हो रही हैं। परन्तु अतिरिक्त रूप से 10,000 करोड़ रुपये का घाटा यहां होगा। क्या इसे एकत्र करने को कोई रास्ता है। फिर हम विरोध क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ने पर मंत्रालय परेशान था। अब, वह दौर समाप्त हो चुका है। इसलिए, थोक मूल्य सूचकांक घट रहा है। यह ठीक है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में मुद्रास्फीति दर 10 प्रतिशत ही है और विश्व के अधिकांश देश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसरण मुद्रास्फीति दर का आकलन करते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है जो मुद्रा स्फीति दर थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार आंकलन है। क्या इसका कोई रास्ता है? हाँ एक रास्ता है। आपने मारुति कार मालिकों पर कम प्रिजम्पटिव टैक्स रखा है। वे पेट्रोल पर बहुत अधिक व्यय करते हैं। आप इन मारुति कार मालिकों से कुछ धनराशि लेते हैं। यदि किसी के पास ओपल एस्ट्रा है तो आप 15,000 या 20,000 रुपये की दर से प्रिजम्पटिव टैक्स लें। निःसन्देह मैं कंटेसा मालिकों को छोड़ दूंगा। ऐसा इसलिए है कि मेरे मित्र जो मेरे समीप बैठे हैं मुझे कंटेसा में बैठाते हैं इसलिए यह बड़ी बात होगी।

मैंने कहा था कि डीजल की खपत रेल गाड़ियों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा भी की जाती है। उन पर कर नहीं लगाइए। रेल गाड़ियों में वातानुकूलित श्रेणी-एक और वातानुकूलित श्रेणी दो में गाड़ियों में यात्रियों पर डीजल कर लगता है। आप अमीर और गरीब में भेद करते हैं। वे डीजल के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। आप उन पर कर लगाते हैं। आप उनसे कर वसूल करते हैं। और पेट्रोलियम में होने वाले घाटे पर भी ध्यान रखते हैं। यह नीचे आएगा। आप पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को बढ़ाने के बजाए इन उपायों को अपनाते हैं। यदि आप डीजल का मूल्य बढ़ाते हैं तो बसों और ट्रकों का किराया बढ़ेगा। किसानों को परेशानी होगी। क्योंकि किसान विद्युत हेतु डीजल का प्रयोग करते हैं। उन्हें कष्ट दिए बगैर धनिक वर्ग के उपभोक्ताओं पर कर लगाया जाना चाहिए। निःसन्देह वे हमारे भाई हैं। वे हमारा शोषण करते हैं। फिर भी वे हमारे भाई है। पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बढ़ाने के बजाए यदि एक रास्ता है।

महोदया, अब मैं समाप्त करूंगा। मैं वित्त मंत्री की समझ-बूझ पर चकित हूँ। उन्हें इसके बारे में इतना भ्रम है। मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करें। वे यहां नहीं हैं। पर सेवा कर क्या है? हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और सेवायें प्रदान करते हैं वे वस्तुओं के उत्पादन के प्रदत्त सेवाओं पर कर लगा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। यह आयकर नहीं है। यह निगम कर नहीं है। वह उनसे ज्यादा से ज्यादा एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवहन संचालक आयकर नहीं देते। आप उन्हें अलग ही ढंग पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह करने के बजाए आप इसका विरोध कर रहे हैं। वहां यह सेवा कर नहीं लगाइए। तथापि,

अन्य क्षेत्रों में आप कर लगाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्पाद शुल्क की दृष्टि से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि आम लोगों को कष्ट न पहुंचे। हम भगवान में विश्वास नहीं करते, किंतु हम ऐसा जरूर कहते हैं कि भगवान के लिए चुप रहिए। हम यह भी कहते हैं कि भगवान के लिए इस बजट को रोकिए। मैं अपनी जबान बन्द रखूंगा। यदि आप सभी इस बजट को रोकने के लिए सहमत हैं। मैं उस टिप्पणी के साथ ही सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, यदि न्याय नहीं किया जाता है, तो सारा विकास अर्थहीन है और इसलिए हम इस बजट का स्वागत करने में असमर्थ हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों हम अपराह्न 7.00 बजे सभा स्थगित करेंगे।

श्री राम नाईक : महोदया, चूंकि वक्ताओं की संख्या अधिक है, हम अपराह्न 8.00 बजे तक बैठ सकते हैं और कल भी हमारे पास अधिक समय होगा, जो वक्ता बोलना चाहते हैं, वे तब बोल सकते हैं।

श्री ए. सी. जोस : हाँ महोदया सदन की कार्यवाही अपराह्न 8.00 बजे तक चलनी चाहिए।

सभापति महोदय : हम देखेंगे।

श्री सी. नारायण स्वामी (बंगलौर-उत्तर) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, विशेषकर बजट का स्वागत और समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। देश के लिए एक सतत् विकास दर को लाने के लिए यह एक अच्छा प्रयास रहा है और यह संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में दिए गए वचन का पालन करने के प्रति समर्पित है। इस कार्यक्रम में मूलभूत सेवाएं हैं, जिन्हें अधिक महत्व देने की बात कही गई है और इन सेवाओं में पेयजल का प्रावधान, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार और अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाएं सम्मिलित हैं, जिनकी देश के लोगों को आवश्यकता है।

सरकार के प्रस्तावों में एक स्थिर विकास दर सुनिश्चित करने की इच्छा की गई है। इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक घाटे की दर को नीचे लाने की भी बात कही गयी है। इन उद्देश्यों को देखते हुए वित्त प्रस्ताव, विशेषकर माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में प्रस्ताव काफी समय तक बने रहेंगे।

प्रत्यक्ष कर विशेष कर आयकर के संबंध में कर ढांचे को तर्क संगत बनाने, कर की दर को कम करने, कराधान की दर में 'स्लैब' कम करने और वेतन भोगी श्रेणी के लोगों की आय के संदर्भ में कटौती राशि बढ़ाने की भी इच्छा वक्त की गई है। इसके अलावा, सामान्यता यह महसूस किया जाता है कि कराधान की ऊंची दर से कर अपंवचन बढ़ेगा और आगे परिणाम स्वरूप सरकार का राजस्व कम होगा। कर दरों के सरलीकरण, करों की दर में कटौती और अन्य राजस्व उपायों से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इससे न्यूनतम कर अपवंचन होगा, जिससे राजस्व बढ़ेगा।

इसके अलावा, आयकर के संदर्भ में वरिष्ठ नागरिकों को छूट दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है।

अब सरकार का राजस्व बढ़ाने के क्षेत्र में, माननीय वित्त मंत्री ने कतिपय प्रस्ताव किए हैं, जो देश के किसी वर्ग के लोगों पर अनुचित रूप से बोझ नहीं डालेगा, चाहे यह गरीबी से लड़ रहा गरीब वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या सम्पन्न वर्ग हो, जिसकी आय पर भारी कर लगाया जा सके।

यह प्रस्ताव औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। मूल ढांचागत सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास दर में वृद्धि हेतु विद्युत और अन्य ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश होगा। कृषि उत्पाद और संबद्ध क्रियाकलापों की वृद्धि के संबद्ध में भी प्रस्ताव हैं।

इस समय वित्त विधेयक में मुख्य नीति प्रस्तावों का स्वागत करते हुए सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि बाह्य खान-पान सेवा देने वालों, पंडाल और शामियाना ठेकेदारों पर सेवा कर से संबद्ध प्रस्तावों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और धागा रबड़ पर कर वृद्धि का प्रस्ताव भी है। पहले लघु उद्योग धागा रबड़ निर्माण इकाइयां सामान्य छूट श्रेणी के अंतर्गत थी। दुर्भाग्यवश जबकि अधिकतर श्रेणियों में कराधान को माननीय वित्त मंत्री द्वारा कम किया गया है। वित्त प्रस्तावों में धागा रबड़ पर वृद्धि की बात कही गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध करूंगा। धागा रबड़ का उपयोग आम लोग कर रहे हैं, जो सामान्यता नया टायर नहीं खरीद सकते हैं, जो अपने वाहनों, चाहे दुपहिया हों या चौपहिया हों, वे रख-रखाव पर धन खर्च नहीं कर सकते हैं। यह धागा रबड़ उनके लिए उपयोगी होगी। धागा रबड़ बनाने वाले लघु उद्योग पहले छूट प्राप्त कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इस छूट को बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि न केवल वे निर्माण में सक्षम हों बल्कि बड़े रबड़ उत्पादकों के मुकाबले में भी खड़े रह पायें।

टाइलों पर भी कर लगाने का प्रस्ताव है। टाइलें आमतौर पर गरीब तबका अपनी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपयोग में लाता है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

श्री. ए. सी. जोस : यह आज वापिस ले लिया गया है। *.....(व्यवधान)*

श्री सी. नारायण स्वामी : माफ कीजिएगा, मैं उस समय उपस्थित नहीं था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ।

अखबारी कागज संबंधी नीति के संबंध में, इसके आयात की अनुमति दी गई है। इसी समय, देश के अखबारी कागज निर्माताओं ने हो-हल्ला मचाया है कि अखबारी कागज के आयात के उदारीकरण से देश में अखबारी कागज का अम्बार लग जाएगा और सरकार को इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर कराधान नीति में संतुलन बनाना चाहिए ताकि जब अखबारी कागज के वास्तविक उपभोक्ताओं हेतु अनुमति दी जाए, तो स्थानीय उद्योग बंद या रुग्ण नहीं होने चाहिए।

अतः मैं समझता हूँ कि इस संबंध में सरकार और माननीय वित्त मंत्री को संतुलन बनाना अनिवार्य है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह केवल एक उद्योग पर लागू नहीं होता बल्कि बहुत से उद्योगों पर लागू होता है।

श्री सी. नारायण स्वामी : जी, हाँ।

सभापति महोदय : श्री नारायण स्वामी, मैं समझता हूँ आपको इस मामले में बहुत कुछ कहना है, चूंकि इस समय सात बज गए हैं, हमें सदन स्थगित करना है और आप कल अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री सी. नारायण स्वामी : ठीक है।

सभापति महोदय : अब सभा कल गुरुवार 8 मई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 मई, 1997/ 18 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।